



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 2—जुलाई 8, 2011 (आषाढ़ 11, 1933)

No. 27]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 2—JULY 8, 2011 (ASADHA 11, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *	
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *	815
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *	633
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	11
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *	1197
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... *	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *	
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... *	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	2527
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट..... *	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	4481
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... *	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *	533
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	815	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	633	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	11	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1197	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2527
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	4481
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	533
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल 2011

सं. 6/5/2011-प्रौडनियो

संकल्प

उद्देश्य :—

1. पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना से संबंधित सरकारी संकल्प में इस योजना हेतु वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी मानक एवं इसके कार्यान्वयन के तरीके की जानकारी दी गई है और यह इस संकल्प के जारी होने की तिथि से 31.03.2012 तक और इसमें आर्थिक सहायकता की अधिकतम सीमा समग्र रूप से इस अवधि के दौरान रुपये 1972 करोड़ होगी।
2. प्रौडनियो वर्ष 1999 में वस्त्र एवं जूट उद्योग के सभी उप क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में शुरू की गई। प्रारम्भ में यह योजना अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2004 के लिए मंजूर की गई और बाद में यह योजना वर्ष 2004 में एवं पुनः 2007 में संशोधनों के साथ बढ़ाई गई प्रौडनियो के अंतर्गत निगत तीन (3) वर्षों में अब तक पर्याप्त रूप में बढ़ोत्तरी हुई है। इस योजना के प्रारम्भ से अब तक रुपये 11,196 करोड़ की आर्थिक सहायता जारी की गई है जिसमें रुपये 8,883 करोड़ की राशि पिछले तीन (3) वर्षों में जारी की गई। प्रौडनियो में इसके 11 (ग्यारह) साल के कार्यकाल में रुपये 2.08 लाख करोड़ के निवेश को बढ़ावा दिया।
3. इस योजना का मूल्यांकन एक स्वतंत्र व्यावसायिक सलाहकार मैसर्स क्रिसिल ने बताया है कि प्रौडनियो के चलते उत्पादकता में बढ़ोत्तरी लागत एवं अपव्यय में कमी तथा समग्र रूप में गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी में सहायता हुई है। यद्यपि प्राप्त लाभ सम्पूर्ण उद्योग विस्तार के क्षेत्रों में हुआ है इसके साथ ही प्रोसेसिंग एवं विद्युत करघा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस अध्ययन द्वारा सुझाव दिया गया है कि समग्र रूप से अधिकतम गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित करने के लिए प्रौडनियो को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है और इसके तहत अब तक के अपेक्षाकृत कम ध्यान दिये गये दोनों क्षेत्रों में निवेशों को बढ़ावा देने की जरूरत है।
4. मूल्यांकन संबंधी अध्ययन के मद्देनजर सरकार ने इस योजना को पुनर्गठित करने का शीघ्र फैसला किया है और इसके तहत अब तक के अपेक्षाकृत कम ध्यान दिये गये क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना है जिसमें समग्र गुणवत्ता की कड़ी में संतुलित वृद्धि की जा सके और जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह आर्थिक सहायता पूर्णतः खुली हुई नहीं है बल्कि इसकी एक निश्चित सीमा है। तदनुसार मौजूदा योजना को रद्द कर दिया गया है और इस योजना के तहत दिनांक 29.06.2010 से नई मंजूरी नहीं दी जा रही है और इसकी सूचना सभी प्रमुख ऋणदाता संस्थानों को दे दी गई है। हालांकि दिनांक 01.04.1999 से

28.06.2010 के दौरान मंजूर ऋणों पर उस समय के लागू मानक ही लागू होंगे। और वस्त्र आयुक्त उक्त अवधि के लिए सरकारी देयताओं हेतु सुरक्षा कवच होंगे।

5. मौजूदा योजना का उद्देश्य वस्त्र एवं पटसन उद्योगों के लिए निवेशों को शक्ति प्रदान करता है। और वे भी इन उद्योगों के समग्र क्षेत्रों के उत्थान के लिए विशेष ध्यान रखते हुए। मौजूदा पुनर्गठित प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी का प्रमुख उद्देश्य निम्नवत दिया है :-
 - (क) मुख्यतः इकाईयों के विखंडन की समस्या को हल करते हुए कताई के लिए 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति करके उन्हें बुनाई /निटिंग /प्रोसेसिंग /गार्मेंटिंग क्षमता के स्तर को प्राप्त कराना है।
 - (ख) निवेश के उन क्षेत्रों को बढ़ावा देना जहाँ अपेक्षाकृत निवेश की आवश्यकता पड़ती है जैसे प्रोसेसिंग।
 - (ग) वित्तीय स्थिति को सुधारने की दृष्टि से पुर्नअदायगी की अवधि को कम करके 7 वर्ष करना जिसके 2 वर्ष की ऋणस्थगता अवधि शामिल है।
 - (घ) बुनाई क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु नये शटल रहित करघों युक्त संस्थाओं के लिए उच्च पूंजीगत आर्थिक सहायता। इससे पुराने करघों को कम करने में सहायता मिलेगी तथा मध्यम से मूलतः पुराने करघों को पूरी तरह हटाया जा सकेगा।
 - (ङ) एस एस आई इकाईयों की उच्च सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इस श्रेणी के अंतर्गत सीमा को बढ़ाया जायेगा।
 - (ढ) पुनर्गठित / पुनर्निधारित मामलों की पात्रता को प्रारम्भिक ऋण अदाएगी अवधि तक ही सीमित रखा जायेगा और पुनर्निधारित मामलों की में आर्थिक सहायता संबंधी अधिकता को टाला जाए।
 - (ज) पुनर्गठित योजना का गठन इस प्रकार किया जाए कि आर्थिक सहायता असीम न होकर रुपये 1972 करोड़ की निश्चित सीमा तक ही हो।
 - (झ) बेहतर प्रशासनिक एवं देख रेख नियंत्रण को इसमें शामिल किया जाए जिसमें मंजूरी से पूर्व तथा अंतर मंत्रालयीन देख रेख समिति जिसकी अध्यक्षता सचिव वस्त्र करेंगे के गहन छानबीन से पूर्व वस्त्र आयुक्त, मुम्बई द्वारा प्राधिकृत दावे शामिल है।
- (6) उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर सरकार यह संकल्प करती है कि पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, वस्त्र एवं पटसन उद्योग के लिए इस संकल्प की तिथि से दिनांक 31.03.2012 तक जारी रहेगी। पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत मंजूर ऋणों के लिए वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी मानक निम्नवत होंगे :-
 - (i) ऋण दाता संस्थानों द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत मौजूद योजनाओं पर लिए जाने वाले 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी।। यद्यपि नई कताई प्रतिस्थापन तथा आधुनिकीकरण संबंधी कताई मशीनरियों पर उन इकाईयों के जिनकी उन पर बुनाई / नीटिंग /प्रोसेसिंग /गार्मेंटिंग की समान क्षमता हो।

- (ii) विदेशी मुद्रा विनिमय में होने वाले उतार-चढ़ाव / फारवर्ड कवर विनिमय जो कि 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी यह नई सिर्फ कताई इकाई / प्रतिस्थापन / कताई मशीनरी के आधुनिकरण के लिए होगी अन्य के लिए यह 4 प्रतिशत होगी।
- (iii) पावरलूम इकाइयों एवं स्वतंत्र प्रीप्रेटरी इकाइयों को आर्थिक सहायता हेतु पुनर्गठित प्रौद्योगिकियों के तहत 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त 20 प्रतिशत मार्जिन मनी संबंधी आर्थिक सहायता प्रौद्योगिकियों में निवेश करने पर विनिर्दिष्ट मशीनरी हेतु आर्थिक सीमा रुपये 500 लाख एवं मार्जिन मनी वसिसदी की बीमा रुपये 60 लाख तक होगी। यद्यपि बिलकुल नये शटल रहित करघों के लिए मार्जिन मनी संबंधी आर्थिक सहायता की सीमा रुपये 1 करोड़ होगी। लाभार्थियों का अंशदान न्यूनतम 15 प्रतिशत सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iv) वस्त्र एवं पटसन की एस एस आई इकाइयों को 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त 15 प्रतिशत मार्जिन मनी संबंधी आर्थिक सहायता प्रौद्योगिकियों के लिए विनिर्दिष्ट मशीनरी पर निवेश करने पर रुपये 5 लाख आर्थिक सीमा एवं मार्जिन मनी सब्सिडी की सीमा रुपये 45 लाख होगी। लाभार्थियों का न्यूनतम 15 प्रतिशत अंशदान सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) विनिर्दिष्ट प्रोसेसिंग, गार्मेंटिंग एवं टेक्नीकल टेक्सटाइल मशीनरी को 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति तथा 10 प्रतिशत आर्थिक सहायता
- (vi) कॉमन इफ्यूलेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट (सी ई टी पी) पुनर्गठित प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत शामिल नहीं है।
- (vii) नये शटलरहित करघों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त 10 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक सहायता दी जायेगी।
- (viii) ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता / पूंजीगत सहायता / मार्जिन मनी संबंधी आर्थिक सहायता मशीनरी के बेसिक वैल्यू पर होगी यह मूल्यांकन उद्देश्य हेतु टैक्स के हिस्से को छोड़कर होगी।
- (ix) करघे से पूर्व एवं करघे के बाद की गतिविधियों संबंधी क्रियाओं हथकरघों / हथकरघा आधुनिकीकरण एवं टेस्टिंग तथा क्वालिटी कन्ट्रोल उपस्करों हथकरघा एवं उत्पादकों हेतु 25 प्रतिशत आर्थिक सहायता एवं इसके साथ ही 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- (x) सिल्क क्षेत्र के लिए भी हथकरघा क्षेत्र के समान ही विनिर्दिष्ट मशीनरियों हेतु 25 प्रतिशत आर्थिक सहायता तथा साथ ही 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी
- (xi) यह योजना केवल स्वचालित शटलरहित करघों जों 10 वर्ष पुराने हों और जिनकी अवशिष्ट अवधि 10 वर्ष हो के लिए लागू होगी। स्वचालित शटल रहित करघे के लिए मूल्यमान सीमा का निर्धारण तकनीकी सलाहाकार देखरेख समिति (टी ए एम सी) द्वारा किया जायेगा।

- (xii) फैक्टरी बनाने, फैक्टरी चालू होने से पहले के व्यय एवं पूंजीगत राशि हेतु मार्जिन मनी जो एपेरल क्षेत्र एवं हथकरघा क्षेत्र के लिए बनाई गई योजना अनुरूप प्रतिपूर्ति प्राप्ति के पात्र होंगे इसकी अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत होगी। यदि एपेरल / हथकरघा इकाई अन्य किसी गतिविधि में है तो इस शीर्ष के तहत पात्र निवेश सिर्फ प्लांट एवं मशीनरी जो एप्रिल एवं हथकरघा की उत्पादन के कार्य में रह हैं उन तक ही सीमित होगा।
- (xiii) ब्याज की प्रतिपूर्ति 7 वर्ष के लिए होगी इसमें 2 वर्ष की कार्यान्वयन / स्थगत अवधि सम्मिलित है।
- (xiv) पुनर्गठित मामलों में आर्थिक सहायता प्रारम्भिक तौर पर मंजूर ऋण की राशि ऋणदल संस्थान द्वारा पुर्नभुगतान के लिए तय समय सीमा तक जो वस्त्र आयुक्त कार्यालय को विहित प्रपत्र में दी गई है तक सीमित होगी।
- (xv) कॉमन इफ्यूलेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सी ई टी पी) एवं अन्य निवेश जैसे एनर्जी सेविंग दिवाइसी, इन हाऊस आर एण्ड डी आई टी जिसमें ई आर पी सम्मिलित है, टी क्यू एम जिसमें आई एस ओ बी आई एस मानकों ग्रहण करना शामिल है, सी पी पी एवं इलेक्ट्रीकल इन्स्टालेशन इत्यादि पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के अतर्गत पात्र नहीं होंगे।
- (xvi) समग्र रूप से आर्थिक सहायता की सीमा रुपये 1972 करोड़ इस संकल्प से जारी होने से दिनांक 31.03.2012 तक होगी जिसके कुल रुपये 46900 करोड़ रुपये निवेश को बढ़ावा देने की सम्भावना है इसमें क्षेत्रवार आधार पर 26 प्रतिशत कताई, 13 प्रतिशत बुनाई, 21 प्रतिशत प्रोसेसिंग, प्रतिशत गार्मेंटिंग एवं 32 प्रतिशत अन्य होगा।
- (xvii) यह योजना द्विस्तरीय देख रेख पद्धति पर कार्य करेगी जैसा कि पैरा IV में विवरण दिया है। क्षेत्रवार सीमा की समीक्षा आई एम एस सी (अन्तर मंत्रालयीन छानबीन समिति) टी ए एम सी के सिफारिश पर की जायेगी।

7. पुनर्गठित योजना का विस्तार का विवरण पात्रता का आधार एवं प्रचालन संबंधी मानक निम्नवत होंगे

योजना का विस्तार :-

पुनर्गठित प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित होंगे :-

- (क) कॉटन जीनिंग एवं प्रोसेसिंग
- (ख) टेक्सटाईल इंडस्ट्री जिसमें निम्न होंगे :-
- (i) सिल्क रीलिंग एवं ट्विस्टिंग
- (ii) वूल स्काउटिंग कोम्बिंग एवं कार्पेट इंडस्ट्री
- (iii) सिन्थेटिक फिलामेन्ट यार्न टेक्सटाइलिंग, क्रीमपींग एवं ट्विस्टिंग

- (v) विस्कोज स्टेपल फायबर (वी एस एफ एवं विस्कोज फिलामेन्ट यार्न (वी एफ वाई)
- (vi) बुनाई नीटिंग एवं फैब्रिक इम्ब्राइड्री
- (vii) टेक्नीकल टेक्सटाइल गैर वूवन सहित
- (vii) गारमेंट /डिजाइन स्टुडियो /मेड अप मैन्युफैक्चरिंग
- (viii) फ़ब्रिक ,यार्न , फ़ब्रिक फायबर से बने हुए वस्त्र

सी. जूट उद्योग ।

1. प्रौद्योगिकी उन्नयन की परिभाषा

प्रौद्योगिकी उन्नयन का सामान्यतः अर्थ आधुनिकतम या आधुनिकतम के आस-पास की प्रौद्योगिकी का समावेश होना चाहिए । परन्तु भारतीय वस्त्र उद्योग के व्यापक रूप से परिवर्तनशील बहुआयामी प्रौद्योगिकी में वर्तमान प्रौद्योगिकी स्तर से परिवर्तनशील कम से कम एक सार्थक कदम ऐसे आएगा उद्योग को सार्थक मात्रा में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होगा। तदनुसार प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिये निदिष्ट मशीनरी के लिए प्रौद्योगिकी कुछ स्तर सुनिश्चित किए गए हैं। उक्त विनिर्दिष्ट स्तर से निचले स्तर की मशीनरी प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत निधि देने के लिए पात्र नहीं होगी।

2. पात्र मशीनरी (ऐलिजिबल मशीनरी) :

पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की मशीनरी नई इकाई में स्थापित करना या वर्तमान इकाई में पुरानी मशीनरी को बदलने या उसका विस्तारण पात्र होगा।

- | | | |
|------|---|-----------------|
| 2.1 | कॉटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग | परिशिष्ट -ए |
| 2.2 | स्पिनिंग/सिल्क रिलिंग एण्ड ट्वीसटींग/सिन्थेटिक फिलामेन्ट यार्न टेक्सराइझिंग क्रिम्पींग एण्ड ट्विस्टिंग | परिशिष्ट -बी-1 |
| 2.3 | वूल स्कारिंग काम्बिंग तथा कारपेट उद्योग | परिशिष्ट- बी-2 |
| 2.4 | मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विस्कोस फिलामेन्ट यार्न और विस्कोस स्टेपल फाइबर | परिशिष्ट -सी |
| 2.5 | विविंग/निटिंग | परिशिष्ट -डी -1 |
| 2.6 | तकनीकी वस्त्र एवं गैर ऊनी वस्त्र | परिशिष्ट -डी -2 |
| 2.7 | गारमेन्ट/मेड-अप मैन्युफैक्चरिंग | परिशिष्ट -ई |
| 2.8 | फायबर/यार्न/फैब्रिक्स/गारमेन्ट/ मेड-अप का प्रोसेसिंग | परिशिष्ट -एफ |
| 2.9 | पटसन उद्योग | परिशिष्ट -जी |
| 2.10 | विभिन्न क्षेत्रों के लिये एनर्जी सेविंग एवं प्रोसेस कन्ट्रोल उपकरण | परिशिष्ट -एच |
| 2.11 | विद्युत करघा क्षेत्रों के लिए 20 प्रतिशत मार्जिन मनी सबसिडी (एमएमएस-प्रौ.उ.नि.यो.)टफ के अन्तर्गत पात्र मशीनरी | परिशिष्ट -आई |
| 2.12 | प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 10% पूंजीगत सहायता के लिए पात्र मशीनरी | परिशिष्ट -जे |
| 2.13 | तकनीकी वस्त्रों जिसमें गैर ऊनी भी शामिल है के लिए 10 प्रतिशत पूंजीगत सहायता के लिए पात्र मशीनरी | परिशिष्ट-के |
| 2.14 | गारमेंट क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत पूंजीगत सहायता के लिए पात्र मशीनरी | परिशिष्ट- एल |

- | | | |
|------|---|--------------|
| 2.15 | बुनाई क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत पूंजीगत सहायता के लिए पात्र मशीनरी के अंतर्गत नये शटललेस करघे पात्र | परिशिष्ट- एम |
| 2.16 | सीएडी, सीएएम तथा डिजाइन स्टुडियो के लिए पात्र मशीनरी | परिशिष्ट- एन |

टिप्पणी :- ऋणद अभिकरणों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बनावट उपरोक्त सभी मशीनरी के उत्पादन के प्रकार एवं विनिर्माण का वर्ष मशीन पर स्पष्ट रूप से अंकित हैं। मशीन को नेमप्लेट लगाई गई है।

(3) साधारण पात्रता शर्तें

3.1 इकाई के प्रकार

1. विद्यमान इकाई विस्तारण सहित या बिना विस्तारण और नई इकाइयाँ।
2. विद्यमान इकाईयाँ उचित पात्र प्रौद्योगिकी के साथ आधुनिकीकरण कर सकते हैं या विस्तार कर सकते हैं।
3. नई इकाइयाँ सम्पूर्ण सुविधाओं की स्थापना केवल उपयुक्त पात्र प्रौद्योगिकी के माध्यमसे ही कर सकते हैं।
4. एक इकाई।-योजना का विस्तार में सूचीबद्ध एक या अनेक गतिविधियों में संलग्न हो सकती है।
5. शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) विदेशी इक्विटी वाली वस्त्र/पटसन की इकाई।

3.2 पात्र टेक्सटाईल मशीनरी के प्रकार :-

- (1) प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत सामान्यतया नई मशीनरी को मान्यता दी जायेगी।
- (2) यद्यपि निम्नलिखित आयातित पुरानी मशीनरी भी पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अन्तर्गत पात्र है :-

क) एअर जेट, प्रोजेक्टाइल, रैपियर एवं वाटर जेट शटललेस करघे जिनमें इलेक्ट्रानिक जैकार्ड/इलेक्ट्रानिक डॉबी लगे हों, अथवा नहीं तथा उच्च गति सहित/रहित डायरेक्ट बीम वार्पर क्रील सहित एवं/अथवा सेक्शनल वार्षिंग मशीन ऑटो स्टॉप सहित तथा 10 वर्षों तक टेंशन कंट्रोल तथा विन्टेज एवं अवशिष्ट अवधि 10 वर्ष तक हो। जिसका अधिकतम मूल्य रुपये 8.00 लाख प्रति मशीन हो।
- (3) निर्यात करने वाले राष्ट्र के चार्टर्ड अभियंता से आयातित सेकण्ड हैंड मशीनों की विन्टेज अवधि तथा अवशिष्ट अवधि प्रमाणित करते हुए प्रमाण-पत्र उचित समय पर ऋणदाता अभिकरण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जैसे कि लेंडिंग अभिकरण द्वारा नियत किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र सेकंड हैंड मशीनों के किसी भी आयात के लिये ऐसा प्रमाण-पत्र अनिवार्य है, चाहे ऐसे आयात का मूल्य कुछ भी हो।
- (4) संतुलन उपकरण अथवा उत्पादन प्रक्रिया की रूकावट कम करने के लिये आवश्यक उपकरण भी प्रोउनि योजना के अंतर्गत निधि के लिये पात्र होंगे।
- (5) छीजन कम करने के उपकरण या यंत्र भी पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत निधि के लिए पात्र होंगे।
- (6) मौजूदा इकाई या नई इकाई का प्रौद्योगिकी दृष्टि से उन्नत सुविधाओं का आकार अनिवार्य रूप से न्यूनतम लाभकर आकार (एमईएस) होना चाहिए। उद्योग के पात्र खंडों के लिये एमईएस

कोई भी ऐसी इकाई होगी, जो वित्तीय संस्थानों अथवा बैंकों के वाएबिलिटी समीक्षा के अनुसार आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो। स्टैन्ड अलोन नई कताई के लिए एमईएस 8000 तकिए होगा।

- (7) पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सभी पात्र मशीनरी के लिए सभी मशीनों के नमूने 5% / 4% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।
- (8) मशीनरी के साथ प्राप्त मशीनरी लागत के 20% के मूल्य तक के उपकरण/संलग्नक/पूर्व अथवा वास्तविक कीमत की मात्रा में से जो भी कम होगा वह पात्र होगा।
- (9) एक खंड के लिए पात्र मशीनरी दूसरे खण्ड/कार्याकलाप के लिये पात्र है, जब तक इसकी पात्रता किसी विशेष खण्ड के लिये विशेष रूप से प्रतिबंधित न की गई हो।
- (10) किसी अन्य वस्त्र मशीनरी की पात्रता जो बैचमार्कड प्रौद्योगिकी के समान अथवा अधिक हो जो अनुलग्नकों में दर्शाई नहीं गई है या टफ योजना के प्रचालन के दौरान विकसित की गई हो, अपने आप से या संदर्भ पर विशेषतः सरकार द्वारा गठित तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा तय की जाएगी।

3.3 अन्य पात्र निवेश :

- i) एपेरल क्षेत्र तथा हथकरघा क्षेत्र प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये स्थापित किये जाने वाले अतिआवश्यक संयंत्र तथा उपकरण के लिये निम्नलिखित निवेश भी पात्र होंगे तथा ऐसे निवेशों का कुल योग सामान्यतः ऐसे संयंत्र एवं मशीनरी में कुल निवेश के 50% से अधिक नहीं होगा।
 - क) भूमि तथा फैक्टरी बिल्डिंग, जिसमें फैक्टरी बिल्डिंग का नवीकरण भी शामिल है।
 - ख) प्रारंभिक तथा प्रचालन से पूर्व के खर्च।
 - ग) विशेष रूप से प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये आवश्यक पूँजी निवेश के लिये आवश्यक मार्जिन मनी ;
- (ii) यदि एपेरल/हथकरघा इकाई अन्य कार्य से जुड़ी हुई है, इस मद के अंतर्गत पात्र निवेश केवल एपेरल/ हथकरघा के विनिर्माण के लिए पात्र संयंत्रों तथा मशीनरी से संबंधित होगा।
2. तकनीकी जानकारी प्राप्त करने में निवेश, जिसमें प्रशिक्षण एवं विदेशी तकनीशियनों को पारिश्रमिक का भुगतान समाविष्ट है।
3. इस पैरा (पैरा 3.3)के सब पैरा (1) में समाविष्ट मदों पर उपरोक्त सीमाओं से अधिक ऋण पर साधारण दर से ब्याज देय होगा।

- 3.4 पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कट-ऑफ तिथि सरकार के संलग्न की तिथि से 31/03/2012 (दोनों तिथियां शामिल हैं) तक की अवधि में ऋणद अभिकरणों द्वारा मंजूर केवल ऐसे ऋणों पर इस योजना) के अंतर्गत लाभों की मंजूरी हेतु विचार करने हेतु पात्र है।

3.5 क्रमवार विस्तारण का समावेश

पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत क्रमवार तरीके से विस्तारण को अनुमति है बशर्ते कि पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना ऋण क्षमता के क्रमवार विस्तारण के अंतर्गत एक परियोजना के लिए एक ऋण प्रस्ताव के अंतर्गत उपलब्ध है।

3.6 ऋण की मंजूरी से पूर्व निवेश का समावेश।

इकाई द्वारा मशीन के मूल्य का अग्रिम मार्जिन मनी तक टोकन पेमेंट का भुगतान आवधिक ऋण की मंजूरी की तिथि से पूर्व किया जा सकता है। यद्यपि आवधिक ऋण की मंजूरी के दिन तथा उसके बाद खरीदी गई मशीनों पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत अन्य निबंधनों एवं शर्तों की पूर्ति के अधीन में पात्र हैं।

3.7 अन्य योजनाओं के लाभ :-

वस्त्र/पटसन इकाइयों को प्रौ.उ.नि.योजना के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिये अनुमति प्रदान की गई है, जब तक विशेषतः अन्यथा प्रावधान न किया गया हो। यदि संदेह हो तो संबंधित मामला स्पष्टीकरण के लिये वस्त्र आयुक्त के पास भेजा जा सकता है।

3.8 विशिष्ट स्थितियों में पात्र निवेश का निर्धारण :-

यदि ऋण पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पूर्णतः समाविष्ट नहीं है, अर्थात् यदि इसमें प्रौदनियो एवं गैर प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना घटक सम्मिलित हैं तो वितरण तथा पुनर्भुगतान प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना घटकों के बीच में अनुपात विभाजित करना आवश्यक है, जिससे कि देय ब्याज प्रतिपूर्ति का परिकलन किया जा सके।

4. खंड-वार पात्रता की शर्त :-

4.1 कॉटन जिनिंग एवं प्रेसिंग

क) सामान्यतया केवल मिश्रित (कॉटन जिनिंग के साथ प्रेसिंग) इकाइयाँ योजना के अंतर्गत समावेश के लिये पात्र होंगी। तथापि स्वतंत्र जिनिंग अथवा प्रेसिंग इकाइयाँ, योजना के अंतर्गत आधुनिकीकरण के लिये पात्र होंगी, बशर्ते कि वे पहले या बाद में क्रमशः पात्र प्रौद्योगिकी स्तर को प्रेसिंग या जिनिंग सुविधा से जुड़ती हो।

ख) केवल डबल रोलर जिन्स या साँ जिन्स पात्र होंगी।

ग) बेलिंग प्रेस मानक संशोधित बीआईएस विनिर्देशों के अनुरूप हो।

ग) विद्यमान 2 स्तरीय मैनुअल बेल प्रेसिंग मशीन वाली इकाई को प्रौ.उ.नि.योजना के अनुसार आधुनिकीकरण करते समय, इसे बदलने को बाध्य नहीं किया जाएगा। यद्यपि बेल प्रेसिंग मशीन बदलने वाली अथवा पहली बार बेल प्रेसिंग मशीन स्थापित करने वाली इकाई को केवल सिंगल स्टेज स्वचालित बेल प्रेसिंग मशीन स्थापित करनी होगी।

4.2 कताई/सिल्क रीलिंग तथा ट्विस्टिंग/वूल स्काउरिंग तथा कोम्बींग/सिन्थेटिक फिलामेंट यार्न टेक्स्चराइजिंग, क्रिम्पिंग तथा ट्विस्टिंग :

(क) कॉटन रिंग कताई पद्धति :

(i) कताई मशीनरी की नई स्टैन्ड अलोन / प्रतिस्थापन/ आधुनिकीकरण 4% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा तथा कताई इकाइयाँ जो कताई/निटिंग/प्रोसेसिंग/गारमैटिंग के अनुरूप क्षमता से प्रगतिशील रूप से जुड़ती हो 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगी।

(ii) कॉटनरिंग कताई पद्धति में नई इकाइयों के लिए एमईएस 8000 तकुए होगा। इकाइयों के क्षमता विस्तारण एवं आधुनिकीकरण के लिए कोई एमईएस नहीं होगा।

- (iii) प्रौद्योगिकी उन्नयन द्वारा वर्तमान अप्रचलित तकुओं के आधुनिकरण के मामले में बदले हुए पुराने तथा अप्रचलित तकुए सामान्यतः निकाल दिए जाए तथा पूरी तरह से अकार्यक्षम बनाए जाए, जब तक उनका प्रचालन व्यवहार्य सिद्ध हो।
(टिप्पणी : 15 वर्ष पुराने रिंग फ्रेम्स तथा 20 वर्ष पुराने बैक अप मशीनरी/उपकरण निरपवाद रूप से निकाले जाए।
- (iv) क) कॉटन रिंग कताई इकाइयों को रुकावटे कम करने के लिए तकुओं में वृद्धि किये बिना बैक-अप सुविधाओं को संस्थापित करने के लिए अनुमति दी गई है यथा, कोन वाइडिंग मशीन, कार्डस, ड्रॉ फ्रेम, स्पीड फ्रेम, ब्लोरूम आदि, बशर्ते कि इकाई एमईएस स्तर पर या उससे अधिक हो, आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो और ऐसे निवेश इकाई को वांछित बेंचमार्क प्रौद्योगिकी स्तर तक लाते हैं।
- ख) सुधार के लिये रूपान्तरण के रूप में रिंग फ्रेम के लिये ऑटो डॉफर पद्धति योजना के अंतर्गत समाविष्ट की गई है, जो नई अथवा वर्तमान फ्रेम के रूप में रूपान्तरित/संस्थापित की जा सकती है, चाहे वह किसी भी बनावट/उत्पादक का हो।
- (v) नई क्षमता स्थापित करने या विद्यमान रिंग फ्रेमों के आधुनिकीकरण/परिवर्तन के लिये कॉम्पेक्ट कताई मशीन के संस्थापन को एमईएस की किसी शर्त के बिना अनुमति दी गई है। वर्तमान ड्राफ्टिंग पद्धति को कॉम्पेक्ट कताई ड्राफ्टिंग पद्धति में परिवर्तित करके वर्तमान रिंग फ्रेमों के स्वस्थाने उन्नयन को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है।
- (vi) टू फोल्ड ट्विस्टेड यार्न के उत्पादन के लिए स्टैन्ड अलोन आधार पर यार्न प्रोसेसिंग संयन्त्र के स्पिनिंग/ट्विस्टिंग के पश्चात की क्रिया अथवा यार्न कताई इकाई को भेजे बिना यार्न को झुलसाना समाविष्ट है।
- ख) ओपन एन्ड/ड्रेफ/पैराफिल/सेलफिल/एअरजेट कताई पद्धति :
ये कताई पद्धतियाँ सब मिलाकर यार्न तैयार करने की विशिष्ट पद्धतियाँ हैं, अतः आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तारण अथवा नई इकाइयों को अनुमति दी जाएगी।
- ग) वर्स्टेड कताई पद्धति :
(i) वर्तमान क्षमता का प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा विस्तारण/समुचित पात्र प्रौद्योगिकी वाली नई इकाई को अनुमति दी जाएगी।
(ii) स्वतंत्र ऊन स्काउरिंग तथा कोम्बिंग इकाइयाँ भी पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिये पात्र होगी।
- घ) वूलन/शॉडी कताई पद्धति :
(i) कताई की वूलन पद्धति में कताई की सेमी-वर्स्टेड पद्धति समाविष्ट है।
(ii) वर्तमान इकाइयों का प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता विस्तारण/इस क्षेत्र में समुचित पात्र प्रौद्योगिकी की नई इकाइयों को अनुमति दी जाएगी।
- च) सिल्क रीलिंग तथा ट्विस्टिंग :
(i) वर्तमान क्षमता में प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा विस्तारण/समुचित पात्र प्रौद्योगिकी की नई इकाइयों को अनुमति दी जाएगी।
(ii) बदली हुई अप्रचलित रीलिंग/ट्विस्टिंग मशीनरी साधारणतः हटाई जाए, जब तक उनका प्रचालन व्यवहार्य सिद्ध न हो।
- छ) सिंथेटिक फिलामेंट यार्न टेक्सचराइजिंग, क्रिम्पिंग तथा ट्विस्टिंग :
वर्तमान अप्रचलित मशीनरी को बदलना, क्षमता विस्तारण अथवा उचित पात्र प्रौद्योगिकी की नई इकाइयों के संस्थापन को अनुमति दी जाएगी।
- ज) कारपेट उद्योग :

वर्तमान क्षमता में प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा विस्तारण/समुचित पात्र प्रौद्योगिकी की नई इकाइयों को अनुमति दी जाएगी।

4.3 विस्कोज फिलामेंट यार्न :

- i) वर्तमान अप्रचलित मशीनरी को बदलना, क्षमता विस्तारण अथवा उचित पात्र प्रौद्योगिकी की नई इकाइयों के संस्थापन को अनुमति दी जाएगी।
- ii) बदली गई अप्रचलित रीलिंग/टिवरिंग मशीनरी साधारणतः हटाई जाए, जब तक उनका प्रचलन व्यवहार्य सिद्ध न हो।

4.4 वीविंग, निटिंग तथा नॉन-वूवन/तकनीकी वस्त्र/फैब्रिक एम्ब्रॉयडरी उत्पादन करने वाली इकाइयाँ :-

क) I गैर ऊनी वीविंग इकाइयों के लिये आवश्यक :

- (i) न्यूनतम आर्थिक आकार के अनुरूप समुचित करघे तथा मशीनें
- (ii) वर्तमान इकाई के प्रौद्योगिकी उन्नयन के मामले में बदले हुए पुराने तथा अप्रचलित करघे सामान्यतः निकाल दिये जाए तथा पूरी तरह से अकार्यक्षम बनाये जाए जब तक उनका प्रचलन व्यवहार्य सिद्ध न हो।

II विकेन्द्रित (लघु उद्योग) वीविंग क्षेत्र :

1. साधारण करघे का अर्ध स्वचालित शटल लूम में स्वस्थाने उन्नयन जिसमें अतिरिक्त विशेषताएं जैसे वेफ्ट स्टॉप मोशन, वार्प स्टॉप मोशन, पॉजिटिव/सेमी-पॉजिटिव लेट ऑफ मोशन, डॉबी जेक्वार्ड के साथ अथवा उसके बिना, को विकेन्द्रित विद्युतकरघा क्षेत्र के लिये अनुमति दी गई है।
2. साधारण करघे को बेंचमार्कड प्रौद्योगिकी विशेषताओं वाले अर्ध स्वचालित शटल करघे से प्रतिस्थापन को अनुमति दी गई है।
3. विकेन्द्रित विद्युत करघा क्षेत्र में स्थित नई इकाइयों को पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत बेंचमार्कड प्रौद्योगिकी विशेषताओं वाले अर्ध-स्वचालित करघों को संस्थापित करने के लिए अनुमति दी गई है।

III हथकरघा वीविंग :

1. पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना पर समय समय पर संशोधित एवं विद्युतकरघा तथा मिल क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों को अनुमति देने वाले जी आर में पहले से विनिर्दिष्ट सभी मशीनों के लिये प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के सभी लाभ प्राप्त करने के लिये हथकरघा क्षेत्र पात्र है। हथकरघा क्षेत्र में केवल वीविंग कार्य विद्युत करघा तथा मिल क्षेत्र से अलग है, जबकि अन्य कार्य, विशेषतः प्रोसेसिंग समान है।
2. बेंचमार्कड प्रौद्योगिकी में विनिर्दिष्ट बिजली के बिना चलाये जाने वाले हथकरघों को समाविष्ट किया गया है।

ख) वूलन इकाइयों के लिये आवश्यक :

- (i) न्यूनतम लाभ कर आकार के अनुरूप समुचित करघे तथा मशीनें।
- (ii) कम से कम वीविंग क्षमता के अनुरूप इन हाउस वीविंग प्रिपरेटरी (लघु उद्योग इकाइयों के मामले में वीविंग प्रिपरेटरी आवश्यक नहीं)।
- (iii) वर्तमान इकाई के प्रौद्योगिकी उन्नयन के मामले में बदले हुए पुराने तथा अप्रचलित करघे सामान्यतः निकाल दिये जाए तथा पूरी तरह से अकार्यक्षम बनाये जाए, जब तक उनका प्रचालन व्यवहार्य सिद्ध न हो।

ग) स्वतंत्र वीविंग प्रिपरेटरी इकाइयाँ :

स्वतंत्र लघु उद्योग/गैर लघु उद्योग (ऊनी अथवा गैर ऊनी) वीविंग प्रिपरेटरी इकाई परिशिष्ट डी-1 में विनिर्दिष्ट वीविंग प्रिपरेटरी मशीन संस्थापित करेगी।

- घ) निटिंग इकाइयाँ : वर्तमान अप्रचलित मशीनरी को बदलना , क्षमता विस्तारण अथवा नई इकाइयों के समुचित प्रौद्योगिकी के साथ संस्थापन को पुनर्गठित करने को प्रोडनियो के अंतर्गत अनुमति है।
- च) नॉन-तकनीकी वस्त्र / नॉन वूवन्स उत्पादक इकाइयां
- क) तकनीकी वस्त्र तथा नॉन वूवन्स उत्पादित करने के लिए आवश्यक मशीनों , जैसे कि परिशिष्ट डी-1 में सूचीबद्ध की गई हैं।
- ख) चूँकि तकनीकी वस्त्रों की कुछ मशीनरी समान है, अतः 10% पूंजीगत सहायता प्राप्ति के लिए इच्छुक तकनीकी वस्त्र इकाइयों को वस्त्र आयुक्त कार्यालय से पंजीकरण क्रमांक 10 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक सहायकता के लिए पात्र बनाने पूर्व प्राप्त करना होगा। पंजीकरण क्रमांक प्राप्त करने के लिए तकनीकी वस्त्र इकाइयों को विहित प्रपत्र टीआर-1 में जानकारी भरकर देनी होगी।
- 4.5 गारमेंट/मेड अप उत्पादन :
- क) वूवन्स तथा/अथवा निटेड गारमेंट तथा/अथवा मेड अप विनिर्माण अथवा उनका संयुक्त रूप पात्र होगा।
- ख) परिशिष्ट -ई में दर्शाई गई सूची में से गारमेंट/मेड अप विनिर्माण तथा अन्य अतिरिक्त उपकरण संस्थापित करना आवश्यक है।
- 4.6 डिजाइन स्टुडियो:-
- वस्त्र/रेडीमेड गारमेंट तथा पटसन उद्योग द्वारा पात्र मशीनरी/उपकरणों/साफ्टवेयर तथा अन्य परीक्षण उपकरण के साथ स्थापित किया गया डिजाइन स्टुडियो पुनर्गठित प्रोडनियो के अंतर्गत शामिल है।
- 4.7 फाइबर/यार्न/फैब्रिक्स/गारमेन्ट्स/मेड अप का प्रोसेसिंग
- क) फाइबर/यार्न/फैब्रिक्स/गारमेन्ट्स/मेड अप का प्रोसेसिंग तथा फिनिशिंग के लिये परिशिष्ट-एफ में दिखाए गए आवश्यक गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणों सहित प्रोसेसिंग मशीनरी पात्र होगी।
- 4.8 पटसन वस्त्र :-
- क) पटसन सॉफ्टनिंग एवं कार्डिंग, ड्राइंग, कताई तथा बुनाई :
परिशिष्ट -जी में दिखाई गई पात्र प्रौद्योगिकी की नई मशीनों को अनुमति दी जाएगी।
- ख) पटसन सम्मिश्रणों की कताई तथा वीविंग/निटिंग :
- (i) पटसन सम्मिश्रणों की कताई करने वाली इकाइयों की पात्रता शर्तें रुई कताई के समान होंगी, जो कि पैरा 4.2 में स्पष्ट की गई हैं।
- (ii) पटसन सम्मिश्रित फैब्रिक्स की वीविंग/निटिंग करने वाली इकाइयों की पात्रता शर्तें नॉन-वूलन वीविंग तथा निटिंग के समान होंगी, जो कि पैरा 4.4 में स्पष्ट की गई हैं।
- ग) पटसन सम्मिश्रित गारमेंट / मेड अप उत्पादन :
पटसन सम्मिश्रित गारमेंट तथा/अथवा मेड अप्स का उत्पादन करने वाली इकाइयों की पात्रता शर्तें गैर-पटसन गारमेंट/मेड अप उत्पादन के समान होंगी, जो कि पैरा 4.5 में दर्शाई गई है।
- घ) पटसन उत्पादों का प्रोसेसिंग :
- (i) परिशिष्ट -जी में दर्शाई गई प्रोसेसिंग मशीनें पात्र है।
- (ii) प्रौ.उ.नि. योजना के लिये पात्र गुणवत्ता नियंत्रण तथा प्रदूषण नियंत्रण उपकरण भी पात्र होंगे, जो परिशिष्ट -जी में दिखाए गए हैं।
- च) पटसन सम्मिश्रित उत्पादों की प्रोसेसिंग :
पात्रता शर्तें गैर - पटसन वस्त्र उत्पादों की प्रोसेसिंग के समान होंगी, जो कि पैरा 4.7 में दर्शाई गई हैं।

छ) सामग्री संचालन :

सामग्री संचालन के लिये मशीनरी जो कि परिशिष्ट जी में दर्शाई गई है, पटसन इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिये आवश्यक है।

तकनीकी सलाहकार-सह देखरेख समिति (टीएएमसी)

5. पात्रता की व्याख्या :

सरकार ने वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार सह देखरेख समिति (टी ए एम सी) गठित की है, जिसमें सरकारी एवं वस्त्र उद्योग से संबंधित तकनीकी विशेषज्ञ इसमें सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं। टीएएमसी की रचना एवं कार्य परिशिष्ट-ओ पर है।

- (1) मशीनों की सूची में जोड़ घटाव से संबंधित कोई भी संशोधन टीएएमसी द्वारा किया जाएगा।
- (2) यदि ऋणदाता अभिकरण द्वारा इस योजना के अंतर्गत किसी इकाई या मशीन की पात्रता के बारे में व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण पूछा जाता है, इसके लिये नियुक्त तकनीकी सलाहकार समिति की राय प्राप्त की जाएगी।
- (3) टीएएमसी योजना की प्रगति की समीक्षा तथा देखरेख भी करेगी और मंत्रालय तथा आईएमएससी को समय समय पर सूचित करेगा।

III योजना के अन्तर्गत ऋण

1. प्रोद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों तथा अनुबंधों के आधार पर ऋण उपलब्ध किये जाएंगे।

क) ऋण की राशि :

आवश्यकता के आधार पर सहायता दी जाएगी। वैयक्तिक ऋण के लिये कोई अधिकतम अथवा न्यूनतम सीमा नहीं होगी। *

ख) समर्थकों का अंशदान :

ऋणदाता अभिकरण द्वारा विद्यमान सामान्य मापदंडों के आधार पर तय किये जाएंगे।

घ) ब्याज दर :

(i) रुपयों में ऋण :

संबंधित कर्जदार को प्रभारित ब्याज की प्रभावी दर, वित्तीय संस्थानों तथा बैंको द्वारा प्रभारित किये जाने वाले प्रचलित दरों से 5 प्रतिशत से कम होगी, वस्त्र मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत सभी खंडों, सिवाय नयी स्टेन्ड अलोन/ प्रतिस्थापित कताई मशीनरी/ कताई इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए 5 प्रतिशत वापस करेगा, जहां ब्याज वापसी 4% तक सीमित होगी।

(ii) विदेशी मुद्रा में ऋण :

जैसा कि साधारण विदेशी मुद्रा ऋण के लिये लागू है। तथापि योजना के अंतर्गत विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के लिये प्रति वर्ष 5% (से अधिक नहीं) तक की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। कताई मशीनरी के मामले में नई स्टेन्ड अलोन/ प्रतिस्थापित / कताई मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिए विनिमय दर चढ़ाव उतार 4% तक सीमित होगा।

(iii) ब्याज वापसी की अवधि :

- क. (1) 5% / 4% की ब्याज वापसी की अवधि, जो कि दो वर्ष कार्यान्वयन / विलंबन अवधि सहित 07 वर्ष उपलब्ध होगा। कार्यान्वयन एवं विलंबन अवधि 2 वर्ष से अधिक हो सकती है किन्तु कार्यान्वयन एवं विलंबन अवधि के लिए ब्याज वापसी केवल 2 वर्ष तक सीमित होगी। कार्यान्वयन

- तथा विलंबन अवधि पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ऋण के वितरण की पहली तिथि से माना गया है।
- 2 पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत तिमाही वार ब्याज वापसी 07 वर्ष के ऋण पुनर्भुगतान सारणी के अनुसार अथवा वास्तविक, जो भी कम है की मात्रा तक सीमित की जाएगी जो कि ऋणद अभिकरणों द्वारा वस्त्र आयुक्त कार्यालय को पैरा IV में दी गई प्रक्रिया के अनुसार एक मात्र आईडी क्रमांक प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। विदेशी विनिमय उतार-चढ़ाव/फारवर्ड कवर प्रिमीयम भी इसी पद्धति का अनुसरण करेंगे।
 - 3 पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत 10% / 25% पूंजीगत आर्थिक सहायता/ 15% / 20% एमएमएस ऋणद अभिकरणों द्वारा वस्त्र आयुक्त कार्यालय को पैरा IV में दी गई प्रक्रिया के अनुसार एक मात्र आईडी क्रमांक प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत तिमाही वार जानकारी के अनुसार मात्रा तक सीमित होगी
 - 4 बैंक 7 वर्ष से अधिक के लिए ऋण देने के लिए स्वतंत्र है किन्तु आर्थिक सहायता अधिकतम दो वर्ष विलंबन काल सहित केवल सात वर्ष की अवधि तक ही प्राप्त होगी।
- ख) यदि खाता असक्रिय आस्ति (एमपीए) बन जाता है, ब्याज वापसी उपलब्ध नहीं होगी। ब्याज वापसी एनपीए श्रेणी से बाहर आने की तिथि से उपलब्ध होगा।
- च) अन्य शर्तें यथा ऋण की अवधि, सुरक्षा, परिवर्तन विकल्प, ऋण साम्या अनुपात आदि : पात्र इकाइयाँ न्यूनतम लाभकर आकार की होंगी। अन्य शर्तें ऋणदाता अभिकरण द्वारा निर्धारित, विद्यमान साधारण मानकों के अनुसार होंगी।
- छ) पात्र इकाई के वित्तीय मानक : ऐसी इकाइयाँ पात्र है, जिनका अच्छा ट्रेक रिकार्ड हो, आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो, सकारात्मक नेटवर्थ हो।
- ज) आकस्मिकता के लिये प्रबंध : (वास्तविक आधार पर) अधिकतम 5% तक आकस्मिकता के लिये प्रबंध (अनिश्चित लागत) पुनर्गठित प्रौ. उ.नि. योजना के अंतर्गत पात्र संयन्त्र तथा मशीनों एवं अन्य निवेशों के संदर्भ में पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत समाविष्ट है।

- झ) एक बैंक/वित्तीय संस्थान से दूसरे बैंक/वित्तीय संस्थान में प्रौ.उ.नि.यो. ऋण अंतरित करना उसी तरह पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत एक आवधिक ऋण खाता बंद करना तथा नया आवधिक ऋण प्राप्त करना।
पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना ऋण खाते की बकाया मूल राशि को एक बैंक/वित्तीय संस्थान से दूसरी बैंक/वित्तीय संस्थान में अंतरित की जा सकती है, बशर्ते कि पोर्टफोलियो (अर्थात् शेष मूल राशि) में कोई परिवर्तन नहीं होगा और कुल पुनः भुगतान अवधि 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यद्यपि, यह सुविधा ऋण की अवधि के दौरान केवल 3 बार प्रदान की जाएगी। मूल बैंक द्वारा जमा की गई तिमाही वार आर्थिक सहायता यद्यपि अपरिवर्तित रहेगी।
- ट) रुपयों में आवधिक ऋण से विदेशी मुद्रा ऋण में तथा विलोमतः परिवर्तन :
वार्षिक आधार पर रुपयों में आवधिक ऋण के विदेशी मुद्रा ऋण में तथा विलोमतः परिवर्तन को पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत अनुमति दी गई है। विनिमय का आधार दर वह होगा, जो रुपयों में आवधिक ऋण के विदेशी मुद्रा ऋण में परिवर्तन की तारीख में प्रचलित था। ऋण राशि की अवधि 7 वर्ष की पुनः भुगतान अवधि एवं ऋणद अधिकरण से विदेशी मुद्रा में ऋण की उपलब्धता के अधीन समान रहेगी।
- i) वायदा किस्त का समावेश :
पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा ऋण के लिये वायदा सुरक्षा किस्त की विकल्प के रूप में विनिमय के आधार दर पर प्रति वर्ष 5%/ 4% तक सीमित लागत समाविष्ट की गई है, जिसका उपयोग परियोजना के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार किया जाए।
- ii) अ-परिवर्तनीय ऋण पत्र का समावेश :
नोडल अभिकरण/सहयोजित प्रा.ऋ.सं. द्वारा खरीदे गये अ-परिवर्तनीय ऋणपत्र, यदि वे पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के मानकों के अंतर्गत आते हैं, का समावेश योजना में किया गया है। नोडल अभिकरण/सहयोजित प्रा.ऋ.सं. द्वारा खरीदे गये एवं पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत समाविष्ट अ-परिवर्तनीय ऋणपत्रों का अन्य नोडल अभिकरण/सहयोजित प्रा.ऋ.सं. में अंतरण ऋणपत्र की समग्र अवधि में एक बार करने को अनुमति दी गई है। तथापि नोडल अभिकरणों को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि अपरिवर्तनीय ऋणपत्र नोडल अभिकरणों/सहयोजित प्रा.ऋ.संस्थानों को अंतरित हुए हों एवं बाजार में अन्य निवेशकों को अंतरित अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों को ब्याज वापसी नहीं दी जाएगी।
- ठ) पट्टे पर वित्तीय सहायता का समावेश :
विनिर्माताओं द्वारा नोडल अभिकरणों/सहयोजित प्रा.ऋ. संस्थानों से ली गई वित्तीय सहायता का ब्याज का हिस्सा पात्र मशीनों तथा उपकरणों के लिये पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है। पट्टे पर वित्तीय सहायता का समावेश पट्टे पर वित्तीय सहायता के सामान्य मापदंडों की शर्त पर होगा किन्तु पट्टा अवधि 07 वर्ष तक सीमित होगी।
- ड) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (रा.ल.उ.नि.) लि. की हायर पर्चेस स्कीम का समावेश :
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (रा.ल.उ.नि.) लि. की हायर पर्चेस स्कीम के ब्याज के हिस्से का समावेश पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत किया गया है, बशर्ते कि इकाइयां योजना के अंतर्गत निहित प्रौद्योगिकी तथा अन्य पात्र प्राचलों की पूर्ति करती हो।

- ढ) सहयोजित प्रा.ऋ.सं. द्वारा स्वनिर्धारित मापदंडों के आधार पर पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के प्रौद्योगिकी मानकों को प्रभावित किये बिना मंजूर ऋण के लिये नोडल अभिकरण का अनुमोदन :
पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत परियोजनाओं, जो सहयोजित प्रा.ऋ.सं. द्वारा स्वनिर्धारित मापदंडों के आधार पर एवं प्रौ.उ.नि. योजना के प्रौद्योगिकी मानकों के अनुसार हो, को नोडल अभिकरणों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए।
- ण) यार्न आपूर्तिकर्ता/कुशल बुनकर द्वारा दी गई सह-गारंटी :
ऐसे यार्न आपूर्तिकर्ता/कुशल बुनकर जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो एवं जो बैंक के मापदंडों की पूर्ति करता हो, द्वारा दी गई सह-गारंटी के बल पर लघु उद्योग विद्युत करघा इकाइयों को पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना ऋण की मंजूरी देने का निर्णय वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा लिया जाना है। तथापि यदि ऐसे मामलों में वित्तीय संस्थान/बैंकों द्वारा आवधिक ऋण/वित्तीय सहायता दी जाती है तो ऐसी इकाइयों को अनुमोदित मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के लाभ प्राप्त होंगे।
- त) बैंक/वित्तीय संस्थान, जिन्होंने 5%/4% ब्याज वापसी के लिये पात्र वस्त्र इकाइयों को अग्रिम ऋण दिया है, 5%/ 4% ब्याज वापसी के बिना ऋण का पुनः भुगतान स्वीकार करेंगी यदि ऋण का पुनः भुगतान निर्धारित तिथि के अंदर किया गया हो, जो यह नोडल अभिकरण से प्राप्त करेंगी। तथापि, वापस की गई राशि पर बैंक/वित्तीय संस्थान इकाई पर चालू दर से ब्याज प्रभावित कर सकती है, जब तक यह नोडल अभिकरण से प्राप्त नहीं होती।
- थ. विलंबित भुगतान गारंटी (डीपीजी) योजना - परिचालन के लिये मार्गदर्शक बिन्दु :
(i) केवल रुपयों में ऋण के मामले में डीपीजी का समावेश पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना में किया गया है। मार्गदर्शक बिन्दु परिशिष्ट - पी में दिए गए हैं।
- द) पुनर्गठित प्रौउनियो के अंतर्गत ईसीबी का समावेश :-
भारतीय बैंक/विदेशी बैंक, जिनकी भारतीय शाखा हो (सहयोजित पीएलआई के रूप में) की ओवरजीज शाखा से प्राप्त किया गया ईसीबी पुनर्गठित प्रौउनियो के अंतर्गत विदेशी मुद्रा ऋण के लिए विहित लाभों के लिए पात्र होगा, अर्थात् मूलदर से विनियम दर उतार-चढ़ाव के लिए यथास्थिति 5% / 4% कवर या प्रतिवर्ष 5% / 4% तक सीमित फारवर्डे कवर प्रिमियम।
- (ध) विद्युत करघा क्षेत्र के लिए पुनर्गठित प्रौउनियो के अंतर्गत 20% की दर पर एमएमएस - प्रौउनियो -प्रचालन के लिए दिशानिर्देश
विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए एमएमएस- प्रौउनियो @ 20% वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रचालित की जाएगी तथा विस्तृत मार्गदर्शक तत्व परिशिष्ट -क्यू तथा परिशिष्ट -टी में दिए गए हैं।
- (न) लघु उद्योग पटसन तथा वस्त्र क्षेत्र के लिए पुनर्गठित प्रौउनियो (एमएमएस @15% प्रौउनियो) के अंतर्गत 15% की दर पर मार्जिन मनी सबसिडी :-
लघु उद्योग पटसन तथा वस्त्र क्षेत्र के लिए एमएमएस - प्रौउनियो @15% ऋणद अभिकरणों के अलावा वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा भी प्रचालित की जाएगी। विस्तृत मार्गदर्शन तत्व परिशिष्ट- आर तथा परिशिष्ट -टी पर दिए गए हैं।
- (प) पुनर्गठित प्रौउनियो के अंतर्गत प्रोसेसिंग मशीनरी नये शटललेस करघे, गारमेंटिंग मशीनरी तथा तकनीकी वस्त्र मशीनरी के लिए 10% सहायता पूंजी के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन।
विस्तृत मार्गदर्शन तत्व परिशिष्ट-एस में दिए गए हैं।
- ब) पुनर्गठित प्रौउनियो के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र के लिए 25% पूंजीगत आर्थिक सहायता :

1. पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र को या तो 25% पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अथवा 5% ब्याज वापसी को चुनने का अतिरिक्त विकल्प प्रदान किया गया है।
2. विनिर्दिष्ट हथकरघा मशीनरी की सूची सहित विस्तृत प्रचालनात्मक तत्व विकास आयुक्त (हथकरघा), नई-दिल्ली द्वारा जारी किए जाएंगे।
- ब) पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत रेशम क्षेत्र के लिए 25% पूंजीगत आर्थिक सहायता :
 1. पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत रेशम क्षेत्र को या तो 25% पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अथवा 5% ब्याज वापसी को चुनने का अतिरिक्त विकल्प दिया गया है।
 2. विनिर्दिष्ट रेशम मशीनरी की सूची सहित विस्तृत प्रचालनात्मक तत्व केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूर द्वारा जारी किए जाएंगे।

(iv) कार्यान्वयन/देखरेख/मूल्यांकन प्रक्रिया :

- i) वस्त्र आयुक्त, मुंबई द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन पूर्व प्राधिकृत करने की प्रवृत्ति होगी। आवेदनों पर पात्रता एवं निधि की उपलब्धता के अधीन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
- ii) एकमात्र आईडी क्रमांक प्राप्त करने के लिए नोडल बैंक अभिकरण/ सहयोजित पीएलआई प्रत्येक मामले हेतु पात्रता एवं अनुमेय राशि का निर्धारण के पश्चात वस्त्र आयुक्त को विहित प्रपत्र में ऑनलाइन जानकारी प्रस्तुत करेगा। एकमात्र आईडी क्रमांक प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्रपत्र परिशिष्ट यू पर है। ऋणद अभिकरणों द्वारा 7 वर्ष की समग्र अवधि अथवा वास्तविक अवधि, जो भी कम हो के लिए तिमाही वार आर्थिक सहायता की आवश्यकता प्रस्तुत करना आवश्यक है। तिमाही वार ब्याज प्रतिपूर्ति / पूंजीगत आर्थिक सहायता वस्त्र आयुक्त कार्यालय को प्रस्तुत किए गए इस प्रपत्र में दी गई राशि से कम हो सकती है किन्तु इस राशि से अधिक नहीं हो सकती।
- iii) विहित प्रपत्र में जानकारी प्राप्त होने के पश्चात वस्त्र आयुक्त, मुंबई ऋणद अभिकरण द्वारा आर्थिक सहायता दावे का प्रस्तुत करने को लिए ऋण आवेदन को पूर्व प्राधिकृत करने हेतु एकमात्र आईडी क्रमांक जारी करेंगे।
- iv) वस्त्र आयुक्त, मुंबई द्वारा जारी एकमात्र आईडी क्रमांक के बिना बैंक द्वारा मंजूर कोई आवेदन पत्र पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आर्थिक सहायताओं के लिए पात्र नहीं होगा।
- v) जैसे ही प्रत्येक खण्ड में उपलब्ध निवेश/ आर्थिक सहायता की सीमा समाप्त होती है, वस्त्र आयुक्त पूर्व प्राधिकृत करना बंद करेंगे। जैसे कि पैरा 6(xvi) में उल्लेख है।

2. देख रेख प्रक्रिया का दूसरा स्तर:

सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में गठित अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति योजना की गहन समीक्षा करेंगी और निवेश/आर्थिक सहायता की सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

iv) प्रबंधन

पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सहायता की मंजूरी के लिए मुख्य आवश्यकताओं में से एक संबंधित इकाई का सक्षम प्रबंधन होगी, जो इकाई के कार्यकलाप सुचारु रूप से चलाने एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है। इस हेतु नोडल अभिकरण आवश्यकतानुसार बोर्ड के विस्तारीकरण, वरिष्ठ तकनीकी/वित्तीय व्यवस्थापकों की नियुक्ति, प्रबंधन का व्यावसायिकरण तथा इस प्रकार की समितियों के गठन संबंधी शर्तें निर्धारित कर सकती है।

(vi) कार्यकारी पूँजी की आवश्यकताएं

चूँकि आधुनिकीकरण कार्यक्रम की सफलता एवं इसका पूर्ण लाभ पर्याप्त कार्यकारी पूँजी की उपलब्धता पर निर्भर है, इकाइयों को उनके बैंकों से कार्यकारी पूँजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के प्रयास करने चाहिए।

(vii) नोडल अभिकरण/सहयोजित पीएलआई

1. योजना के अंतर्गत विभिन्न खंडों के लिए नोडल अभिकरण निम्नानुसार हैं।

खंड	नोडल अभिकरण
वस्त्र उद्योग (लघु उद्योग क्षेत्र को छोड़कर)	आईडीबीआई बैंक
लघु उद्योग वस्त्र क्षेत्र	सिडबी
पटसन उद्योग	आईएफसीआई

2. नोडल अभिकरण इस योजना में अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई), राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी), राज्य औद्योगिक विकास निगम (एसआईडीसी) तथा व्यापारिक / सहकारी बैंकों को ऋण की मंजूरी एवं वितरण एवं बेहतर पहुंच के लिए सहयोजित कर सकते हैं। यद्यपि ऐसे संयोजन से कर्जदार के मिलने वाले ब्याज वापसी की दर में कोई कटाव नहीं होगा। सह योजित ऋणद अभिकरणों की सूची परिशिष्ट V है। नोडल अभिकरण पुनर्गठित प्रौद्योगिकी का प्रचार-पसार बढ़ाने के लिए अतिरिक्त ऋणद अभिकरणों को सहयोजित कर सकते हैं।

3. नोडल अभिकरणों, पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत उनके द्वारा सीधे सहायता किए गए मामलों की पात्रता का निर्णय करेंगी और विहित प्रपत्र में आर्थिक सहायता संबंधी दावा वस्त्र आयुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करेंगी।

4. सहयोजित वित्तीय संस्थानों के मामले में, नोडल अभिकरण पात्रता तय करेंगे तथा सहयोजित एआईएफआई / एसएफसी / एसआईडीसी तथा व्यापारिक / सहकारी बैंकों के ब्याज वापसी दावों की जाँच एवं उनके वास्तविक वितरण के लिए नोडल अभिकरण जिम्मेदार होंगे।

5. इस योजना के अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन पत्र संबंधित नोडल अभिकरणों से अथवा सहयोजित एआईएफआई/एसएफसी/ एसआईडीसी / वाणिज्यिक / कॉर्पोरेटिव बैंकों आदि जैसे भी मामला हो से विहित प्रपत्र प्राप्त करके आवेदन जमा किए जा सकते हैं।

6. ऋण संबंधी आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा।

VIII नोडल बैंक

- (i) पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत बैंकों की वित्तीय सहायता देने हेतु 36 नोडल बैंकों को निर्दिष्ट किया गया है। 36 बैंकों के नाम निम्नवत हैं :-

1.. अलाहाबाद बैंक	19. आय एन जी वैश्य बैंक
2. आन्ध्र बैंक	20. जम्मू एण्ड कश्मिर बैंक
3. एक्सिस बैंक	21. कर्नाटका बैंक
4. बैंक ऑफ बड़ौदा	22. करूर वैश्य बैंक
5. बैंक ऑफ इंडिया	23. लक्ष्मी विलास बैंक
6. बैंक ऑफ महाराष्ट्र	24. नेशनल कॉ-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन सी डी सी)
7. कन्नरा बैंक	25. ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
8. कथिलिक सीरियन बैंक	26. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
9. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	27. पंजाब नेशनल बैंक
10. सिटी यूनियन बैंक	28. राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन
11. कारपोरेशन बैंक	29. साऊथ इंडियन बैंक
12. देना बैंक	30. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
13. एक्विजि बैंक	31. सिडीकेट बैंक
14. फेडरल बैंक	32. तामिलनाडु मर्कन्टाइल बैंक
15. आय सी आय सी आय बैंक	33. यूको बैंक
16. इंडियन बैंक	34. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
17. इंडियन ओवरसिज बैंक	35. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
18. इंदूसिंध बैंक	36. विजया बैंक

- (ii) नोडल बैंक उनके द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने वाले सभी मामलों में स्वयं पात्रता का निर्धारण कर सकेंगे और पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के लाभ देंगे जिसमें गैर एस एस आई, एस एस आई एवं 10 % पूंजीगत आर्थिक सहायता, विनिर्दिष्ट प्रोसेसिंग मशीनरी / बिलकुल नए शटल रहित करघों / गार्मेंटिंग मशीनरी / टेक्नीकल टेक्सटाइल मशीनरी शामिल हैं। भारतीय स्टेट बैंक अपने सात (7) एसोसिएट बैंकों के लिए भी नोडल बैंक के रूप में कार्य करेगा। इसी प्रकार बैंक ऑफ बड़ौदा उसके पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नोडल बैंक के रूप में कार्य करेगा।

- (iii) संघ वित्तीय पोषण के मामले में संघ का प्रमुख पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के तहत परियोजना की पात्रता का आकलन स्वयं के लिए करेगा और साथ ही संघ के अन्य सदस्यों के लिए भी करेगा, बशर्ते संघ का प्रमुख एक नोडल बैंक हो। ऐसे मामले में जहाँ संघ का प्रमुख नोडल बैंक नहीं है तो ऐसे में नोडल बैंक जिसका आवधिक ऋण में बड़ा हिस्सा हो वह परियोजना की पात्रता का निर्धारण और पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के तहत ऋण की मात्रा का भी निर्धारण करेगा और निर्दिष्ट प्रोसेसिंग मशीनरी बिलकुल नई शटल रहित करघे / गार्मेंटिंग / टेक्नीकल टेक्सटाइल मशीनरी के लिए 10 % पूंजीगत सहायता का भी निर्धारण करेगा।

- (iv) कई बैंकों द्वारा वित्तीय पोषण के मामलों में वह बैंक जिसके पास आवधिक ऋण का बड़ा हिस्सा होगा वे पुनर्गठित प्रौदनियो के तहत स्वयं के लिए और अन्य बैंकों के लिए भी परियोजना की पात्रता का निर्धारण कर सकेगा। बशर्ते उक्त बैंक नोडल बैंक हो। ऐसे मामलों में जहाँ ऋण का बड़ा हिस्सा रखने वाला बैंक नोडल बैंक नहीं है तो ऐसे में वह नोडल बैंक जिसका हिस्सा अपेक्षाकृत बड़ा हो वह परियोजना की पात्रता एवं पुनर्गठित प्रौदनियो के तहत ऋण की मात्रा का निर्धारण कर सकता है साथ ही निर्दिष्ट प्रोसेसिंग मशीनरी / बिलकुल नए शटल रहित करघों / गार्मेंटिंग/ टेक्नीकल टेक्सटाइल मशीनरी के लिए 10 प्रतिशत पूंजीगत सहायता का भी निर्धारण करेगा।
- (v) ऐसे मामलों में जहाँ संघ। कई बैंको द्वारा वित्तीय पोषण किया जा रहा हो वहाँ बैंक विशेष उनके द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई इकाईयों को ब्याज की प्रतिपूर्ति पूंजीगत आर्थिक सहायता प्रदान करेगा बशर्ते बैंक नोडल बैंक हो। यद्यपि आई डी बी आई बैंक उन बैंकों को जो संघ के / कई बैंको से वित्तीय पोषण प्राप्त परियोजनाओं को ब्याज की प्रतिपूर्ति करेगा जो नोडल बैंक नहीं है इसके लिए आई डी बी आय /सिडबी को नोडल बैंक द्वारा उन बैंकों को जारी पात्रता प्रमाण पत्र की प्रति अग्रेषित करेगा।
- (vi) नोडल बैंक में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उपयोग प्रमाण पत्र मासिक/ त्रैमासिक आधार पर अगले तिमाही के दावे करने से पूर्व विहित प्रपत्र में देंगे। सहयोजित पी एल आई उनका उपयोग प्रमाण पत्र नोडल एजेन्सियों को एवं वस्त्र आयुक्त कार्यालय को अगले तिमाही के दावे करने से पूर्व विहित प्रपत्र में देंगे
- (vii) सहयोजित निजी क्षेत्र कर्मशियल बैंक
सिडबी के सहयोजित निजी क्षेत्र के कर्मशियल बैंक एस एस आई मामलों की पुनर्गठित प्रौदनियो के तहत पात्रता निर्धारित करेंगे और सिडबी के माध्यम से दावे वस्त्र आयुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। ऐसे बैंक के लिए निधि सिडबी के माध्यम से दी जायेगी। निजी क्षेत्र के सहयोजित कर्मशियल बैंकों के नाम निम्नवत हैं :-

1. डेवलपमेण्ट क्रेडिट बैंक लिमिटेड, मुंबई
2. धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड
3. एच डी एफ सी बैंक
4. रत्नाकर बैंक लिमिटेड
5. येस बैंक लिमिटेड
6. नैनीताल बैंक लिमिटेड

सहयोजित निजी क्षेत्र के कामर्शियल बैंक उन सभी एस एस आई मामलों को जिनमें वे वित्तीय पोषण कर रहे हो वे उनकी पात्रता का निर्धारण करेंगे और ऐसे दावे सिडबी के माध्यम से वस्त्र आयुक्त कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

X. नोडल अभिकरणों / नोडल बैंकों / सहयोजित पी एन आई को निधि जारी करना

- (i) ऋणदाता अभिकरण यूनिट वार दावों के विवरण ऐसी यूनिट के लिए देंगे जिनके पास वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा दिया गया युनिक आईडी है। ऐसे विवरण विहित प्रपत्र में वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा विकसित ऑन लाइन सिस्टम द्वारा बाद की तिमाही की 5 तारीख तक प्रस्तुत करेंगे।
- (ii) उपयोग प्रमाण पत्र, नो-एक्सेस दावा प्रमाण पत्र, इस आशय का प्रमाण पत्र की बैंक भ्रष्टाचार अनुचित साधनों के प्रयोग में शामिल नहीं है और संबंधित बैंक को वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी मंजूरी आदेश की प्राप्ति के पश्चात निधि जारी की जाएगी।
- (iii) ऋणदाता संस्थानों को उनके ब्रांचों से प्राप्त वास्तविक दावों पर आधारित दावे ही प्रस्तुत करना है।
- (iv) पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत लाभार्थियों को निधियों का संवितरण वस्त्र मंत्रालय से निधि प्राप्त होने के तीन (3) कार्य दिवस के भीतर कर दिया जायेगा।
- (v) ऋणदाता संस्थान इस उद्देश्य के लिए प्राप्त निधियों को किसी और उद्देश्य के लिए नहीं देंगे और योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे अथवा दूसरे संस्थानों अथवा संगठनों को नहीं देंगे और वे निधियों के जारी करने संबंधी शर्तों एवं निबंधनों का पालन करेंगे। यदि बैंक दिए गए उद्देश्य के लिए निधि का उपयोग करने में सक्षम नहीं होता है तो बैंक से अपेक्षित होगा कि वह जारी निधि की राशि को 10 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज सहित उसे वापस करें।
- (vi) पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के तहत निधि प्राप्त करने वाले सभी नोडल अभिकरण / नोडल बैंक / सहयोजित पी एन आई इस उद्देश्य के लिए समर्पित ब्याज मुक्त बैंक खाता खोलेंगे। इस उद्देश्य के लिए खोले गए बैंक खाते में उपयोग उपरांत बची हुई राशि पर मिलने वाले ब्याज की राशि को प्रत्येक तिमाही में बैंक, वेतन एवं लेखा कार्यालय वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली के खाते में जमा करेंगे। इस प्रकार की राशि के लिए माँग पत्र (डी.डी.) वेतन एवं लेखा अधिकारी, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली के नामे बनाये जाएँ। इस योजना के अंतर्गत ब्याज की राशि जमा करते समय, ऋणदाता संस्थान पूर्ण विवरण अर्थात् वह राशि जिस पर ब्याज प्राप्त हुआ है, निश्चित दिनांक एवं अवधि तथा लागू ब्याज दर का विवरण वेतन एवं लेखा कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, को देंगे।
- (vii) नोडल बैंकों को इस योजना के संबंधित निधि का संवितरण इलेक्ट्रानिक क्लियरेंस सर्विस (ई सी एस)/रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेन्ट (आर टी जी एस) के माध्यम से ही किया जायेगा। इसके लिए प्रत्येक नोडल, वस्त्र मंत्रालय को विवरण जैसे बैंक का नाम, ब्रांच, एकाउण्ट नम्बर, बैंक का एम आई सी भार कोड इत्यादि देगा।

- (viii) इस योजना के लिए निधि का संवितरण करने के लिए उपरोक्त दिशा निर्देश सिडबी को सहयोजित पी एल आई, आई डी बी आई बैंक एवं आई एफ सी आई पर लागू होंगे।

विविध

- (xi) इस निधि योजना में सहायता के लिए संबंधित नोडल अभिकरणों अथवा सहयोजित ए आई एफ आई / एस एफ सी / एस आई डी सी / कमर्शियल / कॉ-ऑपरेटिव बैंकों जैसा भी मामला के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा किया जाना चाहिए।
- (ii) इस योजना के अंतर्गत वित्तीय पोषण करने वाले संस्थानों द्वारा इसके लिए एक विशेष प्रकोष्ठ बनाना होगा जिसमें एक नोडल अधिकारी होगा जिसमें तीव्रतम गति से ऋण संबंधी आवेदन पत्रों को प्रोसेस किया जा सके। वस्त्र आयुक्त कार्यालय को ऐसे नोडल अधिकारी का नाम, पता, पदनाम, टेलीफोन नम्बर एवं ई-मेल आई डी सूचित करना होगा।
- (iii) ऋणदाता संस्थान कम्पनी का आवश्यक विवरण / परियोजना वार स्थापित पात्रता / पुनर्गठित प्रौद्योगिकी पात्रता संबंधी लांबित मामलों का विवरण दी गई ब्याज प्रतिपूर्ति इत्यादि की जानकारी का विवरण वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली एवं संसदीय प्रश्न यदि कोई हो तो इसके लिए आवश्यक डाटा बेस रखेंगे।
- (iv) आई डी बी आई बैंक / सिडबी उनकी सलाहकार के रूप में एक नोडल बैंको / सहयोजित पी एल आई को किसी स्पष्टीकरण के लिए देंगे तथा इसके लिए वे वस्त्र आयुक्त कार्यालय के तत्वावधान में कार्यशाला का आयोजन नोडल बैंकों तथा सहयोजित पी एल आई के लिए कर सकते हैं।
- (v) मामला विशेष में पात्रता संबंधी किसी प्रकार की शंका के लिए अथवा अन्य किसी प्रकार के संबंधित मामले के लिए नोडल बैंक / सहयोजित पी एल आई आई डी बी आई बैंक / सिडबी अथवा वस्त्र आयुक्त कार्यालय से मार्गदर्शन / सहायता के लिए सम्पर्क कर सकते हैं।
- (vi) ऋणदाता संस्थान पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत यथा अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी, के इकाई द्वारा विधिवत संस्थापन का प्रत्यक्ष मुआयना कर सकते हैं।

हस्ता./-

वी. श्रीनिवास
संयुक्त सचिव,

परिशिष्ट - ए

प्रौदनियो योजना के अंतर्गत पात्र जीनिंग एवं प्रेसिंग मशीनरी की सूची

क्र.सं.	वस्तु	न्यूनतम आवश्यकता	
		बड़ी इकाई	छोटी इकाई
1.	जीनिंग मशीनें	6-8 बेल्स प्रति घंटा की प्रोसेसिंग क्षमता के साथ ऑटोफीडर / 3 सॉजिन्स (90 सॉ) या समतुल्य के साथ सामान्य आकार के 24 डी आर/22 अतिरिक्त लंबे डी आर /18 जम्बो डी आर	3-4 बेल्स प्रति घंटा की प्रोसेसिंग क्षमता के साथ ऑटोफीडर /1 या 2 सॉजिन्स या समतुल्य के साथ सामान्य आकार के 12 डी आर/11 अतिरिक्त लंबे डी आर /9 जम्बो डी आर
2.	प्रीक्लीनर	जिनिंग मशीन की प्रोसेसिंग गति के उपयुक्त क्षमता के साथ 4 या अधिक बिटर सिलेंडर / रोलस के साथ क्लीनर	जिनिंग मशीन की प्रोसेसिंग गति के उपयुक्त क्षमता के साथ 4 या अधिक बिटर सिलेंडर / रोलस के साथ क्लीनर
3.	लिनट क्लीनर	जिनिंग मशीन की प्रोसेसिंग गति के उपयुक्त क्षमता के साथ 3 या अधिक बिटर सिलेंडर / रोलस के साथ क्लीनर	जिनिंग मशीन की प्रोसेसिंग गति के उपयुक्त क्षमता के साथ 3 या अधिक बिटर सिलेंडर / रोलस के साथ क्लीनर
4.	कपास कन्वेयर सिस्टम	(i) न्यूमेटिक कन्वेयर जो स्टोन कैचर फार द फर्स्ट स्टोन फ्राम हीप्स टू प्रीक्लीनर सहित हों (ii) मेकेनिकल /न्यूमेटिक कन्वेयर फ्राम प्रीक्लीनर टू इन्डीवीड्यूअल जीन्स सेन्ट्रल प्लेटफार्म सिस्टम की अनुमति नहीं है सिवाय जिसमें पहले से लगा हो।	(i) न्यूमेटिक कन्वेयर जो स्टोन कैचर फार द फर्स्ट स्टोन फ्राम हीप्स टू प्रीक्लीनर सहित हों (ii) मेकेनिकल /न्यूमेटिक कन्वेयर फ्राम प्रीक्लीनर टू इन्डीवीड्यूअल जीन्स सेन्ट्रल प्लेट फार्म सिस्टम की अनुमति नहीं है सिवाय जिसमें पहले से लगा हो।
5.	लिनट कन्वेयर सिस्टम	मेकेनिकल /न्यूमेटिक कन्वेयर (i) जीन्स से लिनट क्लीनर (ii) लिनट क्लीनर से प्रत्येक पाला हाल	मेकेनिकल /न्यूमेटिक कन्वेयर (i) जीन्स से लिनट क्लीनर (ii) लिनट क्लीनर से प्रत्येक पाला

		और (iii) प्रत्येक पाला हाल से (क) पारम्परिक बेल प्रेस के मौजूदा मामले में बेल प्रेस हाल (ख) बेल प्रेस बाँक्स मार्टन बेल प्रेस के मामले में लिन्ट स्लाइड एवं पुशर मैकेनिज्म (डायरेक्ट फीडिंग ऑफ काटन फ्राम लिन्ट क्लीनर से प्रेस बाक्स परमिटेड)	हाल और (iii) प्रत्येक पाला हाल से (क) पारम्परिक बेल प्रेस के मौजूदा मामले में बेल प्रेस हाल (ख) बेल प्रेस बाँक्स मार्टन बेल प्रेस के मामले में लिन्ट स्लाइड एवं पुशर मैकेनिज्म (डायरेक्ट फीडिंग ऑफ काटन फ्राम लिन्ट क्लीनर से प्रेस बाक्स परमिटेड)
6.	बेलप्रेस	(i) सिंगल स्टेज ऑफ हाइड्रोलिक आटो ट्रेम्पिंग बेल प्रेस जो लिन्ट स्लाइड एवं पुशर मैकेनिज्म सहित हो जिससे प्रेस बाक्स में सीधे ही लिन्ट की फीडिंग की जा सके। प्रारम्परिक वाटर हाइड्रोलिक टू स्टेज प्रेसेस जो बिना आटो ट्रेम्पिंग फेसिलिटी के हों की अनुमति है बशर्ते वे पहले से मौजूद हो।	(i) सिंगल स्टेज ऑफ हाइड्रोलिक आटो ट्रेम्पिंग बेल प्रेस जो लिन्ट स्लाइड एवं पुशर मैकेनिज्म सहित हो जिससे प्रेस बाक्स में सीधे ही लिन्ट की फीडिंग की जा सके। प्रारम्परिक वाटर हाइड्रोलिक टू स्टेज प्रेसेस जो बिना आटो ट्रेम्पिंग फेसिलिटी के हों की अनुमति है बशर्ते वे पहले से मौजूद हो।
7.	के लिए कन्वेयर	ऑटो मेटिक कन्वेयर जो जीन्स से सीड प्लेटफार्म तक हो	ऑटो मेटिक कन्वेयर जो जीन्स से सीड प्लेटफार्म तक हो
8.	हयूमिडी फायर मास्चराइजर	<u>जीन हाल में</u> सेण्ट्रल प्लेटफार्म के मामले में 2 बेन्सन फैन अथवा पर्याप्त संख्या में नोजल्स लगे हों। <u>पाला हाल के मामले में</u> 2 बेन्सन फैन प्रत्येक हाल में या पर्याप्त मात्रा में नोजल्स लगे हों।	<u>जीन हाल में</u> सेण्ट्रल प्लेटफार्म के मामले में 2 बेन्सन फैन अथवा पर्याप्त संख्या में नोजल्स लगे हों। <u>पाला हाल के मामले में</u> 2 बेन्सन फैन प्रत्येक हाल में या पर्याप्त मात्रा में नोजल्स लगे हों।

9.	फायर फाइटिंग सिस्टम	ऐसे मामलों में जहाँ इकाई के परिसर में टयूब वेल न हो ओवर हेड टैंक एवं /अथवा सम्प (क्षमता 1.25 लाख लिटर)/पानी की टँकी (1.50 लाख लिटर) जिसमें कम से कम 10 हाइड्रैन्ट्स स्ट्रेटेजीकली लगे हो होज पाइप में नोजल्स हों और एक स्टैंड बाय डीजल पम्प इलेक्ट्रीक पम्प के अलावा हो । ऐसे मामले जहाँ इकाई के परिसर में टयूब वेल हो ओवर हेड टँकी एवं अथवा सम्प (क्षमता 50,000 लिटर)/पानी की टँकी (50,000 लिटर) जिसमें कम से कम 10 हाइड्रैन्ट्स स्ट्रेटेजीकली लगे हों, होज पाइप में नोजल्स लगे हों एवं इलेक्ट्रिक पम्प के	ऐसे मामलों में जहाँ इकाई के परिसर में टयूब वेल न हो ओवर हेड टैंक एवं /अथवा सम्प (क्षमता 60000 लिटर)/पानी की टँकी (75000 लिटर) जिसमें कम से कम 10 हाइड्रैन्ट्स स्ट्रेटेजीकली लगे हो होज पाइप में नोजल्स हों और एक स्टैंड बाय डीजल पम्प इलेक्ट्रीक पम्प के अलावा हो । ऐसे मामले जहाँ इकाई के परिसर में टयूब वेल हो ओवर हेड टँकी एवं अथवा सम्प (क्षमता 25000 लिटर)/पानी की टँकी (50,000 लिटर) जिसमें कम से कम 06 हाइड्रैन्ट्स स्ट्रेटेजीकली लगे हों, होज पाइप में नोजल्स लगे हों एवं इलेक्ट्रिक पम्प के अलावा एक डीजल का पम्प
		अलावा एक डीजल का पम्प हो ।	हो ।
10.	अण्डर ग्राउण्ड वायरिंग	सभी हाई टेंशन एवं लो टेंशन वायर / केवल अण्डर ग्राउण्ड होने चाहिए	सभी हाई टेंशन एवं लो टेंशन वायर / केवल अण्डर ग्राउण्ड होने चाहिए
11.	वेह ब्रीज	क्षमता 20 टन / 5 टन स्थानीय जरूरत अनुरूप (जरूरत नहीं यदि सुविधा पास में ही उपलब्ध हो)	क्षमता 20 टन / 5 टन स्थानीय जरूरत अनुरूप (जरूरत नहीं यदि सुविधा पास में ही उपलब्ध हो)
12.	वैकल्पिक मशीनरी	सभी बाहरी फायबर डिटेक्टर्स / रिमूवर्स ।	
13.		कोई अन्य मशीनरी जैसा तकनीकी सलाहकार सह देखरेख समिति (टीए एम सी) द्वारा उपयुक्त समझी जाए ।	

परिशिष्ट—बी-1

प्रौ.उ.नि. योजना के अन्तर्गत स्पीनिंग/सिल्क रीलिंग एवं ट्वीस्टिंग/वूल स्काउरिंग एवं काम्बिंग/सिन्थेटिक फिलामेन्ट यार्न टेक्सचराइजिंग क्रीम्पींग एवं ट्वीस्टिंग के लिए पात्र मशीनों की सूची।

ए. कॉटन सिस्टम के स्पीनिंग के लिए स्पीनिंग मशीनरी :-

1. माइक्रो प्रोसेसर्स सहित पूर्णतः स्वचालित बेल हैंडलिंग, प्लर्किंग, पीलिंग एवं ब्लेन्डिंग ग्रेब मशीन।
2. (1) काटन फाइबर के लिए परिष्कृत ब्लो रूम मशीनरी एवं उसके ब्लेण्डर्स जिसमें पहले सफाई करने वाला उपकरण, खोलने एवं सफाई करने वाली मशीन जिसमें च्यूट फीडिंग व्यवस्था सहित अथवा लैप मेकिंग व्यवस्था, मेटल डिटेक्टर माइक्रोडस्ट रिमूवर एवं डी डस्टींग कन्डेन्सरों (ओपन एवं एण्ड रोटार स्पीनिंग) फॉरेन फाइबर डिटेक्टर/रिमूवर सहित अथवा बिना उसके सम्मिलित हैं।
कृत्रिम/रिजनरेटेड फाइबर्स के लिए परिष्कृत ब्लो रूम मशीनरी एवं उनके ब्लेण्डर्स जिसमें ओपनिंग एवं क्लीनिंग मशीनें जो च्यूट फीड सिस्टम सहित लैप मेकिंग सिस्टम, मेटल डिटेक्टर सहित अथवा बिना फॉरेन फाइबर डिटेक्टर/रिमूवर सम्मिलित हैं।
सीसीडी कैमरा सहित सभी फॉरेन फाइबर डिटेक्टर, आटोमेटिक बेल तोड़नेवाली मशीनें एवं परिष्कृत सफाई करने वाली मशीन के उपकरण जो मौजूदा ब्लो रूम लाईन में हैं।
1. कार्ड, गील बाक्स, काम्बर एवं रिंग फ्रेम सहित अथवा बिना उसके जिसमें वेस्ट रिकवरी/री-साईकिलिंग मशीनरी जिसमें स्वचालित कचरा निकालने की व्यवस्था है।
2. (1) उच्च उत्पादन कार्ड जो 50 कि.ग्रा/घंटा जिसमें आटो लिवर हो स्लीवर उत्पादन में सक्षम हो।
कार्ड जो लिप फीड सिस्टम द्वारा 50 कि.ग्रा/घंटा स्वचालित स्लीवर सहित या बिना उसके उच्च उत्पादन कर सकें।
3. उच्च उत्पादन ड्रा-फ्रेम जो आटोलिवर सहित हो तथा जिसकी गति 500 मीटर/मिनट हो।
4. स्लीवरलैप/रिबनलैप, लैप फार्मर।
5. 240 नीपर्स/मिनट एवं उससे अधिक उच्च गति के कोम्बर्स।
6. 1200 गति प्र. मि. के स्पीड फ्रेम तथा उससे अधिक।
7. उच्च गति रिंग फ्रेम्स जिनके तक्रुएँ (स्पीण्डल) की गति 16000 गति प्र.मि. एवं अधिक हो।
8. 75000 गति प्र. मि. एवं उससे अधिक गति के ओपन इण्ड रोटार एवं अन्य आधुनिक स्पीनिंग सिस्टम, जैसे डीआरईएफ, पी ए आर ए एफ आई एल, एस ई एल एफ आई एल एवं ए आई आर जे ई टी।
9. स्वचालित कोन वाइडिंग मशीन (आटो कोनर) जो 1500 मीटर प्र.मि. एवं उच्च गति की गति से चलती हैं एवं अथवा चीज वाइडिंग मशीन जिसमें साइरो क्लीनर लगें हों।
10. इलेक्ट्रानिक यार्न क्लीयरर्स एवं मौजूदा स्वचालित वाइडिंग मशीनों के उन्नयन हेतु सप्लायर्स।

11. टू फार वन/थ्री फार वन ट्वीस्टर जो क्रमशः कम से कम 8000 ग.प्र.मि. एवं 5000 ग.प्र.मि. की गति से चलती हैं।
12. यार्न कंडीशनिंग मशीन।
13. इण्डस्ट्रीयल ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम जिसमें एयर वाशर प्लान्ट एवं एयर फिल्टर आर एच को मेन्टेन करने के लिए तथा टेम्प्रेचर जिसमें डीह्यूमिडफायर्स (चीलर्स) लगे हों।
14. डस्ट/पार्टीकुलेट मटेरियल सेपरेटर्स/कलेक्टर (वायप्रदूषण नियंत्रण)।
15. स्पीनिंग एवं वाइंडिंग के लिए ओवर हेड क्लीनर।
16. कोर स्पन यार्न को तैयार करने का उपकरण।
17. समानान्तर वाइंडिंग मशीन जो इन्डीविड्यूअल कन्ट्रोल प्रबंध सहित हो तथा लम्बाई नापने की मशीन।

20. प्रोसेस नियंत्रण उपकरण :-

- (ए) मौजूदा वाइंडिंग मशीन के कोटी उन्नयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक यार्न क्लीयरर्स।
- (बी) ह्यूमिडिफिकेशन प्लान्ट के लिए आर एच मेन्टेन एवं नियन्त्रित करने के लिए साउटर आटोमेटिक प्लान्ट कन्ट्रोल।
- (सी) रिंग फ्रेम्स के लिए स्पीन्डल की गति बदलने के लिए डॉफ प्रक्रिया की सम्पूर्ण प्रक्रिया के सेट पैटर्न में आप्टी स्पीड जिससे धागे की टूटन प्रक्रिया को कम से कम किया जा सके आदि।
- (डी) सूचना तकनीकी के अन्तर्गत "प्रीमिअर रिंग आई" क्योंकि उपकरण धागे की रिंग फ्रेम में टूटन को मानिटर करता है और रोग्य त्रुटियों (स्पीन्डल्स) का पता लगाता है जिससे टूटन बढ़ती है और जो कम्प्यूटर के माध्यम से रिंग फ्रेम के माध्यम से उत्पादन दर्शाता है।
21. 15 एच पी एवं अधिक के एयर का प्रेसर।
22. रिंग फ्रेम (अर्थात् ऐलिटविस्ट अटेचमेंट फारस्पीनिंग मशीन) में सीधे ही डबल यार्न ट्वीस्टिंग अटेचमेंट।

23. रिंग डाटा मैनेजमेंट सिस्टम

24. प्लान्ट इसीसीएसी मैनेजमेंट सिस्टम

25. केबलिंग मशीन

नोट :क्रम सं. 25 तक बढ़ाई मशीनें 4 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु पात्र है इसमें न्यू स्टेण्ड अलोन/रिप्लेशमेंट /स्पीनिंग, मशीनरी का आधुनिकीकरण शामिल है। यद्यपि वेस्पीनिंग इकाईयां इसमें फावर्ड इन्टीग्रेशन तथा बुनाई /निटिंग /प्रोसेसिंग /गारमेंटिंग की मैजिंग क्षमता है वे ही ब्याज प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे।

बी. फ्लैक्स स्पीनिंग के लिए मशीनरी :-

1. फ्लैक्स हैकलिंग मशीन ।
2. फ्लैक्स के लिए ड्राइंग मशीन
3. फ्लैक्स के लिए रोलिंग मशीन ।
4. फ्लैक्स के लिए वेट रिंग फ्रेम ।
5. फ्लैक्स के लिए आटो वाइंडिंग मशीन ।

सी सिल्क रीलिंग एवं ट्वीस्टिंग के लिए मशीनरी :

1. मल्टाइंड सिल्क रिलिंग मशीन (स्वचालित अथवा अर्ध स्वचालित) ।
2. सिल्क ट्वीस्टिंग मशीन (टू फार वन अथवा थ्री फार वन अथवा अप ट्वीस्टर्स)।
3. वाइंडिंग मशीन ।
4. कनवेयर कुर्कींग मशीन ।

डी. सिल्क वेस्ट प्रोसेसिंग/स्पीनिंग के लिए मशीनरी :-

1. सिल्क वेस्ट प्रोसेसिंग
 - कोकून ओपनर
 - कम्प्यूटरीकृत सिल्क वेस्ट कटींग मशीन
 - डेगुमिंग मशीन
 - ड्राइंग चेम्बर्स
 - कार्डिंग मशीन
 - प्रेपरेटरी मशीन
2. सिल्क ओपनर
3. स्वचालित होपर फीडर/ब्लेंडिंग होपर फीडर/स्वचालित गुणवत्ता नियंत्रण सहित फीडर (चाहे स्वचालित गुणवत्ता वेट अथवा मात्रा नियंत्रण के साथ) सिल्क कार्ड के लिए मात्रा नियंत्रण ।
4. कार्डिंग सेट ।
5. रेक्टिलिनियर कोम्बर ।
6. वोगोराक्स टाप/सिल्वर प्रीन्टींग मशीन ।
2. टाप टू फाइबर/टाप कनवर्टिंग मशीन ।
8. टाप बम्प प्रेस ।
9. ड्रा फ्रेम/रोलिंग फ्रेम/आटोमेटिक रोलिंग फ्रेम/बोबीनर्स/फीनिसर ।
10. नोट स्वयं ऐठन करने वाली स्पीनिंग मशीन/साइरो स्पीनिंग (2 प्लाई स्पीनिंग) मशीन/कोट स्पीनिंग मशीन ।
11. फैन्सी यार्न ट्वीस्टिंग एवं पैटर्न मशीन ।

12. जम्बो हैंक रीलिंग मशीन ।
13. यार्न ब्रुशिंग मशीन
14. उच्च गति इन्टर सेटींग रोटरी/चेन पिन ड्राइंग रोटर्स/गील बाक्स ।
15. फाइबर ओपनिंग एवं ब्लेंडींग मशीन ।
16. रेजींग/ब्रुशिंग मशीन ।
17. मल्बरी एवं टसर के लिए स्वचालित एवं अर्धस्वचालित रीलिंग मशीनरी ।
18. ट्वीस्टिंग, रीलिंग, यार्न सैम्पल्स की ब्रुशिंग एवं सादा (प्लेन) एवं फैन्सी धागों (यार्न) की अल्प मात्राओं से संबंधित मशीनें ।
19. सिल्क फैब्रिक के लिए दो चेम्बर वाला स्टेन्टर प्रोसेसिंग हेतु ।

ई. कृत्रिम फिलामेन्ट यार्न क्रीम्पींग/टेक्सराइजिंग एवं ऐठन(ट्वीस्टिंग) के लिए मशीनें

1. क्रीम्पींग मशीन ।
2. टेक्सराइजिंग मशीन ।
3. ऐठन देने वाली (ट्वीस्टिंग) मशीनें
4. जम्बो हैंक वाइन्डर ।
5. रिवाइन्डर/प्रीसीसन कोन वीन्डर ।
6. माइक्रो स्लीटींग/रोल कटींग मशीन ।
7. फैन्सी यार्न ट्वीस्टर्स एवं डबलिंग मशीन ।
8. ट्वीस्टेड एवं कवर्ड कोर्ड उत्पादक मशीन ।
9. लीटरींग मशीन/जीक मेकिंग मशीन ।
10. एयर कवरींग मशीन ।
11. यूनिवर्सल डबल कवरींग मशीन ।
12. स्पैन्डेक्स अटैचमेन्ट ऑन सर्कुलर नीटिंग/टेक्सचराइजिंग मशीन ।
13. ड्रा ट्वीस्टर्स/ड्रा विन्डींग मशीन ।

14. पीसीशन असेम्बली वाइण्डर
15. प्रीसीशन शाफ्ट वाइण्डर
16. हैंकूकोन/ चीज वाइडिंग मशीन

एफ. रूई अपशिष्ट रिसायकलिंग प्लान्ट हेतु मशीनरी।

1. स्वचालित नरम रूई अपशिष्ट रिसायकलिंग मशीन।
2. स्वचालित सख्त रूई अपशिष्ट रिसायकलिंग मशीन।
3. स्वचालित बेल प्रेस पद्धति (पैकिंग)
4. स्वचालित कॉटन डस्ट एवं स्पीड कलेक्शन एवं फिल्टरेशन पद्धति।
5. आग सुरक्षा पद्धति।
6. सेवा - सुविधाएं, यथा, परिवहन, तोलसेतु पद्धति, स्वचालित बेल तुलाई पद्धति, आदि।

जी. फायबर/यार्न परीक्षण उपकरण।

1. आधुनिक फायबर परीक्षण उपकरण यथा, लंबाई, मजबूती, सूक्ष्मता परिपक्वता, कचरा, रंग आदि की जांच हेतु उच्च/मध्यम/कम मात्रा वाले उपकरण
2. एकरूपता परीक्षक
3. यार्न की त्रुटियों का वर्गीकरण करने वाले उपकरण, यथा, क्लासिमेंट, क्लासिडाटा, आदि
4. नेप्स, लंबाई, व्यास, परिपक्वता, कचरे की जांच हेतु उपकरण यथा एएफआईएस/एफआईएलई/एडवांस फायबर इन्फॉर्मेशन पद्धति, रॅपिड टेस्टर, आदि
5. सिंगल यार्न टेनासिटी टेस्टर, यथा टेन्सोरॅपिड, स्टॅटीमेंट, टेन्सोमॅक्स आदि
6. टेनासिटी/फायबर क्रिम्प मापनेवाले उपकरण, यथा फेवीमेट आदि।
7. आधुनिक यार्न परीक्षण उपकरण, यथा, ट्विस्ट टेस्टर, हेअरीनेस टेस्टर, टेन्शन टेस्टर, फिक्शन टेस्टर को इफिशियन्ट।
8. नमी परीक्षक।
9. पैकिंग डेन्सिटी परीक्षक
10. उच्च सूक्ष्मता तुलाई सन्तुलन
11. सीएसपी.काऊन्ट हेतु संगणकीकृत ली स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन तथा सीएसपी एवं काऊंड हेतु सी.वी. प्रतिशत

एच. आधुनिक मटेरियल हैंडलिंग उपकरण, यथा फोर्क लिफ्टर, बेल स्टॅकर्स, आदि।

आई. सिलाई के धागे (कॉटन/पॉलिएस्टर/कन्टीन्यूअस पॉलिएस्टर फिलामेंट/कोर यार्न सिलाई के धागे) विनिर्माण हेतु मशीनरी।

1. व्यक्तिगत नियंत्रण सुविधा तथा लंबाई मापने के उपकरण के साथ असेम्बली वाइडिंग/चीज वाइडिंग मशीन।
2. आर्द्र सुविधा के साथ या बिना हेवी रिंग डबलर।
3. पॉलिशिंग सह लुब्रिकेशन मशीन।
4. हिट सेटींग तथा स्टॅबिलाइजिंग मशीन।
5. प्रि-अप्लिकेशन वाइंडर/कम्पोझिट लुब्रिकेशन वाइंडर/कोन वाइंडर।
6. प्रिसिशन वाइंडर एवं फिनिशिंग मशीन/टिवन कोन वाइडिंग तथा कॉप वाइडिंग मशीन।
7. ट्यूब वाइडिंग मशीन।
8. ऑटो लेबलिंग तथा पैकिंग मशीन।

9. बॉक्स स्टिचिंग/कार्टन स्ट्रैपिंग मशीन ।
10. बॉन्डींग मशीन ।
11. स्पूल वाइंडर ।
12. ब्रेडिंग मशीन ।
13. ब्रेड डाटा पैकेज वाइंडर ।
14. ब्रेड वॉक्सिंग मशीन ।
15. ब्रेड कॉप वाइंडर ।
16. प्रि-ट्रिबस्टर/असेम्बली वाइंडिंग मशीन
17. अपट्रिबस्टर ।
18. डाय पैकिंग वाइंडर

जे. तकनीकी सलाहकार -सह- देखरेख समिति (टीएएमसी) द्वारा उपयुक्त समझाी गई कोई अन्य मशीनें ।

परिशिष्ट -बी-2

प्रोडनियो के अंतर्गत वूल स्कावरिंग, कोम्बींग एवं कारपेट इंडस्ट्री के लिए पात्र मशीनों की सूची

ए.. स्पीनिंग के वर्स्टेड व्यवस्था हेतु वूल स्कावरिंग, काम्बिंग एवं स्पीनिंग मशीनरी :-

1. परिष्कृत वूल स्कावरिंग मशीन कार्बोनाइझिंग प्लॉट/लाइन सहित या उसके बिना ।
2. फाइबर ओपनिंग/ब्लेडिंग/क्लीनिंग/डस्टींग मशीन ।
3. उच्च उत्पादन वर्स्टेड कार्ड्स जो प्रतिघण्टे 50 कि.ग्रा. उत्पादन कर सकते हों ।
4. उच्च गति इण्टरसेक्टिंग गील बॉक्स/चेन गील्स/रोटरी गील्स/उर्ध्वाधर (वर्टिकल) गील बाक्स जिसकी डिलवरी स्पीड कम से कम 400 मीटर प्रति मिनट होगी ।
5. ड्राईंग सेट/रोलिंग फ्रेम/रबिंग फ्रेम की डिलवरी स्पीड 200 प्रति मिनट हो ।
6. 12000 ग.प्र.मि. एवं उच्च गति के वर्स्टेड रिंग फ्रेम जिसमें साइरो स्पीनिंग अटैचमेन्ट लगे हों या नहीं/अथवा आटो डाफर्स लगे हों या नहीं ।
7. जम्बों स्पीनिंग फ्रेम ।
8. उच्च गति के रेक्टर्लीनियर काम्बर जिसकी गति 210 निप्स प्रति मिनट तथा उससे भी अधिक गति हो ।
9. क्रमशः कम से कम 8000 ग.प्र.मि. एवं 5000 ग.प्र.मि. की गति से चलने वाले टू फार वन/थ्री फार वन ट्वीस्टर्स ।
10. यार्न कन्डिशनिंग मशीन ।
11. असेम्बली वाइंडिंग मशीन जिसमें माइक्रो प्रोसेस कन्ट्रोल की व्यवस्था हो ।
12. प्रेसिसिअन कोन वाइंडिंग मशीन ।
13. एअर स्प्लीसर्स
14. कार्ड के लिये स्वचालित वेस्ट निकालने की व्यवस्था, गिल बॉक्स, कोम्बर एवं रिंग फ्रेम जिसमें वेस्ट रिकवरी/रिसाइकिलींग मशीनरी लगे हो अथवा नहीं ।
15. बेलिंग प्रेस फार वूल कॉम्बींग
16. वूल कार्बोनाइझिंग प्लॉट/ लाइन ।

बी. वूलेन स्पीनिंग सिस्टम के लिए मशीनरी :

1. वूल स्काउरिंग मशीन ।
2. उच्च उत्पादन कार्डिंग मशीन ।
3. सेमी वर्स्टेड यार्न के लिए गील बाक्स ।
4. स्पीड फ्रेम ।
5. रिंग फ्रेम ।
6. आधुनिक स्पीनिंग सिस्टम (डीआरइएफ) ।
7. वाइंडिंग मशीन ।
8. कार्ड के लिए वेस्ट रिकवरी/रीसाइकिलिंग मशीनरी के साथ या बिना, स्वचालित कचरा निकालने की व्यवस्था ।

सी. शोडी स्पिनिंग सिस्टम के लिए मशीनरी :-

1. लगातार गारनेटिंग, रेंग टीयरिंग एवं पुलिंग एवं कार्डिंग मशीन ।
2. रिंग फ्रेम ।
3. वाईंडर

(डी) कार्पेट उद्योग के लिए मशीनरी

I कार्पेट यार्न विनिर्माण की मशीनरी

- (i) वूलेन/सेमी वर्स्टेड यार्न की मशीनरी
- (1) एसेम्बली प्लाइंग
- (2) रीलिंग /हैंक से कोन वाइंडिंग/कोन वाइंडिंग से चीज एवं कोन ।
- (ii) दूसरे यार्नों के लिए मशीनरी

- (1) चेनाइल स्पीनिंग

II कार्पेट इंडस्ट्रिस द्वारा उपयोग किये जाने वाले यार्नों की डाइंग एवं फिनिशिंग की मशीनरी

- (1) स्टीम ड्रायर
- (2) स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
- (3) स्पेस डाइंग
- (4) केम सेट मशीन /टिवीस्ट सेट
- (5) टेप स्काउर
- (6) सैम्पल डाइंग मशीन
- (7) सहायक वस्तुएं

ए वॉटर ट्रीटमेंट /सॉफ्टनींग प्लाण्ट

बी कार्विंग/ इम्बोसिंग/सियरींग इक्वीपमेंट

सी कार्पेट साफ करने के लिए वैक्यूम सक्शन

III वोवेन कार्पेट के लिए मशीनरी

(1) एक्समिन्स्टर वीविंग

ए स्पूल ग्रीपर

बी जैकार्ड ग्रीपर

(2) विल्टन वीविंग

ए वायरलूम वीविंग / ब्रसेल्स वीविंग

बी फेस टू फेस वीविंग

(IV) कार्पेट बनाने वाली अन्य मशीनरी

(1) पास टफ्टिंग

(2) निडिल फेल्टींग

(3) फ्यूजन बॉर्डिंग

(4) कार्पेट सीयरिंग एवं जे बॉक्स / जे स्क्रैस

(5) कार्पेट बैक कोटींग / कार्पेट के फिनिशिंग एवं लेटेक्सींग के लिए कोटींग एवं ड्राइंग लाईन

(6) कार्पेट ओवरलॉकिंग / ओवर एजिंग मशीन

(7) कार्पेट लेबल मशीन

(8) कार्पेट वाइडींग / बेलिंग मशीन

(9) कार्पेट इनस्पेक्शन / रबींग मशीन

(10) कार्पेट फ्रिगिंग मशीन

(11) कार्पेट प्रिटींग मशीन

(12) कार्पेट टाइल बेंकिंग / कोटींग / लेटेक्सींग एवं कटींग लाईन

(13) एम- टफ्ट (मोद्रा - टफ्ट)

(14) किब्बी

(15) नेड ग्राफीक

(16) वीव लिंक

V कार्पेट को जाँचने के उपकरण

(1) टफ्ट वीथड्रावल टेन्सोमीटर

(2) वीयर एवं एब्रेशन टेस्टर

(3) हैक्सपाड वॉकर टेस्टर

(4) कार्पेट डायनमिक लॉडिंग टेस्टर

(5) कार्पेट स्टेटिक लॉडिंग टेस्टर

(6) कार्पेट पाइल हाइट टेस्टर

(7) कार्पेट थीकनेस टेस्टर

(8) कार्पेट फ्लेमेबिलिटी टेस्टर

(9) लाईट फास्टनेस टेस्टर (जिनो टेस्टर)

(10) लाउंडर-ओ-मीटर

(11) क्रॉक मीटर

(12) झॉलेट एक्सट्राक्टर

ई तकनीकी सलाहकार सह देख रेख समिति (टीएएमसी) द्वारा उपयुक्त समझी गई अन्य कोई मशीन।

परिशिष्ट - सी

ए. विस्कोस फिलामेंट यार्न एवं विस्कोज स्टेपल फाइबर विनिर्माण करने हेतु प्रौद्योगिक उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पात्र मशीनों की सूची।

1. विस्कोस फिलामेंट यार्न के लिए कन्टीन्यूअस स्पिनिंग मशीन।
2. कन्ट्रोल बोर्ड समेत स्पिनिंग मशीनों के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फ्रिक्वेन्सी इनवर्टर।
3. संबद्ध फीड पद्धति के साथ फिनिशिंग ऑयल मिटरिंग पम्प
4. विस्कोस के लिए मिटरिंग गिअर पम्प
5. स्टिर्ड वेसल, मिटरिंग पम्प, उपकरण तथा नियंत्रण पैनल से परिपूर्ण विस्कोस डोप फिलामेंट के इंजेक्शन के लिए पोर्टेबल पद्धति
6. डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटस्, (प्रि-स्पिनरेट) समेत प्रेशियस मेटल स्पिनरेटस
7. फ्लैश इवॅपोरेशन द्वारा स्पिन बाथ डिग्रेसिंग प्लान्ट
8. कॅन्डल फिल्टर्स के साथ स्पिन बाथ बैकवॉश फिल्टरेशन पद्धति
9. विस्कोस तैयार करने के लिए कन्टीन्यूअस डिसोथिल्विंग एवं होमोजीनाइजिंग पद्धति
10. विस्कोस के लिए कॉन्टिडिस्क फिल्टर्स
11. ग्रॉफाइट में स्पिनबाथ हिट एक्सचेंजर
12. विस्कोस के स्वचालित नियंत्रण प्राचलों के लिए डिस्ट्रीबुटेड सेन्ट्रल पद्धति (डिसीएस)
13. कतार्ई के दौरान तथा प्रक्रिया के पश्चात स्वचालित केक हॅण्डलिंग पद्धति।
14. प्रोसेसर नियंत्रित प्रेशिशन कोन वाइंडिंग मशीन
15. स्वचालित कोन पैकिंग तथा पेलेटाइजिंग पद्धति
16. नॉटिंग विस्कोज फिलामेंट यार्न ब्रेक्स के लिए स्प्लाइसर्स
17. विस्कोज फिलामेंट यार्न स्टॅंथ टेस्टर, इन्स्ट्रॉन या स्टॅटीमेंट या वाइब्रोडिन 400 मॉडेल
18. प्रक्रिया के नियंत्रण तथा पर्यावरण की देखरेख के लिए टेस्टिंग उपकरण:-
 - i वातावरण की देखरेख के लिए एअर सेन्ट्री
 - ii क्रॉस सेक्शन स्टडी हेतु स्टिरिओं माइक्रोस्कोप
 - iii विस्कोस, पिगमेंटस् तथा टिओझ डिस्पर्शन स्टडीज् के लिए पार्टीकल साइज अनालाइजर
 - iv स्पीनेरीटीज इनस्पेक्शन माइक्रोस्कीप
 - v मैग्नेटिक फ्लो मीटर इन बीआरआय
 - vi साफ्ट वाटर हार्डनेश
 - vii पोर्टेबल कलर मैचिंग सिस्टम
 - viii वाइण्डर मशीन फार युनिफार्म शेड स्ट्रीट
 - ix प्रसाइज वाल्यूमेटिक एनालिसिस ऑटो टाइरेटर
 - x पोर्टेबल डेन्सिटी मीटर

19. इको लेवल प्रमाणन - इको पैरामीटरों के लिए परीक्षण उपकरण :-

- i हाई परफॉर्मन्स लिक्विड क्रोमेटोग्राफी तथा हाई परफॉर्मन्स थीन लेयर मेटोग्राफी
- ii परस्पिरोमिटर
- iii वाश व्हिल मशीन
- iv सहायक उपकरणों के साथ एंटोमिक अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर
- v यूवी - विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर
- vi मास स्पेक्ट्रोमीटर समेत गॅस क्रोमेटोग्राफी
- vii फोरिअर ट्रान्सफॉर्मिंग इन्फ्रा रेड स्पेक्ट्रोमीटर
- viii बी.ओ.डी. एवं सी.ओ.डी. मॉनीटर्स

- बी. (i) विस्कोस स्टॅपल फायबर के लिए मशीन ।
1. पल्प-प्रि-ट्रिटमेंट-इलेक्ट्रान
 2. स्वचालित पल्प फिडिंग पद्धति
 3. स्वचालित स्लारी कन्सिस्टन्सी कन्ट्रोल पद्धति के साथ पल्प स्लरी मिक्सर
 4. श्रेडर समेत ट्विन रोल स्लरी प्रेस
 5. एजिंग ड्रम
 6. स्वचालित अल्कलि सेलुकोस कन्वेइंग / फिडिंग पद्धति
 7. अल्कलि सेलूलोस कुलर - स्वचालित तापमान नियंत्रण के साथ फल्युइडाइज्ड बेड टाइप
 8. लाय फिल्टर (कॅन्डल फिल्टर्स)
 9. स्वचालित चार्ज लाय तथा चार्ज वाटर मिक्सिंग तथा कुलिंग पद्धति
 10. ऑटोमेशन के साथ ज़ौन्थैटर
 11. होमोजिनाइज़र्स के साथ कन्टीन्युअस डिसॉल्विंग पद्धति
 12. स्वचालित प्रक्रिया नियंत्रण के साथ रिपेनिंग रूप, ऑटो बैंक फ्लश फिचर्स के साथ कनटीन्युअस फिल्टर्स, हाइड्रोलिक फिल्टर प्रेस, रद्द विस्कोज की वसुली हेतु सेन्ट्रीफ्यूज स्क्रू/गिअर प्रकार का विस्कोस पंप, विस्कोस हिटींग पद्धति बास्केट प्रकार का विस्कोस डेअरेटर्स कन्टीन्युअस स्पिकिंग टैंक्स
 13. विस्कोस सेक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल पद्धति
 14. स्वचालित स्पिनबाथ तैयार करना, परिचालन फिल्टरेशन, हिटींग एवं इवैपोरेशन पद्धति
 15. हॅस्टीअलॉय-सी हैक्सा रोलर्स स्ट्रेच युनिट
 16. उच्च गति के स्वचालित रोटरी कटर्स
 17. कार्बन डाय-सल्फाइड रिकवरी थ्रु के लिए हॅस्टीअलॉय-सी
 18. स्क्रबर्स एवं कन्डेन्सर्स के साथ कार्बन डाय सल्फाइड रिकवरी पद्धति
 19. सम्प झोन कुलिंग तथा फिल्टरेशन पद्धति
 20. फायबर की धुलाई, कन्वेइंग ऑल फायबर तथा रासायनिक प्रक्रिया हेतु आफ्टर ट्रिटमेंट पद्धति
 21. आफ्टर ट्रिटमेंट केमिकल्स फिल्टरेशन पद्धति
 22. न्युमॅटिक फायबर स्विडिंग पद्धति, वेट फायबर ओपनर, फायबर ड्रायर तथा स्वचालित इन्वेइंग पद्धति के साथ डाय फायबर
 23. बेल वेट, नमी आदि की प्रक्रिया नियंत्रण के साथ संपूर्ण स्वचालित बेलिंग प्रेस
 24. स्वचालित बेल हण्डलिंग पद्धति
 25. स्पिनिंग से बेलिंग प्रेस के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल पद्धति

(ii) रंगीन फायबर के लिए मशीनरी ।

1. कलर स्लरी प्रिपरेशन तथा इंजेक्शन हेतु डिस्ट्रीब्यूटेड कन्ट्रोल पद्धति
2. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आधारित संगणकीकृत कलर मॅचिंग पद्धति
3. कलर स्लरी इंजेक्शन पम्प
4. ऑन लाइन फायबर गुणवत्ता देखरेख उपकरण
5. ऑन लाइन फायबर सम्मिश्रण, जॉच तथा निराकरण पद्धति
6. स्वचालित फायबर सॅम्पलिंग पद्धति (रोबोटिक प्रकार की)

(iii) उपयोगिता :-

1. विस्कोस फिलामेंट तथा विस्कोस स्टॅपल फायबर दोनों के लिए - प्रोसेस कुलिंग तथा राइपनिंग रूप एअर कंडिशनिंग एनर्जी इफिशियन्ट कुलिंग टॉवर्स हेतु रेफ्रिजरेशन पद्धति
2. 15 एच.पी. तथा उससे अधिक का एअर कॉम्प्रेसर

(iv) लियोसेल फायबर प्लान्ट :-

1. पल्पर्स
2. हाई विस्कोस रिएक्टर ऑपरेटिंग वॅक्यूम
3. थिन फिल्म इवॅपोरेटर्स
4. पॉलिमर पम्प
5. पॉलिमर फिल्टर्स
6. स्पिनिंग मॉड्यूल
7. फायबर वॉशिंग तथा ट्रिटमेंट मशीन
8. फायबर ड्रायर्स
9. फायबर ओपनर्स
10. बेलिंग प्रेस
11. एजिटेटेड रिएक्टर
12. सहायक उपकरणों के साथ डिस्टिलेशन टॉवर
13. मल्टि स्पेज इवॅपोरेटर्स
14. आईओएन एक्सचेंज प्यूरिफिकेशन प्लान्ट

(v) उच्च नमी वाले मोड्यूलस विस्कोस फायबर

1. मॉडल (एचडब्ल्यूएम) मशीन लाइन
2. सोडा स्टेशन के लिए पम्प
3. ब्राइन पीएचई
4. डिसॉल्वर के लिए हिट एक्सचेंजर
5. 3% कॉस्टिक पीएचई
6. मॅच्यूरिंग ड्रम हेतु रोटरी एअर लॉक
7. स्तर नियंत्रण पद्धति के साथ चार्ज वॉटर टैंक
8. स्टिटर के साथ डोप टैंक
9. विस्कोस परिचालन पम्प
10. फ्लैश टैंक से पहले हिट एक्सचेंजर
11. स्पिनिंग पम्प
12. स्पिनिंग पम्प के बाद हिट एक्सचेंजर
13. स्पिनिंग से बेलिंग तक संपूर्ण पद्धति स्पिन बाथ टैंक तथा पंप
14. स्पिन बाथ टैंक तथा पंप
15. झिक डिसॉल्विंग पद्धति
16. स्पिन बाथ फिल्टर्स एवं एक्सझॉस्ट फैन
17. स्पिन बाथ कुलिंग के लिए हिट एक्सचेंजर
18. रोटरी वॅक्यूम फिल्टर एवं पंप

सी तकनीकी सलाहकार-सह-देखरेख समिति द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीनें।

परिशिष्ट - डी-1

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वीविंग, निटिंग के लिए पात्र मशीनों की सूची।

ए. प्रारंभिक वीविंग के लिए :-

1. सिंगल यार्न साइडिंग मशीन
2. उच्च गति वाली मल्टी सिलेंडर साइडिंग मशीन/झिरों ट्विस्ट साइडिंग मशीन
3. क्रील के साथ अति उच्च गति वाले डायरेक्ट बीम वार्पर (शटललेस करघों के लिए)
4. क्रील के साथ उच्च गति वाले डायरेक्ट बीम वार्पर (ऊनी इकाईयों के मामलों में शटललेस करघों के लिए)
5. क्रील के साथ उच्च गति वाले डायरेक्ट बीम वार्पर (स्वचालित शटललेस करघों के लिए)
6. वार्प टाइंग मशीन
7. स्वचालित ड्राइंग इन मशीन/रिचिंग इन मशीन
8. संपूर्ण स्वचालित पीर्न वाइंडिंग मशीन (स्वचालित शटललेस करघों के लिए)
9. हाइड्रॉलिक बीम लिफ्टिंग ट्रॉली (शटललेस करघों के लिए)
10. बुनाई (विकल्प) के लिए संगणकीकृत डिजाइन पद्धति
11. क्रमशः न्यूनतम 8000 आरपीएम एवं 5000 आरपीएम गति से चलने वाले टू फॉर वन ट्विस्टर/थ्री फॉर वन ट्विस्टर
12. ड्रा वार्पिंग एवं साइडिंग मशीन
13. 800 मीटर प्रति मिनट की गति वाली कॉल्स ट्विस्ट टेक्सचराइसिंग मशीन
14. माईक्रो प्रोमेसर्स/कट चेन्नील यार्न मशीन के साथ फॅन्सी यार्न ट्विस्टर एवं डबलर्स
15. यार्न सिजिंग मशीन
16. ऑटोस्टॉप एवं टेंशन कंट्रोल के साथ सेक्शनल वार्पिंग मशीन
17. कोन डाइंग मशीन
18. पीर्न वाइंडिंग मशीन
19. हाई स्पीड मल्टी सिलेंडर वर्टिकल एक्सिट वार्पिंग मशीन
20. आटो रोलिंग स्टीच मशीन
21. बीम गेटिंग ट्राली
22. वार्प लीजिंग मशीन
23. डार्बी डिजाइन कार्ड पंचीग एवं कापिडिंग मशीन
24. स्वचालित स्टोरेज सिस्टम

बी. करघे के शेड (वीविंग) के लिए :-

1. शटललेस करघे:- प्रोजेक्टाइल एवं रैपिअर करघों के लिए
1152 हुक्स जैकार्ड मशीन के साथ हाई स्पीड रैपिअर वीविंग रैपिअर वीविंग करघें तथा विभिन्न चौड़ाई वाले लेबल के विनिर्माण करने हेतु आवश्यक टेप्स एवं उपकरण बनाने के लिए फिट किए गए इंटरमिटेन्ट कर्टींग नाईफ के साथ निम्न वेफ्ट निवेशन दर के साथ एअरजेट तथा वाटरजेट करघों के लिए
- (i) प्रोजेक्टाइल करघों के लिए 800 मीटर प्रतिमिनट तथा उससे अधिक। पुरानी सुल्जर प्रोजेक्टाइल वीविंग मशीन के वेफ्ट निवेशन पर में न्यूनतम 5% तक की कमी की अनुमति है।
- (ii) अन्य शटललेस करघों के लिए 450 मीटर प्रति मिनट तथा उससे अधिक। एसएसआई इकाईयों के लिए रैपिअर शटललेस करघों का वेफ्ट निवेशन दर 250 मीटर प्रति मिनट तथा उससे अधिक होगा।

2 शटललेस करघे (ऊनी इकाइयों के लिए)

- (i) प्रोजेक्टाइल करघों के लिए 800 मीटर प्रति मिनट तथा उससे अधिक तथा
- (ii) अन्य शटललेस करघों के लिए 450 मीटर प्रति मिनट तथा उससे अधिक। एसएसआई इकाइयों के लिए रैपिड शटललेस करघों का वेफ्ट निवेशन दर 250 मीटर प्रति मिनट तथा उससे अधिक होगा।

3. स्वचालित शटल वाले करघे।

4 टेरी टॉवेल लूम (संपूर्ण स्वचालित या शटललेस)

5. कटपाइल फॅब्रिक्स हेतु कर्डुरॉय तथा/अथवा वेलवेट लूम तथा/अथवा स्वचालित लूम।

6. कॅनवास लूम

7. पावर ड्रिवन चेनीली लूम

8. टेप/बेल्ट वीविंग के लिए हाई स्पीड निडल लूम

9. ऑटो कंट्रोल ठाइप ऑफ ह्युमिडिफिकेशन प्लान्ट (शटललेस लूम शेड के लिए)

10. नमी तथा ताप नियंत्रण करने हेतु आधुनिक औद्योगिक आर्द्रता पद्धति (स्वचालित लूम शेड हेतु)

11. एअरजेट लूम्स हेतु ओवर हेड क्लिनर

12. डस्ट सेपरेटर

13. संगणकीकृत लेबल बनाने की मशीन

14. फॅब्रिक एम्ब्रॉइडरी मशीन

15. स्टॅण्ड अलोन आधार पर जैकॉर्ड तथा डॉबी

16. पावर ड्रिवन क्लाथ कटींग मशीन/लेसर फॅब्रिक या लेबल कटींग मशीन

17. 15 एच पी तथा उससे अधिक का एअर कॉम्प्रेसर

18. इलेक्ट्रानिक प्रोसेस कन्ट्रोल के साथ टप्टींग मशीन

सी. निटींग के लिए :-

1. उच्च गति की गोलाकार निटींग मशीन। अनुज्ञेय पुरानी दुरुस्त की गई गोलाकार बुनाई मशीन के लिए न्यूनतम गति 20 चक्कर प्रति मिनट होगी। आशोधन की प्रभावि तिथि दिनांक 21 जनवरी, 2003 है।

2. इलेक्ट्रानिक जैकोर्ड के साथ या बिना उच्च गति की सॉक्स निटिंग तथा ग्लोवस निटिंग मशीन
3. संगणकीकृत फ्लैट बेड निटिंग मशीन के लिए 11 चक्कर प्रति मिनट
4. (ए) वार्प/राचेल निटिंग मशीन
5. (बी) निटिंग के लिए उच्च गति की संगणकीकृत वार्पिंग मशीन
6. संगणकीकृत लेबल बनाने वाली मशीन
7. संगणकीकृत स्ट्रैप (कॉलर/कफ) फ्लैट बेड निटिंग मशीन
8. नमी तथा ताप नियंत्रण करने हेतु आधुनिक औद्योगिक आर्द्रता पद्धति
9. 15 एच.पी तथा उससे अधिक का एअर काम्प्रसर

डी. हथकरघा :-

1. डॉबी/जैकोर्ड के साथ बिना तथा बेंचमार्क प्रौद्योगिकी विशेषताओं, जैसे टेक अप मोशन, समुथ स्ले मुवमेंट, बड़ा शटल तथा बॉबीन (न्यूनतम 4") नकारात्मक लेट ऑफ मोशन के साथ न्यूनतम 52" चौड़ाई वाली अर्ध स्वचालित/साधारण फ्रेम वाले हथकरघे। इनमें वेफ्ट बुट्टा यंत्रावली, पिक अण्ड पिक स्लाइडिंग शटलबॉक्स, सॉलिड बॉर्डर वीविंग कैंचकार्ड अटेंचमेंट जैसे उपकरण शामिल हैं। फ्रेम लूम 1/2" X 11/2 X 3" स्टील यू चैनल या 2 1/2" व्यास तथा 8 गेज के स्टील पाइप या न्यूनतम 4" चौड़े X 6" लंबे मजबूत लकड़े से बनाए जाए। लंबी लंबाई के फेंब्रिक की बुनाई सुनिश्चित करने हेतु लकड़े या स्टील से बने अतिरिक्त वार्प एवं क्लॉथ रोलर करघों में होने चाहिए।
2. डॉबी जैसे लेंटीस बॉरेल/टैपेट/झाबार/आर्यन फ्रेम वर्टीकल/सेंटर क्लोज्ड शेड/बुडन फ्रेम वर्टीकल/डबल सिलेंडर आर्यन बॉर्डर, जैकोर्ड जैसे सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर बुडन फ्रेम/सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर आर्यन फ्रेम बार/डबल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर आर्यन फ्रेम/डबल लिफ्ट डबल सिलेंडर आर्यन फ्रेम/ जनता/लिनो के साथ फिट किए गए फ्लाय शटल फ्रेम करघे के हथकरघे, जाला तथा डॉबी या जैकोर्ड का संयोजन, एक तरफ लगे हुए ड्रॉप बॉक्स/ दोनों तरफ लगे हुए ड्रॉप बॉक्स/गोलाकार शटल बॉक्स/ पिक अण्ड पिक स्ले के साथ फिट किए गए फ्लाय शटल स्ले।
- 3.. लेट ऑफ मोशन जैसे लिवर तथा वेट लेट ऑफ मोशन/स्पेशल स्पिंग मोशन/ रोप लेट ऑफ मोशन/वेट सिस्टम/स्पिंग सिस्टम के साथ फिट किए गए फ्लाय शटल फ्रेम करघे।
- 4.. टेक अप मोशन जैसे रेंचेट एण्ड पॉल मोशन/ 3 बील इचलकरंजी टाइप मोशन इमरी रोलर के बिना 5 बील टेक अप मोशन/ 7 बील टेक अप मोशन के साथ फिट किए गए फ्लाय शटल फ्रेम लूम।
5. विशेष सहायकों जैसे कैंच कार्ड पद्धति/स्वीवेल करघे/ लैपेट मोशन/टेरी मोशन/लिनो यंत्रावली/चेन्नाइल वीविंग(बुनाई के दौरान चेन्नाइल की स्वचालित कटींग) मेटल फ्रेम वाले हथकरघे/चौड़ी चौड़ाई के लकड़े के फ्रेम के हथकरघे/लम्बी लंबाई वाले कपड़े बुनने की यंत्रावली आदि के साथ फिट किए गए हथकरघे।

टिप्पणी : इसके अतिरिक्त हथकरघा इकाईयों के पियानों कार्ड पंचिंग मशीन/इलेक्ट्रानिक कार्ड पंचिंग मशीन भी उपलब्ध करायी जाएगी।

6. हाथ /पेडल/पॉवर से संचालित पिर्न/बॉबिन्स/ ड्रम्स तैयार करने के लिए मल्टी स्पिंडल के साथ वाइडिंग मशीन।
7. हाय स्पीड डॉबलिंग मशीन जिसमें स्पीन्डल बोल्टर में बाल बेयरिंग सहित हो।
8. मोबाईल वस्त्र गुणवत्ता परीक्षण उपकरण जो केवल हथकरघा क्षेत्र के लिए है तथा निम्न के परीक्षण के योग्य है।

- लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक धुलाई के लिए रंगों का पक्कापन
- क्रॉकींग/रबिंग के लिए रंगों का पक्कापन
- सिकुडन
- प्रति इंच एण्डस्-पिक्स
- यार्न का कारुन्ट
- यार्न के क्रिम्स का प्रतिशत
- फैब्रिक की चौड़ाई तथा
- प्रति स्क्वेअर मीटर ग्राम, आदि

ई. तकनीकी सलाहकार सह- देखरेख समिति (टिएएमसी) द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीनें।

परिशिष्ट डी - 2

नान वोवन / तकनीकी वस्त्रों के प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पात्र मशीनरी / उपकरणों की सूची।

(क) स्पीनिंग

- (1) प्रीक्शन स्पीनिंग
- (2) स्पीनिंग के लिए एसेसरीज विशेषकर यदि जैसे अर्माइउ एवं हाई प्रफार्मेंस यार्न
- (3) डोबलिंग अथवा हण्डस्ट्रीयल यार्न हेतु ट्विस्टिंग मशीन

(ख) वीविंग की तैयारी

- (1) हाई स्पीड कम्प्यूटराइज्ड वार्पिंग / सेक्शनल वार्पिंग मशीन
- (2) फिलामेंट वाइण्डिंग मशीन फार टेक्सटाइल पोलीशन
- (3) स्पुलिंग मशीन
- (4) वीविंग मशीन
- (5) केन्स्टिटर बीम वार्पिंग मशीन
- (6) असेम्बलिंग मशीन
- (7) स्वचालित क्वाइलिंग वाइन्डर मशीन
- (8) स्वचालित कास्टेनिंग टेप असेम्बलिंग फिक्सचर
- (9) स्वचालित ज्वाइनिंग एवं वाइण्डिंग मशीन

(ग) वीविंग

- (1) हैवी ड्यूटी शटल रहित वीविंग मशीन जो टेक्नीकल टेक्सटाइल के उत्पादन में लगे।
- (2) हैवी ड्यूटी टेप वीविंग
- (3) वाई एक्सल एवं मल्टी एक्सल वीविंग मशीनरी
- (4) मल्टी फेज वीविंग मशीन
- (5) उन्डी एवं क्लाक वीविंग मशीन
- (6) नीडल लूम फार नैरो वोवेन फैब्रिक
- (7) सर्कुलर लूम
- (8) पोजिशन ड्राइवेन कम्प्रेसर स्टैण्ड असेम्बली

(घ) नीटिंग

- (1) वेफट इन्सर्टेड वार्प नीटिंग मशीन (डब्लू आई डब्लू के)
- (2) नीटिंग मशीन फार स्पेशर फैब्रिक
- (3) बाई - एक्सल एवं मल्टी एक्सल नीटिंग मशीन
- (4) ट्राइकाट मशीनरी

- (5) रैचल डबल नीडल वार मशीन
- (6) रैचल मशीन फार नीटिंग
- (7) वार्प नीटिंग सिस्टम युक्त मशीन
- (8) सर्कुलर वार्प नीटिंग मशीन फार कम्प्रेसन गार्मेंट
- (9) स्टीच वाण्डींग मशीन

खण्ड

(ड) प्रोसेसिंग

- (1) मेकेनिकल फोमर जो क्रश कलेजर सहित से
- (2) पतटूजन मशीन एवं इक्वीपमेण्ट
- (3) स्पैट्टींग मशीन एवं इक्वीपमेण्ट
- (4) एफ आर पी प्रोसेसिंग मशीन एवं इक्वीपमेण्ट
- (5) आर टी एम (रीइन फोसर्ड टेक्सटाइल मैटीरियल) मशीन एवं इक्वीपमेण्ट
- (6) लैब स्केल प्रोडक्शन / प्रोसेसिंग इक्वीपमेण्ट फार टेक्नीकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट डेवलपमेण्ट
- (7) गेटींग एवं / अथवा लैमिनेटींग मशीन
- (8) कैलेण्डरींग मशीन
- (9) फीनिशिंग मशीनरी फार इम्प्रगनेटींग यार्न या फैब्रिक हेतु
- (10) डीपींग मशीन फार टायर कार्ड / इण्डस्ट्रीयल फैब्रिक/ वेल्टींग डक्श ।
- (11) डीपींग मशीन फार सिंगल इण्ड अथवा कार्ड फार रीडफोर्समेण्ट ऑफ बी- बेल्ट /होसेस /होस टायर्स
- (12) प्रीटिंग मशीन फार वोटेड /लैमिनेटेड फैब्रिक
- (13) को गुकोटेड पी यू अथवा पी बी सी डीप कोटिंग मशीन / पी यू अथवा पी बी सी कोटिंग लाइन अथवा कोटिंग डीपींग /नाइफ मशीन जिसमें इन्फ्राटेड ड्रायर सहित ।
- (14) फ्लैबसोनग्राफिक प्रीटिंग मशीन रोवेन रौक के उत्पादन मे से जो कि सम्पूर्ण लागत का हिस्सा है ।
(यह मशीन स्टैण्ड अलेन आधार पर पात्र नहीं होगी ।)

(एफ) मेडअप टेक्नीकल टेक्सटाइल (टीटी) स्टोर

- (1) कम्प्यूटराइज्ड कटिंग इक्वीपमेण्ट
- (2) हाट एयर वेल्डिंग इक्वीपमेण्ट
- (3) आर एफ (रेडिओ फ्रेक्वेन्सी) वेल्डींग इक्वीपमेण्ट
- (4) अल्ट्रासोनिक कटिंग एवं सीविंग इक्वीपमेण्ट
- (5) लेजर कटिंग एवं सीलिंग इक्वीपमेण्ट
- (6) टूल्स एवं रीग्स फार फैब्रिकेशन ऑफ टी टी उत्पाद

- (7) प्रीटिंग इक्वीपमेण्ट फार सिगनेज
- (8) हीट सेटिंग मशीन एवं स्ट्रेचिंग (फार हीट सेटिंग टेबल)
- (9) बैंक कोटिंग लाइन्स
- (10) ब्रेडिंग मशीनरी
- (11) मशीनरी फार मैन्यूफैक्चर ऑफ क्लेलिनर
- (12) मशीनरी फार मैन्यूफैक्चर ऑफ प्रीफैब्रीकेटेड कर्टिकल ट्रेब / प्रीफैब्रीकेटेड विक ट्रेब
- (13) कम्पलीट याण्ट फार मे किंग फेल्ड ।

(जी) नॉन वेविन टेक्सटाइल मैन्यूफैक्चरिंग मशीनें :-

- (1) वेल ओपनर्स
- (2) फायबर ओपनर्स
- (3) फोरक्यूपाइन वेटर / ओपनर डबल वेटर के साथ अथवा अन्य समान ओपनर
- (4) फायबर बलेझडींग / मिक्सिंग
- (5) फीडर होपर्स / च्यूट / फीडिंग यूनिट
- (6) कार्ड्स
- (7) क्रास — चैपर्स
- (8) सैच्यूरेटर
- (9) एयर लेइंग / वेब लेइंग / वेब फोर्मिंग मशीन
- (10) बेक ड्राफटर्स
- (11) वेब एक्सपेन्डर्स
- (12) प्रिन्ट बाण्डर
- (13) वेब कन्वेयर्स
- (14) वेब कन्ट्रोल सिस्टम — वेट / यूनिफार्मिटी / एलाइन्मेण्ट
- (15) वेट फीडर्स
- (16) प्री — नीडलर / टोकर्स
- (17) वेब ऐटन ड्रीमिंग एवं री — साइकिलिंग सिस्टम
- (18) ऐज ओपनर्स
- (19) एक्च्यूमूलेटर
- (20) स्टेकर्स
- (21) अन वाइण्डर्स / वाइण्डर्स / स्लीटर्स / स्लीटर — सह — वाइण्डर / स्टेकर्स
- (22) कम्प्रेसन सेल्स

- (23) हीटेड कैलेण्डर
- (24) चील्ड कैलेण्डर
- (25) चिलर
- (26) स्टेण्टर
- (27) बलो रुम इक्वीपमेण्ट
- (28) वाइझडींग एवं कटिंग मशीन
- (29) ऑल टाइप ऑफ नीडल लूम
- (30) स्टीच वाण्डींग मशीन जरूरी उपस्करों सहित
- (31) केमकली वोण्डेड नॉन वोवेन
- (32) आटो फोम जनरेटर
- (33) विन्डर मिक्सिंग टैक्स
- (34) बिन्डर अटलीकेटर्स ऑफ आल टाइप प्रिन्ट डीप नाईफ आदि
- (35) ड्राइंग एवं कटिंग मशीन स्टीम / एलेक्ट्रीक / आयल / गैस ही टेड
- (36) 30 “ स्टेनलेस स्टील ड्राइंग सिलेण्डर्स रेंज वीथ कस्टी 5 से 6 सिलेण्डर्स टेफलान कोटेड ।
- (37) स्प्रे वूम वीथ स्प्रे गन्स
- (38) वाइडर एप्लीकेटर
- (39) कटिंग ओवेन स्टीम / इलेक्ट्रीक / आयल / गैस हीटेड
- (40) थर्मल वोबड कैलेण्डर
- (41) थर्मोपैक फॉर हीटींग ऑफ कैलेण्डर
- (42) हॉट एयर ओवेन
- (43) थर्मोपैक फॉर हीटींग ऑयल
- (42) ड्राइंग एवं / अथवा बलीचिंग मशीन फार फायबर
- (ii) स्पनलेस नान वोवेन प्लाण्ट में सम्मिलित हैं :-
 - (1) हायड्रो इन्टेनगलमेण्ट यूनिट
 - (2) सक्शन यूनिट
 - (3) हन्ग्रेविंग यूनिट
 - (4) ड्रायर ऑन लाइन प्रीटिंग यूनिट
 - (5) हीटिंग सिस्टम
 - (6) वाटर फिल्टर सिस्टम
 - (7) वायलर फार धार्मिक फलूड / अवयल क्रास — चैपर्स

- (8) हाई प्रेशर पम्पस
- (9) जेट स्ट्राइप क्लीनिंग इक्वीपमेण्ट
- (10) जेट बीमस
- (11) फीनिशिंग सेमी बेल्ट वैक्यूम वीम सहित।
- (12) वाइण्डर वीथ स्लीटर

(iii) स्पनवाल नान वोवेन मशीनों में सम्मिलित हैं :-

- (1) चीफ फीडर
- (2) ड्रायर
- (3) एक्सट्रूडर
- (4) स्पाइन रेटिस
- (5) कूलिंग चेम्बर
- (6) फिलामेण्ट लेइंग
- (7) कम्प्रेसर रोल

(iv) कम्पलीट मेल्ट एलोन लाइन में सम्मिलित हैं :-

- (1) पेलेट हैण्डलींग सिस्टम
- (2) स्क्रील चेंजर
- (3) मेल्टब्लोन डाइ
- (4) लैमिनेशन स्टैण्ड

(ज) फिनिशिंग मशीन :-

- (1) हाट मेटल कोल्ड रलू अप्लीकेटर्स फार कोटिंग
- (2) अल्ट्रासोनिक स्लीटिंग मशीन / एज सीलर
- (3) ब्रेजिंग मशीन विथ टार्च (हॉट एयर हेतु)
- (4) पी एल सी आयरेटेड सिस्टम वीथ सर्वो ड्राइव फार मेजरमेन्ट / कन्ट्रोल आफ टेन्शन एवं टेम्प्रेचर
- (5) सभी प्रकार के सिलाई मशीन
- (6) फिल्म कैलेण्डरींग मशीन
- (7) ऑटोमेटिक पैकिंग एवं इन्सपेक्शन मशीन
- (8) हीटेस्ट ओवन वीथ स्टेन्टर फैसिलीटी

- (9) क्लीविंग प्रेस
- (10) पायलट / लैब कोटिंग लाइन
- (11) हाइ प्रेशर पम्पकार वाटर जेट कटिंग सिस्टम
- (12) रोबोटिक वाटर जेट कटिंग सिस्टम
- (13) सेगेट फार वाटर जेट कटिंग सिस्टम
- (14) वाटर साफ्टनींग / प्युरीफिकेशन सिस्टम फार वाटर जेट कटिंग
- (15) पाउडर स्कैटरिंग / पोस्ट डाट / पावडर डाट के लिए मशीन
- (16) फ्यूसीवल इण्टरलीण्गींग
- (17) पैडींग मैंगले (फूलर्ड)
- (18) एक्सट्रूडर लैमिनेशन मशीन
- (19) शीट एक्सट्रूडर्स एण्ड लैमिनेशन मशीन
- (20) सिंजीइंग मशीन
- (21) क्लीप / पिन स्टेण्टर फार हीट सेटींग
- (22) फलेम लैमिनेशन मशीन
- (23) डस्ट कलेक्टर्स
- (24) जैकार्ड मशीन फार ज्वाइनिंग टू ऐज वाई इण्टर वीविंग
- (25) ट्यूरीट वाइण्डर एवं अनवाइण्डर
- (26) हाइ स्पीड प्रेसीजन मिक्स फार प्लास्टी सोल्स / आर्गेनोसोलस्
- (27) गुनिंग एवं कटिंग मशीन
- (28) ग्रोमेट फिक्सींग मशीन
- (29) पी यू टम्बलींग मशीन एवं ड्राइंग मशीन
- (30) डी एम एफ रिकवरी प्लाण्ट एवं डिस्टिलेशन प्लाण्ट
- (31) प्रीटींग मशीन फार कोटेड टाइल्स
- (32) सभी प्रकार के कोटर्स जैसे नाइफ ओवर रोल, किश रोल कोटर, स्क्रीन कोटर इत्यादि
- (33) मल्टी सिलेण्डर ड्राइंग रेंज
- (34) रोटरी एवं फ्लैट बेड स्क्रीन प्रीटिंग मशीन
- (35) डीपिंग प्लाण्ट
- (एच) नान वोवन कन्वर्टिंग मशीन :-
 - (1) कम्प्लीट थर्मो फाउलडींग लाइन्स
 - (2) कम्प्लीट थर्मो सेटींग लाइन्स

- (3) मशीनरी ऑफ कार्पेट / एन वी एच माडलर्डींग लाइन्स ओवन / प्रेस
- (4) कन्वेयर / थर्मोपैक फार हीटींग / चिलर फॉर कूलिंग
- (5) मशीनरी फॉर माउलडेड एफ लाइनर्स
- (6) डाइ कटिंग प्रेसेस
- (7) मशीनरी फॉर कन्वर्सन ऑफ नान वोवन इन्टू फेस मास्क / इस्ट मास्क / डक बिल मास्क / इयरलूप मास्क सीलिंग।
- (8) मशीनरी फॉर कन्वर्सन ऑफ नान वोवन इन्टू वाडफोन्ट कैप्स सर्जिकल कैंप / मेडीकैप मेकिंग मशीन
- (9) मशीनरी फॉर कन्वर्सन ऑफ नान वोवन इन्टू गोन्स / पिलो शिप / शू कवर्स / आईस पैक वाडी /आईस पैक बैण्ड सीलिंग एवं कटींग / हैण्ड बैग / फिल्टर पोकेट /हेड रेस्ट कवर / सी डी / डी वी डी कवर एवं अन्य इसी प्रकार की वस्तुएँ।
- (10) मशीनरी फॉर कन्वर्सन ऑफ नान वोवन इन्टू सैनिट्री नैपकीन्स / बेबी डायपर्स / एडल्ट डायपर्स।
- (11) मशीनरी फॉर कन्वर्सन ऑफ नान वोवन इन्टू ड्राइ एवं वेट वाइप्स।
- (12) मशीनरी फॉर स्लीटींग एवं रीवाइंडींग ऑफ नान वोवन रोल
- (13) सर्जिकल गड मशीन मेकिंग
- (14) फस्वाइन्ड ड्रेसींग मेकिंग मशीन
- (15) बैण्डेज रोल मेकिंग मशीन
- (16) कम्प्रेस करने वाली मशीन
- (17) एबडोमिनल स्पंज मेकिंग मशीन
- (18) स्वचालित मेकिंग मशीन

नोट :- क्रम सं. छ (i) से छ (iv) ज एवं झ की दी गई मशीनरी केवल पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही नान वोवन एवं कन्वर्टर्स ऑफ नान वोवन फिनिशड उत्पाद के लिए पात्र हैं।

(झ) टेस्टिंग इवल्यूवेशन मशीनरी :-

- 1 टी टी (तकनीकी वस्त्र) तथा टी टी पी (तकनीकी वस्त्र उत्पाद) हेतु विशेष परीक्षण उपकरण तथा रिग्ज।
- 2 युनिवर्सल टेन्साइल परीक्षण मशीन 10 टन/20 टन
- 3 इंडेक्स पंकचर रेसिस्टन्स टेस्टर
- 4 फ्रिक्शन अपॉरेटस का को-इफिशियन्ट
- 5 पार्टिकल साइज डेटरमिनेशन अपॉरेटस
- 6 ग्रेडिएन्ट रेशों टेस्ट अपॉरेटस

- 7 लॉग टाइम फ्लो अपरेटस
- 8 फेल्टपर्म
- 9 ई डब्ल्यू ई के साथ पॉइन्ट पेपर डिजायन पद्धति
- 10 वेदरोमीटर
- 11 यार्न श्रिकेज तथा श्रिकेज फोर्स परीक्षण मशीन
- 12 विस्मोमीटर
- 13 मशीन मॉनीटरिंग हेतु डाटा लॉगर्स तथा फ्लेक्स रेसिस्टन्स टेस्टर
- 14 टिअर टेस्टिंग मशीन
- 15 कोल्ड क्रैक रेसिस्टन्स टेस्टिंग
- 16 थिकनेस गेज
- 17 वाटर रेपेलेन्सी टेस्टिंग मशीन
- 18 वाटरफ्रूफिंग टेस्टिंग मशीन
- 19 आग रोधक परीक्षण उपकरण
- 20 ऐक्सिलरेटेड एजिंग टेस्टिंग ओवन
- 21 रेन वॉटर परीक्षण उपकरण। निरंतर वॉटर स्प्रे टेस्ट तथा आई आर स्पेक्ट्रोमीटर आदि
- 22 संतुलन उपकरण /स्केल के सभी प्रकार
- 23 अब्रेशन टेस्टर्स
- 24 कलर मैचिंग कैबिनेट
- 25 कलर फास्टनेस टेस्टर्स
- 26 एक्सीलेरेटेड क्रिप टेस्टर्स
- 27 एअर परम्याबिलिटी टेस्टर्स
- 28 झीओ मेम्ब्रन हेतु हाइड्रो स्ट्राटिक पंचर्स टेस्ट
- 29 हाइड्रोलिक ग्रीप
- 30 प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप

- (ट) अन्य सहायक उपकरण
- 1 एअर कॉम्प्रेसर
 - 2 बॉयलर
 - 3 स्टिरर
 - 4 ह्यूमिडिफायर
 - 5 कंट्रोल पैनल आदि के लिए एअर कंडीशनिंग युनिटें
- ठ. तकनीकी सलाहकार सह देख रेख समिति (टीएएमसी) द्वारा उपयुक्त समझी गई अन्य कोई मशीन

परीशिष्ट - ई

ए. गारमेंट/मेड अप्स विनिर्माण हेतु पात्र मशीनें ।

1. ट्रिमर ओवर एजिंग/सिमिंग तथा बॅन्डीज ऑपरेशन के साथ या बिना सिंगल/मल्टी निडल पॉवर ऑपरेटेड इंडास्ट्रियल लॉकस्टिच सिलाई मशीन ।
2. क्लाइंड स्टिच मशीन/चेन स्टिचिंग मशीन
3. पॉवर ऑपरेटेड लिकींग /लूप बनाने की सिलाई मशीन
4. पॉवर ऑपरेटेड फ्लैट लॉक / ओवरलॉक मशीन
5. झिगझॅग फ्लैट बेड सिलाई मशीन
6. बटन स्टीच करने की सिलाई मशीन
7. लेबल/इलास्टिक लगाने की मशीन
8. बटन होल सिलाई मशीन
9. जे स्टीच सिमिंग मशीन
10. एज कटींग सिमिंग मशीन
11. आइलेट बटन होल सिमिंग मशीन
12. बेल्ट लगाने की मशीन
13. झिप लगाने की मशीन
14. बार टॅकिंग मशीन
15. हेमस्टिच मशीन
16. स्मॉकिंग मशीन/मल्टी निडल सिरिंग मशीन
17. पॅटर्न मेक्र/ग्रेडर/मार्कर मशीन/लेसर मार्कर
18. पॉवर ड्रिवन क्लॉथ कटिंग मशीन/लेसर फॅब्रिक या लेबल कटिंग मशीन
19. बॅन्ड नाईफ कटिंग मशीन
20. कॉलर एवं कफ टर्निंग तथा ब्लॉकिंग मशीन तथा प्रेसिंग मशीन
21. बटन एवं रेवेट/स्नेज फास्टनर्स फिक्सिंग मशीन
22. पॉकेट क्रिसिंग तथा वेल्डिंग मशीन/ ऑटो पॉकेट बनाने की मशीन

23. वैक्यूम टेबल तथा/अथवा बक प्रेस के साथ इंडस्ट्रियल स्टिम आर्यन
24. स्टिम प्रेस/वैक्यूम प्रेस के लिए बॉयलर, स्टिम कॅबिनेट वैक्यूम टेबल
25. फ्युसिंग प्रेस
26. कॉलर कॉन्टॉर ट्रिमर
27. वैक्यूम तथा/अथवा एअर ब्लोइंग उपकरण के साथ स्वचालित स्प्रेडिंग एवं कटिंग टेबल।
28. शोल्डर पॅड अटॅचिंग मशीन
29. पॉकेट कटिंग मशीन
30. संगणकीकृत कॅड/क्रॅम/कटिंग मशीन
31. स्वाचालित पॉकेट अटॅचिंग मशीन
32. राऊड नाईफ कटिंग मशीन
33. एन्ड कटर विथ क्लायथ ट्रेक
34. क्लॉथ प्रेस ट्रॅक समेत एन्ड कटर
35. क्लॉथ ड्रिलिंग मशीन
36. कॉलर पॉइन्ट ट्रिमर/गिअर नॉचर मशीन
37. हाय स्पीड फुल्ली फॅशनड निटिंग मशीन
38. निटिंग गारमेंट के लिए होल गारमेंट मेकिंग मशीन अथवा लिंकिंग मशीन के साथ पॉवर ऑपरेटेड गारमेंट पॅनल फॉर्मिंग निटिंग मशीन।
39. पॉवर ड्रिवन सॉक्स तथा ग्लोवल निटिंग मशीन
40. स्वचालित थ्रेड ट्रिमिंग/सर्कींग मशीन
41. शट फोल्डिंग मशीन
42. दाग/धब्बे निकालने की मशीन
43. पर्ल/बिडस्/स्टोन्स/ग्लासेट/हूक तथा बार अटॅचिंग मशीन
44. क्विल्टिंग मशीन
45. फॅब्रिक निरीक्षण/ जॉच मशीन
46. निडल/मेटल डिटेक्टर मशीन
47. मल्टी हेड संगणकीकृत एम्ब्रायडरी मशीन

48. प्लॉटर के साथ कैंड/कैम पॅटर्न-मेकर तथा एम्ब्रायडरी मशीन हेतु सॉफ्टवेयर उपकरण समेत सॉफ्टवेयर
49. संगणकीकृत लेबल बनाने की मशीन/संगणकीकृत लेबल प्रिंटिंग मशीन
50. बटन रैपिंग / शंकींग मशीन
51. फिड ऑफ दी आर्म इंडस्ट्रीयल सिलाई मशीन
52. स्वचालित डार्ट/प्लिट मेकींग मशीन
53. स्वचालित लेबल/प्लाज पिकिंग मशीन
54. पीन टकिंग मशीन
55. यांत्रिक फैब्रिक पिनिंग टेबल
56. सिंगल निडल बारिंटिंग मशीन
57. सिंगल निडल पोस्ट बेड स्लीव सेटिंग मशीन
58. हँगिंग प्रोडक्शन कन्वेयर पध्दति
59. इलेक्ट्रानिक बार ऑपरेशन के साथ लेसेस तथा बॅन्ड के लिए क्रोचेट मशीन
60. स्ट्रिंग ध्रस्टींग मशीन
61. कम्प्यूटर कलर मशीन (मशीन)
62. किन्ट शर्ट सेन्टर प्लास्ट स्वाचालित मशीन
63. ब्लैट लूम अटैचमेन मशीन
64. बटन पैकट
65. कॉलर हिट नॉचर
66. स्पॉट केल्लिंग मशीन
67. लेजर फैडिंग/मार्ककिंग/ड्राईंग मशीन
68. लेटर ऑपरेटेड कलर स्पायईंग मशीन
69. आरएमजी कोरलिंग/हर्ट स्टेयिंग वोवन
70. 15 एच पी से अधिक एअर काम्प्रेशर
71. कम्प्राइज स्टेप(कॉलर /कॉप)फ्लैट बैड निटिंग मशीन
72. कप स्टीमर

73. इलेक्ट्रानिक फीट एण्ड कटिंग ड्रायवर स्वचालित स्टैप कटर मशीन
74. कप मोलडिंग मशीन
75. आटो रिलिंग स्टीच मशीन
76. स्वचालित कोर्बिन पैनल- ज्वाइनिंग / पर्द के टॉप की अटैच मशीन
77. संपूर्ण स्वचालित कर्टन हुक फिडिंग डिवाइस के साथ इलेक्ट्रानिक प्रि-प्रोग्राम स्ट्रेट लाईन लॉकस्टीच कर्टन प्लिट टैकर
78. स्वचालित कम्बाईन पैनल जाईनिंग एवं हिमिंग मशीन
79. स्वचालित लॉकस्टीच कर्टन हिमिंग मशीन
80. संपूर्ण स्वचालित कम्बाईन थ्रेड चैन स्टीच रिंग अटैच/पिंच प्लिट टैकिंग मशीन
81. प्रोसेसिंग मेटल कर्टन-रिंग हेतु हायड्रोलिक कम्बाईन कटिंग/प्रेसिंग मशीन
82. न्यूमैटिक सिंगल
83. संपूर्ण स्वचालित फ्रेब्रिक इनस्पैक्ट मेज़र एवं लेंथ कटिंग मशीन
84. संपूर्ण स्वचालित प्रोग्रामेबल , इलेक्ट्रानिक वर्टिकल कर्टन कटिंग मशीन
85. संपूर्ण स्वचालित कर्टन हुक फिडिंग डिवाइस के साथ इलेक्ट्रानिक प्रि-प्रोग्राम स्ट्रेट लाईन लॉकस्टीच कर्टन प्लिट टैकर
86. इंटिग्रेटेड माइक्रोफ्लेक्स (आर) एडजेस्टेबल कर्टन हुक फिडर के साथ संपूर्ण स्वचालित ड्रेपर पिंच प्लिटर
87. संपूर्ण स्वचालित पिंच प्लिटर हेतु कर्टन फिडिंग डिवाइस
88. हाय परफॉरमन्स मोटर ड्रिवन कर्टन प्रेस टेबल
89. फ्रेब्रिक लेइंग/स्प्रेडिंग मशीन
90. गारमेंट वाशिंग/डाइंग मशीन
91. गारमेंट डाइंग मशीन
92. गारमेंट कलर स्प्रे कॅबीनेट मशीन
93. ट्राऊसर टॉपर/फोम फिनिशिंग मशीन
94. ट्राऊसर टर्निंग मशीन
95. फ्रेब्रिक ग्राइडिंग मशीन
96. हेम ब्रेकिंग मशीन

97. फ़ैगोटिंग/पिकोटिंग मशीन
 98. लूप मेकिंग मशीन
 99. प्लाकेटिंग मशीन
 100. सिक्वीन पंचिंग मशीन
 101. सिक्वीन एम्ब्राइडरी मशीन
 102. रग्स /गारमेंट /मेडअप्स हेतु पैडल डाइंग मशीन
 103. रग्स /गारमेंट /मेडअप्स हेतु ओपन पैकेट डाइंग मशीन
 104. शीट्स /टॉवेल हेतु स्वचालित लेंथ एवं क्रास कटिंग मशीन
 105. फ़्लैट/फ़िटेड शीट/टॉवेल/पिलो/पिलो शॉम हेतु लेंथ एवं क्रास हिमिंग मशीनरी हेतु स्वचालित मशीन
 106. फ़्लैट/फ़िटेड शीट/टॉवेल/पिलो/पिलो शॉम डस्ट रफल हेतु स्वचालित फोल्डिंग एवं स्टैकिंग मशीन
 107. स्वचालित कम्फ़र्टर शेल मेकिंग मशीन
 108. पैकिंग (इलेक्ट्रानिक्स न्यूमैटिक बैगिंग मशीन) हेतु कम्प्रेशन बैगर
 109. फ़्लैंग पिलो केश हेतु स्वचालित मशीन
 110. ब्लैडिंग, ओपनिंग एवं पिलो फिलिंग लाइन्स
 111. फिल्ड पिलो एवं क्वील्ट्स हेतु वैक्यूमाइझिंग पैकिंग युनिट
 112. डाय कटिंग मशीन
 113. टेबल टॉप टफ़्टिंग मशीन
 114. मुस्टैच फॉर्मर
 115. बेड फिलिंग मशीन
 116. बॉल फायबर मशीन
- बी. गारमेंट/मेड अप्स इकाई द्वारा स्थापित की गई गुणवत्ता नियंत्रक प्रयोगशाला हेतु गुणवत्ता नियंत्रक उपकरण (इसमें गारमेंट / मेडअप्स इकाइयों के सभी गुणवत्ता नियंत्रक उपकरण शामिल होंगे)
- सी. तकनीकी सलाहकार-सह-देखरेख समिति (टिएएमसी) द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीनें ।

परिशिष्ट—एफ

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पात्र प्रोसेसिंग मशीनरी की सूची

1. शिअरिंग /क्रॉपिंग मशीन
2. यार्न/फ्रेब्रिक सिजिंग मशीन /गैसिंग मशीन/सिजिंग सह डिसाईजिंग मशीन
3. फ्रेब्रिक रिवर्सिंग मशीन
4. कोन टू हैंक वाइंडिंग मशीन
5. वेट रिडक्शन /स्काऊरिंग मशीन
6. आटोपाइलर के साथ अथवा बिना स्वचालित लिकर सर्कुलेशन के साथ प्रेशर कीअर
7. ओपन विड्थ/रोप वाशिंग मशीन
8. डेटविस्टर के साथ ओपन विड्थ रोप ओपनिंग एवं स्क्विजिंग मशीन
9. जे बाक्स
10. सॉल्वेंट स्काऊरिंग मशीन/वैपरलॉक मशीन
11. रोटरी ड्रम वॉशर (एचटी/एचपी अथवा साधारण प्रकार)
12. वेट फैब्रिक स्प्रेडिंग एवं स्क्विजिंग मशीन
13. हायड्रोएक्स्ट्रैक्टर
14. स्लिट ओपनिंग मशीन
15. स्टार विंच मशीन
16. पैडिंग मैंगल के साथ/बिना फ्लोअट ड्रायर
17. यार्न /फैब्रिक मर्सरायजिंग मशीन
18. कोन,चिज,टॉप्स,फायबर्स, डायस्प्रिंग , यार्न बिम आदि हेतु पैकेज डाइंग मशीन
19. फायबर डाइंग मशीन हेतु फायबर केक ओपनर
20. फायबर डाइंग मशीन हेतु हॉपर फिडर
21. फायबर डाइंग मशीन हेतु प्रेसिंग के लिए हायड्रोलिक पद्धति के साथ अथवा बिना फायबर केक प्रेस
22. केबिनेट टाइप यार्न डाइंग मशीन
23. यार्न कडिशनिंग मशीन
24. लिकर सर्कुलेशन एवं स्व-डोझिंग के साथ अथवा बिना स्वचालित डाइंग जीगर/ जम्बों जिगर
25. जेट डाइंग मशीन
26. सॉफ्ट फ्लो डाइंग मशीन

27. अर्ध स्वचालित फ्लैट स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन
28. रोलर वैक्स प्रिंटिंग मशीन
29. रोटरी प्रिंटिंग मशीन
30. ट्रांसफर प्रिंटिंग मशीन (सिंथेटिक हेतु)
31. न्यूनतम तीन चेम्बर्स के साथ निरंतर धुलाई श्रेणी
32. पैड स्टीम श्रेणी
33. वस्त्र प्रक्रिया इकाई हेतु प्रिसिशन फ्लॉक कटिंग/प्रिंटिंग मशीन
34. लूप एजर
35. रोलर स्टीमर/फ्लैश एजर /प्रेसर एजर /स्टार एजर
36. वस्त्र प्रक्रिया इकाई हेतु रोटरी स्क्रीन मैकिंग उपकरण
37. क्यूरिंग/पॉलिमेरिझिंग मशीन
38. कोटिंग/एम्बोसिंग मशीन
39. सिविंग मशीन
40. डिक्स्टींग मशीन
41. रिलेक्सिंग मशीन
42. कॉम्पैक्टिंग मशीन
43. स्युडिंग मशीन / पिच फिनिशिंग /ब्रशिंग /रेझिंग /काँटीप्रेस /पाइल कटिंग मशीन
44. फ्रिक्शन /श्रीएनर कैलेंडर /साधारण कैलेंडर (न्यूनतम 3 बाऊल)
45. माइक्रोवेव ड्रायर/हॉट एअर ड्रायर /इंफ्रारेड ड्रायर
46. फ्रेब्रिक हेतु प्लिटिंग/क्रिजिंग /फोल्डिंग मशीन
47. फ्रेब्रिक हेतु पिचिंग एवं फ्लैट एम्बोस्ड मशीन
48. ग्रे/रंगे हुए फ्रेब्रिक हेतु असमान प्लिट हेतु क्रश मशीन
49. डिपिंग युनिट
50. मिलिंग युनिट
51. क्रेबिंग मशीन
52. पेपर अथवा रोटरी प्रेस
53. ऊन तथा उसके संमिश्रणों हेतु शिअरिंग /पॉलिशिंग मशीन
54. फोम फिनिशिंग मशीन
55. मल्टीसिलेंडर ड्राइंग रेंज
56. रिपोर्ट जनरेटर के साथ अथवा बिना दोष विश्लेषक के साथ फ्रेब्रिक निरीक्षण मशीन

57. थर्मिक फ्ल्यूइड/गैस हिटिंग हेतु व्यवस्था के साथ न्यूनतम 3 चेम्बर्स वाले मल्टीचेम्बर स्टेन्टर
58. टेक्सटाइल प्रिंटिंग हेतु थिन हाइड्रोकार्बन वेपर रिकवरी प्लॉट
59. स्वचालित पैकिंग मशीन
60. वाटर सॉफ्टनिंग प्लॉट
61. डिमिनरलाईजेशन प्लॉट
62. बायोमास आधारित गैसिफायर
63. न्यूमैटिकली नियंत्रित फिल्टर मेकॅनिज्म, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर एवं माइक्रो डस्ट कलेक्टर के साथ ऑइल/गैस फायर्ड बॉयलर या फ्ल्यूइडाइज्ड कोल फायर्ड बॉयलर
64. न्यूमैटिकली नियंत्रित फिल्टर मेकॅनिज्म, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर एवं माइक्रो डस्ट कलेक्टर के साथ हस्क फायर्ड/ जूट वेस्ट (कैडिज) बॉयलर
65. निस्सारी उपचार प्लॉट हेतु मशीन एवं उपकरण
66. थर्मिक फ्ल्यूइड हिटर/अन्य उच्च तापमान हिटिंग पद्धति
67. 15 एच पी तथा उससे अधिक वाले एअर कॉम्प्रेसर
68. रोल टू रोल निरीक्षण एवं मरम्मत मशीन
69. प्रोसेसिंग इकाई में स्थापित की गई गुणवत्ता नियंत्रक प्रयोगशाला हेतु लेबोरेटरी/प्रोसेसिंग मशीन गुणवत्ता नियंत्रक उपकरण (इसमें वस्त्र प्रक्रिया इकाई प्रयोगशाला के सभी प्रकार के लेबोरेटरी/प्रोसेसिंग मशीनों एवं गुणवत्ता नियंत्रक उपकरण शामिल है।)
70. मल्टीक्रॉस लिंकिंग रेजिन फिनिशिंग मशीन
71. पाइल लिफ्टिंग मशीन
72. कोटिंग लाइन हेतु फोर्मिंग उपकरण
73. कोटिंग लाइन हेतु लॅटेक्स मिक्सिंग एवं डिस्पेन्सिंग पद्धति
74. मल्टीलेअर स्टेन्टर

तकनीकी सलाहकार-सह-देखरेख समिति (टिएएमसी) द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीनें।

परिशिष्ट -जी

जूट रेमी तथा हेम्प इकाइयों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पात्र मशीनों की सूची

ए. मृदुकरण तथा कार्डिंग के लिए

1. जूट स्प्रेडर मशीन
2. आशोधित परम्परागत, सॉफ्टनर्स
3. ब्रेकर कार्ड
4. इंटर कार्ड
5. फिनिशर कार्ड
6. ड्राहेड
7. स्प्लीट कैन डिलिवरी
8. ऑटो लेवलर
9. हॉपर फिडर
10. टिसर कार्ड
11. एन्जिम प्लैन्ट
12. इलेक्ट्रानिकली नियंत्रित स्टिरर के साथ मिश्रण संयंत्र ।
13. डस्ट शेकर
14. सेमी आटोमैटिक रूट कटिंग मशीन
15. हार्ड वेस्ट कार्ड
16. ब्रेकर-कम-फिनिशिंग कार्ड और बिना ड्राहेड के साथ अथवा उसके बिना — आटो लेवल एवं कैन चेजिंग डायवर्स

बी. ड्राइंग के लिए

1. सभी स्कू के गिल्स
2. सभी जूट ड्राइंग
3. कोम्बर

सी. स्पिनिंग एवं ट्विस्टिंग के लिए ।

1. 4¼ स्लिप ड्राफ्ट
2. 51/2 स्लिप ड्राफ्ट
3. रिंग स्पिनिंग फ्रेम
4. फ्रिक्शन स्पिनिंग
5. ओपन एन्ड स्पिनिंग
6. रैप स्पिनिंग
7. ब्रेडिंग मशीन
8. रिंग ट्विस्टिंग फ्रेम
9. एंप्रॉन ड्राफ्ट स्पिनिंग मशीन
10. फ्यायर ट्विस्टिंग
11. वेट/सेमी स्पीनिंग फ्रेम
12. 4 ¾ एस/एडी स्पीनिंग फ्रेम
13. टू फार वन ट्विस्टर

डी. बुनाई प्रारंभ करने के लिए :

1. प्रि-बिर्मिंग मशीन
2. ड्रेसिंग मशीन

3. वार्प एवं वेफ्ट वाइंडिंग मशीन
4. प्रेसिशन वाइंडर्स
5. ऑटो कोनर
6. असेम्बली वाइंडर
7. बीमिंग / प्रि- बीमिंग मशीन

ई. बुनाई आदि के लिए :

1. डॉबी/जैकॉर्ड के साथ बिना उच्च गति के परम्परागत जूट करघे ।
2. उच्च गति के स्वचालित शटललेस करघे
3. गोलाकार करघे
4. कार्पेट प्लान्ट
5. नॉन वूवन/फेल्टिंग प्लन्ट
6. जैकॉर्ड कार्ड पंचिंग मशीन
7. नीडल / वेबिंग / टेप लूम्स

एफ. फिनिशिंग के लिए :

1. कटिंग मशीन
2. लेहन तथा मापन मशीन
3. सिलाई मशीन
4. ब्रांडिंग/प्रिंटिंग मशीन
5. बेलिंग प्रेस
6. हाई प्रेशर रोल अप मशीन
7. कैलेण्डर एम/सी
8. क्रिसपिंग एम / सी
9. ऑटोमैटिक बॅग मैकिंग एम /सी

जी. मटेरियल संचालन तथा अन्य मशीनों के लिए (आवश्यक)

1. फीड लॉटिस
2. कन्वेयर पद्धति
3. टर्न टेबल
4. फोर्क लिफ्टर
5. ट्रैक्टर
6. जिब क्रेन
7. इ ओ टी (इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ट्रेक) क्रेन
8. बिम लिफ्टर

एच. प्रदूषण नियंत्रण मशीन/उपकरण:

आवश्यकताएं	अन्य
प्रायमरी, सेकंडरी तथा/अथवा टर्टीअरी उपचार सुविधाओं के साथ इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट (सामान्य इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट से संबद्ध इकाइयों , प्राथमिक ट्रीटमेंट पद्धति के साथ इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट के लिए)	1. ड्राय प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स 2. ड्राय प्रकार का बॅग फिल्टर 3. ड्राय प्रकार का क्लिनर्स तथा मल्टिक्लोव 4. वेट प्रकार के स्क्रबर 5. वेट प्रकार का वेंचुरी स्क्रबर 6. एअर सेंट्रीफ्यूगल एक्सिसल फ्लो पंखों वाली वायुसंचालन पद्धति । 7. डस्ट एक्स ट्रेक्टर तथा ब्लोअर

आय. प्रोसेसिंग मशीन

1. सिन्जिंग मशीन 3. प्रेशर कियर / जम्बो जिगर 5. पॅड बैच / मंगल 7. सेमी ऑटोमैटीक / ऑटोमैटीक जिर्गस 9. सॉफ्ट फलो डाइंग 11. हाई टेम्प्रेचर तथा हाई प्रेशर 13. मल्टीसिलेण्डर डाइंग रेंज / स्टेन्टर	2. शेयरींग / क्रॉपिंग 4. क्लाथ / यार्न मर्चराइजिंग 6. विंच 8. जेट डाइंग 10. कैबीनेट डाइंग मशीन (यार्न के लिए) 12. मायक्रो एक्सट्रार्क्टर डाइंग 14. यार्न डाइंग हॉट एयर ड्रायर फार
15. सेमी ऑटोमैटीक / ऑटोमैटीक फलैट मशीन 17. कुरिंग / पॉलीमराइजिंग 19. कैलेण्डरींग 21. थर्मो पैक बशर्ते कि संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किए जाएं। 23. हस्क / कैंडीज फायर्ड बॉयलर	16. ओपन विड्थ सोपर बेड प्रिंटिंग 18. ड्रम वाशर 20. ऑयल / गॅस फ्रायड-बॉयलर 22. एयर क्रमप्रेशर 15 एच.पी. तथा उससे अधिक 24. बॉयो मास आधारित ग्रासीफीयर

जे. परीक्षण के लिए आवश्यक

1. इवननेस टेस्टर
2. जूट बंडल स्ट्रेप्थ टेस्टर
3. जूट फाइननेस टेस्टर
4. यार्न टेनसिल
5. फैब्रिक स्ट्रेप्थ टेस्टर
6. स्काॅच गार्ड एप्लीकेटर टेस्टर

अन्य

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. इलेक्ट्रानिक ट्विस्ट टेस्टर | 9. काऊट बैलेन्स |
| 2. एबरेशन टेस्टर | 10. लॉन्डरो मिटर |
| 3. बेन्डींग रिजीडीटी टेस्टर | 11. यार्न स्ट्रेप्थ टेस्टर |
| 4. कलर फास्टनेस टेस्टर | 12. यार्न एपीअरन्स टेस्टर (मैन्युअल/ऑटोमैटिक) |
| 5. कम्प्युटराइज्ड कलर मैचिंग | 13. बैलिस्टिक रॉ जूट स्ट्रेप्थ टेस्टर |
| 6. रबिंग फास्टनेस टेस्टर | 14. फायर रेटारडेन्सी टेस्टर |
| 7. लाइट फास्टनेस टेस्टर | 15. लेटेक्सिंग टेस्टर |
| 8. ड्रेप मिटर | 16. वॉटर प्रू फिंग |

के. संबंधित आर्द्रता तथा तापमान नियंत्रण हेतु आधुनिक औद्योगिक ह्यूमिजिफिकेशन पद्धति

आई तकनीकी सलाहकार-सह-देखरेख समिति (टिएएमसी) द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीनें।

परिशिष्ट -एच

विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऊर्जा बचाने की प्रक्रिया नियंत्रण करने के लिए उपकरणों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पात्र मशीनों की सूची।

ए. ऊर्जा बचाने तथा प्रक्रिया सुधारने के उपकरण/सहायक उपकरण।

1. ऑटो कोनो : रिंग कताई, ओपन एण्ड कताई, ड्राइंग फ्रेम्स, वाइंडर्स, ट्विस्टर्स टेक्स्टराइसिंग तथा क्रिम्पिंग मशीनों के लिए मल्टिचैनल प्रि-सेट यार्न की लंबाई मॉनीटर करने तथा नियंत्रण करने की पद्धति।
2. लूम डाटा मॉनीटर
3. फॅब्रिक के दोषों का विश्लेषक (फॅब्रिक में सभी प्रकार के दोषों को रिकार्ड करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर आधारित पद्धति।)
4. रूई सम्मिश्रण विश्लेषक
5. वस्त्र इकाईयों हेतु ऑनलाईन/आफलाईन आर्द्रता सूचक तथा स्वचालित नियंत्रक
6. निटिंग डाटा एवं डिफेक्ट मॉनिटरिंग पद्धति।
7. वेब मार्गदर्शक पद्धति
8. कारडिंग, कॉम्बर मशीन, रोविंग फ्रेम्स/स्पीड फ्रेम्स, ड्राइंग फ्रेम्स एवं निटिक फ्रेम्स हेतु स्टॉप मोशन
9. शटललेस वीविंग मशीन हेतु वेफ्ट संचायक।
10. वार्षिक तथा वीविंग प्रक्रिया के दौरान यार्न ब्रेक/दोषों हेतु वार्प स्टॉप मोशन, यार्न निरीक्षक
11. प्रोडक्शन डाटा मॉनीटर : ड्रा फ्रेम, ट्विस्टर, डबलर्स तथा कार्ड्स, निटिंग मशीन, शटललेस करघे, वार्षिक मशीन साइडिंग मशीन, शिअरिंग मशीन तथा फॅब्रिक प्रोसेसिंग मशीन रिंग एवं ओपन एण्ड दोनों प्रकार के कताई मशीनों हेतु पूर्व निर्धारण अनुमानित लंबाई, नियंत्रण तथा पूर्व संकेत चेतावनी, डिजायन के साथ इलेक्ट्रानिक मल्टी शिफ्ट काउन्टर।

बी) कताई मशीनों के लिए ऑन-लाइन उत्पादन देखरेख करने तथा गति नियंत्रण पद्धति की प्रॉमिस -प्रोविन रेंज।

सी. तकनीकी सलाहकार-सह- देखरेख समिति द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीने।

परिशिष्ट — आय

एमएमएस @ 20% -प्रौद्योगिक उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पात्र मशीनरी की सूची

ए. मुख्य मशीनरी

क्र.सं.	मशीनरी के प्रकार
1.	पर्न चेजिंग स्वचालित लूम
2.	शटललेस लूम
3.	डॉबी
4.	जेकार्ड
5.	पर्न वाइनिंग
6.	सेक्शनल वारपिंग मशीन
7.	वारपिंग मशीन
8.	साईजिंग मशीन
9.	टू फॉर वन ट्विस्टर (टीएफओ)
10.	प्रिवाइनिडर / रिवाइनिडर

बी. 190 Cms चौड़ाई वाले स्वचालित पर्न चेजिंग लूम के सहायक उपकरणों की सूची

क्र.सं.	सहायक उपकरण	मूल्य (रुपये)
1.	वार्प बिम (1)	6000.00
2.	क्लाथ रोलर (1)	1000.00
3.	मोटर (1)	10000.00
4.	हिल्ड फ्रेम (टैपेट हेतु 6 तथा डॉबी हेतु 16)	12900.00 (टैपेट हेतु) 34400.00 (डॉबी हेतु)
5.	हिल्ड वायर (8000)	6666.00
6.	ड्रॉप पिन्स(6000)	5000.00
7.	शटल (1)	1500.00

सी. 190 Cms चौड़ाई वाले शटललेस रेपियर लूम के सहायक उपकरणों की सूची

क्र.सं.	सहायक उपकरण	मूल्य (रुपये)
1.	वार्प बिम (1)	6000.00
2.	क्लाथ रोलर (1)	1000.00
3.	हिल्ड फ्रेम (टैपेट हेतु 6 तथा डॉबी हेतु 16)	12900.00 (टैपेट हेतु) 34400.00 (डॉबी हेतु)
4.	हिल्ड वायर (8000)	6666.00
5.	ड्रॉप पिन्स(6000)	5000.00

डी. अन्य उपकरण

नये ह्यूमिडिफिकेशन प्लांट/एअर कॉम्प्रेसर/डी मिनरल प्लांट या रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, बिम गेटिंग तथा नाटिंग मशीन भी पात्र है, बशर्ते की परियोजना के लिए पात्र मशीनों के कुल मूल्य का अधिकतम 10% हो। यद्यपि योजना के अंतर्गत परियोजना के लिए सब्सिडी रुपये 60 लाख / रुपये 1 करोड़, जो भी लागू हो, सीमित की जाएगी।

परिशिष्ट—जे

प्रोत्तनि योजना के अंतर्गत 10% पूँजी सहायता एवं 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए पात्र प्रोसेसिंग मशीनरी की सूची

1. स्वचालित डाय वेइंग एवं डिस्पेसिंग पद्धति ।
2. संपूर्ण प्रोसेस केन्द्र के लिये प्रोसेस हाऊस तथा डाय किचन प्रबंधन पद्धति ।
3. पीएलसी नियंत्रित शिअरिंग/क्रॉपिंग मशीन ।
4. प्रि तथा पोस्ट ब्रशिंग एवं डीसाईजिंग युनिट के साथ अथवा बिना तापमान तथा ज्वाला नियंत्रण हेतु हवा एवं ईंधन के स्वमिश्रण वाली पीएलसी आधारित यार्न /फेब्रिक सिजिंग मशीन ।
5. ट्युब्युलर फेब्रिक हेतु सिजिंग मशीन ।
6. निट ट्युब्युलर मर्सरायझिंग मशीन अथवा ब्लीचिंग-कम-मर्सरायझिंग मशीन।
7. अमोनिया रिकवरी प्लांट समेत फेब्रिक हेतु अमोनिया मर्सरायझिंग मशीन ।
8. कॉस्टीक रिकवरी युनिटी के साथ संपूर्ण स्वचालित यार्न / फेब्रिक मर्सरायझिंग मशीन (कॉस्टीक रिकवरी युनिट के बिना, यदि इकाई के पास यह पहले से हो)।
9. निट फेब्रिक कन्टीन्युअस ब्लीचिंग प्लांट ।
10. बलून पैडर ।
11. निटेड फेब्रिक हेतु ओपन विड्थ स्क्वीझ मैगल के साथ स्लिट ओपनर ।
12. माइक्रोप्रोसेसर उपकरण एवं स्वचालित रासायनिक मिश्रण वाली ओपन विड्थ निरंतर स्काउरिंग तथा ब्लीचिंग श्रेणी ।
13. सॉफ्ट पैकेज प्रेसिशन वाइडिंग मशीन ।
14. आर्म हैंक डाइंग मशीन ।
15. स्वचालित कैबिनेट टाइप यार्न डाइंग मशीन।
16. पीएलसी आधारित पैकेज डाइंग मशीन (चिज, कोन,टॉप्स, फायबर, डायस्रींग, यार्न बिम)।
17. न्यूमैटिक ब्लैकेट कंट्रोल के साथ पीएलसी नियंत्रित संपूर्ण स्वचालित फ्लैट बैड प्रिंटिंग मशीन ।
18. पीएलसी आधारित साफ्ट फोलो डाइंग मशीन ।
19. पीएलसी आधारित रैपिड जेट डाइंग मशीन ।
20. सर्वो /माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित पीएलसी आधारित संपूर्ण स्वचालित जीगर ।
21. टेपस्/संक्रिण चौड़ाई वाले वूवन फेब्रिक हेतु कॉम्पैक्ट कन्टीन्युअस डाइंग एण्ड फिनिशिंग मशीन ।
22. माइक्रोप्रोसेसर आधारित ऊर्जा नियंत्रण एवं पानी मॉनिटर वाले ओपन विड्थ पैड ड्राय तथा/अथवा पैड स्टीन निरंतर डाइंग श्रेणी ।
23. इंडीगो डाइंग श्रेणी
24. गारमेंट /मेडअप्स/औद्योगिक टम्बल ड्रायर्स /वॉशर्स हेतु औद्योगिक वॉशिंग / ड्राइंग मशीन ।

25. रोटरी स्क्रीन हेतु डिजिटल/लेझर/लेन एन्ग्रेविंग/स्क्रीन मेकिंग पद्धति ।
26. चुंबकीय/एअर फ्लो स्क्वीज सिस्टम, ऑन लाइन वॉशिंग व्यवस्था के साथ अथवा बिना तुरंत परिवर्तन की सुविधा, ऑटोमैटिक डिजाइन सेटिंग के साथ पीएलसी आधारित संपूर्ण स्वचालित रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन।
27. इंक जेट प्रिंटिंग मशीन(केवल वस्त्र प्रक्रिया इकाइयों हेतु)
28. यूवी अभिदर्शित इकाइ के साथ उच्च गति माइक्रो इंजेक्ट एंग्रेवर ।
29. सिंथेटिक हेतु निरंतर ट्रांसफर प्रिंटिंग मशीन
30. थर्मोसोलिंग श्रेणी (केवल सिंथेटिक हेतु)
31. पीएलसी आधारित निरंतर क्रैबिंग मशीन
32. पीएलसी आधारित स्काऊरिंग एवं मिलिंग मशीन
33. आर्द्रता एवं अतितापन स्टीमिंग की व्यवस्था के साथ लूम एजर
34. फेब्रिक हेतु पाऊडर डॉट कोटिंग/ लेमिनेटिंग मशीन
35. माइक्रावेव तकनीक द्वारा निरंतर वेट रिडक्शन मशीन (केवल पॉलिस्टर माल के लिए)
36. न्यूनतम 5 चेम्बर्स वाले मल्टीचेम्बर धुलाई श्रेणी
37. पैडिंग मैगल के साथ अथवा बिना अलग-अलग सिलेंडर ड्राइव वाली मल्टी सिलेंडर ड्राइंग श्रेणी
38. थर्मिक फ्ल्युइड / गैस हिटिंग की व्यवस्था के साथ मल्टी चेम्बर स्टेन्टर (न्यूनतम 4 चेम्बर)
39. कॉम्प्रेसिव संकुचन श्रेणी
40. पीएलसी आधारित निरंतर डी कास्टिंग मशीन
41. ऐरो मशीन (ड्युरेबल मैकेनिकल फिनिश हेतु)
42. इलेक्ट्रानिक नियंत्रण के साथ वेप्ट स्ट्रेटनर
43. रॉकोलन स्लीव वाली पीएलसी नियंत्रित कैलेडरिंग मशीन
44. पीएलसी आधारित कॉम्पैक्टिंग मशीन
45. रिलेक्स / रेडियो फ्रिवेन्सी /रेडियेन्ट गैस फायर्ड /लूप ड्रायर्स
46. डेनिम हेतु सॉड ब्लास्ट मशीन
47. फेब्रिक/गारमेंट पर सॉफ्टनिंग/स्टोन वॉश इफेक्ट हेतु मशीन
48. रोबोटाइज्ड स्वचालित रोल पैकिंग मशीन
49. प्लास्मा ट्रिटमेंट मशीन
50. निरंतर प्रेसिंग एवं सेटिंग मशीन /सुपर फिनिश मशीन
51. दोष विश्लेषक तथा रिपोर्ट जनरेटर के साथ एसी इनवर्टर ड्रीवन पीएलसी आधारित फेब्रिक निरीक्षण मशीन

52. शॉप फ्लोअर कलर मैचिंग हेतु हैंड हेल्ड स्पेक्ट्रोफोटो मीटर
53. दहन क्षमता पर स्वचालित नियंत्रण के साथ पीएलसी आधारित आईल/गैस फायर्ड बायलर
54. द्वितीय तथा/अथवा तृतीय उपचार सुविधाओं तक निस्सारी उपचार प्लांट (इटीपी)
55. रिवर्स ऑस्मोसिस , नेनो फिल्टरेशन, मल्टीपल इफैक्ट्स/स्टेज इवॅपोरेटर मैकेनिकल इवॅपोरेटर
56. वस्त्र प्रक्रिया मशीनों हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन रासायनिक सांद्र सूचक एवं नियंत्रण पद्धति
57. प्रक्रिया एवं गुणवत्ता सुधार के लिए हिट सेटिंग/ड्राइंग / फिनिशिंग के दौरान स्टेन्टर मशीन की गति की देखरेख एवं नियंत्रण हेतु फेब्रिक प्रोफाइल पद्धति
58. फेब्रिक सेन्ट्ररिंग एवं स्प्रेडिंग पद्धति
59. हायस्पीड रेंज हेतु स्वचालित फेब्रिक स्ट्रेटनिंग पद्धति
60. भार/डेनिअर कम करने की प्रक्रिया हेतु मॉनिटरिंग पद्धति
61. उपचारित द्रव निस्सारी गुणवत्ता एवं मात्रा हेतु ऑनलाइन मॉनिटरिंग पद्धति
62. ऊर्जा बचाने तथा उत्सर्जन गुणवत्ता के लिए स्टॉक मॉनिटरिंग पद्धति
63. वस्त्र एवं पटसन इकाई में स्थापित तथा नेशनल अक्रेडिअशन बोर्ड फॉर लॅब (एनएबीएल) इंडिया द्वारा प्रत्यायित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में जाँच उपकरण
64. ऊन कार्बनाइझिंग लाईन/प्लांट

परिशिष्ट-के

तकनीकी वस्त्र (नॉन-वूवन सहित) हेतु प्रोत्तनि योजना के अंतर्गत 10% पूँजी सहायता एवं 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए पात्र मशीनरी/उपकरणों की सूची

ए. कताई

1. फ्रिक्शन कताई
2. औद्योगिक यार्न हेतु डबलिंग अथवा ट्विस्टिंग मशीन

बी. बुनाई उपक्रमात्मक

1. उच्च गति संगणकीकृत वार्षिक/सेक्शनल वार्षिक मशीन
2. टेक्सटाइल पोझिशन हेतु फिलामेंट वाइडिंग मशीन

सी. बुनाई

1. तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन हेतु हेवी ज्युटी शटललेस बुनाई मशीन
2. हेवी ज्युटी टेप बुनाई
3. द्वि-अक्षीय तथा बहु-अक्षीय बुनाई मशीन
4. मल्टी फेस बुनाई मशीन
5. 3-डी तथा ब्लॉक बुनाई मशीन
6. संकीर्ण वूवन फेब्रिक हेतु निडल लूम
7. सर्कुलर लूम
8. बुनाई हेतु पोझिशन ड्रिवन काम्प्रेसर स्टैण्ड असेम्बली

डी. निटिंग

1. वेफ्ट इन्सर्टेड वार्प निटिंग मशीन
2. स्पेसर फेब्रिक हेतु निटिंग मशीन
3. द्वि-अक्षीय तथा बहु-अक्षीय निटिंग मशीन
4. ट्रायकोट मशीनरी
5. रेचल डबल निडल बार मशीन
6. नेटिंग हेतु रेचल मशीन
7. वार्प नॉटिंग पद्धति के साथ मशीन
8. कॉम्प्रेसन गारमेंट हेतु सर्कुलर वार्प निटिंग मशीन
9. स्टीच बॉडिंग मशीन

ई. प्रक्रिया

1. क्रश कैलेडर के साथ मैकेनिकल फोमर
2. पलस्ट्रेशन मशीन तथा उपकरण
3. स्पॅटरिंग मशीन तथा उपकरण
4. एफआरपी प्रोसेसिंग मशीन तथा उपकरण
5. आरटीएम मशीन तथा उपकरण
6. तकनीकी वस्त्र उत्पाद विकास हेतु प्रयोगशाला स्केल उत्पादन/प्रक्रिया उपकरण
7. कैलेंडरिंग मशीन
8. संसेचित यार्न या फेब्रिक हेतु फिनिशिंग मशीनरी
9. टायर कॉर्ड/औद्योगिक फेब्रिक/बेल्टींग डक हेतु डिपिंग मशीन

10. वी-बेल्ट/होज/होज टायर्स के प्रबलीकरण हेतु सिंगल एण्ड या कॉर्ड के लिए डिपींग मशीन
11. कोटेड /लेमिनेटेड फेब्रिक हेतु प्रिटिंग मशीन
12. स्कंदित पीयू अथवा पीवीसी डिप कोटिंग मशीन/पीयू अथवा पीवीसी कोटिंग लाइन अथवा कोटिंग डिपींग / इन्फ्रारेड ड्रायर के साथ नाइफ मशीन

एफ. मेड-अप तकनीकी वस्त्र (टीटी) स्टोर

1. आरएफ (रेडियो फ्रिक्वेन्सी) वेल्डिंग मशीन
2. अल्ट्रासोनिक कटिंग एवं सिलिंग उपकरण
3. लेजर कटिंग एवं सिलिंग उपकरण
4. सिनेज हेतु प्रिटिंग उपकरण
5. हिट सेटिंग मशीन एवं स्ट्रेचिंग (हिट सेटिंग टेबल हेतु)
6. बैक कोटिंग लाइन
7. ब्रेडिंग मशीनरी
8. क्ले लाइनर के विनिर्माण हेतु मशीनरी
9. प्रि-फेब्रिकेटेड वर्टीकल ड्रेन / प्रि-फेब्रिकेटेड विक ड्रेन के विनिर्माण हेतु मशीनरी

जी. नॉन-वूवन वस्त्र विनिर्माण मशीन

रोल्ड माल बनाने तथा पैकिंग तक निम्नलिखित नॉन-वूवन के विनिर्माण हेतु उत्पादन की रचना करने के लिए संपूर्ण उत्पादन श्रेणी अथवा अवयव/पूर्व, यथा

1. केमिकली बद्ध नॉन वूवन
2. स्टीच बद्ध नॉन वूवन
3. स्पन बद्ध नॉन वूवन
4. मेल्ट ब्लोन नॉन वूवन
5. स्पन बद्ध मेल्ट ब्लोन नॉन वूवन (एसएमएस नॉन वूवन)
6. निडल पंच नॉन वूवन
7. थर्मल बद्ध नॉन वूवन
8. स्पन लेस नॉन वूवन

एच. फिनिशिंग मशीन

1. कोटिंग हेतु हॉट मेल्ट कोल्ड ग्ल्यू अप्लिकेटर
2. अल्ट्रासोनिक स्लीटिंग मशीन /एज सीलर
3. टॉर्च के साथ ब्रेडिंग मशीन (गर्म हवा हेतु)
4. तनन एवं तापमान का माप/नियंत्रण हेतु सर्वो ड्राइव के साथ पीएलसी संचालित पद्धति
5. फिल्म कैलेडरिंग मशीन
6. स्वचालित पैकिंग एवं निरीक्षण मशीन
7. स्टेन्टर सुविधा वाली हिटसेट ओवन
8. पायलट/लैब कोटिंग लाइन
9. वाटर जेट कटिंग पद्धति हेतु उच्च दाब पम्प
10. रोबोटिक वाटर जेट कटिंग पद्धति
11. वाटर जेट कटिंग पद्धति हेतु रोबोट
12. वाटर जेट कटिंग हेतु पानी मृदुकरण/शुद्धीकरण पद्धति
13. पाउडर स्कॅटरिंग /पेस्ट डॉट /पाउडर डॉट हेतु मशीन
14. गलनीय इनलाइनिंग हेतु कोटिंग
15. पॅडिंग मॅगल (फूलर्ड)
16. एक्सट्रुडर लेमिनेशन मशीन

17. शीट एक्स्ट्रुडर तथा लेमिनेशन मशीन
18. सिजिंग मशीन
19. हिट सेटिंग हेतु क्लिप /पीन स्टैंटर
20. फ्लेम लेमिनेशन मशीन
21. डस्ट कलेक्टर
22. इंटर बुनाई द्वारा दो किनारे जोड़ने हेतु जेकार्ड मशीन
23. टरेट वाइंडर एवं अनवाइंडर
24. प्लास्टिसोल /आर्गनोसोल हेतु हायस्पीड प्रेसिशन मिक्सर
25. गनिंग एवं कटिंग मशीन
26. ग्रॉमेट फिक्सिंग मशीन
27. ग्रीय टम्बलिंग मशीन तथा लाइंग मशीन

जे. परीक्षण एवं मूल्यांकन मशीनरी

1. तकनीकी वस्त्र एवं तकनीकी वस्त्र उत्पाद हेतु विशिष्ट परीक्षण उपकरण एवं साज सामान
2. 10 टन / 20 टन की संपूर्ण वस्त्र परीक्षण मशीन
3. इन्डेक्स पंकचर रेसिस्टन्स टेस्टर
4. फ्रिक्शन उपकरण के सहकारी
5. पार्टिकल साइज डिटरमिनेशन उपकरण
6. ग्रेडिएन्ट अनुपात परीक्षण उपकरण
7. लॉग टाइम फ्लो उपकरण
8. फेल्टपर्म
9. इडब्ल्यूई के साथ पॉईंट पेपर डिजाइन पद्धति
10. वेदरमीटर
11. यार्न संकुचन तथा संकुचन बल परीक्षण मशीन
12. विस्कोमीटर्स
13. मशीन मॉनीटरिंग तथा फ्लेक्स रेसिस्टन्स टेस्टर के लिए डाटा लॉगर्स।
14. टिअर टेस्टिंग मशीन
15. कोल्ड क्रैक प्रतिरोध परीक्षण
16. थिकनेस गेज
17. वॉटर रिपेलैन्सी टेस्टिंग मशीन।
18. वॉटर प्रूफिंग टेस्टिंग मशीन
19. फायर रेसिस्टेंस टेस्टिंग एक्विपमेन्ट
20. ऐक्सेलरेटेड एजिंग टेस्टिंग ओवन
21. वर्षा-जल जाँच उपकरण 1 निरंतर वाटर स्प्रे टेस्ट तथा आय.आर स्पेक्ट्रो मीटर आदि
22. अब्रेशन टेस्टर
23. कलर मैचिंग कैबिनेट
24. कलर फास्टनेस टेस्टर
25. ऐक्सेलरेटेड क्रिप टेस्टर
26. एअर प्रिमिअबिलिटी टेस्टर
27. जिओ मेम्ब्रेन हेतु हायड्रो स्टेटिक पंकचर टेस्ट
28. हायड्रोलिक ग्रीप
29. प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप

के. तकनीकी सलाहकार-सह- देखरेख समिति द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीने।

टिप्पणी : चूंकि तकनीकी वस्त्रों के लिए पात्र कुछ मशीनों का प्रयोग उद्योग के अन्य खण्डों द्वारा भी किया जा सकता है। पुनः संचरित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत 10% पूंजीसहायता प्राप्त करने के इच्छुक तकनीकी वस्त्र ठेकेदारों को वस्त्र आयुक्त कार्यालय के साथ पंजीकृत होना पड़ेगा तथा पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी। दूसरे शब्दों में, तकनीकी वस्त्र इकाईयों द्वारा 10% पूंजी सहायता प्राप्त करने के लिए वस्त्र आयुक्त कार्यालय के साथ पंजीकरण करना पूर्व आवश्यकता होगी।

परिशिष्ट-एल

प्रोउनि योजना के अंतर्गत 10% पूँजी सहायता एवं 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए पात्र
आरएमजी के लिए मशीनरी की सूची

ए. गारमेंट विनिर्माण के लिए पात्र मशीनें :

1. ट्रिमर ओवर एजिंग/सिमिंग तथा बॅन्डीज ऑपरेशन के साथ या बिना सिंगल/मल्टी निडल पॉवर ऑपरेटेड इंडास्ट्रियल लॉकस्टिच सिलाई मशीन ।
2. क्लाइंड स्टिच मशीन/चेन स्टिचिंग मशीन
3. पॉवर ऑपरेटेड लिकींग /लूप बनाने की सिलाई मशीन
4. पॉवर ऑपरेटेड फ्लैट लॉक / ओवरलॉक मशीन
 - ट्रिमर के साथ अथवा बिना चार/पाँच थ्रेड ओवरलॉक मशीन
 - ट्रिमर के साथ अथवा बिना पाँच थ्रेड फ्लैटलॉक मशीन
 - सीम ज्वाइनिंग उपकरण के साथ पाँच थ्रेड फ्लैटलॉक मशीन
5. झिगझैंग फ्लैट बेड सिलाई मशीन
6. बटन स्टीच करने की सिलाई मशीन
7. लॉकिंग उपकरण के साथ बटन होल मशीन
8. लेबल/इलास्टिक लगाने की मशीन
9. डेकोरेटिव स्टीचिंग मशीन
10. जे स्टीच सिमिंग मशीन
11. एज कटींग सिमिंग मशीन
12. आइलेट बटन होल सिमिंग मशीन
13. बेल्ट लगाने की मशीन
14. झिप लगाने की मशीन
15. बार टॅकिंग मशीन
16. हेमस्टिच मशीन
17. स्मॉकिंग मशीन/स्वचालित मल्टी निडल सिरिंग मशीन

18. पावर ड्रिवन क्लॉथ कटिंग मशीन/लेसर फॅब्रिक या लेबल कटिंग मशीन /लेजर एन्ग्रेविंग मशीन
19. कॉलर /कफ टर्निंग /ब्लॉकिंग मशीन/प्रेसिंग मशीन
20. बटन एवं रिबेट स्नॅप फास्टनर्स फिक्सिंग मशीन
21. पॉकेट क्रिसिंग तथा वेल्डिंग मशीन/ ऑटो पॉकेट बनाने की मशीन
22. निरंतर प्रेसिंग/फोल्डिंग मशीन
23. निरंतर फ़्यूझिंग प्रेस
24. कॉलर कॉन्टॉर ट्रिमर
25. वैक्यूम तथा/अथवा एअर ब्लोइंग उपकरण के साथ स्वचालित स्प्रेडिंग एवं कटिंग टेबल ।
26. शोल्डर पॅड अटॅचिंग मशीन
27. पॉकेट कटिंग मशीन
28. संगणकीकृत कॅड/क्रॅम/कटिंग मशीन
29. स्वाचालित पॉकेट अटैचिंग मशीन
30. क्लॉथ ड्रिलींग मशीन
31. कॉलर पॉइन्ट ट्रिमर/गिअर नॉचर मशीन
32. हाय स्पीड संपूर्ण फॅशनड निटिंग मशीन
33. निटिंग गारमेंट के लिए होल गारमेंट मेकिंग मशीन अथवा लिंकिंग मशीन के साथ पावर ऑपरेटेड गारमेंट पॅनल फॉर्मिंग निटिंग मशीन ।
34. पावर ड्रिवन सॉक्स तथा ग्लोव्स निटिंग मशीन
35. स्वचालित थ्रेड ट्रिमिंग/सर्कींग मशीन
36. शर्ट फोल्डिंग मशीन
37. पर्ल/बिड्स/स्टोन्स/ग्लासेट/हूक तथा बार अटॅचिंग मशीन
38. क्विल्टिंग मशीन
39. दोष विश्लेषक एवं रिपोर्ट जनरेटर के साथ फॅब्रिक निरीक्षण/ जाँच मशीन
40. निडल/मेटल डिटेक्टर मशीन
41. मल्टी हेड संगणकीकृत एम्ब्रायडरी मशीन
42. संगणकीकृत लेबल बनाने की मशीन/संगणकीकृत लेबल प्रिंटिंग मशीन

43. बटन रैपिंग / शंकींग मशीन
44. फिड ऑफ दी आर्म इंडस्ट्रीयल सिलाई मशीन
45. स्वचालित डार्ट/प्लिट मेकींग मशीन
46. स्वचालित लेबल/प्लाज पिकिंग मशीन
47. पीन टकिंग मशीन
48. सिंगल निडल बास्टिंग मशीन
49. सिंगल निडल पोस्ट बेड स्लीव सेटिंग मशीन
50. सिलाई विभाग के लिए पावर संचालित कन्वेयर आधारित मटेरियल हैंडलिंग पद्धति
51. इलेक्ट्रानिक बार ऑपरेशन के साथ लेसेस तथा बॅन्ड के लिए क्रोचेट मशीन
52. स्ट्रिंग थ्रस्टींग मशीन
53. सॅण्ड ब्लास्टिंग/ ब्रशिंग मशीन
54. कलर मैचिंग मशीन
55. किन्ट शर्ट सेन्टर पिल्ट बनाने हेतु स्वचालित मशीन
56. बेल्ट लूम अटेचिंग मशीन
57. बटन पैकर
58. कॉलर हिट नॉचर
59. स्पॉट केल्लिंग मशीन
60. लेजर कलर फेडिंग/मार्किंग/ड्राईंग मशीन
61. लेजर ऑपरेटेड कलर स्प्रेडिंग मशीन
62. आरएमजी क्यूरिंग/हिट सेटिंग ओवन
63. संगणकीकृत स्ट्रॉप (कॉलर /कफ)प्लैट बैड निटिंग मशीन
64. कप सिमर
65. इलेक्ट्रानिक फीड एवं कटिंग उपकरण के साथ स्वचालित स्ट्रॉप कटर मशीन
66. कप मोल्लिंग मशीन
67. आटो रिलिंग स्टीच मशीन

68. फेब्रिक लेइंग/स्प्रेडिंग मशीन
69. गारमेंट वाशिंग/डाइंग मशीन
70. गारमेंट ड्राइंग मशीन
71. गारमेंट हेतु ड्राय टू ड्राय क्लीनिंग मशीन
72. गारमेंट कलर स्प्रे कॅबीनेट
73. स्वचालित मल्टी-हेड फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन
74. ट्राऊसर टॉपर/फोम फिनिशिंग मशीन
75. ट्राऊसर टर्निंग मशीन
76. फ़ैब्रिक ग्राइंडिंग मशीन
77. हेम ब्रेकिंग मशीन
78. फैगोटिंग/पिकोटिंग मशीन
79. लूप मेकिंग मशीन
80. प्लाकेटिंग मशीन

एच. तकनीकी सलाहकार-सह- देखरेख समिति द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीने।

टिप्पणी : उपरोक्त मशीनरी पर 10% पूंजी सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल रेडीमेड गारमेंट इकाइयां पात्र है।

परिशिष्ट—एम

प्रोत्तन योजनल के अंतर्गत 10% पूँजी सहायता एवं 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नवीनतम शटललेस लूम की सूची

ए. पात्र नवीनतम शटललेस लूम

क्र.सं.	नवीनतम शटललेस लूम का विवरण
1.	प्रोजेक्टाइल लूम
2.	एअरजेट लूम
3.	वाटरजेट लूम
4.	रेपियर लूम

टिप्पणी : उपरोक्त लूम के लिए विशेष विवरण तकनीकी सलाहकार-सह- देखरेख समिति द्वारा निश्चित किया जाएगा।

बी. तकनीकी सलाहकार-सह- देखरेख समिति द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीने।

परिशिष्ट - एन

प्रोउनि योजना के अंतर्गत कॅड/कॅम एवं डिजाइन स्टुडियो की सूची

ए. वस्त्र डिजाइन स्टुडियो हेतु पात्र मशीनें/उपकरण एवं सॉफ्टवेयर

1. वस्त्र डिजाइन स्टुडियो हेतु पात्र मशीनें/उपकरण.

1. 1 जी बी रॅम तथा 17" मॉनीटर एवं यूपीएस के साथ नवीनतम संरूपण कोर ड्युओ डेस्कटॉप कम्प्यूटर।
2. डिजीटाइज़र
3. नवीनतम मॉडल प्लॉटर/ हायस्पीड इंक जेट प्लॉटर
4. स्वचालित स्प्रेडिंग एवं कटिंग मशीन (सींगल प्लाय एवं हाय प्लाय कटर)
5. संगणकीकृत कॅड/कॅम पैटर्न मेकर/पैटर्न ग्रेडिंग/मार्कर हेतु प्लॉटर
6. कॅड/कॅम डिजाइन स्टुडियो
7. हाय रिसोल्यूशन स्कॅनर
8. एन्जेक्ट एन्ग्रेवर
9. अर्ध/पूर्ण स्वचालित प्रिंटिंग मशीन
10. डिजीटल प्रिंटिंग मशीन
11. अबसॉर्बिंग मशीन
12. स्क्रीन रूम प्रारंभिक उपकरण
 - स्क्रीन स्ट्रेचिंग उपकरण
 - ऑटो स्क्रीन कोटिंग उपकरण
 - एक्सपोज़िंग उपकरण
 - डिजिटल स्क्रीन उपकरण

II. वस्त्र डिजाइन स्टुडियों हेतु पात्र सॉफ्टवेयर

1. स्वचालित मार्कर प्लानिंग, ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग हेतु कॅड
2. एम्ब्रायडरी मशीन हेतु कॅड/कॅम सॉफ्टवेयर
3. प्लॉटर के साथ कॅड/कॅम पैटर्न मार्कर /पैटर्न ग्रेडिंग /मार्कर सॉफ्टवेयर
4. कम्प्यूटर सहायक उत्पादन नियोजक सॉफ्टवेयर
5. आटोकॅड , एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा , एडोब इलुस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर, 3 डी मैक्स, विज्युअल स्टुडियो, कोरल 6.0, प्लैश, एनीमेटर प्रो, इंफिनिंग -डी, फार्म -झेड, स्केच, प्रकाशन , विज्युअल बेसिक प्रोविन, माइक्रोमिडिया निदेशक , फ्रन्ट पेज एडीटर, ड्रीम वीवर ।
6. वस्त्र डिजाइन सॉफ्टवेयर / विज़न वस्त्र डिजाइन सॉफ्टवेयर
7. एपैरल डिजाइन सॉफ्टवेयर
8. उत्पादन विकास प्रबंधन (कार्य तथा परिणाम ट्रैकिंग, निर्माण तथा सज्जीकरण विवरण, रिपोर्ट जनरेशन , माप प्रकार)
9. ग्लोबल सौर्सिंग (बहु विक्रेता , वितरण प्रबंधन , पूर्वानुमान , स्वचालित बिड अपडेट)
10. पैटर्न मैकिंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस
11. मार्कर प्लानिंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस
12. कट प्लानर सॉफ्टवेयर लाइसेंस
13. डिजायनिंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस
14. ई-फिट सिम्युलेटर (3डी वर्चुअल सॅम्पलिंग)
15. अन्य डिजाइन सॉफ्टवेयर

III. परीक्षण उपकरण

1. लूप लेंथ टेस्टर
2. डिजिटल ट्विस्ट टेस्टर
3. अब्रेशन टेस्टर
4. फेब्रिक चेकिंग मशीन
5. पिलिंग टेस्टर

6. टिअरिंग स्ट्रेन्थ टेस्टर
7. स्टीफनेस टेस्टर
8. कलर मैचिंग केबिनेट
9. लाईट फास्टनेस टेस्टर
10. संगणकीकृत कलर मैचिंग पद्धति
11. पोलराइझिंग प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप
12. एक्स-रे फ्ल्युओरेसिन स्पेक्ट्रोमेट्री
13. स्पेक्ट्रोस्कोप एवं फ्लेक्स कैम कैमेरा
14. स्पेक्ट्रो फोटोमीटर
15. वाशिंग फास्टनेस टेस्टर
16. कविराइज्ड स्कैनिंग / ग्रेडिंग

एच. तकनीकी सलाहकार-सह-देखरेख समिति द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीने।

परिशिष्ट —ओ

तकनीकी सलाहकार सह-देखरेख समिति (टीएमसी) की संरचना एवं
उसके कार्य

1. समिति की संरचना

1.	वस्त्र आयुक्त, मुंबई	अध्यक्ष
2.	निदेशक (कॉटन) वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
3.	पटसन आयुक्त, कोलकाता	सदस्य
4.	अध्यक्ष, भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली	सदस्य
5.	अध्यक्ष, भारतीय ऊनी मिल परिसंघ, मुंबई	सदस्य
6.	अध्यक्ष, भारतीय आर्ट सिल्क बुनाई परिसंघ, सूरत	सदस्य
7.	प्रेसीडेन्ट, भारतीय स्पीनर्स संघ, मुंबई	सदस्य
8.	प्रेसीडेन्ट, साऊथ इंडिया स्पीनर्स एसोसिएशन (एसआयएसएसपीए) कोयम्बतूर	सदस्य
9.	प्रेसीडेन्ट, लुधियाना निटवेअर क्लब, लुधियाना	सदस्य
10.	अध्यक्ष, भारतीय वस्त्र विनिर्माता परिसंघ (टीएमएमएआय), मुंबई	
11.	प्रेसीडेन्ट, भारतीय जूट मिल्स परिसंघ (आयजेएमए) कोलकाता	सदस्य
12.	अध्यक्ष, भारतीय वस्त्र विनिर्माता परिसंघ (सीएमएआय), मुंबई	सदस्य
13.	अध्यक्ष, पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल, मुंबई	सदस्य
14.	अध्यक्ष, विद्युत करघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पेडेक्स्टिल), मुंबई	सदस्य
15.	अध्यक्ष, एपरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल, गुडगाँव	सदस्य
16.	अध्यक्ष सिन्थेटिक एण्ड रेयॉन टेक्स्टाइल प्रमोशन कौंसिल, मुंबई	सदस्य
17.	प्रभारी, प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई	सदस्य
18.	प्रभारी, प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, भारतीय लघु इकाई विकास बैंक, लखनऊ	सदस्य
19.	प्रभारी, प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम, नई दिल्ली	सदस्य
20.	प्रभारी, प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई	सदस्य
21.	प्रभारी, प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई	सदस्य
22.	प्रभारी, प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई	सदस्य
23.	प्रभारी, प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, भारतीय आयात-निर्यात बैंक, मुंबई	सदस्य
24.	प्रभारी, प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, एनसीडीसी, नई दिल्ली	सदस्य

25.	प्रभारी, प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, कैनरा बैंक, बंगलूर	सदस्य
26.	प्रभारी, प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, बैंक ऑफ बडौदा, मुंबई	सदस्य
27.	प्रभारी, प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, इंडियन ओवरसिज बैंक, मुंबई	सदस्य
28.	प्रभारी, प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, युनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई	सदस्य
29.	प्रभारी, प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, आन्ध्रा बैंक, हैदराबाद	सदस्य
30.	प्रभारी, प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, आयसीआयसीआई बैंक, मुंबई	सदस्य
31.	प्रभारी, प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली	सदस्य
32.	प्रभारी, प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, इंडियन बैंक, चेन्नई	सदस्य
33.	संयुक्त वस्त्र आयुक्त (आर्थिकी), वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई	सदस्य सचिव

अन्य कोई तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योग का प्रतिनिधि अथवा सहयोजित बैंकों के प्रतिनिधि/एसएफसी/एसआईडीसी/दोहरे कार्य/आईडीसी को जब भी आवश्यकता पड़े विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया जा सकता है।

2. समिति का कार्य :-

संचालन समिति का कार्य निम्नानुसार होगा :-

- (i) पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत मशीनरी पात्रता निर्धारित करना।
 - (ii) पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के जीआर के विभिन्न के उपबंधों की व्याख्या करना एवं स्पष्ट करना।
 - (iii) योजना की प्रगति की समीक्षा एवं बारीकी से उसके क्रियावयन की छानबीन, माक्रयो स्तर पर एवं प्रशासनीक एवं प्रचालन संबंधी अडचनों को दूर करना।
 - (iv) अंतर बैंक एवं पीएलआय-नोडल एजेंसीयों के मामलों को सुलझाना एवं उनमें समन्वय स्थापित करना।
 - (v) अंतर मंत्रालय छानबिन समिति (आयएमएससी) को दिशा एवं योजना के कार्यान्वयन के विस्तार के बार में जानकारी देना।
3. सामान्यतः इस समिति की प्रत्येक तिमाही में एक बैठक होगी।
 4. यह समिति इस योजना संबंधित लिए गए तकनीकी निर्णयों एवं योजना से संबंधित अन्य मामलों की जानकारी सरकार को देगी।
5. विविध :-
- 5.1 सरकारी सदस्य के संबंध में यात्रा भत्ता एवं मंहगाई भत्ते संबंधी यदि कोई व्यय होगा तो उसे संबंधित विभागों द्वारा वहन किया जायेगा तथा अन्य सदस्यों के मामले में यात्रा भत्ता एवं मंहगाई भत्ता वे संगठन वहन करेंगे जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।
 - 5.2 इस बारे में सचिवालय सहायता वस्त्र आयुक्त द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।

परिशिष्ट - पी

आस्थगित संदाय गारंटी (आ.सं.गा.) योजना के प्रचालन संबंधी दिशा निर्देश।

- (i) आ.सं.गा. की सहायता के अंतर्गत बड़े उपकरण एवं ऐसे मामले जिसमें आ.सं.गा. एवं सामान्य आवधिक ऋण दोनों ही एकल परियोजना के रूप में शामिल हैं। यद्यपि सभी मामलों में पुनर्गठित प्रौद्योगिकी द्वारा निर्धारित प्रौद्योगिकी एवं परियोजना संबंधी अन्य मानकों को पूरा करना आवश्यक है।
- (ii) विशिष्ट रूप से आ.सं.गा. हेतु उपकरणों के लिए पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत मार्जिन मनी संबंधी ब्याज हेतु पूंजीगत आर्थिक सहायता 20% की दर से गणना की जाती है। यद्यपि आ.सं.गा. एवं सामान्य आवधिक ऋण दोनों ही मामलों में मार्जिन मनी की गणना आ.सं.गा. के हिस्से को छोड़कर, परियोजना लागत पर की जाती है।
- (iii) आ.सं.गा. के भुगतान की अवधि बिलों के कार्यान्वयन /वचन पत्रों की तिथि से होगी और यह सात वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती इसमें अधिस्थगन की एक वर्ष की अवधि शामिल है।
- (iv) पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत रूप्यों में लिये गये ऋण ही शामिल हैं और खरीददारों के बैंक जो गारंटी दे रहे हैं वे पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सहयोजित बैंक होने चाहिए।
- (v) अभीष्ट स्वदेशी / आयतित मशीनरी खरीददार - उपयोगकर्ता जो तत्काल अपेक्षित मशीनरी के लिए पूर्ण नगद भुगतान करने स्थिति में नहीं हैं वह मशीनरी विनिर्माता /विदेशी मशीन आपूर्तिकर्ता के स्थानीय एजेंट से आस्थगित संदाय सुविधा के लिए संपर्क कर सकता है। विनिर्माता - विक्रेता प्रत्येक किश्त के लिए अलग-अलग आवधिक बिल /वचन पत्र आस्थगित भुगतान पर देय ब्याज के साथ तैयार करेगा।
- (vi) विक्रेता द्वारा तैयार किये गए बिल को खरीददार/प्रयोक्ता द्वारा स्वीकार की किए जाएंगे तथा खरीददार/प्रयोक्ता के बैंक द्वारा उनकी गारंटी दी जाएगी। विकल्प के रूप में खरीददार / प्रयोक्ता द्वारा तैयार बिल एवं उसकी गारंटी उनके बैंक द्वारा दी जाएगी।
- (vii) ये बिल/वचन-पत्र बाद में विक्रेता को दिए जाते हैं, जो इस पर उनके बैंक द्वारा छूट पाते हैं वे इस प्रकार मशीनरी की लागत वसूल करते हैं उसके द्वारा बैंक को देय छूट राशि, बिलों में ब्याज के रूप में आस्थगित भुगतान में समाविष्ट है।
- (viii) क्रेता का बैंक, क्रेता के खाते में से बाद की तिथियों में बिल की संपूर्ण राशि जिसमें आस्थगित भुगतान का मूलधन एवं ब्याज सम्मिलित होगा निकाल लेगी। नोडल अभिकरण से 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के पश्चात्, प्रतिपूर्ति राशि क्रेता के बैंक द्वारा क्रेता को लौटा दिया जाएगा।
- (ix) पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात् क्रेता का बैंक ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित नोडल अभिकरण से संपर्क करेगी।
क्रेता के बैंक से अपेक्षित है कि वह संपूर्ण जानकारी दे जैसे उपकरण की इनवाइस मूल्य, छूट दर (%) प्रत्येक की उपयोग अवधि (महिने) प्रत्येक बिल के लिए, अवधिक एवं संपूर्ण चुकौती अवधि के प्रमुख घटकों का ब्यौरा देते हुए समग्र चुकौती अवधि के मूलधन का पूर्ण विवरण तैयार करना आवश्यक होगा।

परिशिष्ट - क्यू

पावरलूम क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रो.उ.नि.यो.) के अंतर्गत 20% की दर से मार्जिन मनी सब्सिडी (एम एम एस @20% - टीयूएफएस) — प्रचालन संबंधी मार्गदर्शक दिशा - निर्देश ।

1. विद्युत करघा इकाईयों को पुनर्गठित प्रौदनियों के अंतर्गत क्षेत्र को 20% की दर से मार्जिन मनी सब्सिडी (एम एम एस @20% - टीयूएफएस) 5% ब्याज प्रतिपूर्ति /15% मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ एक विकल्प दिया गया है । 20% की दर से मार्जिन मनी सब्सिडी के प्रचालन संबंधी मार्गदर्शक दिशा - निर्देश निम्नवत हैं :-
 2. योजना की अवधि
 - 2.1 एम एम एस @ 20% -टीयूएफएस का प्रचालन पुनर्गठित प्रौदनियों के संकल्प जारी होने के दिन से 31 मार्च, 2012 तक कार्यरत रहेगी ।
 3. पात्र इकाईयाँ
 - 3.1 यह योजना केवल विद्युत करघा एवं माइक्रो तथा लघु उद्योग क्षेत्र के स्वतंत्र प्रीप्रेट्री इकाईयों पर ही लागू होगी जैसे वे इकाईयाँ जिन्होंने प्लान्ट एवं मशीनरी के लिए निवेश, माइक्रो एवं स्मॉल तथा मीडियम इन्टरप्राइजेस डेवलपमेंट अधिनियम 2006 के तहत किया है । तथापि योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु पहले संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में, इन्टरप्रेन्स मेमोरेनडम भरना आवश्यक होगा ।
 - 3.2 विद्युत करघा इकाई एवं स्वतंत्र प्रीप्रेट्री इकाई की पात्रता की अधिकतम आर्थिक सीमा रुपये 500 लाख तथा मार्जिन मनी संबंधी पूंजीगत आर्थिक सहायता की सीमा रुपये 60 लाख तक है । बिल्कुल नये शटल रहित करघे के लिए जैसा कि परिशिष्ट -एम में विनिर्दिष्ट किया गया है । मार्जिन मनी संबंधी पूंजीगत आर्थिक सहायता की सीमा रुपये एक करोड होगी । वे लघु उद्योग इकाईयाँ जिनकी पूंजीगत आर्थिक सीमा रुपये 500 लाख से अधिक की होगी वे एम एम एस @ 20% -टीयूएफएस के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र नहीं होंगी । ऐसी इकाईयों को सलाह दी जाती है कि पुनर्गठित प्रौदनियों के अंतर्गत 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति का लाभ प्राप्त करें ।
 4. सब्सिडी की मात्रा
 - 4.1 20% मार्जिन मनी संबंधी पूंजीगत आर्थिक सहायता, प्रौदनियों संबंधी विनिर्दिष्ट मशीनरी के लिए निवेश करने पर प्राप्त होगी इसकी अधिकतम सीमा रुपये 60 लाख अथवा रुपये एक करोड तक (जो कोई लागू हो) प्रत्येक इकाई के लिए प्राप्त होगी ।
- बशर्ते :- (i) यद्यपि जहाँ दो या अधिक उपक्रम का गठन एक ही व्यक्ति द्वारा मालिक के रूप में किया गया हो वहाँ ऐसे औद्योगिक उपक्रम को ऐसा समझा जायेगा कि उसे दूसरे उपक्रम द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है ।

अथवा

- (ii) जहाँ दो या से अधिक उपक्रम का गठन पार्टनरशिप फर्म के रूप में भारतीय पार्टनरशिप अधिनियम 1932 (1932 के 1) के तहत किया गया है और जहाँ एक या अधिक पार्टनर ऐसे फर्मों में पार्टनर हों तो वहाँ ऐसा माना जायेगा कि ऐसे प्रत्येक औद्योगिक उपक्रम को दूसरे उपक्रम द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

अथवा

- (iii) जहाँ औद्योगिक उपक्रम का गठन कम्पनियों द्वारा कम्पनीज अधिनियम 1956 (1956- का 1) के तहत किया गया है और जहाँ एक या अधिक के निदेशक एक ही हों/ वही व्यक्ति जिसने अपनी व्यक्तिगत क्षमता के तहत प्रोपराइटी पार्टनरशिप फर्म के लिए पहले ही पूंजीगत सहायता प्राप्त की हो, वहाँ ऐसे उपक्रम को माना जायेगा कि वह दूसरे उपक्रम या उपक्रमों द्वारा नियंत्रित है।

- 4.2 विद्युत करघा की वे इकाईयां जो 20 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हैं वे एन ई एफ योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगी।

5. पात्र मशीनरी

- 5.1 योजना के अंतर्गत पात्र मशीनरी में नवीन स्वचालित करघे, नवीन शटलरहित करघे जो विनिर्दिष्ट करघों के उपकरणों सहित बुनाई की तैयारी वाली मशीनरी जिसमें टू फार वन ट्विस्टर (टी एफ ओ) एवं प्रीवाइंडर/रीवाइंडर भी शामिल हैं।
- 5.2 शटलरहित पुराने आयतित करघे जो दस वर्ष पुराने हों तथा जिनकी दस वर्ष अवशिष्ट कार्यरत रहने की अवधि हो वे भी पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के मानकों के अनुसार पात्र होंगी।

- 5.3. न्यू ह्यूमिडिफिकेशन प्लान्ट / एयर कम्प्रेसर / डी-मिनरल प्लान्ट अथवा रिवर्स आस्मोशिस, बीमगेटिंग एवं नाटिंग मशीन भी पात्र हैं बशर्ते इनकी अधिकतम सीमा एक परियोजना के लिए पात्र मशीनरी के कुल लागत का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यद्यपि इस योजना के अंतर्गत एक परियोजना के लिए पूंजीगत आर्थिक सहायता की सीमा रुपये 60 लाख या एक करोड़ (जैसा भी मामला हो) होगी।

6. इस योजना के अंतर्गत मूल्यों कि बेंच मार्किंग

- 6.1 वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत पात्र पुरानी आयतित मशीनरी जो केवल दस वर्ष तक पुरानी हों के लिए बेंच मार्क मूल्य की सीमा तय की है जो इस योजना के अंतर्गत पूंजीगत आर्थिक सहायता के लिए पात्र होंगी। इसे परिशिष्ट -I पर संलग्न किया गया है।

- 6.2 स्वदेशी मशीनरी के विनिर्माता को बेंच मार्क किया जायेगा पात्र मशीनरी के निर्माताओं की सूची परिशिष्ट -II पर संलग्न है।

7. ऋणदाता अभिकरण

- 7.1. श्रेणी क एवं ख के रूप में आरबीआई के साथ एनबीएफसी का पंजीकरण किया गया। सभी सहकारी बैंक/एसएफसी/एसआईडीसी तथा सीडबी योजना के अंतर्गत ऋण देने के लिए पात्र हैं।

8. वित्तीय मानक

- 8.1 ऋणदाता संस्थान द्वारा प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत सुनिश्चित कि जायेगी।
- 8.2 वित्तीय मानक जैसे ऋण इक्विटी अनुपात, गत वर्ष के लाभ की स्थिति, नेटवर्थ आदि ऋणदाता अभिकरणों के विद्यमान मानकों के अनुसार होंगे। तथापि वे टफ मानकों से सख्त नहीं होने चाहिए।
- 8.3 विद्युत करघा की वे इकाइयां जो इस योजना के अंतर्गत 20 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हैं वे कम से कम अनिवार्यतः तीन वर्ष तक समान मालिक के तहत कार्यरत रहेंगी और ऐसा वे पूंजीगत आर्थिक सहायता के संवितरण की तिथि से करेंगी तथा इसके लिए कम से कम तीन वर्ष तक आवधिक ऋण का पुनर्भुगतान किया जाए जिसमें ऋणअधिस्थगन अवधि शामिल है।

9. पूंजीगत आर्थिक सहायता जारी करना

मशीनरी विनिर्माताओं/उद्यमियों/बैंकों को पूंजीगत आर्थिक सहायता जारी करने के लिए निम्नलिखित पद्धति का पालन किया जायेगा :-

9.1 मशीनरी विनिर्माताओं

- 9.1.1 सावधिक ऋण के लिए पावरलूम इकाई उनके परियोजना प्रस्ताव के साथ ऋणदाता अभिकरण से संपर्क करेंगी। ऋणदाता संस्थान वस्त्र आयुक्त कार्यालय को ऋण की स्वीकृति की सलाह विहित प्रपत्र में (संलग्नक-III) में देगा।
- 9.1.2 लघु औद्योगिक इकाई के उद्यमी दावे के लिए आवेदन पत्र विहित प्रपत्र जो परिशिष्ट —टी में दिया है में वस्त्र आयुक्त कार्यालय को देंगे।
- 9.1.3 पावरलूम उद्यमी उनका 15% प्रारंभिक अंशदान सीधे मशीनरी विनिर्माताओं को देगा। जब मशीनें भेजने के लिए तैयार हो जाएगी तब ऋणदाता संस्थान द्वारा मशीनरी विनिर्माताओं को ऋण जारी किया जाएगा। यदि ऋण की राशि से 80% मशीन की लागत नहीं हो पायी तो पावरलूम बुनकरों को उनको अपने माध्यम से शेष राशि का भुगतान मशीनरी विनिर्माता को करना पड़ेगा।
- 9.1.4 80% मशीनरी का मूल्य प्राप्त होने पर मशीनरी विनिर्माता/पावरलूम उद्यमी मशीन संस्थापित एवं चालू करेगा। करघों का कार्य संतोषजनक तरीके से पूरे होने पर मशीनरी विनिर्माता इसकी जानकारी वस्त्र आयुक्त कार्यालय को सूचित करेगा।
- 9.1.5 आयातित मशीन के संबंध में पावरलूम बुनकर करघे शुरू होने के बाद वस्त्र आयुक्त कार्यालय को सूचित करेंगे।
- 9.1.6 मशीन के कार्य का निरीक्षण करने एवं प्रमाणित करने के लिए वस्त्र आयुक्त क्षेत्रीय आधारपर निरीक्षण दलों का गठन करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रमाणन समिति मशीनरी विनिर्माताओं द्वारा सूचित करने से 15 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र जारी करेगी।
- 9.1.7 निरीक्षण दल द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात मशीनरी विनिर्माताओं को वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा 20% सब्सिडी जारी की जाएगी। प्रमाणन समिति द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने के 15 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त कार्यालय 20% सब्सिडी जारी करना सुनिश्चित करेगा।

- 9.1.8 पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना संगत आयातित करघों एवं मशीनरी के संबंध में पावरलूम बुनकरों को खरीद करने के लिए बैंक में एलसी खोलना आवश्यक होगा। ऐसे मामले में आयातित करघों एवं मशीनरी की संस्थापना एवं उनके चालू होने की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 20% सब्सिडी सीधे पावरलूम बुनकरों के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
- 9.1.9 ब्याज संबंधी पूंजीगत आर्थिक सहायता / पूंजीगत आर्थिक सहायता/मार्जिन मनी भी आर्थिक सहायता मशीनरी के बेसिक मान पर दिया जायेगा मूल्य निर्धारण के उद्देश्य से टैक्स का हिस्सा /कस्टम ड्यूटी इसमें शामिल नहीं होगी।
- 9.1.10 यदि पावरलूम उद्यमी ने 20% कैपिटल सब्सिडी पाने के लिए ऋणदाता संस्थान से वित्तीय सहायता ली हो, तो वस्त्र आयुक्त द्वारा 20% सब्सिडी सीधे ऋणदाता संस्थान को जारी की जाएगी।
- 9.1.11 यदि मशीनरी चरणबद्ध तरीके से संस्थापित/चालू की जानेवाली हो तो सब्सिडी भी चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी।
- 9.1.12 स्टेज—एक के मॉनिटरिंग प्रोसेस जो पैरा—IV से संबंधित कार्यान्वयन /मॉनिटरिंग /एप्रेजल मेकेनिज्म है, के पूर्ण होने पर ही पूंजीगत आर्थिक सहायता जारी की जाएगी।
- 9.2 **बैंक**
- 9.2.1 विद्युत करघा इकाईयां 20 प्रतिशत मार्जिन मनी संबंधी पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए फ्रण्ट एण्डेड आधार पर बैंक फायनेन्स को एक साथ प्राप्त कर सकती हैं। 20 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक सहायता जारी करने के लिए दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं :-
- 9.2.2 विद्युत करघा इकाईयां 20 प्रतिशत एम एम एस के तहत ऋण दाता संस्थानों से उनके परियोजना प्रस्ताव के साथ आवधिक ऋण एवं ब्रिज फायनेन्स के लिए सम्पर्क कर सकती हैं। और ऋण की मंजूरी के उपरांत ऋणदाता संस्थान वस्त्र आयुक्त कार्यालय को प्रपत्र जो परिशिष्ट—IV पर दिया है ऋण की मंजूरी संबंधी सलाह दे सकते हैं।
- 9.2.3 योजना के अंतर्गत आवधिक ऋण के लिए अनिवार्य अवधि कम से कम तीन वर्ष की होगी।
- 9.2.4 विद्युत करघा उद्यमी का प्रारंभिक अंशदान जो कम से कम 15 प्रतिशत होगा वह सीधे ही मशीन निर्माता को देगा।
- 9.2.5 ऋणदाता संस्थान आवधिक ऋण एवं ब्रिज फायनेन्स मशीन विनिर्माता को सीधे ही देगा जब मशीनरी डिस्पेच किये जाने को तैयार हो।
- 9.2.6 मशीन विनिर्माता प्रत्येक मशीनरी पर नौ अंक के पहचान कोड को कास्टिंग /इनग्रेविंग जारी रखेगा
- 9.2.7 मशीन विनिर्माता / विद्युत करघा उद्यमी मशीनरी के संस्थापन एवं उसके चालू होने की सूचना ऋणदाता संस्थान को देगा।
- 9.2.8 ऋणदाता संस्थान ऋण जारी करने के पहले या बाद में इकाई का दौरा करेगा। इस दौरे के दौरान ऋणदाता संस्थान दिशा निर्देश के अनुसार मशीन पर 9 अंको के पहचान कोड पर कास्टिंग /इनग्रेविंग सुनिश्चित करें।
- 9.2.9 इस दौरे के बाद ऋणदाता संस्थान वस्त्र आयुक्त कार्यालय को सूचित करेगा कि पार्टी ने मशीन संस्थापित करवाली है और उन्होंने 20 प्रतिशत मार्जिन मनी संबंधी पूंजीगत आर्थिक सहायता का पेंमेंट, ब्रिज फायनेन्स सहित विहित प्रपत्र में जारी कर दिया है। ऋणदाता संस्थान उनके इस घोषणा के साथ संबंधी

- कागजात की प्रति भी भेजेगा जिसमें आवश्यक रूप से मशीनरी की सभी मानकों का उल्लेख होगा और इसमें 9 अंकों के पहचान कोड की भी जानकारी वस्त्र आयुक्त कार्यालय को देगा।
- 9.2.10 इस प्रकार ऋणदाता संस्थान से प्राप्त कागजातों के आधार पर ऋणदाता संस्थान को वस्त्र आयुक्त कार्यालय पूंजीगत आर्थिक सहायता जारी करेगा।
- 9.2.11 20 प्रतिशत मार्जिन मनी संबंधी पूंजीगत आर्थिक सहायता की गणना स्वदेशी मशीनों के लिए सभी प्रकार के टैक्सों को छोड़कर इनवॉइस प्राईस के आधार पर की जायेगी। ऋणदाता संस्थान पात्र निवेश के 20 प्रतिशत तक ब्रिज फायनेन्स उपलब्ध करायेगी।
- 9.2.12 बिल्कुल नई आयतित मशीनरी के लिए 20 प्रतिशत मार्जिन मनी संबंधी पूंजीगत आर्थिक सहायता की गणना सी आय एस एफ प्राईस के आधार पर की जायेगी जबकि पुरानी आयतित मशीनरी के 20 प्रतिशत मार्जिन मनी संबंधी पूंजीगत आर्थिक सहायता की गणना समय-समय पर वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा बेंचमार्कड मूल्य अथवा सी आय एस एफ प्राईस के आधार पर इनमें से जो भी कम हो नियत किया जायेगा।
- 9.2.13 ऐसे मामलों में जहाँ ऋणदाता संस्थान पात्र 20 प्रतिशत मार्जिन मनी संबंधी पूंजीगत आर्थिक सहायता से ज्यादा उपलब्ध कराते हैं उनकी वसूली विद्युत करघा बुनकर से की जायेगी अथवा इसे ऋणदाता संस्थान द्वारा सामान्य आवधिक ऋण के रूप में बदला जा सकता है।
- 9.2.14 मशीन के लिए मार्जिन मनी की लागत तक अग्रिम/टोकन भुगतान इकाई द्वारा आवधिक ऋण मंजूरी की तारीख से पहले भी किया जा सकता है। यद्यपि आवधिक ऋण की तारीख की मंजूरी से पहले या बाद में खरीदी गई मशीनें पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अन्य शर्तें पूरी करने पर पात्र होगी।
- 9.2.15 वस्त्र आयुक्त मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक ऐसी टीम बनायेगी जो संस्थापित/चालू मशीनों के आवधिक आधार पर निरीक्षण करेगा तथा साथ ही साथ बैंक द्वारा लाभार्थी को दिये गये ऋण संबंधी मूल कागजातों की भी छानबीन करेगा।
10. योजना के दुरुपयोग से बचाव
- 10.1 योजना के दुरुपयोग से बचाने के लिए प्रत्येक मशीन पर एक यूनिक मिल संख्या, मशीन कोड संख्या की कास्टिंग की जायेगी तथा रनिंग सीरीयल नम्बर की इन्ग्रेविंग की जायेगी। प्रत्येक मशीनरी के लिए एक नौ अंकों का एक पहचान कोड होगा। नौ अंकों की पहचान कोड संख्या में निम्नलिखित शामिल होगा :-
- पहचान कोड के पहले तीन अंक (000) मिल के यूनिक संख्या को दर्शाएंगे जो प्रत्येक विनिर्माता के लिए वस्त्र आयुक्त द्वारा आवंटित की जायेगी यूनिक तीन अंकों की मिल संख्या की कास्टिंग मशीनरी विनिर्माताओं द्वारा विशिष्ट रूप से उल्लेखित कास्टिंग क्षेत्र में की जायेगी।
 - पहचान कोड के अगले दो अंक (00) मशीनरी के प्रकार के सूचक होंगे। विभिन्न प्रकार के मशीनरी के लिए दो अंक वस्त्र आयुक्त द्वारा निश्चित किए गए हैं। दो अंकों का ब्योरा संलग्नक -V में दिया गया है। प्रत्येक मशीनरी पर तीन अंकों के यूनिक मिल संख्या के बगल में दो अंक कास्टिंग/इन्ग्रेविंग की जायेगी।
 - अगले चार अंक (0000) योजना के अंतर्गत विनिर्माता द्वारा उत्पादन किए गए मशीनरी की संख्या के सूचक होंगे। प्रत्येक प्रकार की मशीनरी के लिए चालू क्रम में चार अंक संबंधित मशीनरी विनिर्माता द्वारा दिया जाएगा तथा इसे तीन अंकों की यूनिक मिल संख्या एवं दो अंकों की संख्या जिसे वस्त्र आयुक्त द्वारा निश्चित किया गया है के बगल में कास्टिंग/इन्ग्रेविंग किया जाएगा।

उदाहरण के लिए ऑटोमैटीक पर्नचेंजींग करघा जिसे इस योजना के अंतर्गत मेसर्स ए बी सी वर्क्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है उसके लिये नौ अंकों के पहचान कोड संख्या '024-03-0001' होगी। पहले तीन अंक 024 मे. ए. बी. सी. वर्क्स लिमिटेड के यूनिक मिल नम्बर है जबकि अगले दो अंक 01 मशीनरी के प्रकार को बताते हैं अर्थात् ऑटोमैटीक पर्नचेंजींग करघा इसके बाद के चार अंक '0001' मेसर्स ए बी सी वर्क्स लिमिटेड द्वारा इस योजना के अंतर्गत बनाये गये पहले ऑटोमैटीक पर्नचेंजींग

करघा को दर्शाते हैं इसी प्रकार मेसर्स एक्स वाय झेड वर्क्स लिमिटेड द्वारा बनाये गये पहले रेपीयर लूम के लिये नौ अंकों की पहचान कोड संख्या पहले रेपीयर लूम के लिये '001-04-0001' होगी। पहले तीन अंक '001' मेसर्स एक्स वाय झेड वर्क्स लिमिटेड के लिए यूनिक मिल संख्या दर्शाते हैं अगले दो अंक '04' मशीनरी के प्रकार को अर्थात् रेपीयर लूम दर्शाते हैं अगले चार अंक '001' मेसर्स एक्स वाय झेड वर्क्स लिमिटेड द्वारा बनाये गये पहले रेपीयर लूम को दर्शाता है। मशीन का क्रम संख्या पहले ही सी एल सी एस में दिये हुए क्रम में आयेगा।

- 10.2 वस्त्र आयुक्त द्वारा निश्चित किए गए कास्ट कम्पोनेन्ट्स पर अभिज्ञेय मशीनरी विनिर्माता तीन अंकों का यूनिक मिल संख्या अंकीत करेंगे। अंकीत करने के लिए मदवार विनिर्दिष्ट कम्पोनेन्ट्स संलग्नक -VI पर है। वस्त्र आयुक्त द्वारा निश्चित की गई दो अंकों की मशीनरी संख्या एवं चार अंकों की चालू क्रम संख्या ऐसे कास्ट कम्पोनेन्ट्स पर मशीनपर मिल संख्या के बगल में इस प्रकार कास्टिंग /इनग्रेविंग कि जाएगी कि मिल कोड, मशीन कोड, एवं रनिंग सीरीयल नम्बर मशीन का एक लाईन में हो।
- 10.3 विनिर्दिष्ट मशीनों के लिए जिनका कास्ट कम्पोनेन्ट्स नहीं है, ऐसी संख्या लिखने के बजाय एकमात्र मिल संख्या कास्टिंग करने की अनुमति वस्त्र आयुक्त द्वारा दी गई है।
- 10.4 मशीनरी विनिर्माताओं के विद्यमान स्टॉक के लिए, योजना के प्रारंभ की तिथि को स्टॉक की घोषणा का विवरण मशीनरी विनिर्माताओं द्वारा पावरलूम विकास प्रकोष्ठ को दिया जाएगा। ऐसे स्टॉक की मात्रा के आधार पर वस्त्र आयुक्त ऐसे स्टॉक पर यूनिक मिल संख्या इनग्रेविंग करने की अनुमति देते हुए योजना के अंतर्गत ऐसे स्टॉक को शामिल करने संबंधी निर्णय वस्त्र आयुक्त लेंगे।
- 10.5 आयातित (नई एवं पुरानी) मशीनरी के मामले में मशीनरी का सीरीयल नम्बर एवं बनावट के वर्ष स्पष्ट दिखने चाहिए और ऐसा कास्टिंग / इनग्रेविंग / अलग से प्लेट चिपकाकर किया जाना चाहिए।

11 योजना की प्रगति की देखरेख

- 11.1 वस्त्र आयुक्त योजना की प्रगति की देखरेख करेंगे।

12 शिकायत समिति

- 12.1 योजना के अंतर्गत मशीनरी खरीदने के पश्चात् लाभार्थी की शिकायतों पर वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में शिकायत समिति स्थापित की जायेगी और इस समिति में वस्त्र आयुक्त एवं ऐसे सदस्य जिन्हें वस्त्र आयुक्त उपयुक्त समझें शामिल होंगे।

परिशिष्ट —।

पात्र दस वर्ष पुरानी आयतित मशीनरी (करघे) के बेंचमार्क मूल्य

क्र.सं.	पुरानी आयतित मशीनरी का विवरण	मानक /मॉडल	बेंचमार्क मूल्य हेतु पूंजीगत आर्थिक सहायता की ऊपरी सीमा (रूपये लाख में)	
			यूरोपीय यूनियन के देश	गैर -यूरोपीय यूनियन के देश
1.	कोई भी शेडिंग मेकेनिज्म वाले प्रोजेक्टाइल करघे	पी-7100, पी-7150, पी-7200, पी-7250,	रु.8.00 लाख	-
2.	कोई भी शेडिंग मेकेनिज्म वाले एयरजेट करघे	किसी भी गति /चौड़ाई के	रु.8.00 लाख	रु.5.50 लाख
3.	कोई भी शेडिंग मेकेनिज्म वाले वॉटरजेट करघे	190 से.मी. एवं अधिक चौड़ाई वाले	रु.4.00 लाख	रु.2.50 लाख
		190 से.मी. से कम चौड़ाई वाले	रु.3.00 लाख	रु.1.50 लाख
4.	रैपियर करघे	190 से.मी. चौड़ाई एवं डब्ल्यु आर आई जिसकी गति 750 चक्कर प्रति मिनिट से अधिक हो	रु.8.00 लाख	रु.4.50 लाख
		190 से.मी. चौड़ाई एवं डब्ल्यु आर आई जिसकी गति 450 चक्कर प्रति मिनिट से अधिक एवं 750 चक्कर प्रति मिनिट से कम हो	रु.6.00 लाख	रु.3.50 लाख
		190 से.मी. अधिक चौड़ाई वाले	रु.8.00 लाख	रु.4.50 लाख

टिप्पणी : पूंजीगत आर्थिक सहायता वास्तविक सी आई एफ मूल्य पर शुल्क एवं कर को छोड़कर ग्राह्य होगी। (अधिकतम सीमा तक)

परिशिष्ट -II

अनु.क्र.	युनिक कोड	विनिर्माता का नाम एवं पता	मशीनों के हिस्सों विनिर्माता
1	001	मेसर्स. लक्ष्मी टेक्सटाइल स्टोर्स, 22/23, पूनमजी इंडस्ट्रियल इस्टेट, धोबीघाट, शहापूर, अहमदाबाद : 380 004. फोन नं. 5622510, फैक्स 0795622845 E.Mail - shanghi@vsnl.com.	• स्वचालित पर्न चेंज लूम • शटलेश रेपियर लूम • डॉबी
2	002	मेसर्स डायनामिक आटो लूम इंडिया प्रा.लि. 26 चेतना इस्टेट, नागरवेल, हनुमान रोड, अमरवाडी, अहमदाबाद -380026 फोन 2742468	• शटलेश रेपियर लूम • डॉबी
3	004	मेसर्स पी पी प्रोडक्श काशी इस्टेट, द्वारा/- पंचल नगर, दुधेश्वर रोड, अहमदाबाद -380004 फोन 5626305/5626156 फैक्स नं. 079-5626305	• पर्न वायडिंग मशीन
4	005	मेसर्स सूर्या मशीनरी फॅन्सु. कंपनी लि. 92/94, 2-1, जी आय डी सी फेस -1 द्वारा बैंक ऑफ इंडिया, वाटवा, अहमदाबाद-382 445 फोन नं. 079-5830164 फैक्स 079-5830418	• स्वचालित पर्न चेंज लूम • डॉबी
5	006	मेसर्स प्रंशात गामा टेक्स प्रा.लि. 4/1-सी, फेस -1, जीआयडीसी इंडस्ट्रीयल एरिया, वाटवा, अहमदाबाद-382445 फोन नं. 5830603/5833384 फैक्स 079-58904020/5830578 E-mail - gamatex@prshantgoup.com	• सेक्सनल वारपिंग मशीन
6	007	मेसर्स राबा टेक्स इंडस्ट्रीज, सी-1/356, जीआयडीसी इस्टेट, हाऊसींग कालोनी के सामने, आंधव, अहमदाबाद- 382 415 फोन नं. 079-2871356/2976844/2872851 e-mail-rabatexadl@sancharnet.in	• सेक्सनल वारपिंग मशीन
7	009	मेसर्स ज़ुपिटर इंजि. कंपनी, प्लॉ नं. 510, पेस -IV, जीआयडीसी, वटवा, अहमदाबाद-382445 फोन नं. 079-5835313	• वारपिंग मशीन • सायचिंग मशीन
8	011	मेसर्स हिमसन टेक्सटाइल प्रा.लि. 2/94 जीआयडीसी पंडेशेरा, सूरत -394221 फोन नं. 0261-8691741/42/43/44	• शटलेश रेपियर लूम • जकवार्ड

		E-mail nimesh@himsoncermics.com	
9	012	मेसर्स लाईफबाऊड मशीन प्रा.लि. जॉय सिल्क मिल्स कंपाऊंड स्टेशन रोड, लाल दरवाजा, सूरत 395003 फोन 0261-7418837/7404150 फैक्स 0261-7423410	• शटलेश रेपियर लूम
10	015	मेसर्स प्रियालक्ष्मी मशीनरी मैनुफैक्चर्स 161/ए शंघवी इस्टेट, तवदीपुरा, अहमदाबाद-380004 फोन नं.5623166/5624664 फैक्स 91-79-5622845	• पर्न चेजनिंग स्वचालित लूम
11	016	मेसर्स अलीधरा टेक्सप्रो प्रा.लि. बी-52, दूसरा माला, रोड-3, उद्योग नगर, उधाना-394 210, सूरत गुजरात, फोन नं.0261-2274140 मो.9879205126 फैक्स नं.0261-2278059 E-Mail- texpro@aalidhra.com www.aalidhra.com वर्क:-122-3, वाधाधरा बोर्ड, दादरा-395191, यूटी आफ दादरा एण्ड नगर हवेली, सीलवासा , इंडिया, फैक्स नं.0260-2668707	• टू फोर वन टूयुटर फिलामेंट यार्न • प्रि-वाईडर/रिवाइन्डर
12	017	मेसर्स ऑनेस्ट ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि. पो बाक्स नं. 43, माधव नगर, बिलिमोरा, 396321, फोन 02634-83902-83302 फैक्स नं.83681 E-Mail- honesbilimora@yahoo.com	• पर्न चेजनिंग स्वचालित लूम • स्वाचालित शटल स्टाप चेंज लूम • शटललेस रेपियर लूम
13	018	मेसर्स श्री नाथ जी इंजी. वर्क्स प्रा.लि. जीआयडीसी के सामने, अटाला, बिलिमोरा, फोन 0263483098/	• जेकार्ड
14	020	मेसर्स अमृतलक्ष्मी मशीन्स वर्क प्लाट नं.237, जीआयडीसी, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, उमरगाँव -396 171, फोन नं.0260-563865 फैक्स नं.226484366 E-Mail- amrutami@vsnl.com	• वारपिंग मशीन • सायजिंग मशीन
15	021	मेसर्स इंडस्ट्रीय इंजी.वर्क्स नं.27, आठवाँ क्रॉस, मागडी रोड, बंगलोर-560023 कर्नाटक इंडिया, फोन नं.080-23380235-23380759 फैक्स 080-23380325 E-Mail- indengg@vsnl.net	• शटललेस रेपियर लूम

16	024	मेसर्स लक्ष्मी आटोमैटिक लूम वर्क्स लि. पो. बा.नं.6320, 686, अवनाशी रोड, कोयम्बतूर -641 037, तमिलनाडू फोन नं. कार्या.0422-2215484/2213489 फैक्स नं. कार्या.0422-2213785 E-Mail-laiwcve@md2.vsnl.net	• पर्न चेजिंग आटोमैटिक लूम • रेपियर लूम
17	030	मेसर्स स्टील फैब्रिकोर्टर्स बिलीमोरा, युनिट ऑफ मेसर्स ऑनस्ट ट्रेडिंग कंपनी बिलीमोरा,	• जेकार्ड
18	035	मेसर्स वेवटिस इंजीनयर्स ब्लॉक नं.122/1, वाघघरा रोड, वेलिज-दादरा-398191, सीलवासा, युटी ऑफ दादरा नगर हवेली, फोन नं.0260-2668304	• शटललेस रेपियर लूम • शटललेस वाटर जेट लूम
19	050	मेसर्स अलीधरा विवर टेक्स. प्रा.लि. प्लॉट नं. ए(5)4, सचिन उद्योग नगर, सहकारी संघ, डाडी रोड, सचिन, जिला सूरत -340380	• शटललेस रेपियर लूम
20	054	मेसर्स हरिश इंटरप्राइजेस प्रा.लि. 225,आर्शीवाद इंडस्ट्रीयल इस्टेट, नया फल बाजार के सामने, नरोदा रोड, अहमदाबाद-380025 फोन नं.2822881-2822882 मो9426012341	• सेक्सनल वारपिंग मशीन
21	065	मेसर्स चेना इंडस्ट्रीयल कापो. सी -1, बी/7, जीआयडीसी, अटालिया, बिलिमोरा-396 321, गुजरात फोन नं.02634-284618/मो.9825156509	• सेक्सनल वारपिंग मशीन
22	084	मेसर्स फैण्डस् इंजी. वर्क्स, चांदनी बाग, सोनाली रोड, पानीपत-132103 फो नं 0180-2661560 एसएस मलीक -98120- 19139 आर के शर्मा 98120-07534 (340-400 मी पर मिनट)	• शटललेस रेपियर लूम
23	085	मेसर्स ए एम इंडस्ट्रीज, 9,तेजद्वारा इंडस्ट्रीयल इस्टेट, अजिल मिल के पास, टोल नाका, भारत बॉबिन्स के सामने, राखील, अहमदाबाद 380023 फोन एफ 274-5786,आर -2740786 फैक्स 2732786, मो 9825038786 इशाक खान एम पठान, E-Mail-export@superdobby.com	• डॉबी

24	095	मेसर्स वेव टीस इंडस्ट्रीज ब्लाक नं.1, सर्वे नं.0122, विलेज- दादरा , युटी ऑफ डीएनएनएच	• रेपियर लूम • वॉटर जेट लूम
25	109	मेसर्स बिलीमोरा इंजी. प्रा.लि. पो.बाक्स नं. #39, माधव नगर, बिलमोरा -396321, जि. नवसारी, गुजरात फोन 03634-283684 फैक्स 02634-283681	• शटललेस रेपियर लूम
26	111	मेसर्स लक्ष्मी प्रिंसन्स टूल्स लि. अरासूर, 641407, कोयम्बतूर , तमिलनाडू फोन 0422-2360470, फैक्स 0422 -230469 E-Mail-lpmka@satyam.net.in lpmka@vsnl.net	• स्वचालित पर्न मशीन
27	113	मेसर्स केशर कारपोशन प्लॉट नं. 431, पी-सी , जीआयडीसी, अपना बाजार के पास , गोडारुन, अधव , अहमदाबाद-382 415 फोन न31144954, फैक्स नं079-22891407 मो.9426447887	• सेक्सनल वारपिंग मशीन • डायरेक्स वारपिंग मशीन
28	114	मेसर्स अनुप इंडस्ट्रीयल टेक्सटाइल इंजी.एण्ड मैनुफैक्चर्स , 23/130 नवरंग प्रोसेस, खजरी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, शहापुर , इंचलकरजी-416115 मो9823161380	• साइजिंग मशीन
29	118	मेसर्स अनिल मेटल इंडस्ट्रियलस् पलॉट नं 250-252, औध , जीआयडीसी, वाटर टैंक के पास , टेलिफोन एक्सचेंज के पास , औध, अहमदाबाद 382415, गुजरात फोन 079-22891943 मो 9904071099/984478875 E-Mail-iconlooms@redmail.com	• शटललेस रेपियर लूम
30	119	मेसर्स आर बी इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंजी प्रा. लि. 301 केलिफर हाऊस , पो बा.नं.12016, सी-17, दालिया इंडस्ट्रीज इस्टेट, अंधेरी बोरिवली के सामने , लिंक रोड, लक्ष्मी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के सामने , अंधेरी वेस्ट , मुंबई 400053 फोन 022-55021361/55021362 फैक्स 56921432 E-Mail-texsales@cecindia.com	• साइजिंग मशीन • डायरेक्ट वारपिंग मशीन

31	121	मेसर्स कोरनिडो विविंग मशीन, ए-डिविजन हिमसन्स इंडस्ट्रियल प्रा.लि. 701, सेन्टर पॉइंट बिल्डिंग, निर्मला चि.हॉस्पिटल, रिंग रोड के सामने, सूरत-395002 फोन 0261-3966033-44 फैक्स 0261-2460358 प्लॉट नं.334 रोड नं.03, जीआयडीसी, सचिन	• हाय स्पीड वाटरजेट लूम
32	122	मेसर्स हिमसन्स इंजीनियरिंग हिमसन्स इंडस्ट्रियल प्रा.लि. 701, सेन्टर पॉइंट बिल्डिंग, निर्मला चि.हॉस्पिटल, रिंग रोड के सामने, सूरत-395002 फोन 0261-3966033-44 फैक्स 0261-2460358 17-1/17-1a/17-2a रिंगवाडा, कांचीरंगा रोड, नया दमन -396 210	• हाई स्पीड वाटर जेट लूम
33	123	मेसर्स शहा इंजी नियर कार्पोरेशन ½ थाला चिखली, जि. नवसारी -396521	• सेक्सनल वारपिंग
34	124	मेसर्स लक्ष्मी शटललेस लूम्स प्रा.लि. शघवी इस्टेट, जी एसटी, कालीगारम, राणिप, अहमदाबाद 382470 फोन 079-25622510, 25624393 फैक्स 079-25622845 E-mail-shanghvi@vsnl.com	• शटललेस फैक्सीबल • रेपियर लूम
35	128	मेसर्स टक मेक इंजीनियर्स प्लॉट नं 304, जीआयडीसी, औध, अहमदाबाद 382 415 फोन 79-22891407 E-mail-tchmechadl@sanchernet.in	• सेक्सनल वारपिंग मशीन • डायरेक्स वारपिंग मशीन
36	129	मेसर्स इन्डोटेक्स मैनुफैक्चर्स 332, जीआयडीसी, नरादा रेल्वे क्रॉसिंग के पास, डायमंड पार्क, अहमदाबाद 382340 फोन नं.079-22821782 फैक्स नं.079-22873003	• साइजिंग मशीन • वारपिंग मशीन
37	130	मेसर्स मनिवा मशीनरी मैनु. प्रा.लि. 4, हितेन्द्रनगर सहकारी औद्योगिक वसाहत लि. डायमंड पार्क के सामान, अहमदाबाद-382340 फोन 079-22821738, फैक्स 079-22822438 मो.9824027719 E-Mail-info@minavamachinery.com	• डायरेक्ट वारपिंग मशीन • साइजिंग मशीन

38	131	मेसर्स नीवमी वारपिंग मैन्यु. कंपनी फ्लाट नं. 71/1, पेस-1 टेलिफोन एक्सजेज, जीआयडीसी, वटवा, अहमदाबाद-382340 फोन नं. 079-25831096 फैक्स 079-25890888 मो 9898163100/9426552137	• डायरेक्ट वारपिंग मशीन
39	132	मेसर्स सुमाटेक्स लि. एच-81, आरआयआयसीओ एक्सटेक्सन पुरा रोड, भिवानी-311 001(राजस्थान) फोन 01482-260693 फैक्स 01482-260575 Email-sumatex@xancharnet.in	• जेकार्ड (कम्प्यूराड पाट्वरन मार्कर मशीन)
40	133	मेसर्स दशमेश जकार्ड & पावरलूम 58-ए, सेक्टर -25, एचयूडीए, पेज-1, इंस्ट्रीयल इस्टेट, पानीपत-132 104 फोन 0180-2660975 onfo@dashmeshpwoerloom.com	• जेकार्ड • सेक्सनल वारपिंग मशीन
41	135	मेसर्स प्रशांत वेस्ट पॉइंट मशीनरी प्रा.लि. प्लॉट नं. 4/1, पेज-1, जीआयडीसी इस्टेट, वटवा, अहमदाबाद 382 445 फोन नं. 2583 0603/2583 3384/ 25891779 फैक्स 91-79-2589 4020 Email-westpoint@pashantgroup.com वेबसाइट: www.pashantgroup.com	• डायरेक्ट वारपिंग मशीन • सायजिंग मशीन
42	136	मेसर्स कांती टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कार्पो. पी-232, ओल्ड, जीआयडीसी, कटराग्राम, सूरत 8 गुजरात, इंडिया फोन 9525121389 9825458227 फैक्स 0261-2480820/2480973 Email#jitu_kalyan@yahoo.co.in	• सेक्सनल वारपिंग मशीन

परिशिष्ट —III

दिनांक / /2011

विद्युत कर्घा क्षेत्र के लिए एमएमएस@ 20% प्रौद्योगिकी के तहत विवरणी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

ऋणदाता अभिकरण का नाम एवं पता पिन कोड सहित :

आयएफएससी कोड:

एमआयसीआर कोड:

ऋण प्राप्तकर्ता का ऋण खाता नं.:

अनु.क्र	पैन	डीआय सी आईडिएम नंबर	ऋण प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता	मौजूदा/ नई इकाई	स्वीकृत परियोजना मूल्य	परियोजना के अंदर आने वाली मशीनें				एमएमएस 20% प्रौद्योगिकी के अंतर्गत मंजूर की गई आवधिक ऋण की कुल राशि		एमएमएस 20% प्रौद्योगिकी के अंतर्गत संचितरित की गई आवधिक ऋण की कुल राशि	
						प्रौद्योगिकी के तहत आने वाली मशीनरी उसके मानकों सहित	स्वदेशी मशीनरी के विनिर्माता के मामले में नाम एवं पता	आयतित मशीनरी के मामले में आयत किये जाने वाले देश का नाम	मशीनरी का मूल्य (रूपये)	दिनांक	राशि (रूपये)	दिनांक	राशि (रूपये)
(1)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1													

प्रमोटरों का योगदान : रूपये ----- (%)

संचितरित आवधिक ऋण रूपये -----

मशीन की कुल कीमत रूपये ----- (%)

बैंक के माध्यम से आने वाले पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाले यदि कोई दावे हों तो उनका विवरण :-----

(शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर / प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं सील)

मैनेजर / प्राधिकृत व्यक्ति का नाम -----

पदनाम -----

कोड -----

परिशिष्ट—IV

विद्युत कर्घा क्षेत्र के लिए एमएमएस@ 20% प्रौदनियो के तहत विवरणी
प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र
ऋणदाता अभिकरण द्वारा वस्त्र आयुक्त कार्यालय से पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्त
करने के लिए दिया जाने वाला प्रपत्र

दिनांक / /20

ऋणदाता अभिकरण का नाम एवं पता

1	ऋण प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता	फैक्टरी का पता
		पंजीकृत कार्यालय का पता
	युनिट का ई-मेल आइडी:	
2.	क्या युनिट एसएसआय है या नहीं	(i) नयी युनिट (ii) मौजूदा
3.	प्रमोटर्स का नाम	
4.	फर्म का प्रकार (मालिकाना/भागीदारी / लि.कंपनी/को-ऑप./ अन्य)	
5.	परियोजना लागत (रूपये)(मशीनरी की कीमत)	
(ए)	प्रमोटर्स की हिस्सेदारी (यह कम से कम मशीनरी की कीमत का 15% होना चाहिए।)	
(बी)	मशीनरी के लिए मंजूर एवं संवितरित आवधिक ऋण (आयतित मशीनरी के मामले में एलसी नं.)	
(सी)	संवितरित ब्रिज फायनांस	
(डी)	आवधिक ऋण के मंजूरी की तिथि	
6.	मशीनों के चालू होने की तिथि	
7.	एमएमएस@ 20% प्रौदनियो के अंतर्गत आने वाली मशीनरी का विवरण	

(ए) स्वदेशी मशीनरी					
अनु. क्र.	मशीनरी का विवरण	मशीनरी के उत्पादक का नाम एवं पता एवं कोड नं.	मशीनरी की संख्या	नौ अंकों की कोड सं.	बीजक मूल्य (रुपये)

(b) आयातित मशीनरी									
अनु. क्र.	मशीनों का विवरण	मशीनों की संख्या	नयी अथवा पुरानी	मशीन का अनु. क्र.	बिल की प्रवेश की तिथि	प्रविष्टि इनवाइस का मूल्य	लूम की गति	लूम की चौड़ाई	सीआएफ का मूल्य

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

अनु. क्र.	दस्तावेज का विवरण	यदि संलग्न किया गया है तो ठिक करें तथा यदि लागू नहीं है तो 'लागू नहीं' लिखें।
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

परिशिष्ट-V

अनु क्र.	मशीनों के प्रकार	दो अंकों के कोड
1.	स्वाचालित शटल स्टॉप लूम	02
2.	स्वाचालित पर्न चेचिंग लूम	03
3.	शटललेस रेपियर रूप	04
4.	डॉबी	05
5.	जकार्ड	06
6.	पर्न वेडिंग	07
7.	सेक्सलन वार्षिक मशीन	08
8.	वार्षिक मशीन	09
9.	साइजिंग मशीन	10
10.	टू फॉर वन टूयुस्टर	11
11.	प्रिवाइडर/रिवाइडर	12
12.	वाटरजूट लूम	13

परिशिष्ट -VI

मदवार विनिर्दिष्ट कास्ट कम्पोनेन्टस्

लूमस्	सेक्शनल वार्षिक
• मशीन फ्रेम - आर	• ब्रेक फर्लेज के लिए वार्षिक ड्रम (आरएच)
• मशीन फ्रेम - एल	• ब्रेक फर्लेज के लिए वार्षिक ड्रम (एलएच)
• ब्रिस्ट बिम	• रिड टेबल बाँडी
	• बिम डोनिंग डॉफिंग सेट
	• मशीन ट्रावर्सिंग के लिए गियर बॉक्स
	• वार्षिक टेबल एवं बीम के लिए गियर बॉक्स
	• आर्म ट्रॅवर्स

फ्रेम्स (दाए तथा बाए)	फ्रेम्स (दाए तथा बाए)
------------------------	------------------------

मशीन	ग मशीन
गिट	
• फ्रेम होल्डर	• क्रिल ब्रैकेट
• यार्न टेन्शनर्स	• क्रिल फ्रेम
• कोन फ्रेम	बॉक्स
• हेड स्टॉक	• रबर रोलर हाऊसिंग
• ड्राइव शाफ्ट हाऊसिंग	• मेन फ्रेम
• गिट बार्स	
	• सिलेंडर बिरिंग हाऊसिंग
	• सिलेन्डर डिश एन्ड
	हेड स्टॉक
	• निप रोलर हाऊसिंग
	• मेन फ्रेम

पर्न वाईडिंग मशीन	टीएफओटी/प्रि-वाईडर
• गियर बॉक्स	• गियर बॉक्स/मोटार हाऊसिंग प्लेट
• फॅब्रिकेटेड महत्वपूर्ण भाग (कम से कम चार जगहों पर)	• प्रत्येक सेक्शन के बाइंडर्स

टेप्पणी :- ढलाई द्वारा निर्मित अवयवों पर इनकी ढलाई के दौरान विशिष्ट विनिर्माता कोड़ संख्या उकेरी जानी चाहिए। अवयवों पर कोड़ संख्या के अलावा रनिंग क्रम संख्या भी उकेरी जाएगी।

परिशिष्ट — आर

प्रौदनियो के अन्तर्गत लघु औद्योगिक इकाइयों एवं पटसन इकाइयों के लिए 15 प्रतिशत मार्जिन मनी की पूंजीगत सहायता के लिए प्रचालन संबंधी दिशा —निर्देश

- (1) वस्त्र की लघु औद्योगिक इकाइयों एवं पटसन इकाइयों को पुनर्गठित प्रौदनियो के अंतर्गत के स्थान पर 15 % मार्जिन मनी की पूंजीगत सहायता प्राप्ति का विकल्प (एम एम एस @ 15% प्रौदनियो) के स्थापन पर 5 प्रतिशत / 4 प्रतिशत ब्याज प्रति पूर्ति 20 / प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी) विद्युत करघा क्षेत्र के के लिए दिया गया है। एम एम एस @ 15% प्रौदनियो के प्रचालन संबंधी दिशा निर्देश निम्नवत है :-

योजना की अवधि :-

- (2) एम एम एस @ 15% प्रौदनियो का प्रचालन पुनर्गठित प्रौदनियो के ही साथ इस संकल्प के दिन से 31 मार्च 2012 तक होगा।

पात्र इकाइयाँ :-

- (3) यह योजना ऐसी लघु औद्योगिक इकाइयों पर लागू है जो पुनर्गठित प्रौदनियो जी आर में के विस्तार में पात्र इकाइयाँ हैं। लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों की परिभाषा माइक्रो, लघु एवं मध्यम इन्टर प्राइजेस डेवलपमेंट अधिनियम 2006 के अनुरूप होगी। यद्यपि एम एम एस के तहत 15 प्रतिशत एम एम एस की आर्थिकी सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में उद्यमियों का ज्ञापन भरना पहली आवश्यकता होगी।

4. लघु औद्योगिक इकाई की पात्रता की पूंजीगत सीमा रुपये 5.00 लाख होगी तथा मार्जिन मनी सब्सिडी पर पात्रता रुपये 45 लाख होगी। ऐसी लघु औद्योगिक इकाइया जिनकी आर्थिक सीमा रुपये 5.00 लाख से अधिक होगी वे 15 प्रतिशत एम एम एस प्रौदनियों के अंतर्गत पात्र नहीं होंगी। ऐसी इकाइयों को सलाह दी जाती है वे 5 प्रतिशत / 4 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति का लाभ पुनर्गठित प्रौदनियो के अंतर्गत प्राप्त करें।

पूंजीगत सहायता की मात्रा :-

5. 15 प्रतिशत मार्जिन मनी की आर्थिक सहायता, प्रौदनियो से संगत मशीनरी पर ही वह भी अधिकतम रुपये 45 लाख पूंजीगत सहायता की सीमा तक प्राप्त होगी।
- परंतु ए) यद्यपि जहाँ दो या अधिक उपक्रम का गठन एक ही व्यक्ति द्वारा मासिक के रूप में किया गया हो वहाँ ऐसे औद्योगिक उपक्रम को ऐसा समझा जायेगा कि उसे दूसरे उपक्रम अथवा उपक्रमों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

अथवा

- (बी) जहाँ दो से अधिक उपक्रमों का गठन भागीदारी फर्म के रूप में भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 (1932 के 1) के तहत किया गया है और जहाँ एक या अधिक पार्टनर ऐसे फर्मों में समान पार्टनर हों तो वहाँ ऐसा माना जायेगा कि ऐसा प्रत्येक औद्योगिक उपक्रम की दूसरे उपक्रम द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।
- (ग) जहाँ औद्योगिक उपक्रम गठन कम्पनियों द्वारा कम्पनीज अधिनियम 1956 (1956-91) के तहत किया गया है और जहाँ एक या अधिक निदेशक एक ही हो / वही व्यक्ति जिसने अपनी व्यक्तिगत श्रमता के तहत प्रोपराइटी पार्टनशिप फर्म के लिए पूंजीगत सहायता प्राप्त की हो, ऐसे उपक्रम को समझा जायेगा कि वह दूसरे उपक्रम या उपक्रमों द्वारा नियंत्रित है।

6. लघु औद्योगिक इकाईयाँ जो 15 प्रतिशत पूंजीगत सहायता प्राप्त कर रही हो वे विनिर्दिष्ट तौर प्रोसेसिंग, गार्मेंटिंग नए शटलरहित करघों एवं तकनीकी वस्त्र मशीनरी के लिए 10 प्रतिशत की पूंजीगत सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
7. जो इकाईयाँ 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति की सहायता का लाभ ले रही हो वे एम एम एस @ 15% प्रौदनियो के तहत सहायता नहीं प्राप्त कर सकती हैं। यद्यपि वे 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर ही सकते हैं।

मानक एवं पात्र मशीनरी :-

8. पुनर्गठित प्रौदनियो की प्रौद्योगिकी एवं अन्य मानक, एम एम एस @ 15% प्रौदनियो के मामलों की पात्रता हेतु समान ही होंगे।
9. एम एम एस @ 15% की पात्र मशीनरी पुनर्गठित प्रौदनियो के भीतर परिशिष्ट ए से एच में दी हुई हैं।
10. मशीनरी पर / मशीन पर लगे नाम संबंधी पट्टी पर मेक एवं उसके बनने का वर्ष स्पष्ट रूप से लिखा हो।

पूंजीगत आर्थिक सहायता की पात्रता संबंधी ग्राह्य मूल्य

11. वैल्यूवेशन उद्देश्य के लिये मशीनरी के मूल मूल्य पर टैक्स के हिस्से को छोड़कर मार्जिन मनी संबंधी पूंजीगत सहायता की गणना की जाएगी। दूसरे शब्दों में स्वदेशी मशीनरी के लिए उसके मूल मूल्य एवं आयतित मशीनरी के लिए सी आई एफ मूल्य पर पूंजीगत सहायता की गणना की जाएगी।
12. आयतित पुराने शटल रहित करघों के लिए एम एम एस @ 20% प्रौदनियो के अनुसार नियत मूल्य पर पूंजीगत सहायता की गणना की जाती है।

ऋणदाता संस्थान :-

13. सभी नोडल बैंक, आई डी बी आई बैंक, सिडबी एवं उसकी सभी सहयोजित पी एल आईज इस योजना के अंतर्गत निधि देने हेतु पात्र हैं।

वित्तीय मानक :-

14. ऋणदाता संस्थाओं द्वारा प्रमोटर की 15 प्रतिशत निवेश हिस्सेदारी सुनिश्चित की जायेगी।
15. वित्तीय मानक जैसे सेक्योरिटी मेम्बर इक्विटी अनुपात, पिछले वर्ष की लाभ संबंधी स्थिति नेट वर्थ इत्यादि ऋणदाता संस्थानों के मौजूदा मानक के अनुसार होगी। यद्यपि वे प्रौउनियो के मानकों के अधिक कड़े नहीं होने चाहिए।

पूंजीगत सहायता जारी करने के लिए प्रक्रिया :-

16. यह योजना वस्त्र आयुक्त कार्यालय एवं साथ ही साथ ऋणदाता संस्थानों द्वारा चलाई जायेगी। उसके पास विकल्प होगा कि वह वस्त्र आयुक्त कार्यालय अथवा ऋणदाता संस्थानों के मध्य चुनाव करे कि उसे किसके माध्यम से जाना है।
17. 15 प्रतिशत एम एम एस के सिडबी सहयोजित पी एल आईज द्वारा मंजूर किए गए मामले (अर्थात् नोडल बैंक / नोडल एजेन्सी सहयोजित प्राइवेट कमर्शियल बैंकों को छोड़कर) को वस्त्र आयुक्त कार्यालय के माध्यम से किया जायेगा जिससे सिडबी के बोझ को कम किया जा सके और लघु औद्योगिक इकाईयों को पूंजीगत सहायता देने की प्रक्रिया को तीव्र गति से किया जा सके। सिडबी केवल उसके सहयोजित पी एल आईज के मामले में 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति निर्धारित करेगा।
18. ऋणदाता संस्थान, स्टेज -I में दिए गए देख रेख प्रक्रिया के पैरा 4 जो कि ऐसे उद्यमियों के मामलों में ऋणदाता अभिकरण का माध्यम चुनती है के के कार्यालय पत्र / देख रेख मूल्यांकन से संबंधित है का पालन करेंगी। यद्यपि जो उद्यमी वस्त्र आयुक्त कार्यालय का चुनाव अपने माध्यम के रूप में करेंगे उनके लिए निम्नलिखित नियम लागू होंगे :-

वस्त्र आयुक्त कार्यालय के माध्यम से :-

19. पात्र लघु औद्योगिक इकाई ऋणदाता संस्थान को परियोजना प्रस्ताव के लिए आवधिक ऋण के लिए सम्पर्क करेंगी। ऋण दाता संस्थान परिशिष्ट -जे में विहित प्रपत्र के अनुसार ऋण की मंजूरी के उपरांत उन्हें वस्त्र आयुक्त कार्यालय को सलाह देंगे।
20. लघु उद्योग उद्यमी अपनी दावे संबंधी आवेदन पत्र के वस्त्र आयुक्त कार्यालय परिशिष्ट -टी के अनुसार में विहित प्रपत्र में जमा करेंगा।
21. लघु उद्यमी उसका स्वयं के प्रमोटर के हिस्से का 15 प्रतिशतका अंशदान सीधे ही मशीन विनिर्माता को देगा। ऋणदाता संस्थान, मशीन विनिर्माता को जब मशीन भेजे जाने को तैयार हो, वो देगा / ऐसे मामलों में जहाँ मशीन नहीं की लागत का 85 प्रतिशत ऋण हिस्सेदारी के बावजूद

- मशीनरी की लागत पूरी नहीं हो जाती है तो ऐसे में लघु औद्योगिक इकाई का उद्यमी बाकी बची हुई राशि अपने स्वयं के माध्यम से अदा करेगा।
22. मशीनरी का विनिर्माता मशीन की 85 प्रतिशत लागत प्राप्त होते ही मशीन संस्थापित करके उसे चालू करेगा मशीन के ठीक प्रकार से लग जाने पर मशीनरी का विनिर्माता लघु उद्योग उद्यमी इसकी जानकारी वस्त्र आयुक्त कार्यालय को देगा।
23. आयातित मशीनरी के मामले में लघु उद्योग उद्यमी, मशीनरी चालू होने के उपरांत इसकी की सूचना वस्त्र आयुक्त कार्यालय को देगा।
24. वस्त्र आयुक्त, क्षेत्रीय आधार पर निरीक्षण दल तैयार करेंगे जो निरीक्षण करके मशीनरी चालू होना प्रमाणित करेंगे। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रमाणन समिति, प्रमाण पत्र विनिर्माता से सूचना मिलने के 15 दिन के भीतर जारी करें।
25. 15 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक सहायता वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा इकाई के बैंक खाते में निरीक्षण दल से प्रमाणपत्र मिलने पर जारी की जाएगी। वस्त्र आयुक्त कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि 15 प्रतिशत की पूंजीगत आर्थिक सहायता प्रमाणन समिति से प्रमाण — पत्र मिलने के एक माह के भीतर जारी हो जाए।
26. पुनर्गठित प्रौद्योगिकी से संबंधित आयातित मशीनरी के मामले में लघु उद्योग उद्यमी से अपेक्षित होगा कि वह खरीदारी करने के लिए बैंक में एल सी खाता खोले। ऐसे मामलों में 15 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक सहायता लघु औद्योगिक इकाई के उद्यमी के बैंक खाते में सीधे ही आयातित मशीन के संस्थापन एवं उसके चालू होने की रिपोर्ट मिलते ही दी जायेगी।
27. ऐसे मामलों में जहाँ लघु औद्योगिक इकाई ऋणदाता संस्थान से दी जाने वाली 15 प्रतिशत मार्जिन मनी की पूंजीगत आर्थिक सहायता हेतु ब्रिज फाइनेन्स प्राप्त करता है तो ऐसे मामलों में 15 प्रतिशत की पूंजीगत आर्थिक सहायता सीधे ही ऋणदाता संस्थान से जारी की जायेगी।
28. ऐसे मामले में जहाँ किस्तों में मशीन लगाई / चालू की जाने वाली हो वहाँ पूंजीगत आर्थिक सहायता भी किस्तों के रूप में दी जायेगी। मशीन की लागत के लिए मार्जिन मनी तक की राशि का भुगतान इकाई द्वारा अग्रिम रोख — के रूप में आवधिक ऋण की मंजूरी के पूर्व दिया जा सकता है। यद्यपि आवधिक ऋण की मंजूरी के दिन या उसके बाद खरीदी गई मशीन पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पात्र होगी बशर्ते वह अन्य शर्तें पूरी करती हो।

दुरुपयोग से बचाव :-

29. मार्जिन मनी की पूंजीगत सहायता के गलत प्रयोग से बचाने के लिए यह अपेक्षित है कि इकाई पूंजीगत सहायता वितरित किये जाने के बाद कम से कम तीन वर्षों तक कार्यरत रहे। इकाई की

क्रियाओं पर तीन वर्ष तक नजर रखने के लिए ऋणदाता संस्थान द्वारा ऋण की पुनर्दायिगी एवं ऋण स्थगन अवधि कम से कम तीन वर्ष तक रखना चाहिए।

30. पूंजीगत सहायता के उपरांत ऋणदाता संस्थान को लघु औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार की ओर से एक करार प्राप्त होगा। पात्र पी एल आई की लघु औद्योगिक इकाई के साथ किए जाने करार का मसौदा परिशिष्ट —ए पर दिया है।
31. वस्त्र आयुक्त मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक और टीम बनायेंगे जो आवाधिक तौर पर यादृच्छिक (रैंडम) आधार पर संस्थापित / लगी हुई मशीनरी का निरीक्षण करेंगे।

योजना की प्रगति की देख रेख :-

32. टी ए एम सी योजना की प्रगति पर नजर रखेगी।

शिकायत समिति :-

33. इस योजना के अंतर्गत लघु औद्योगिक उद्यमियों की मशीनरी खरीद के बाद की शिकायत को शिकायत समिति द्वारा जिसके अध्यक्ष वस्त्र आयुक्त होंगे उनके द्वारा सुना जायेगा। इस समिति में वस्त्र उद्योग संघों एवं टी एम एम ए आई के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

परिशिष्ट —I

दिनांक / 2011

टेक्सटाइल युनिट क्षेत्र के लिए एमएमएस@ 15% प्रौद्योगिकी के तहत विवरणी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

ऋणदाता अभिकरण का नाम एवं पता पिन कोड सहित :

आयएफएससी कोड:

एमआयसीआर कोड:

ऋण प्राप्तकर्ता का ऋण खाता नं.:

अनु. क्र	पैन	डीआयसी आईएम नंबर	ऋण प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता	खंड	परियोजना स्वीकृत का मूल्य	परियोजना के अंदर आने वाली मशीनें				एमएमएस 15% प्रौद्योगिकी के अंतर्गत मंजूर की गई आवधिक ऋण की कुल राशि		एमएमएस 15% प्रौद्योगिकी के अंतर्गत संचितरित की गई आवधिक ऋण की कुल राशि	
						प्रौद्योगिकी के तहत आने वाली मशीनरी उसके मानकों सहित	स्वदेशी मशीनरी के विनिर्माता के मामले में नाम एवं पता	आयतित मशीनरी के मामले में आयत किये जाने वाले देश का नाम	मशीनरी का मूल्य (रूपये)	दिनांक	राशि (रूपये)	दिनांक	राशि (रूपये)
(1)			(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1			फैक्टरी का पता										
			पंजीकृत कार्यालय का पता										

प्रमोटर का योगदान : रूपये (%)

संचितरित आवधिक ऋण रूपये (%)

मशीन की कुल कीमत रूपये

बैंक के माध्यम से आने वाले पुनर्गठित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाले यदि कोई दावे हों तो उसका विवरण:-----

(शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर / प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं सील)

मैनेजर / प्राधिकृत व्यक्ति का नाम -----

पदनाम -----

कोड -----

(परिशिष्ट - II)

(करार, के रूप में मुद्रांकित किया जाए)

लघु वस्त्र तथा पटसन उद्योग के लिए भूगठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत क्रेडिट लिंकड कैपिटल सबसिडी (सीएलसीएस - टीयूएफएस) प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला करार .

यह करार -----स्थान ----- पर -----दिनांक----- वर्ष ----- इस दिन पर में मेसर्स-----
-----, 1956 के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समाविष्ट तक सार्वजनिक / निजी लिमिटेड कंपनी / प्रॉप्राइटरी
कन्सर्न तथा जिसका -----

में पंजीकृत कार्यालय है तथा औद्योगिक कन्सर्न होने के नाते इसमें इसके पश्चात भाग एक के लाभार्थी (जिसकी अभिव्यक्ति
उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशित शामिल इस स्कैंधन में संदर्भ के रूप अथवा विरुद्ध हो) उल्लेखित है।

अथवा

भागीदारी फर्म के लिए

1. श्री ----- के पुत्र, आयु ----- वर्ष ----- के निवासी.
2. श्री ----- के पुत्र, आयु ----- वर्ष ----- के निवासी.
3. श्री ----- के पुत्र, आयु ----- वर्ष ----- के निवासी.

भागीदार के रूप में फर्म ----- में अभियान एवं से व्यवसाय कर रहे हैं तथा उनका
कार्यालय ----- में है भाग एक के (इसे इसमें इसे उसके पश्चात लाभार्थी, जिसकी अभिव्यक्ति
इसके / उसके / उनके कानुनी प्रतिनिधियों वारिसों/ , प्रशासकों, उत्तराधिकारियों / एवं समुपदेशित सहित जब तक उसके
विषय तथ संदर्भ के विरुद्ध न हो) उल्लेख किय गया है।

तथा

-----, (इस में इसके पश्चात वित्तीय संस्थान / बैंक उल्लेख किया गया है) जब तक उसके
संदर्भ तथा व्याख्या के विरुद्ध न हो इसमें उसके उत्तराधिकारी एवं समुपदेशित शामिल है) अन्य भाग हैं।

जबकि :-

1. भारत सरकार ने भारतीय लघु औद्योगिक इकाई विकास बैंक (सिडबी) को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.) (इसे इसमें इसके पश्चात योजना के रूप में उल्लिखित) वस्त्र एवं पटसन के लघु उद्योगों के लिये क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी के प्रचालन के लिये तथा वित्तीय संस्थान / बैंक को योजना के अंतर्गत मंजूर सवितरित अवधिक कर्ज पर पूंजीगत सहायता का अधिक लाभार्थियों द्वारा दावा करने में सहायता करने के लिए नोडल अभिकरण नोडल बैंक (इसमें इसके पश्चात, एजेंट के रूप में उल्लिखित) के रूप में नियुक्त किया है।
2. लाभार्थी ने लघु उद्योगों के अंतर्गत प्रोजेक्ट संस्थापित करने के लिये वित्तीय संस्थान / बैंक से योजना के अंतर्गत रु.----- (रुपये -----)
की सहायता देने का अनुरोध किया, जिसपर वित्तीय संस्थान / बैंक ने उनके तथा लाभार्थी के बीच निष्पादित करार की शर्तों तथा निबंधनों के अनुसार लाभार्थी द्वारा प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत मशीनों की खरीद में किये गये अथवा किये जाने वाले पात्र निवेश के अनुपात में कर्ज देने को मान्यता दी है।
3. एजेंट ने वित्तीय संस्थान / बैंक द्वारा लाभार्थी को मंजूर पूंजी सहायता के सवितरण में सहायता हेतु भारत सरकार के लिये नोडल अभिकरण के रूप में काम करने को सहमति प्रदान की है, तथा उक्त उद्देश्य के लिये पार्टिया निम्नलिखित विलेख में दी गई शर्तों के अनुसार करार करने को सहमत हैं।

मौजूदा विलेख साक्ष्य तथा एतद द्वारा दोनों पार्टियों द्वारा उनके बीच मान्य की जाने वाली सहमति निम्नानुसार है :-

1. लाभार्थी एतदद्वारा प्रतिज्ञा करता है :-

(क) लाभार्थी उक्त योजना के सभी शर्तों एवं निबंधनों एवं उसके साथ अनुवर्ती सुधारों / आशोधनों तथा उनकी बढ़ोतरी का और उक्त वित्तीय सहायता की मंजूरी की शर्तों का निष्ठापूर्वक पालन करेगा तथा उन्हें पूरा करेगा।

(ख) लाभार्थी एजेन्ट और / भारत सरकार अथवा अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों जिन्हें एजेन्ट या भारत सरकार अथवा प्रौद्योगिकी सलाहकार - सह देखरेख समिति (टी.ए.एम.सी.) / अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति (अ.म.स.स.) द्वारा प्राधिकृत को उस कार्य को जिस कार्य के लिये पूंजीगत आर्थिक सहायता मंजूर की गई है तथा मशीनें, यन्त्र, यन्त्र, औजार, उपकरण जिन्हें खरीदने के लिये सहायता मंजूर की गई है अथवा पूंजीगत आर्थिक जो मशीन एवं उपक्रम से संबंधित जानकारी एजेंट अथवा टी.ए.एम.सी. / अ.म.स.स. को अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्तियों को समय - समय पर देता रहेगा।

(ग) लाभार्थी एजेंट की लिखित रूप में पूर्व अनुमति के बिना औद्योगिक इकाई का स्थान संपूर्णतः या अंशतः नहीं बदलेगा, व जो किसी के साथ भागीदारी करेगा अथवा इसका ढांचा, विलयन एकाकीकरण या किसी भी प्रकार से नहीं बदलेगा और न ही फिक्स्ड पूंजी निवेश को एजेन्ट द्वारा दी गई पूर्व लिखित अनुमति के बिना समाप्त करेगा।

2. इसके अतिरिक्त एतदद्वारा पार्टियों द्वारा तथा उनके मध्य मान्य तथा घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित में से कोई मामला, यथा

(क) जहाँ लाभार्थी द्वारा आवश्यक तत्व के गलत प्रस्तुतीकरण से या गलत जानकारी देकर, अथवा, जहाँ औद्योगिक इकाई पूंजीगत आर्थिक सहायता के संवितरण के तीन वर्ष के भीतर बंद हो जाती है शिवाए ऐसे मामले जहाँ इकाई अल्पावधि अधिकतम तीन माह तक बिना उत्पादन के रहती है (सिर्फ जीनिंग एवं प्रोसिंग फैक्टरी के मामले में छः माह तक और वस्त्र उद्योग की अन्य किसी गतिविधि को नहीं) ऐसी स्थितियों में जो उसके नियंत्रण फेंबाध हो जैसे कच्चे माल अनुपलब्धता विद्युत इत्यादि अथवा

(ख) यदि इकाई का उत्पादन पूंजी सहायता वितरण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर बंद हो जाता है, ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ इकाई का उत्पादन उसके नियंत्रण से परे कारणों, जैसे, कच्चे माल / उर्जा की कमी आदि के कारण तीन माह से अनाधिक अवधि के लिये बंद हो

(ग) जहाँ लाभार्थी ऊपर उल्लिखित निर्धारित विवरणी या मॉगी गई जानकारी नहीं दे पाता।

यदि लाभार्थी इसमें निहित प्रतिज्ञाओं या योजना के समय - समय पर आशोधित शर्तों एवं निबंधनों में से किसीएक का भी उल्लंघन करता है तो लाभार्थी उक्त वित्तीय संस्थान / बैंक के विद्यमान सर्वोच्च ऋण दर पर ब्याज के साथ वित्तीय संस्थान / बैंक को सहायता राशि को लौटायेगा। लाभार्थी को दी गई पूंजी सहायता वसूल करने के लिये बैंक / वि.सं. आवश्यक सभी कदम उठायेगी, क्योंकि इसका प्रावधान एजेन्ट द्वारा किया गया है तथा वसूली के लिए बैंक / वि.सं. को आया हुआ सारा खर्च भी लाभार्थी से वसूल किया जा सकेगा। इस तरह वसूल की गई ब्याज सहित पूंजीगत सहायता सरकार को अंतरित की जायेगी।

3. योजनो के अंतर्गत इकाई / ऋण प्राप्त कर्ता की पात्रता, इकाई को अन्य कोई सहायता के संदर्भ में एजेन्ट अथवा टी.ए.एम.सी. / अ.म.स.स. की व्याख्या / स्पष्टीकरण / निर्णय, वित्तीय संस्थान / बैंक द्वारा ऋण सुविधा देने से पहले या बाद में लाभार्थी पर बाध्य होगी तथा लाभार्थी एजेन्ट अथवा बैंक / वित्तीय संस्थान के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं उठायेगा।

4. एतद द्वारा यह मान्य तथा घोषित किया जाता है कि इस विलेख पर लगने वाली प्रभार्य स्टैम्प ड्यूटी लाभार्थी द्वारा दिया तथा वहन किया जायेगा तथा लाभार्थी इस विलेख की शर्तों एवं निबंधनों को लागू करने में हुआ खर्च, आदि कोई हो, वहन करने के लिये उत्तरदायी है।

5. जिनके साक्ष्य में लाभार्थी ने अपना सामान्य सील इस में एवं इसकी दूसरी प्रति में इसमें पहले लिखे गये दिन, माह तथा वर्ष पर जोड़ा जाता है तथा बैंक ने यह विलेख तथा उक्त, दूसरी प्रति श्री -----
-- (नाम एवं पदनाम) के हाथों से निम्नानुसार निष्पादित करने के लिये पहुँचायी है।

----- लि. का सामान्य सील इस के निदेशक मंडल के अनुरूप में दिनांक को श्री -----
----- तथा श्री -----

श्री ----- निदेशक, जिन्होंने उनके प्रमाण के रूप में इस विलेख में हस्ताक्षर किये हैं तथा श्री ----- सचिव / प्राधिकृत व्यक्ति, जिसने उनके प्रमाण में उक्त पर हस्ताक्षर किये हैं, की उपस्थिति में उनके पक्ष में पारित संकल्प के अनुसार है।

श्री ----- (नाम एवं पदनाम) बैंक के प्राधिकृत कर्मचारी के हाथों से बैंक के नाम से हस्ताक्षरित तथा वितरित किया गया।

Page no.122

अथवा

इसके साक्ष्य स्वरूप लाभार्थी के भागीदारों में इस पर तथा इसके डुप्लीकेट पर इसके वाले पैरा में लिखित तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। और बैंक ने उक्त डुप्लीकेट को श्री (नाम एवं पदनाम) द्वारा निष्पादित करवाया है जिसे इसमें आगे दिया गया है।

1. श्री ----- के नाम से, ----- नाम के भागीदारी फर्म के भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित तथा दिया गया।

2. -----,, -----
हस्ताक्षर किया गया तथा श्री द्वारा दिया गया।
श्री के हाथों प्राप्त।

मंडल के संकल्प के अनुसरण में दिनांक को श्री के हाथों से हस्ताक्षरित कर कॉमन शील सहित श्री की उपस्थिति में दिया गया उन्होंने यह हस्ताक्षर प्रमाण स्वरूप किए हैं

श्री द्वारा हस्ताक्षरित कर से एफ.आई./ एन.एस.आई.सी. / बैंक / एस.एफ.सी. के प्राधिकृत कर्मचारी को (जो कोई लागू से) दिया गया।

टिप्पणी :- लाभार्थी की ओर से किसी व्यक्ति को दस्तावेज निष्पादित करने का प्राधिकार देने वाला कागजात बोर्ड के संकल्प करार के साथ जमा किया जाये।

परिशिष्ट एस

प्रोसेसिंग, बिल्कुल नये शटलरहित करघों, गार्मेंट्स एवं टेक्नीकल टेक्सटाइल्स के लिए प्रौदनियों के तहत @ 10 % पूंजीगत आर्थिक सहायता के लिए प्रचालन संबंधी दिशा निर्देश।

1. 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त 10 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक सहायता का प्रोत्साहन, गार्मेंटिंग, टेक्नीकल टेक्सटाइल्स, बिल्कुल नये शटलरहित करघों एवं विशिष्ट प्रोसेसिंग मशीनरी को दिया गया है।

योजना की अवधि

2. पुनर्गठित प्रौदनियो के अन्तर्गत @ 10 % की पूंजीगत आर्थिक सहायता पुनर्गठित प्रौदनियो के संकल्प के दिन से 31 मार्च 2012 तक लागू रहेगी।

पात्रता

3. 10 % की पूंजीगत आर्थिक सहायता उन्हीं परियोजनाओं के लिए लागू होगी जहाँ नोडल अभिकरणों नोडल बैंकों / सहयोजित पी एल आईज द्वारा आवधिक ऋण किया गया हो।
4. प्रोसेसिंग मशीनरी के लिए पूंजीगत आर्थिक सहायता सभी वस्त्र गार्मेन्ट एवं जूट की ऐसी इकाइयों के लिए दिया जायेगा जो पुनर्गठित प्रौदनियों के अंतर्गत ऋण प्राप्ति की पात्र हैं।
5. गार्मेन्टिंग मशीनरी के लिए पूंजीगत आर्थिक सहायता ऐसे गार्मेन्ट इकाइयों को मिलेगा जो पुनर्गठित प्रौदनियो के अंतर्गत ऋण प्राप्ति की पात्र हैं।
6. शटलरहित बिल्कुल नये करघों के लिए पूंजीगत आर्थिक सहायता सभी वस्त्र गार्मेन्ट एवं जूट की ऐसी इकाइयों को मिल सकेगा जो पुनर्गठित प्रौदनियो के अंतर्गत ऋण प्राप्ति की पात्र हैं।
7. टेक्नीकल टेक्सटाइल की मशीनरी संबंधी पूंजीगत आर्थिक सहायता केवल टेक्नीकल टेक्सटाइल इकाइयों को ही मिलेगा। क्योंकि टेक्नीकल टेक्सटाइल की कुछ मशीनरी टेक्नीकल टेक्सटाइल इकाइयों में समान (कॉमन) रहती हैं अतः 10 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्ति के लिए इच्छुक इकाइयों को वस्त्र आयुक्त कार्यालय से 10 प्रतिशत की पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्ति से पूर्व एक पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी।

सहायता की मात्रा

8. 10 प्रतिशत की पूंजीगत आर्थिक सहायता विशिष्ट मशीनरी को मिलेगी और इसकी गणना मशीनरी के बेसिक मूल्य पर की जायेगी और मान संबंधी गणना के लिए टैक्स के हिस्से को छोड़ दिया जायेगा। दूसरे शब्दों में स्वदेशी मशीनरी के मामले में बेसिक मूल्य तथा आयतित मशीनरी के मामले में सी आई एफ मूल्य को पूंजीगत सहायता की गणना के लिए पकड़ा जायेगा।
9. 10 % की पूंजीगत आर्थिक सहायता सम्पूर्ण परियोजनाओं की लागत पर न होकर विशिष्ट मशीनरी की लागत पर होगी। तक के सुसंगत निवेश वाली सम्पूर्ण परियोजना के साथ विशिष्ट मशीनरी पहले की ही तरह 5 प्रतिशत ब्याज प्रोत्साहन प्राप्त करते रहेगी।

पूंजीगत आर्थिक सहायता का जारी करना

10. ऋणदाता संस्थान द्वारा विशिष्ट मशीनरी के लिए आवधिक ऋण के संवितरण के समय पूंजीगत आर्थिक सहायता दी जायेगी।
11. पूंजीगत आर्थिक सहायता को प्रमोटर के हिस्से के रूप में भी समायोजित किया जा सकता है।

प्रपत्र - टी आर - 1

टेक्नीकल टेक्सटाईल इकाईयों के लिए पुनर्गठित प्रौद्योगिकीयों के तहत 10 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्ति हेतु पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए प्रपत्र

1.	इकाई का नाम एवं पूरा पता				
	प्रबंध निदेशक का नाम				
	टेलिफोन संख्या :				
	फैक्स नं.				
	ई-मेल का पता:				
	वेबसाइट का पता :				
2.	क्या लघु औद्योगिक / गैर लघु औद्योगिक				
3.	उत्पादित उत्पाद का विवरण				
4.	उत्पाद के आखिरी कार्यरत रहने की तिथि				
5.	मौजूदा मुख्य मशीनरी का विवरण				
6.	ऋणदाता संस्थान का नाम, पता टेलिफोन संख्या तथा ई-मेल सहित				
7. टेक्नीकल टेक्सटाईल के लिए 10 प्रतिशत की पूंजीगत आर्थिक सहायता के अंतर्गत संस्थापन हेतु प्रस्तावित किए जाने वाली मशीनरी का विवरण					
क्र.सं.	मशीनरी का विवरण	आयतित /स्वदेशी	मशीनों की संख्या	जी आर के परिशिष्ट -के का क्रम संख्या	सभी प्रकार के करों को छोड़कर बैसिक मूल्य

स्थान :

दिनांक :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

परिशिष्ट - टी

पुनर्गठित प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत इकाई द्वारा वस्त्र आयुक्त कार्यालय से पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्ति का दावा करने संबंधी आवेदन का फार्म

एम एम एस @ 15% - प्रौद्योगिकी :

एम एम एस @ 20% - प्रौद्योगिकी :

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

1.	निरीक्षण किए जाने वाली फैक्टरी का नाम एवं पता पिन कोड सहित तालुका / तहसिल / मंडल : जिला : राज्य : पिन कोड : टेलिफोन / मोबाईल नम्बर फैक्स नं. ई-मेल का पता : इकाई का पैन नम्बर संपर्क किये जाने व्यक्ति का नाम एवं फोन नम्बर	
2.	(ए) लघु औद्योगिक इकाई पंजीकरण / ई.एम.नम्बर एवं दिनांक (बी) पंजीकरण करने वाला प्राधिकारी	
3.	क्या मौजूदा है अथवा नई इकाई है।	
4.	परियोजना लागत का ब्यौरा (ए) जमीन (बी) बिल्डिंग (सी) प्लांट एवं मशीनरी (डी) अन्य (ई) कुल (एफ) यदि बिल्डिंग लीज पर हो तो पंजीकृत लीज / किराया एग्रीमेंट संलग्न करें।	
5.	(ए) फर्म का स्वरूप	मालिकाना / भागीदारी / प्राइवेट लिमिटेड/ कॉ.ऑपरेटिव
	(बी) मालिक / भागीदारों / प्रबंध निदेशकों के नाम (पार्टनरशिप डीड / एम ओ यू - एम ओ ए जैसा मामला हो संलग्न करें)	
6.	ऋणदाता संस्थान का नाम एवं पता (पिन कोड सहित) ब्रांच एवं फोन नम्बर सहित आवधिक ऋण खाता संख्या चालू खाता संख्या ऋण मंजूरी की राशि एवं तारीख (ऋण मंजूरी पत्र की प्रति संलग्न करें।) ऋण सवितरण की राशि एवं तिथि	
7.	मांगी गई मशीन एवं उनका विवरण	

दिनांक:

स्थान :

मालिक / प्रबंध निदेशक इत्यादि
के हस्ताक्षर एवं इकाई शील

परिशिष्ट—यू
प्रोडनियो के अंतर्गत एकमात्र आईडी संख्या प्राप्त करने हेतु ऋणद अभिकरणों द्वारा आवेदन करने हेतु ऑन-लाईन आवेदन हेतु प्रपत्र

ऋण अभिकरण का नाम :

धेन	आयइएम / डीसी (एसएस आ) संख्या	इसीएम (सहयोजित पीएलआय के मामले में)	इकाई का नाम एवं पता	एसएस आय/ नॉन एसएस आय	विविधमान /नई इकाई	खंड	के लिए प्रोडनिया लाभ प्राप्त करना चाहते है	स्वीकृत परियोजना लागत	स्वीकृत सावधि ऋण	सांवधि ऋण स्वीकृति की तारीख	प्रोडनियो के अंतर्गत पात्र सावधि ऋण	ऋणस्थगण/ कार्यान्वयन सहित पुनर्भुगतान अवधि		तारीख वार वितरण पेटर्न	सात वर्ष की अवधि अथवा वास्तविक अवधि, जो भी कम हो ,के लिए तिमाही वार सब्सिडी (तिमाही की विशिष्ट तिथि के साथ)
										से	तक	से	तक		

- कृपया चुनाव किए गए प्रोडनियो लाभ उल्लेख करें, यथा, 4% आईआर 5% आई आर अथवा 5% आई आर अधिक 10% पूंजी सहायता अथवा 4% / 5% विदेशी विनियम अस्थिरता / फरवर्ड कवर प्रिमियम अथवा 5% विदेशी विनियम अस्थिरता / फरवर्ड कवर प्रिमियम अधिक 10% पूंजी सहायता अथवा 15% एमएसएस अथवा 20% एमएसएस अथवा 25% पूंजी सहायता

टिप्पणी : 1. साझेदारी मामले में (वित्तीय सहायता) ऋणद अभिकरण द्वारा परियोजना लागत दर्शायी जाए, को दुबारा गिनती को टालने हेतु इकाई को ऋण की अधिकतम राशि स्वीकृत की गई है। तथापि ऋणद अभिकरण द्वारा स्वीकृत की गई राशि तथा वितरित की गई राशि दर्शाए जाए।
 2. केवल आईडी संख्या प्राप्त करने की तिथि के बाद की तिमाही की समाप्ति तक सब्सिडी दावा वैध रखने की वरीयता का अधिकार

खंड

1. कॉटन जिनिंग एवं प्रेसिंग
2. रेशम क्षेत्र (यथा रिलिंग, ट्विस्टिंग, कताई एवं बुनाई)
3. ऊन क्षेत्र (स्काऊरिंग, कॉम्बिंग, कताई, (वर्स्टेड, शॉडी एवं वूलन) तथा बुनाई)
4. सिंथेटिक फिलामेंट यार्न टेक्सचरायझिंग क्रिम्पिंग एवं ट्विस्टिंग
5. स्टैण्ड अलोन स्पीनिंग
6. मैचिंग डाऊनस्ट्रीम क्षमता के साथ कताई
7. विस्कोज फिलामेंट यार्न /विस्कोज स्टेपल फायबर का विनिर्माण
8. स्वतंत्र बुनाई तैयारियां
9. बुनाई
10. निटिंग
11. नॉन वूवन तथा नॉन वूवन का कनवर्टर
12. स्टैण्ड अलोन आधार पर एम्ब्रायडरी
13. तकनीकी वस्त्र
14. गारमेंट विनिर्माण
15. मेडअप विनिर्माण
16. फायबर, यार्न फेब्रिक, गारमेंट तथा मेडअप की प्रक्रिया
17. पटसन उद्योग
18. कारपेट विनिर्माण
19. हथकरघा बुनाई
20. संयुक्त उन्नयन (कताई, बुनाई/निटिंग एवं प्रोसेसिंग में उन्नयन हेतु जानेवाली इकाइयां)
21. बहु गतिविधियां (उपरोक्त उल्लिखित संयुक्त उन्नयन के बिना दो या उससे अधिक गतिविधियों के साथ इकाइयां)। बहु गतिविधियों के मामलों में गतिविधियों के नामों का उल्लेख किया जाए।

परिशिष्ट — वी

सहयोजित राज्य वित्तीय निगमों / राज्य औद्योगिक विकास निगमों / ट्विन फंक्शन औद्योगिक विकास निगमों, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों, सहयोजित बैंकों/ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों की सूची

1. अनुसूचित व्यापारिक बैंक
- ए. आई डी बी आय तथा एस आय डी बी आय द्वारा सहयोजित
 1. बैंक ऑफ अमेरिका
 2. बैंक ऑफ नोवा स्कोटीया
 3. बैंक नॅशनल डे पॅरीस (फ्रेंच बैंक)
 4. सीटी बैंक
 5. डेयुस्चड बैंक
 6. रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड (ए बी एन एमरो बैंक एन.वी.)
 7. स्टॅन्डर्ड चार्टर्ड बैंक
 8. एच डी एफ सी बैंक
 9. हॉग — काँग बैंक एण्ड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन
- बी केवल बाय एस आय डी बी आय द्वारा सहयोजित
 10. एलेजेमेने बैंक नैदरलैंड एन.वी.
 11. अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनॅशनल बैंकिंग कॉरपोरेशन
 12. बैंक ऑफ बैहरीन एण्ड कुवैट बी. एस. सी.
 13. बैंक ऑफ टोकियो लिमिटेड
 14. बैंक इंडोसूझ
 15. बरेली कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड
 16. बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड
 17. ब्रिटीश बैंक ऑफ द मिडल ईस्ट
 18. क्रेडीट लॉयन्नीस
 19. डेव्हलपमेंट क्रेडीट बैंक लिमिटेड बॉम्बे
 20. धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड
 21. ड्रेरेस्डन बैंक एजी.
 22. इमीरॅट्स कॅमिर्शियल बैंक लिमिटेड (आबु दाभी कॅमिर्शियल बैंक)
 23. ग्रिंडलैज बैंक
 24. मितसुई बैंक लिमिटेड

25. नैनीताल बैंक लिमिटेड
26. नेदुनगडी बैंक लिमिटेड
27. ओमन इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.
28. रत्नाकर बैंक लिमिटेड
29. सांगली बैंक लिमिटेड
30. सनवा बैंक लिमिटेड नई दिल्ली
31. सोसीइट जनरेट पॅरीस (फ्रांस)
32. टाइम्स बैंक
- सी. केवल आय डी बी आय द्वारा सहयोजित
33. येस बैंक लिमिटेड
34. कोटक महिन्द्रा बैंक
- ॥ कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक्स
- ए आय डी बी आय द्वारा सहयोजित
35. द ग्रेटर बॉम्बे कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
36. द सोलापुर जिला सेन्ट्रल कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
37. द जलगांव पीपुल्स कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
38. प्रियदर्शनी नागरिक सहकारी पतपेढी
- बी. आय डी बी आय एवं एस आय डी बी आय द्वारा सहयोजित
39. बॉम्बे मर्कन्टाइल कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, मुंबई
40. डॉबीवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड
41. द कॉसमॉस कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
42. जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड
43. सूरत पीपुल्स कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, सूरत
44. द न्यू इंडिया कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
45. द सारस्वत कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
46. द शामराव विठ्ठल कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
47. द सूरत जिला कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
48. द सुटेक्स कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, सूरत
49. महाराष्ट्र स्टेट कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, मुंबई

50. सर्वोदया सहकारी बैंक लिमिटेड
51. सोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड
52. अभ्युदय कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
53. प्राईम कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
54. श्री वारणा सहकारी बैंक लिमिटेड
55. सूरत नॅशनल कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
56. द कुर्ला नागरीक सहकारी बैंक लिमिटेड
57. द झोरास्ट्रियन कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
58. द शिरपुर पीपुल्स कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
59. द धुले विकास सहकारी बैंक लिमिटेड
60. द जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड,
61. व्यापरी सहकारी बैंक लिमिटेड
- सी. एस आय डी बी आय द्वारा सहयोजित
62. अपना सहकारी बैंक लिमिटेड
63. गुजरात इंडस्ट्रियल कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, सूरत
64. इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक
65. जनता कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक, मालेगांव, महाराष्ट्र
66. कालूपूर कमिश्नियल कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद
67. राजकोट नागरीक सहकारी बैंक लिमिटेड
68. श्री वीरशैव कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
69. टेक्सटाईल कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक, बेंगलोर, कर्नाटका
70. द कपोल कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
71. द नाशिक मर्चन्ट्स कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक (एन ए एम सी ओ बैंक)
72. द पंचशील मर्कन्टाइल कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
73. विटा मर्चन्ट्स कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
74. द सूरत नागरीक सहकारी बैंक लिमिटेड
75. द नव-जीवन कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
76. द सूरत मर्कन्टाइल कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
77. श्री पार्श्वनाथ कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड

78. द कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड
79. जैन सहकारी बैंक लिमिटेड
80. भारत कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक (मुंबई) लिमिटेड
81. इचलकरंजी अरबन कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
82. पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड
83. द वरच्छा कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
84. मेहसाणा कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
85. चौदश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड
86. नूतन नागरीक सहकारी बैंक लिमिटेड
87. द उधना सीटीजन कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
- III. अन्य वित्तीय निगम (एस एफ सी एस)
- ए. आय डी बी आय एवं एस आय डी बी आय द्वारा सहयोजित
88. आसाम फायनान्शियल कारपोरेशन
89. बिहार फायनान्शियल कारपोरेशन
90. दिल्ली फायनान्शियल कारपोरेशन
91. गुजरात स्टेट फायनान्शियल कारपोरेशन
92. हिमाचल प्रदेश फायनान्शियल कारपोरेशन
93. जम्मू एण्ड कश्मिर स्टेट फायनान्शियल कारपोरेशन
94. कर्नाटका स्टेट फायनान्शियल कारपोरेशन
95. केरला फायनान्शियल कारपोरेशन
96. मध्य — प्रदेश फायनान्शियल कारपोरेशन
97. उड़ीसा स्टेट फायनान्शियल कारपोरेशन
98. पंजाब फायनान्शियल कारपोरेशन
99. राजस्थान फायनान्शियल कारपोरेशन
100. तामिलनाडु इंडिस्ट्रियल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
101. उत्तर प्रदेश फायनान्शियल कारपोरेशन
102. वेस्ट बंगाल फायनान्शियल कारपोरेशन
- बी. आय डी बी आय, एस आय डी बी आय एण्ड आय एफ सी आय द्वारा सहयोजित
103. आन्ध्र प्रदेश फायनान्शियल कारपोरेशन

104. हरियाणा स्टेट फायनान्शियल कारपोरेशन
105. महाराष्ट्र स्टेट फायनान्शियल कारपोरेशन
- IV. स्टेट इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन एस आय डी सी एस) ए. आय डी बी आय एवं एस आय डी बी आय द्वारा सहयोजित
106. आन्ध्र प्रदेश इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
107. बिहार प्रदेश क्रेडीट एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
108. गुजरात इंडिस्ट्रियल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
109. हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
110. इंडिस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड
111. जम्मू एण्ड कश्मिर स्टेट इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
112. कर्नाटका स्टेट इंडिस्ट्रियल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
113. केरला स्टेट इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
114. मध्य - प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
115. प्रदेश्य इंडिस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड
116. पंजाब स्टेट इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
117. राजस्थान स्टेट इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
118. स्टेट इंडिस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड
119. स्टेट इंडिस्ट्रीस प्रमोशन कारपोरेशन ऑफ तामिलनाडु लिमिटेड
120. वेस्ट बंगाल इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
- बी. आय डी बी आय, एस आय डी बी आय एवं आय एफ सी आय द्वारा सहयोजित
121. आसाम इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
122. हरियाणा स्टेट इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
- V. टिवीन फंक्शन इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन
- ए. आय डी बी आय, एवं एस आय डी बी आय द्वारा सहयोजित
123. अंदमान एण्ड निकोबार इजलैंड इंटरगेटेड डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
124. अरुणाचल प्रदेश इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट एण्ड फायनान्शियल कारपोरेशन लिमिटेड
125. इकोनौमिक डेव्हलपमेंट कारपोरेशन ऑफ गोवा दमन एण्ड दिव लिमिटेड
126. मणिपुर इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
127. मेघालय इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

128. मिझोरम इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
129. नागालैंड इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
130. ओमनीबस इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एण्ड दिऊ एण्ड दादरा एण्ड नगर हवेली लिमिटेड (ओ एच डी सी)
131. पौडेचेरी इंडिस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
132. सिक्किम इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
133. तिरुपुर इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
- बी. केवल आय एफ सी आय द्वारा सहयोजित (जूट इंडस्ट्रीस के लिए)
134. नार्थ ईस्टर्न डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
- VI. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान
- बी. केवल आय डी बी आय द्वारा सहयोजित
135. भारतीय जीवन बीमा निगम
- सी. आय डी बी आय एवं आय एफ सी आय द्वारा सहयोजित
136. इंडिस्ट्रियल इनवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया
- VII. अन्य
- ए. एस आय डी बी आय द्वारा सहयोजित
137. नॅशनल स्मॉल इंडिस्ट्रीस कारपोरेशन लिमिटेड
- बी. आय डी बी आय द्वारा सहयोजित
138. इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी लिमिटेड (आय आर ई डी ए)

कृपया चुनाव किए गए प्रौद्योगिकी लाभ उल्लेख करें, यथा, 4% आईआर 5% आई आर अथवा 5% आई आर अधिक 10% पूंजी सहायता अथवा 4% / 5% विदेशी विनियम अस्थिरता / फरवर्ड कवर प्रिमियम अथवा 5% विदेशी विनियम अस्थिरता / फरवर्ड कवर प्रिमियम अधिक 10% पूंजी सहायता अथवा 15% एमएसएस अथवा 20% एमएसएस अथवा 25% पूंजी सहायता ।

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 2011

संकल्प

सं. 1/1/2010-सी.टी.-II--भारत सरकार में सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 05.05.2010 के समसंख्यक संकल्प द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित दो किसानों के नाम तत्काल प्रभाव से सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है :--

1. श्री बृजेश मेरजा,
353, सेक्टर -8,
गांधीनगर, गुजरात
 2. श्री भारत वाला,
'सोपाल'
निर्मला कॉन्वेंट रोड़,
मांगल पार्क के सामने, राजकोट
2. दिनांक 05.05.2010 की संकल्प सं. 1/1/2010-सी.टी.-II उपर्युक्त सीमा तक संशोधित हो गया है।
 3. पुनर्गठित बोर्ड के सदस्य दिनांक 04.05.2012 तक बोर्ड में बने रहेंगे।
 4. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति संबंधित व्यक्ति को भेजी जाए।
 5. यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अनीता पुरी
अवर सचिव

MINISTRY OF TEXTILES
RESOLUTION

New Delhi, 28th April, 2011.

No.6/5/2011-TUFS

Objective:

1. This Government Resolution lays down the financial and operational parameters and implementation mechanism for the Restructured Technology Upgradation Fund Scheme for the period from the date of this resolution to 31.03.2012, with an overall subsidy cap of Rs 1972 crores during this period.
2. TUFS was introduced in 1999 to catalyse investments in all the sub-sectors of textiles and jute industry by way of 5% interest reimbursement. The scheme was initially approved from April, 1999 to March 31st, 2004. Subsequently, the scheme was extended in 2004 and again in 2007 with modifications. Investments under TUFS had gained notable momentum in the past 3 years. Since its inception, Rs.11196 crores of subsidy has been released of which Rs. 8883 crores has been released during the last 3 years. TUFS has catalyzed investments of Rs. 2.08 lac crores during its operational life span of over 11 years.
3. An independent evaluation of the Scheme by a professional consultant, M/S CRISIL, has revealed that TUFS has facilitated an increase in productivity; cost and waste reduction; and improved quality across the value chain. However, the gains made have varied across segments, with the processing and powerloom sectors emerging as major areas of concern. To ensure optimum value addition across the value chain, the evaluation study recommended that TUFS maybe completely restructured to channelize investments towards hitherto low focus areas.
4. Based on the findings of the evaluation study, Government took a policy decision to completely restructure the Scheme, to channelize investments in hitherto low investment segments to facilitate a balanced growth across the value chain; and to ensure the subsidy outgo is not open ended and has a definite cap. Accordingly, the

existing scheme was discontinued and new sanctions under the Scheme were stopped from 29.6.2010 under intimation to all the lending agencies. However, for loans sanctioned during 01.04.1999 to 28.06.2010, the then existing parameters and guidelines will continue to apply and Textiles Commissioner would ringfence the committed government liabilities for this period.

5. The objective of the present Scheme is to leverage investments in technology upgradation in the Textiles and Jute Industry, with a special emphasis on balanced development across the value chain. The major objectives of the present restructured TUFS scheme are as follows:- (a) Address the issues of fragmentation and promote forward integration by providing 5% IR for spinning units with matching capacity in weaving/knitting/processing/ garmenting; (b) promoting investments in sectors with low investment like processing; (c) reducing the repayment period to 7 years with 2 years moratorium to promote financial efficiency; (d) Technology upgradation in weaving by providing higher capital subsidy for establishment of new shuttle less looms. This would help to reduce and eventually phase out secondhand looms (e) Ensuring greater participation of SSI units by increasing the limits under this category; (f) The eligibility of restructured/ rescheduled cases to be restricted to initial loan repayment schedule and ballooning of subsidy in rescheduled cases to be avoided (f) revamped scheme to be structured in such a way that the subsidy out go is not open ended and has a definite cap of Rs. 1972 crores.; (g) Greater administrative and monitoring controls to be introduced with pre-authorization of all eligible claims by the Textiles Commissioner Mumbai, before approvals and intensive monitoring by the Inter Ministerial Steering Committee chaired by Secretary Textiles.
6. Now in the preface and recognition of the above, the Government resolves that the Restructured Technology Upgradation Fund Scheme for the textiles & jute industries will be in operation with effect from the date of this resolution upto 31.03.2012. The financial and operational parameters of the Restructured TUFS in respect of loans sanctioned under the scheme would be as follows: -
 - i). A reimbursement of 5% on the interest charged by the lending agency on a project of technology upgradation in conformity with the Scheme. However, for spinning machinery the scheme will provide 4% for new stand alone / replacement / modernisation of spinning machinery; and 5% for spinning units with matching capacity in weaving / knitting / processing / garmenting.
 - ii). Cover for foreign exchange rate fluctuation / forward cover premium not exceeding 5% for all segments except for new stand alone / replacement / modernisation of spinning machinery, the foreign exchange rate fluctuation / forward cover premium will be 4%.

- iii). Additional option to the powerlooms units and independent preparatory units to avail of 20% Margin Money subsidy under Restructured TUFs in lieu of 5% interest reimbursement on investment in TUF compatible specified machinery subject to a capital ceiling of Rs. 500 lakh and ceiling on margin money subsidy of Rs.60 lakh. However, for brand new shuttleless looms the ceiling on margin money subsidy will be Rs.1 crore. A minimum of 15% equity contribution from beneficiaries will be ensured.
- iv). An option to SSI textile and jute sector to avail of 15% Margin Money subsidy in lieu of 5% interest reimbursement on investment in TUF compatible specified machinery subject to a capital ceiling of Rs. 500 lakh and ceiling on margin money subsidy of Rs.45 lakh. A minimum of 15% equity contribution from beneficiaries will be ensured.
- v). 5% interest reimbursement plus 10% capital subsidy for specified processing, garmenting and technical textile machinery.
- vi). The Common Effluent Treatment Plants (CETPs) will not be covered under Restructured TUFs.
- vii). 5% interest reimbursement plus 10% capital subsidy for brand new shuttleless looms.
- viii). Interest subsidy/capital subsidy/Margin Money subsidy on the basic value of the machineries excluding the tax component for the purpose of valuation.
- ix). 25% capital subsidy in lieu of 5% interest reimbursement on purchase of the new machinery and equipments for the pre-loom & post-loom operations, handlooms/up-gradation of handlooms and testing & Quality Control equipments, for handloom production units.
- x). 25% capital subsidy in lieu of 5% interest reimbursement on benchmarked machinery of silk sector as applicable for Handloom sector.
- xi). The Scheme will cover only automatic shuttleless looms of 10 years' vintage and with a residual life of minimum 10 years. The value cap of the automatic shuttleless looms will be decided by the Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC).
- xii). Investments like factory building, pre-operative expenses and margin money for working capital will be eligible for benefit of reimbursement under the scheme meant for apparel sector and handloom with 50% cap. In case apparel unit / handloom unit is engaged in any other activity, the eligible investment under this head will only be related to plant & machinery eligible for manufacturing of apparel / handlooms.

- xiii). Interest reimbursement will be for a period of 7 years including 2 years implementation / moratorium period.
 - xiv). The subsidy in restructured cases will be restricted to the quantum approved in the initial loan repayment schedule by the lending agency and submitted to the Office of the Textile Commissioner in the prescribed format.
 - xv). Common Effluent Treatment Plant (CETP) and other investments like, energy saving devices, in-house R&D, IT including ERP, TQM including adoption of ISO / BIS standards, CPP and electrical installations etc. will not be eligible under Restructured TUFS.
 - xvi). There will be an overall subsidy cap of Rs. 1972 crores from the date of this Resolution to 31.03.2012, which is expected to leverage an investment of Rs.46900 crore, with sectoral investment shares of 26% for spinning, 13% for weaving, 21% for processing, 8% for garmenting and 32% for others.
 - xvii). The Scheme will be administered with a two stage monitoring mechanism as detailed in **Para IV**. The sectoral caps may be reviewed for modification by the IMSC (Inter Ministerial Steering Committee), based on the recommendations of TAMC.
7. The detailed scope of the restructured scheme, eligibility criteria and operational parameters will be as follows:

I. SCOPE OF THE SCHEME

The Restructured TUFS will cover the following segments:-

- a) Cotton ginning and pressing.
- b) Textile industry which includes: -
 - i) Silk reeling and twisting.
 - ii) Wool scouring, combing and carpet industry.
 - iii) Synthetic filament yarn texturising, crimping and twisting.
 - iv) Spinning.
 - v) Viscose Staple Fibre (VSF) and Viscose Filament Yarn (VFY).
 - vi) Weaving, knitting and fabric embroidery
 - vii) Technical textiles including non-wovens.

- viii) Garment / design studio / made-up manufacturing
- ix) Processing of fibres, yarns, fabrics, garments and made-ups.
- c) Jute industry.

II. ELIGIBILITY CRITERIA FOR ASSISTANCE

1. DEFINITION OF TECHNOLOGY UPGRADATION

Technology Upgradation would mean induction of state-of-the-art or near-state-of-the-art technology. But in the widely varying mosaic of technology obtaining in the Indian textile industry, at least a significant step up from the present technology level to a substantially higher one for such trailing segments would be essential. Accordingly, technology levels are benchmarked in terms of specified machinery for each sector of the textile industry. Machinery with technology levels lower than that specified will not be permitted for funding under the TUF Scheme.

2. ELIGIBLE MACHINERY

Installation of the following types of machinery in a new unit or in an existing unit by way of replacement of existing machinery and / or expansion will be eligible for coverage under Restructured TUF scheme:

- | | |
|--|--------------------|
| 2.1 Cotton Ginning and Pressing | Annex - A |
| 2.2 Spinning/Silk Reeling & Twisting/
Synthetic filament yarn Texturising,
Crimping & Twisting | Annex - B-1 |
| 2.3 Wool scouring, combing and carpet industry | Annex -B-2 |
| 2.4 Manufacturing of viscose filament
yarn and viscose staple fibre | Annex -C |
| 2.5 Weaving / Knitting | Annex -D-1 |
| 2.6 Technical Textiles and non-wovens | Annex -D-2 |
| 2.7 Garment / Made-up manufacturing | Annex- E |
| 2.8 Processing of fibre / Yarn / Fabrics /
Garments / made-ups | Annex- F |
| 2.9 Jute industry | Annex - G |
| 2.10 Process control equipments for various sectors | Annex -H |

- | | |
|---|------------------|
| 2.11 Machinery eligible under 20% margin money subsidy (MMS-TUFS) for powerloom sector | Annex- I |
| 2.12 Machinery eligible under 10% capital subsidy for processing sector | Annex - J |
| 2.13 Machinery eligible under 10% capital subsidy for technical textiles including non-wovens | Annex -K |
| 2.14 Machinery eligible under 10% capital subsidy for garment sector | Annex -L |
| 2.15 Brand new shuttleless looms eligible under 10% capital subsidy for weaving sector | Annex-M |
| 2.16 Machinery eligible for CAD, CAM and design studio | Annex -N |

Note : The lending agencies should ensure that make and year of manufacture of all the above eligible machinery are clearly indicated on machine / name plate attached to machine.

3. GENERAL ELIGIBILITY CONDITIONS

3.1 TYPE OF UNITS:

- (1) Existing unit with or without expansion and new units.
- (2) Existing units can modernise and / or expand with the appropriate eligible technology.
- (3) New units must set up their entire facilities only with the appropriate eligible technology.
- (4) A unit can undertake one or more activities listed at **I-SCOPE OF THE SCHEME** hereinbefore under the Scheme.
- (5) Textile / Jute units with 100% foreign equity.

3.2 TYPE OF TEXTILE MACHINERY ELIGIBLE:

- (1) Under the TUF Scheme, generally only new machinery will be permitted.
- (2) However, the following imported second hand machinery are also eligible under Restructured TUFS:
 - a) Air jet, Projectile, Rapier and Waterjet shuttleless looms fitted with or without electronic jacquard / electronic dobby and with or without high speed direct beam warper with creel and/or sectional warping machine with auto stop and tension control of upto 10 years' vintage and with a residual life of minimum 10 years and with the value cap of Rs. 8.00 lakh

per machine.

- (3) A certificate from a chartered Engineer of the exporting country certifying the vintage and residual life of the imported second hand machinery must be furnished to the lending agency at the appropriate time as determined by the lending agency. Such a certificate is compulsory for any import of eligible second hand machinery under this scheme irrespective of the value of such import.
- (4) Balancing equipment or equipment required for de-bottlenecking the production process will also be eligible for funding under Restructured TUFS.
- (5) Waste reduction equipment or devices will be eligible for funding under the Restructured TUFS.
- (6) The size of the technologically upgraded facilities of an existing unit or size of the new unit must be of a minimum economic size (MES). MES for eligible segments of the industry should be any unit which is financially viable as per viability analysis of the financial institutions or banks. MES for stand-alone new spinning units will be 8000 spindles.
- (7) All sample machines for all eligible machinery under Restructured TUFS for 5% / 4% interest reimbursement will be eligible.
- (8) Accessories / attachments / spares received along with the machinery upto the value of 20% of the machinery cost or actual value whichever is lower will be eligible.
- (9) Machinery eligible for one segment is eligible for other segments / activity also unless its eligibility is specifically restricted for a particular segment.
- (10) Eligibility of any other textile machinery equal to or higher than the benchmarked technology not listed in the annexures or developed in the course of the operation of Restructured TUFS will be, suo motu or on reference, specifically determined by the Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC) constituted by the Government.

3.3 **OTHER INVESTMENTS ELIGIBLE:**

- 1) (i) The following investments for apparel sector and handloom sector will also be eligible to the extent necessary for the plant and equipment to be installed for Technology Upgradation and the total of such investments will not normally exceed 50% of the total investment in such plant and machinery:
 - (a) factory building including renovation of factory building;

- (b) Preliminary and pre-operative expenses;
 - (c) Margin money required for working capital, specifically required for the technology upgradation;
 - (ii) In case apparel / handloom unit is engaged in other activity, the eligible investment under this head will only be related to plant & machinery eligible for manufacturing of apparel / handlooms.
- 2) Investment in the acquisition of technical know how including expenses on training and payment of fees to the foreign technicians.
 - 3) Lending in excess of the limits prescribed above in respect of the items included in subparas (1) of this para (i.e. para 3.3) shall attract the normal lending rates.

3.4 CUT-OFF DATE UNDER RESTRUCTURED TUFS:

Only such loans as sanctioned by the lending agencies during the period, from the date of this government resolution to 31.3.2012 (both dates inclusive), will be eligible to be considered for grant of benefits under this scheme.

3.5 COVERAGE OF PHASE-WISE EXPANSION:

Phase-wise expansion under Restructured TUFS is permitted provided Restructured TUFS loan is availed under single loan proposal for single project under phase-wise expansion of capacity.

3.6 COVERAGE OF INVESTMENT PRIOR TO SANCTION OF THE LOAN:

Advance / token payment up to the margin money for machine cost can be paid by the unit prior to the date of sanction of term loan. However, machines purchased on or after date of sanction of term loan will be eligible under Restructured TUFS subject to fulfilment of other terms and conditions.

3.7 BENEFIT OF OTHER SCHEMES:

Textile / Jute units are permitted to avail of benefits of other schemes, in addition to Restructured TUFS, unless specifically provided otherwise. In case of doubt, the matter may be referred to the Textile Commissioner for clarification.

3.8 DETERMINATION OF ELIGIBLE INVESTMENT UNDER CERTAIN CONDITIONS:

If a loan is not fully covered under Restructured TUFS, i.e., it consists of both the TUFS and non-TUFS components, then disbursements and repayments are required to be apportioned proportionately between the TUFS and Non-TUFS components, for the purpose of working out interest reimbursements payable.

4. SECTOR - SPECIFIC ELIGIBILITY CONDITIONS:**4.1 COTTON GINNING AND PRESSING:**

- a) Ordinarily, only composite (cotton ginning with pressing) units will be eligible for coverage under the Scheme. However, independent ginning or pressing units will be eligible to modernise under the scheme provided they forward - integrate or backward - integrate with the pressing and ginning facility respectively, of eligible technology level.
- b) Only double roller gins or saw gins will be eligible.
- c) Baling Press Standards should be in conformity with the amended BIS specifications.
- d) A unit with existing 2-stage manual bale pressing machine will not be compelled to replace it, while going for other modernisation, as per Restructured TUFs. However, a unit replacing the bale pressing machine or installing bale pressing machine for the first time will be required to install only single stage automatic bale pressing machine.

4.2 SPINNING/SILK REELING & TWISTING/WOOL SCOURING & COMBING / SYNTHETIC FILAMENT YARN TEXTURISING, CRIMPING & TWISTING**a) Cotton ring spinning system:**

- (i) New stand alone / replacement / modernization of spinning machinery will be eligible for 4% IR and spinning units with forward integration with matching capacity in weaving / knitting / processing / garmenting will be eligible for 5% IR.
- (ii) In the cotton ring spinning system, for new units the MES will be 8000 spindles. For capacity expansion and modernisation of the units there will be no MES.
- (iii) In case of modernisation of existing obsolete spindleage through technology upgradation, replaced old and obsolete spindles should ordinarily be scrapped and made completely unserviceable unless their operations are established to be viable.

[Note : Ring frames older than 15 years and back up machinery / equipment older than 20 years should invariably be scrapped.]

- (iv) (a) The cotton ring spinning units are permitted to install back-up facilities for de-bottlenecking, viz., cone winding machine, cards,

draw frame, speed frame, blow room etc. without increase in the spindleage, provided the unit is at or above the MES level, viable and such investments brings up the unit to the desired benchmark technology level as a whole.

- (b) Auto doffer system for ring frame as a retrofit is covered under the scheme which may be retrofitted / installed as a new or existing frame irrespective of any make / manufacturer.
- (v) Installation of compact spinning machine for setting up of new capacity or for modernisation / replacement of existing ring frames is permitted without any stipulation of MES. In situ upgradation of existing ring frames by changing the existing drafting system to compact spinning drafting system is also covered under Restructured TUFS.
- (vi) Post spinning / twisting of yarn processing plant on stand alone basis to produce two fold twisted yarn or singeing yarn without putting up yarn spinning unit are covered.

b) Open end/Dref/Parafil/Selfil/Airjet spinning system:

These spinning systems being, by and large, specialized yarn making systems, modernisation, capacity expansion or new units will be permitted.

c) Worsted spinning system :

- (i) Technology upgradation of existing capacity and expansion/new units with appropriate eligible technology will be permitted.
- (ii) Independent wool scouring and combing units will also be eligible for funding under the Restructured TUFS.

d) Woollen/shoddy spinning system :

- (i) Woollen system of spinning includes semi-worsted system of spinning.
- (ii) Technology upgradation in existing units and capacity expansion/new units in these sectors with appropriate eligible technology will be permitted.

e) Silk reeling & twisting :

- (i) Technology upgradation in the existing capacity and expansion/new units with appropriate eligible technology will be permitted.
- (ii) The replaced obsolete reeling/twisting machinery should normally be dismantled unless their operations are established to be viable.

f) Synthetic filament yarn texturising, crimping and twisting:

Replacement of existing obsolete machinery, capacity expansion or installation new units with appropriate eligible technology will be permitted.

g) Carpet industry:

Technology upgradation of existing capacity and expansion / new units with appropriate eligible technology will be permitted.

4.3 VISCOSE FILAMENT YARN AND VISCOSE STAPLE FIBRE:

- (i) Replacement of existing obsolete machinery, capacity expansion or installation of new units with appropriate eligible technology will be permitted.
- (ii) The replaced obsolete machinery should ordinarily be dismantled unless their operations are established to be viable.

**4.4 WEAVING, KNITTING AND NON-WOVEN / TECHNICAL TEXTILES/
FABRIC EMBROIDERY MANUFACTURING UNITS :**

a) I. Essential for non-woollen weaving units :

- i) An appropriate configuration of looms and machinery conforming to minimum economic size.
- ii) In case of technology upgradation in an existing unit, the replaced old and obsolete looms should ordinarily be scrapped and made unserviceable unless their operations are established to be viable.

II. Decentralised (SSI) weaving sector:

- 1. In-situ upgradation of existing ordinary looms / semi automatic looms to automatic looms with additional features like weft stop motion, warp stop motion, positive/semi-positive let off motion with or without dobby/jacquard, is permitted to decentralised powerloom sector.
- 2. Replacement of an ordinary loom by a new automatic loom with benchmarked technology features are permitted.
- 3. New units in the decentralized powerloom sector are permitted to install automatic looms with benchmarked technology features under Restructured TUFS.

III. Handloom weaving:

- 1. Handloom sector is eligible for taking the benefits of Restructured TUFS for all machinery listed in the GR on Restructured TUFS and

permitted for other sectors including powerloom and mill sector. In handloom sector only weaving activity is different from powerloom and mill sector while other activities particularly processing are same.

2. Handlooms with specified benchmark features operated without the use of power have been covered.

b) Essential for woollen units :

- i) An appropriate configuration of looms and machinery conforming to minimum economic size.
- ii) In-house weaving preparatory at least matching with the weaving capacity (in the case of SSI units, weaving preparatory is not essential).
- iii) In case of technology upgradation in an existing unit, the replaced old and obsolete looms should ordinarily be scrapped and made unserviceable unless their operations are established to be viable.

c) Independent weaving preparatory units :

An independent SSI / non-SSI (woollen or non-woollen) weaving preparatory unit will install weaving preparatory machinery as listed in Annex - D1.

d) Knitting units :

Replacement of existing obsolete machinery, capacity expansion or installation of new units with appropriate technology is permitted under Restructured TUFS

e) Technical textiles / Non-wovens manufacturing units

- (a) Machines required to manufacture technical textiles and non-wovens, as listed in Annex - D2 are eligible for coverage under Restructured TUFS.
- (b) Since some of the machinery of technical textiles are common the technical textile units intending to avail of 10% capital subsidy will have to obtain a registration number from Office of the Textile Commissioner prior to becoming eligible for 10 percent capital subsidy. To obtain registration number technical textile units have to submit the information in prescribed format TR - I.

4.5 GARMENT / MADE-UP MANUFACTURING :

- a) Woven and / or knitted garment and/or made-up manufacturing or combination

thereof will be eligible.

- b) Garment / made-up manufacturing and other accessory equipments as required are to be installed out of the list in Annex – E.

4.6 DESIGN STUDIO:

Design studio set up by the textile, readymade garment and jute industry with eligible machinery / equipments, software and testing equipment is covered under Restructured TUFS.

4.7 PROCESSING OF FIBRE / YARN / FABRICS / GARMENTS / MADE-UPS

Processing machinery including essential quality control equipments listed in Annex -F for fibre / yarn / fabrics / garment / made-up processing and finishing will be eligible.

4.8 JUTE TEXTILES

a) Jute softening & carding, drawing, spinning and weaving:

New machinery of eligible technology as listed in Annex-G will be permitted.

b) Spinning and weaving/knitting of jute blends:

- (i) Eligibility conditions for units spinning jute blends will be the same as for cotton spinning system detailed in para 4.2.
- (ii) Eligibility conditions for units weaving/knitting jute blended fabrics will be the same as for non-woollen weaving and knitting as detailed in para 4.4.

c) Jute-blended garment/made-up manufacturing :

Eligibility conditions for units manufacturing jute-blended garments and/or madeups will be the same as for non-jute garment/made-up manufacturing detailed in para 4.5.

d) Processing of jute products

- (i) Processing machinery as listed in Annex - G are eligible.
- (ii) Quality control and pollution control equipment eligible for Restructured TUFS funding will also be eligible as listed in Annex - G.

e) Processing of jute-blended products:

Eligibility conditions will be the same as for processing of non-jute textile products as detailed in para 4.7.

f) Material handling :

The machinery for material handling as listed in Annex - G are essential for modernising jute units.

**5. TECHNICAL ADVISORY-CUM-MONITORING COMMITTEE (TAMC) -
INTERPRETATION OF ELIGIBILITY:**

The Government has constituted a Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC) under the Chairmanship of Textile Commissioner with technical experts from government and industry covering the different segments, as members. The composition and functions of TAMC are at **Annex-O**.

- (1) Amendment in the list of machinery in terms of addition / deletion will be done by the TAMC.
- (2) If any question of interpretation or clarification is raised by the lending agency / entrepreneurs as to the eligibility of any unit or machinery under the scheme, the decision of the TAMC will be final.
- (3) The TAMC will also monitor and review the progress of the scheme and apprise the Ministry and IMSC periodically.

III. LOANS UNDER THE SCHEME

Under the Technology Upgradation Fund Scheme, loans will be provided subject to terms and conditions given below:

a) Amount of loan :

The assistance will be need-based. There will be no minimum or maximum limit for individual loans.

b) Promoter's contribution :

To be decided by the lending agency on the basis of its existing norms.

c) Rate of Interest :

(i) Rupee loan :

Effective rate of interest to the concerned borrower will be 5% lower than the prevailing commercial rates of interest charged by the lending agencies concerned; the Ministry of Textiles will reimburse the 5% under the scheme to all segments except spinning machinery of new stand alone / replacement / modernization of spinning units, where the interest reimbursement will be limited to 4%.

(ii) Foreign Currency Loan:

As applicable for normal Foreign Currency loan. However, cover for exchange rate fluctuation not exceeding 5% per annum would be provided under the scheme. In case of spinning machinery, the exchange rate fluctuation will be limited to 4% for new stand alone / replacement / modernisation of spinning machinery.

(iii) Period of interest reimbursement :

- (a) 1. Interest reimbursement of 5% / 4% will be available for a period of 7 years including 2 years of implementation / moratorium. The implementation and moratorium period can be more than two years but interest reimbursement for implementation and moratorium period will be limited to two years only. The implementation and moratorium period is considered from the first date of disbursement of loan under Restructured TUFs.
2. Quarter-wise interest reimbursement under Restructured TUFs will be restricted to the quantum as per the loan repayment schedule of 7 years or actual, whichever is lower, submitted by lending agencies to the Office of the Textile Commissioner for obtaining the unique ID number as per the procedure in Para IV. The foreign exchange fluctuation / forward cover premium will also follow the same system.
3. 10% / 25% capital subsidy / 15% / 20% MMS under Restructured TUFs will be restricted to the quantum as per the quarter-wise information submitted by lending agencies to the Office of the Textile Commissioner for obtaining unique ID number.
4. Banks are free to give loan for more than 7 years but subsidy will be given only for a period of 7 years including implementation / moratorium period of maximum upto 2 years.
- (b) If an account becomes a non-performing asset (NPA), the interest reimbursement would not be available for that period. The interest reimbursement will be available from the date of coming out of the NPA category.

d) **Other conditions, viz., period of loan, security, conversion option, Debt-Equity-Ratio etc.**

Eligible units will be of minimum economic size. Other conditions will be such as determined by the lending agency as per its existing normal norms.

e) **Financial norms of eligible unit.**

The units with a good track record, viable and positive network are eligible.

f) **Contingency provisions:**

The contingency provision (non-firmed up cost) to the extent of 5% maximum (on actual basis) may be covered under Restructured TUFS in respect of plant and machinery and other investments eligible under Restructured TUFS.

g) **Transferring the Restructured TUFS loan from one bank / FI to another bank / FI as well as closing down one term loan account under Restructured TUFS and availing of fresh term loan:**

The outstanding principal amount under Restructured TUFS loan account from one bank / FI can be transferred to another bank / FI subject to the condition that portfolio (i.e., balance principal amount) remains unchanged and the overall repayment period does not exceed 7 years. However, this facility will be provided three times during

the period of the subsidy submitted by the original bank will

k) Coverage of lease finance:

Interest portion of the lease finance taken by the manufacturers from NAs/co-opted PLIs for eligible machinery and equipments has been covered under Restructured TUFS. The coverage of lease finance will be subject to normal leasing norms but lease period will be limited to 7 years.

l) Coverage of Hire Purchase Scheme of National Small Industries Corporation (NSIC) Ltd.

Interest portion of the Hire Purchase Scheme of NSIC are covered under Restructured TUFS subject to the units meeting the technology and other eligibility parameters laid down under the scheme.

m) Approval of nodal agency for the loan sanctioned by co-opted PLI with their own prudential norms without effecting the technology norms under Restructured TUFS:

The projects under Restructured TUFS which are sanctioned by co-opted PLIs as per their own prudential norms and in compliance with the technology norms of Restructured TUFS should be approved by Nodal Agencies.

n) Co-guarantee provided by yarn supplier / master weaver:

Grant of Restructured TUFS loan to small scale powerloom units on the strength of co-guarantee provided by the yarn supplier / master weavers with sound financial position and ability to meet banking norms are to be decided by FIs / banks. However, if in such cases term loans/finance was provided by the FIs / banks, benefits under Restructured TUFS would be available as per approved guidelines.

o) The banks/FIs which have advanced loans to textile units eligible for 5% / 4% interest reimbursement as the case may be will accept the repayment of loan if made within the prescribed date without the 5% / 4% as the case may be which it will get from the nodal agency. On the amount reimbursed, the Banks/FIs may, however, charge interest at PLR from the unit till it is received from the nodal agency.

p) Deferred Payment Guarantee (DPG) scheme - Operational Guidelines:

The DPG in respect of rupee loan only is covered under Restructured TUFS. The operational guidelines are at **Annex-P**.

q) Coverage of ECB under Restructured TUFS

ECB availed of from overseas branch of an Indian bank / foreign bank having Indian branch (being co-opted PLI) will be eligible for Restructured TUFS benefits

prescribed for foreign currency loan under the scheme, i.e., either 5% / 4% cover as the case may be for exchange rate fluctuation from the base rate or forward cover premium limited to 5% / 4% per annum.

r) Margin Money Subsidy @ 20% under Restructured TUFS (MMS@20%-TUFS) for Powerloom sector –Operational Guidelines:

MMS-TUFS@20% for powerloom sector will be operationalised by Office of the Textile Commissioner and detailed operational guidelines are at **Annex – Q and Annex T.**

s) Margin Money Subsidy @ 15% under Restructured TUFS (MMS@15%-TUFS) for SSI Jute & Textile sector –Operational Guidelines:

MMS-TUFS@15% for SSI Jute & Textile sector will be now operationalised by Office of the Textile Commissioner in addition to lending agencies and detailed operational guidelines are at **Annex – R and annex T.**

t) Additional incentive in the form of 10% capital subsidy for the processing machinery, brand new shuttleless looms, garmenting machinery and technical textile machinery under Restructured TUFS:

The detailed operational guidelines are at **Annex - S.**

u) 25% capital subsidy for the handloom sector under Restructured TUFS:

1. An additional option has been provided to Handloom Sector to avail of either 25% capital subsidy or the existing 5% interest reimbursement under Restructured TUFS.
2. The detailed operational guidelines including list of specified handloom machinery will be issued by the Office of the Development Commissioner (Handlooms), New Delhi.

v) 25% capital subsidy for the silk sector under Restructured TUFS:

1. An additional option has been provided to Silk Sector to avail of either 25% capital subsidy or the existing 5% interest reimbursement under Restructured TUFS.
2. The detailed operational guidelines including list of specified silk machinery will be issued by the Central Silk Board, Bengaluru.

IV. IMPLEMENTATION/MONITORING/APPRAISAL MECHANISM

1. Stage I of Monitoring Process

- (i) There would be an online pre-authorisation system for each eligible application by the Textile Commissioner, Mumbai. Applications would be processed on a first come first served basis, subject to eligibility and availability of funds.
- (ii) For obtaining a Unique ID number, the nodal banks / nodal agencies / co-opted PLIs will submit information online in the prescribed format to the Textile Commissioner, Mumbai, after determination of eligibility and admissible amount under Restructured TUFs for each case. The format for applying for unique ID number is at Annex – U. The lending agencies are required to furnish quarter-wise subsidy requirement for entire period of 7 years or actual period whichever is lower. Quarter-wise interest reimbursement / capital subsidy will be restricted to the quantum as submitted in this format to the Office of the Textile Commissioner. Quarter-wise interest reimbursement / capital subsidy can be lower than the amount given in this format but cannot be higher than this amount.
- (iii) On receipt of the information in the prescribed format, the Textiles Commissioner Mumbai will issue a Unique ID number to pre-authorize the loan application for submission of subsidy claim by the lending agency.
- (iv) Any application sanctioned by the Bank without the Unique ID number by the Textiles Commissioner, Mumbai would not be eligible for release of subsidies under the Restructured TUFs scheme.
- (v) The Textiles Commissioner will stop preauthorization as soon as the available investment / subsidy cap is reached in each segment, as mentioned in para 6(xvi).

2. Stage II of Monitoring Process

The Inter-ministerial Steering Committee under the Chairmanship of Secretary (Textiles) would intensively review the scheme and ensure compliance of the investment/ subsidy cap.

V. MANAGEMENT

One of the main requirements for sanction of assistance under the TUF Scheme will be the availability of competent management to the unit concerned to carry out the modernisation programme and also to manage the operations of the unit efficiently. Towards

this end, Lending agencies may stipulate conditions relating to broad-basing of the Board, appointment of senior technical/financial executives, professionalisation of the management and constitution of such committees as may be considered necessary.

VI. WORKING CAPITAL REQUIREMENTS

Since the success of the modernisation programme would, to a large extent, depend upon the availability of adequate working capital to achieve the full benefit of the modernisation programme, the units have to make adequate arrangements with their bankers for meeting working capital requirements.

VII. NODAL AGENCIES (NA) / CO-OPTED PLIs

1. The nodal agencies under the scheme for different segments are as follows:

Segments	Nodal Agencies
Textile Industry (excluding SSI Sector)	- IDBI Bank
SSI Textile Sectors	- SIDBI
Jute Industry	- IFCI

2. The nodal agencies may co-opt other All India Financial Institutions (AIFIs)/ state financial corporations (SFCs) / state industrial development corporations (SIDCs) and commercial / cooperative banks in the scheme for sanction and disbursement of loan so as to have a better reach. However, there will be no erosion in the rate of the interest reimbursement available to the borrower on account of such linkages. A list of co-opted lending agencies is at **Annex – V**. The nodal agencies may also co-opt additional lending agencies for increasing the reach of the Restructured TUFS.
3. The nodal agencies will determine the eligibility under Restructured TUFS of their directly assisted cases and submit subsidy claim in the prescribed format to the Office of the Textile Commissioner.
4. In respect of the co-opted financing institutions, nodal agencies will determine the eligibility and will be responsible for verifying the subsidy claims of the co-opted AIFIs/SFCs, SIDCs and commercial/co-operative banks and actual disbursement thereof.
5. Applications for assistance under the Scheme may be submitted in the prescribed form available from the concerned nodal agencies or co-opted AIFIs/SFCs/SIDCs/ commercial/cooperative banks, as the case may be.

6. A special cell will be set up by the financing institutions for expeditiously processing loan applications.

VIII. NODAL BANKS

- (i) 36 nodal banks are designated under Restructured TUFs for the cases financed by them. The names of the 36 banks are as under :

1	Allahabad Bank	19	ING Vysya Bank
2	Andhra Bank	20	Jammu & Kashmir Bank
3	AXIS Bank	21	Karnataka Bank
4	Bank of Baroda	22	Karur Vysya Bank
5	Bank of India	23	Laxmi Vilas Bank
6	Bank of Maharashtra	24	National Co-operative Development Corporation (NCDC)
7	Canara Bank	25	Oriental Bank of Commerce
8	Catholic Syrian Bank	26	Punjab and Sind Bank
9	Central Bank of India	27	Punjab National Bank
10	City Union Bank	28	Rajasthan State Industrial Investment Corporation
11	Corporation Bank	29	South Indian Bank
12	Dena Bank	30	State Bank of India
13	EXIM Bank	31	Syndicate Bank
14	Federal Bank	32	Tamilnad Mercantile Bank
15	ICICI Bank	33	UCO Bank
16	Indian Bank	34	Union Bank of India
17	Indian Overseas Bank	35	United Bank of India
18	Indusind Bank	36	Vijaya Bank

- (ii) The nodal banks will determine the eligibility and release the Restructured TUFs benefit in respect of all the cases financed by them under Restructured TUFs including non-SSI, SSI and 10% capital subsidy for specified processing machinery/ brand new shuttleless looms / garmenting machinery / technical textile machinery. The State Bank of India will also function as nodal bank for its seven associate banks. Similarly, Bank of Baroda will function as nodal bank for its five Regional Rural Banks (RRBs).

- (iii) In case of consortium financing, the consortium leader shall assess eligibility of the project under Restructured TUFS for itself and also for other members of the consortium, provided the consortium leader is a nodal bank. In case consortium leader is not a nodal bank, the nodal bank with major share of term loan shall assess the eligibility of the project including amount of loan eligible under Restructured TUFS and also determine eligibility of 10% capital subsidy for specified processing machinery / brand new shuttleless looms /garmenting / technical textile machinery.
- (iv) In case of financing by multiple banks, the bank with major share of term loan shall assess eligibility of the project under Restructured TUFS for itself and also for other banks, provided the said bank is a nodal bank. In case bank with a major share of term loan is not a nodal bank, the nodal bank with major share of term loan shall assess the eligibility of the project including amount of loan eligible under Restructured TUFS and also determine eligibility of 10% capital subsidy for specified processing machinery / brand new shuttleless looms /garmenting / technical textile machinery.
- (v) In case of consortium financing / financing by multiple banks, the individual banks shall administer interest reimbursement / capital subsidy to their assisted units, provided the banks are nodal banks. However, IDBI Bank/ SIDBI shall administer interest reimbursement to those banks of the consortium / multiple banking arrangement which are not nodal banks, for which purpose IDBI Bank / SIDBI shall be endorsed / forwarded a copy of eligibility certificate by the nodal bank, issued to such banks.
- (vi) Nodal Banks shall submit utilisation certificate to MoT, GoI, New Delhi in prescribed formats on monthly / quarterly basis before submission of next quarterly claim in the prescribed format. The co-opted PLIs will submit the utilization certificate to Nodal Agencies and to Office of the Textile Commissioner before submission of next quarterly claim in the prescribed format.

IX. CO-OPTED PRIVATE SECTOR COMMERCIAL BANKS

Co-opted private sector commercial banks of SIDBI will determine the eligibility of SSI cases under Restructured TUFS and submit the claims through SIDBI to Office of the Textile Commissioner. **Funds for such banks maybe channelized through SIDBI.** The names of the co-opted private sector commercial banks are as under:

1	Development Credit Bank Ltd., Bombay
2	Dhanalakshmi Bank Ltd.
3	HDFC Bank

4	Ratnakar Bank Ltd.
5	Yes Bank Ltd.
6	Nainital Bank Ltd.

The co-opted private sector commercial banks will determine the eligibility in respect of all the SSI cases financed by them and submit the claims through SIDBI to Office of the Textile Commissioner.

X. RELEASE OF FUNDS TO THE NODAL AGENCIES / NODAL BANKS / CO-OPTED PLIs

- (i) Lending agencies shall submit the data for unit-wise claims in respect of units with unique ID number in Formats to be prescribed by Office of the Textile Commissioner by 5th of the following quarter through the online system developed by the Office of the Textile Commissioner.
- (ii) Release of funds will be made only after the receipt of the utilisation certificate, no excess claim certificate, certificate that bank is not involved in corrupt practices / unfair means and acceptance of the sanction order of MOT from the concerned Banks.
- (iii) Lending agencies shall submit the claims based on actual claims received from their branches.
- (iv) The release of funds to the Restructured TUFs beneficiaries would be made within 3 working days of receipt of funds from MOT.
- (v) Lending agencies shall not divert the funds for any other purposes and entrust the execution of the scheme or work concerned to another Institutions or Organisations and shall abide by the terms & conditions of the release of funds. If the bank fails to utilize the funds for the purpose for which the same has been sanctioned, the bank will be required to refund the amount of funds with interest thereon @ 10% per annum.
- (vi) All the Nodal Agencies / Nodal Banks / co-opted PLIs receiving funds under Restructured TUFs shall maintain a dedicated interest bearing Bank Account for the purpose. Any interest that may accrue on the balances lying pending release in the dedicated account shall be deposited every quarter by the Banks to the Pay and Account Office, Ministry of Textiles, New Delhi. The Demand Draft for such an amount may be drawn in favour of the Pay and Accounts Officer, Ministry of Textiles, New Delhi. At the time of depositing the interest under the Scheme lending agencies may submit full details viz., the amount on which the interest has been accrued, the exact date and period and the rate of interest charged to the Pay and Accounts Office, Ministry of Textiles.

- (vii) Funds to the nodal banks will be paid only through the Electronic Clearing Service (ECS)/ Real Time Gross Settlement (RTGS). For this each nodal bank will provide details such as name of the bank, branch, account no., MICR code of the bank etc. to the Ministry of Textiles.
- (viii) The above guidelines for release of funds are also applicable to the co-opted PLIs of the SIDBI, IDBI Bank and IFCL.

XI. MISCELLANEOUS

- (i) Applications for assistance under the Fund Scheme may be submitted in the prescribed form available from the concerned nodal agencies or co-opted AIFIs/SFCs/SIDCs/ commercial/cooperative banks, as the case may be.
- (ii) A special cell will be set up by the financing institutions with a nodal officer for expeditiously processing loan applications. The name, address, designation, telephone number and e-mail ID of the nodal officer should be communicated to Office of the Textile Commissioner.
- (iii) Lending agencies shall maintain requisite database of company / project-wise eligibility established / pending references for Restructured TUFS-eligibility / interest reimbursement effected, etc. for information to Office of the Textile Commissioner, Mumbai / MoT, GoI, New Delhi, and parliament questions, if any.
- (iv) IDBI Bank / SIDBI would render advisory services to Nodal Banks / co-opted PLIs for clarifications and may organise work shops in association with Office of the Textile Commissioner for the benefit of the nodal banks / co-opted PLIs.
- (v) In case of any doubts regarding eligibility of a case or any other related issue nodal banks / co-opted PLIs may contact IDBI Bank / SIDBI or office of the Textile Commissioner for guidance / assistance.
- (vi) Lending agencies may physically verify the plant and machinery as approved under Restructured TUFS have been duly installed by the unit.

-sd-

(V. SRINIVAS)

JOINT SECRETARY,

ANNEX - A**LIST OF THE GINNING & PRESSING MACHINERY ELIGIBLE UNDER TUF****SCHEME**

Sr. No.	Item	Minimum requirement	
		Large Unit	Small Unit
1.	Ginning machines	24 DRs of normal size/22 extra-long DRs /18 jumbo DRs with Autofeeder /3 sawgins (90 saws) or equivalents with a processing capacity of 6-8 bales per hour.	12 DRs of normal size/11 extra-long DRs /9 Jumbo DRs with Autofeeder/1 or 2 sawgins with equivalents processing capacity of 3-4 bales per hour.
2	Precleaner	Cleaner with 4 or more beater cylinders/rolls with capacity to suit the processing speed of the ginning machines.	Cleaner with 4 or more beater cylinders /rolls with capacity to suit the processing speed of the ginning machines.
3	Lint Cleaner	Cleaner with 3 or more beater cylinders/rolls with capacity to suit the processing speed of ginning machines	Cleaner with 3 or more beater cylinders/rolls with capacity to suit the processing speed of ginning machines.
4	Kapas Conveyor System	(i) Pneumatic conveyor with Stone Catcher for the first stage from heaps to Precleaner; (ii) Mechanical/Pneumatic conveyor from Precleaner to individual gins. Central Platform system not permitted unless it exists already.	(i) Pneumatic conveyor with Stone Catcher for the first stage from heaps to Pecleaner; (ii) Mechanical/Pneumatic conveyor from Precleaner to individual gins. Central Platform system not permitted unless it exists already.
5	Lint Conveyor System	Mechanical / Pneumatic Conveyor (i) from Gins to Lint cleaner; (ii) from Lint cleaner to each Pala Hall and (iii) from each Pala Hall to a) Bale Press Hall in case of existing conventional Bale Press b) Bale Press box through	Mechanical / Pneumatic Conveyor (i) from Gins to Lint leaner; (ii) from Lint cleaner to each Pala Hall and (iii) from each Pala Hall to a) Bale Press Hall in case of existing conventional Bale Press b) Bale Press box trough

Sr. No.	Item	Minimum requirement	
		Large Unit	Small Unit
		Lint slide and Pusher Mechanism in case of modern Bale Press (direct feeding of cotton from Lint Cleaner to Press box permitted)	Lint slide and pusher Mechanism in case of modern Bale Press (direct feeding of cotton from Lint Cleaner to Press box permitted)
6	Bale Press	Single stage of hydraulic, auto tramping Bale Press with Lint slide and Pusher mechanism for direct feeding of lint into the press box,. Conventional water hydraulic, two-stage presses without autotramping facility will however, be permitted if they already exist.	Single stage of hydraulic, auto tramping Bale Press with Lint slide and Pusher mechanism for direct feeding of lint into the press box,. Conventional water hydraulic, two-stage presses , without auto tramping facility will, however, be permitted if they already exist.
7	Conveyor for	Automatic Conveyor from gins to Seed Platform	Automatic Conveyor from gins to Seed Platform
8	Humidifier/ Moisturizer	<u>In Gin Hall</u> In case of Central Platform, 2 Benson fans or adequate number of nozzles. <u>In Pala Halls</u> 2 Benson fans in each Hall or adequate number of nozzles.	<u>In Gin Hall</u> In case of Central Platform, 2 Benson fans or adequate number of nozzles. <u>In Pala Halls</u> 2 Benson fans in each Hall or adequate number of nozzles.
9.	Fire Fighting System	<u>In case of unit not having tube well in the premises:</u> Overhead tank and / or sump (capacity 1.25 lakh litres) / water tank (1.50 lakh litres) with a minimum of 10 hydrants strategically located, hose pipes with nozzles and a standby diesel pump besides an electric pump.	<u>In case of unit not having tube well in the premises:</u> Overhead tank and / or sump (capacity 65,000 litres) / water tank (75,000 litres) with a minimum of 6 hydrants strategically located, hose pipes with nozzles and a standby diesel pump besides an electric pump.

Sr. No.	Item	Minimum requirement	
		Large Unit	Small Unit
		<u>In case of unit having tube well in the premises:</u> Overhead tank and / or sump (capacity 50,000 litres) / water tank (50,000 litres) with a minimum of 10 hydrants strategically located, hose pipes with nozzles and a standby diesel pump besides an electric pump.	<u>In case of unit having tube well in the premises:</u> Overhead tank and / or sump capacity 25,000 litres) / water tank (25,000 litres) with a minimum of 6 hydrants strategically located, hose pipes with nozzles and a standby diesel pump besides an electric pump.
10	Underground wiring	All high tension and low tension wires/cables to be under-ground	All high tension and low tension tension wires/cables to be under-ground
11	Weigh Bridge	Capacity; 20 tons/5 tons depending on local need (Not required if the facility is available nearby)	Capacity; 20 tons/5 tons depending on local need (Not required if the facility is available nearby)

12. **Optional machinery**

All foreign fibre detectors /removers.

13. **Any other machinery considered appropriate by the Technical Advisory-cum Monitoring Committee (TAMC).**

ANNEX - B-1**LIST OF MACHINERY ELIGIBLE UNDER TUF SCHEME FOR SPINNING
/SILK REELING AND TWISTING / SYNTHETIC FILAMENT YARN
TEXTURISING CRIMPING AND TWISTING.****a. SPINNING MACHINERY FOR COTTON SYSTEM OF SPINNING.**

1. Fully automatic bale handling, plucking, peeling and blending grab machine with microprocessors.
2. (i) Sophisticated blow room machinery for cotton fibre and its blends consisting of pre-cleaners, opening and cleaning machines with chute feeding system or lap making system, metal detector, microdust remover and dedusting condensers (for open end rotor spinning) with or without foreign fibre detector / remover.
(ii) Sophisticated blow room machinery for synthetic / regenerated fibres and their blends consisting of opening and cleaning machines with chute feed system or lap making system, metal detector with or without foreign fibre detector / remover.
(iii) Foreign fibre detector with CCD camera , Automatic bale plucking machines & sophisticated cleaning machine equipment in the existing blowroom line.
3. Automatic waste extraction system for card, gill box, comber and ring frame with or without waste recovery / recycling machinery.
4. (i) High production card capable of producing sliver above 50 kgs/hr with autoleveller.
(ii) High production card for lap feed system capable of producing sliver above 50 kg/hr with or without autoleveller.
5. High production draw-frame with delivery speed of 500 meters and above /minute with / with out autoleveller.
6. Sliverlap/Ribbonlap, Lapformer.
7. High speed combers of 240 nips/minute and above.
8. Speed-frame with 1200 r.p.m. and above.
9. High speed ring frames having spindle speed of 16,000 r.p.m. and above.
10. Open end rotor of 75,000 r.p.m. and above and other modern spinning systems, such as DREF, PARAFIL, SELFIL AND AIRJET.
11. Automatic cone winding machine (auto coner) operating at the speed of 1500 metres per minute and above and /or cheese winding machine with Siro cleaner.
12. Electronic yarn clearers and splicers for upgradation of existing automatic winding machines.
13. Two-for-one/Three-for-one twisters operating at the speed of minimum 8000 rpm & 5000 rpm respectively.
14. Yarn conditioning machine.
15. Industrial Humidification system with air washer plant and air filters to maintain RH and temperature with / without de-humidifiers (Chillers).
16. Dust/particulate material separators/collector (Air Pollution Control).

17. Overhead cleaner for spinning & winding.
18. Device for manufacturing core spun yarn.
19. Parallel winding machine with individual control management and length measuring device.
20. Process control equipments:
 - (a) Electronic yarn clearers for upgradation of existing automatic winding machines.
 - (b) "Sauter Automatic Plant Controls" for the Humidification Plant for controlling and maintaining R.H.
 - (c) "Opti speed" for Ringframes for changing the spindle speed throughout the doff according to a set pattern, so that yarn breakages are minimized etc.
 - (d) "Premier Ring Eye" under Information Technology, since the equipment monitors the yarn breaks in a Ringframe, identifies rogue spindles which give more number of breaks, indicates the production of the Ringframe through computer.
21. Air Compressor 15 H.P. and above.
22. Direct double yarn twisting attachment at Ring Frame (e.g. Elitwist attachment for spinning machine).
23. Ring Data Management System.
24. Plant Efficiency Management System.
25. Cabling Machine

Note : Machinery stated at sr. no. 1 to 25 above are eligible for restricted 4% interest reimbursement for new stand alone / replacement / modernisation of spinning machinery. However, spinning units with forward integration with matching capacity in weaving / knitting /processing / garmenting will be eligible for 5% IR.

b. MACHINERY FOR FLAX SPINNING

1. Flax hackling machine
2. Drawing Machine for Flax
3. Roving machine for Flax
4. Wet ring frame for Flax
5. Auto Winding machine for Flax

c. MACHINERY FOR SILK REELING AND TWISTING.

1. Multiend silk reeling machine (Automatic or Semi Automatic).
2. Silk twisting machine (Two for One or Three for One or up twisters).
3. Winding machine.
4. Conveyer cooking machine.

d. MACHINERY FOR SILK WASTE PROCESSING / SPINNING

1. Silk Waste processing .
 - i) Cocoon opener.
 - ii) Computerised silk waste cutting machine.
 - iii) Degumming machine.
 - iv) Drying chamber.
 - v) Carding machine.
 - vi) Preparatory machine.
2. Silk opener.
3. Automatic hopper feeder / Blending hopper feeder/ Feeder with automatic quality control (either with automatic quality weight or volume control / combined automatic weight) and volume control for silk card.
4. Carding Set.
5. Rectilinear-comber.
6. Vogoroux top / Silver printing machine.
7. Top to fibre / Top converting machine
8. Top bump press.
9. Draw frame / Roving frame/ Automatic rubbing frame / bobbins / Finisher.
10. Self twist spinning machine / Sirospinning (2 ply spinning) machine / Core Spinning Machine.
11. Fancy Yarn twisting and pattern machine.
12. Jumbo hank reeling machine.
13. Yarn brushing machine.
14. High speed inter-setting rotary / Chain pin drawing sets / Gill boxes.
15. Fibre opening and blending machine.
16. Raising / Brushing Machine.
17. Automatic and semi-automatic reeling machinery for mulberry and tassar.
18. Machines for twisting, Reeling, Brushing of yarn samples and small quantities of plain and fancy yarn.
19. Two Chamber stenter for processing of silk fabrics.

e. MACHINERY FOR SYNTHETIC FILAMENT YARN TEXTURISING, CRIMPING AND TWISTING.

1. Crimping machine.
2. Texturising machine.
3. Twisting machines.
4. Jumbo hank winder.

5. Rewinder/precision cone winder.
6. Micro slitting machine / Roll cutting machine.
7. Fancy Yarn Twisters and doubling machine.
8. Twisted & covered cord manufacturing machine.
9. Glittering Machine / Zic making Machine.
10. Air covering machine,
11. Universal double covering machine,
12. Spandex attachment on circular knitting /texturising machine.
13. Draw Twisting / Draw winding machine.
14. Precision assembly winder
15. Precision soft winder
16. Hank to cone / cheese winding machine

f. MACHINERY FOR COTTON WASTE RECYCLING PLANT

1. Automatic soft cotton waste recycling machine
2. Automatic hard cotton waste recycling machine
3. Automatic bale press system (Packing)
4. Automatic cotton dust & seed collection & filtration system
5. Fire protection system
6. Service facilities, viz., transport, weigh bridge system, automated bale weighing system, etc.

g. FIBRE/YARN TESTING EQUIPMENTS.

1. Modern fibre testing instruments viz., high/medium / low volume instrument for checking length, strength, micronnaire, maturity, trash, color etc.
2. Eveness tester.
3. Yarn fault classification equipment, viz, classimat, classidata etc.
4. Equipments for testing neps, length, diameter, maturity, trash, viz., AFIS / FILE, advance fibre information system, rapid tester, etc.
5. Single yarn tenacity tester, viz. tensorapid, statimat, tensomax, etc.
6. Tenacity / fibre crimp measurement instrument, viz., fevimat, etc.
7. Modern yarn testing equipment, viz., twist tester, hairiness tester, tension tester, co-efficient of friction tester, etc.
8. Moisture tester.
9. Packing density tester.
10. High precision weighing balance.
11. Computerised lea strength testing machine for CSP, count and CV% for CSP & count.

- h. Modern material handling equipment, viz., fork lifter, bale stackers etc.
- i. MACHINERY FOR SEWING THREAD (COTTON POLYESTER / CONTINUOUS POLYESTER FILAMENT / CORE YARN SEWING THREADS) MANUFACTURE.
1. Assembly winding / Cheese winding machine with individual control arrangement & length measuring device.
 2. Heavy ring doubler with or without wet arrangement.
 3. Polishing cum lubrication machine.
 4. Heat setting & stabilizing machine.
 5. Pre-application winder/ composite lubrication winder / cone winder.
 6. Precision winder & finishing machine / Twin cone winding and cop banding machine.
 7. Tube winding machine.
 8. Auto labeling and packing machine.
 9. Box stitching / Carton strapping machine.
 10. Bonding machine.
 11. Spool winder.
 12. Braiding machine.
 13. Braid dye package winder.
 14. Braid waxing machine.
 15. Braid cop winder.
 16. Pre-twister / Assembly winding machine.
 17. Uptwister.
 18. Dye packing winder.
- j. Any other machinery considered appropriate by the Technical Advisory-cum Monitoring Committee (TAMC).

ANNEX – B-2**LIST OF MACHINERY ELIGIBLE UNDER TUF SCHEME FOR
WOOL SCOURING, COMBING AND CARPET INDUSTRY****a. WOOL SCOURING, COMBING AND SPINNING MACHINERY FOR
WORSTED SYSTEM OF SPINNING.**

1. Sophisticated wool scouring machine with or without carbonizing plant / line.
2. Fibre opening/blending/cleaning/dusting machine.
3. High production worsted cards capable to give above 50 kg. production per hour.
4. High speed intersecting Gill box/Chain Gills/Rotary Gills/vertical Gill box of delivery speed of minimum 400 mtrs. per minute.
5. Drawing set /Roving frame /Rubbing frame of delivery speed of 200 mtrs. per minute.
6. High speed worsted ring frames of 12000 rpm & above with or without siro spinning attachment /or auto doffers.
7. Jumbo Spinning Frames.
8. High speed rectilinear comber of 210 nips per minute and above.
9. Two-for-one/Three-for-one twisters operating at speeds of minimum 8000 rpm & 5000 rpm respectively.
10. Yarn conditioning machine.
11. Assembly winding machine with micro process control.
12. Precision cone winding machine.
13. Air Splicers.
14. Automatic waste extraction system for card, gill box, comber and ring frame with or without waste recovery/recycling machinery.
15. Baling press for wool combing.
16. Wool carbonising line / plant.

b. MACHINERY FOR WOOLLEN SPINNING SYSTEM.

1. Wool scouring machine.
2. High production carding machine.

3. Gill Box for semi-worsted yarn.
4. Speed frame.
5. Ring frame.
6. Modern spinning system (DREF).
7. Winding machine.
8. Automatic waste extraction system for card with or without waste recovery / recycling machinery.

c. **MACHINERY FOR SHODDY SPINNING SYSTEM.**

1. Continuous garneting, rag tearing & pulling and carding machine.
2. Ring frame.
3. Winder.

d. **MACHINERY FOR CARPET INDUSTRY.**

I. **Machinery for carpet yarn manufacturing**

(i) **Machinery for wollen / semi-worsted yarn**

- (1) Assembly plying
- (2) Reeling / hank to cone winding / cheese & cone to cone winding

(ii) **Machinery for other yarns**

- (1) Chenile spinning

II. **Machinery for dyeing & finishing of yarns used for carpet industry**

- (1) Steam dryer
- (2) Spectrophotometer
- (3) Space Dyeing
- (4) Chem-set machine / twistset
- (5) Tape scour
- (6) Sample dyeing machine
- (7) Ancillary items
 - a. Water Treatment / Softening Plant

- b. Carving/ Embossing/ Shearing equipment
- c. Vacuum suction for cleaning of carpet

III. Machinery for woven carpet

- (1) Axminster weaving
 - a. Spool gripper
 - b. Jacquard gripper
- (2) Wilton weaving
 - a. Wireloom weaving / Brussels weaving
 - b. Face to face weaving

IV. Other carpet manufacturing machinery

- (1) Pass tufting
- (2) Needle felting
- (3) Fusion bonding
- (4) Carpet shearing & J box / J scrays
- (5) Carpet back coating / coating & drying line for latexing & finishing of carpets
- (6) Carpet overlocking / overedging machine
- (7) Carpet label machine
- (8) Carpet winding / baling machine
- (9) Carpet inspection / rubbing machine
- (10) Carpet fringing machine
- (11) Carpet printing machine
- (12) Carpet tile backing / coating / latexing & cutting line
- (13) M-tuft (Modra-tuft)
- (14) Kibby
- (15) Ned graphic

- (16) Weave link

V. Carpet testing equipment

- (1) Tuft withdrawal tensometer
- (2) Wear and abrasion tester
- (3) Hexapod walker tester
- (4) Carpet dynamic loading tester
- (5) Carpet static loading tester
- (6) Carpet pile height tester
- (7) Carpet thickness tester
- (8) Carpet flammability tester
- (9) Light fastness tester (xenotester)
- (10) Launder-o-meter
- (11) Crockmeter
- (12) Soxhlet extractor

- e. Any other machinery considered appropriate by the Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC).**

ANNEX - C**a. LIST OF MACHINERY ELIGIBLE UNDER TUF SCHEME FOR VISCOSE FILAMENT YARN AND VISCOSE STAPLE FIBRE MANUFACTURING.**

1. Continuous spinning machines for viscose filament yarn.
2. Digital electronic frequency inverters for spinning machines including control boards.
3. Finishing oil metering pumps with relevant feed system.
4. Metering gear pumps for viscose.
5. Portable systems for injection of pigments for viscose dope complete with stirred vessel, metering pumps, instruments and control panel.
6. Precious metal spinnerettes including distribution plates (pre-spinnerette)
7. Spin bath degassing plant by flash evaporation.
8. Spin bath backwash filtration system with candle filters.
9. Continuous dissolving and homogenising system for viscose preparation.
10. Contidisk filters for viscose.
11. Spinbath heat exchanger in graphite.
12. Distributed Central System (DCS) for automatic control parameters of viscose.
13. Automatic cake handling system during spinning and after treatment.
14. Processor controlled precision cone winding machine.
15. Automatic cone packing and palletising system.
16. Splicers for knotting viscose filament yarn breaks.
17. Viscose filament yarn strength tester, INSTRON or STATIMAT-4 or VIBRODYN 400 Model.
18. Testing equipment for process control and environment monitoring:
 - (i) Air sentry for atmosphere monitoring.
 - (ii) Stereo microscope for cross section studies.
 - (iii) Particle size analyser for viscose, pigments and tioz dispersion studies.
 - (iv) Spinnerettes Inspection microscope.

- (v) Magnetic flow meter in VRR.
- (vi) Online monitoring of soft water hardness.
- (vii) Portable colour matching system.
- (viii) Winder machine for uniform shade strips.
- (ix) Auto Titrator for precise volumetric analysis.
- (x) Portable density meter.

19. Eco Label Certification - Testing equipment for eco parameters:

- (i) High performance liquid chromatography & high performance thin layer chromatography.
- (ii) Perspirometer.
- (iii) Wash wheel machine.
- (iv) Atomic absorption spectrometer with accessories.
- (v) UV - Visual spectrometer.
- (vi) Gas chromatography with mass spectrometer.
- (vii) Fourier transforming infra red spectrometer.
- (viii) B.O.D. & C.O.D. monitors.

b. (i) **MACHINERY FOR VISCOSE STAPLE FIBRE**

- 1. Pulp pre-treatment – electron
- 2. Automatic pulp feeding system
- 3. Pulp slurry mixer with automatic slurry consistency control system
- 4. Twin Roll Slurry Press with Shredder
- 5. Ageing Drum
- 6. Automatic Alkali cellulose conveying / feeding system
- 7. Alkali Cellulose Cooler – Fluidized bed type with automatic temperature control
- 8. Lye filter (Candle filters)
- 9. Automatic Charge lye and Charge water mixing and cooling system
- 10. Xanthator with automation

11. Continuous Dissolving System with homogenisers
12. Ripening room with automatic process control, Continuous Filters with auto back flush features , Hydraulic Filter press, Centrifuge for reject viscose recovery, Screw / gear type viscose pump, viscose heating system, basket type viscose deaerators, continuous spinning tanks.
13. Distributed control system for the viscose section.
14. Automatic spinbath preparation, Circulation, Filtration, Heating & Evaporation system
15. Hastelloy-C Hexa Rollers Stretch Unit
16. High-speed automatic rotary cutters.
17. Hastelloy - C for Carbon Di -Sulphide recovery Trough
18. Carbon Di -Sulphide recovery system with scrubbers and condensers
19. Sump Zone cooling and filtration system
20. After-treatment line for washing fibre, conveying of fibre and chemical treatment
21. After-treatment chemicals Filtration system
22. Pneumatic fibre squeezing system, wet fibre opener, fibre dryer and dry fibre opener with automatic conveying system
23. Fully Automatic baling press with process controls of bale weight, moistures etc.
24. Automatic bale handling system
25. Distributed control system for spinning to Baling press

(ii) **MACHINERY FOR DYED FIBRE**

1. Distributed control system for colour slurry preparation and injections
2. Spectrophotometer based computerised colour matching system
3. Colour slurry injection pumps
4. On line fibre quality monitoring equipments
5. On line fibre Contamination, Checking and removal systems

6. Automatic fibre sampling system (Robotics type)

(iii) **UTILITY**

1. Both for viscose filament and viscose staple fibre - refrigeration system for process cooling -& ripening room air conditioning energy efficient cooling towers.
2. Air Compressor 15 H.P. and above.

(iv) **LYOCELL FIBRE PLANT**

1. Pulpers
2. High viscose reactors operating vacuum
3. Thin film evaporators
4. Polymer Pumps
5. Polymer Filters
6. Spinning Module
7. Fibre washing and treatment machines
8. Fibre / yarn dryer
9. Fibre openers
10. Bailing press
11. Agitated reactors
12. Distillation tower with accessories
13. Multi stage evaporators
14. ION exchange purification plants

(v) **HIGH WET MODULUS VISCOSE FIBRE**

1. Modal (HWM) machine line
2. Pumps for soda station
3. Brine PHE
4. Heat exchanger for dissolver
5. 3% Caustic PHE

6. Rotary air lock for maturing drum
 7. Charge water tank with level control system
 8. Dope tank with stirrer
 9. Viscose circulation pumps
 10. Heat exchanger before flash tank
 11. Spinning pump
 12. Heat exchanger after spinning pump
 13. Complete system from spinning to bailing
 14. Spin bath tanks & pumps
 15. Zinc dissolving system
 16. Spin bath filters and exhaust fans
 17. Heat exchanger for spin bath cooling
 18. Rotary vacuum filter & Pumps
- c. **Any other machine considered appropriate by the Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC).**

ANNEX - D-1**LIST OF MACHINES ELIGIBLE FOR WEAVING/KNITTING UNITS****UNDER TUF SCHEME****a. FOR WEAVING PREPARATORY :**

1. Single yarn sizing machine.
2. High speed multi cylinder sizing machine/zero twist sizing machine.
3. Super high speed direct beam warper with creel (for shuttleless looms).
4. High speed direct beam warper with creel (for shuttleless looms in the case of woollen units).
5. High speed direct beam warper with creel (for automatic looms).
6. Warp tying machine.
7. Automatic drawing-in-machine/Reaching-in-machine.
8. Fully automatic pirn winding machine (for automatic looms).
9. Hydraulic beam lifting trolley (for shuttleless looms).
10. Computer aided design system for weaving (optional).
11. Two-for-one twister / Three-for-one twister operating at the speed of minimum 8000 rpm & 5000 rpm, respectively.
12. Draw warping and sizing machine.
13. False twist - texturising machine having 800 meters / min speed.
14. Fancy yarn twisters and doublers with micro processors / Cut Chennile Yarn machine / power driven flat bed knitting machine for manufacture of fancy yarn.
15. Yarn singeing machine.
16. Sectional warping machine with autostop & tension control.
17. Dyeing and / or bleaching machine for yarn in package form.
18. Pirn winding machine.
19. High speed multi-cylinder vertical exit warping machine.
20. Auto reeling stitch machine.
21. Beam Gatiting Trolley.

22. Warp Leasing machine.
23. Dobby design card punching and copying machine.
24. Automatic beam storage system

b. FOR LOOM SHED (WEAVING):

1. Shuttleless loom. For Projectile and Rapier looms (including high speed rapier weaving looms with 1152 hooks jacquard machine and intermittent cutting knife fitted for making the tapes and attachment required for manufacturing of labels of different widths) for Airjet and Waterjet looms with weft insertion rate of
 - i) 800 mtrs. per minute and above for Projectile looms. Marginal deficit of upto 5% in the weft insertion rate of old sulzer projectile weaving machine is permitted.
 - ii) 450 mtrs. per minute and above for other shuttleless looms. For SSI units, the weft insertion rate of Rapier shuttleless looms may be 250 mtrs. per minute and above.
2. Shuttleless loom (for woollen units)
 - i) 800 mtrs. per minute and above for Projectile looms and
 - ii) 450 mtrs. per minute and above for other shuttleless looms. For SSI units, the weft insertion rate of Rapier shuttleless looms may be 250 mtrs. per minute and above.
3. Automatic shuttle loom.
4. Terry towel loom (fully automatic or shuttleless).
5. Corduroy and/or velvet loom and/or automatic loom for cut-pile fabrics.
6. Canvas loom.
7. Power driven chenille loom.
8. High speed needle loom for tape/belt weaving.
9. Auto control type of humidification plant (for shuttleless loom shed).
10. Modern industrial humidification system for controlling relative humidity & temperature (for automatic loom shed).
11. Over head cleaner for airjet looms.

12. Dust separator.
13. Computerised label making machine.
14. Fabric embroidery machine.
15. Jacquard and Dobby on stand-alone basis.
16. Power driven cloth cutting machine/laser fabric or label cutting machine.
17. Air Compressor 15 H.P. and above.
18. Tufting machine with electronic process controls.

c. FOR KNITTING :

1. High speed circular knitting machine.
2. High speed socks knitting and gloves knitting machines with or without electronic jacquard.
3. Computerised flat bed knitting machine with minimum speed of 11 revolutions per minute.
4. Warp/Raschel knitting machine.
5. High speed computerised warping machine for knitting.
6. Computerised label making machine.
7. Computerized Strap (Collar/Cuff) Flat Bed Knitting Machine.
8. Modern industrial humidification system for controlling relative humidity & temperature.
9. Air Compressor 15 H.P. and above.

d. HANDLOOM:

1. Semi-automatic /ordinary frame handloom with minimum width of 52", with or without dobby / jacquard and benchmarked technology features, viz., take-up motion, smooth sley movement, bigger shuttle and bobbin (minimum 4"), negative let-off motion. It may include attachments such as multiple weft butta mechanism, pick & pick sliding shuttlebox, solid border weaving catchcord attachment. The frame loom should be made out of ½" x 1 ½" x 3" steel U channel or steel pipe 2 ½" diameter and 8 gauge or sturdy wood with minimum 4" widthx4" thickx6' height. The looms may have additional warp and cloth rollers made of wood or steel to ensure weaving of long length fabric.
2. Handlooms of fly shuttle frame loom fitted with Dobby like lattice /barrel/tappet/draw bar/iron frame vertical/centre closed shed/wooden frame vertical/double cylinder iron border, Jacquard like single lift single cylinder

wooden frame/single lift single cylinder iron frame bar/double lift single cylinder iron frame/double lift double cylinder iron frame/janata/lino; Combination of jala and dobby or jacquard; Fly shuttle sley fitted with drop box on one side/drop box on both sides /circular shuttle box pick & pick sley;

3. Fly shuttle frame loom fitted with let off motions like lever and weight let off motion/special spring motion/rope let off motion/weight system/spring system.
4. Fly shuttle frame loom fitted with take up motion like ratchet & pawl motion/3 wheel Ichalkaranji type motion/5 wheel take up motion without emery roller/7 wheel take up motion.
5. Handlooms fitted with special attachments like catch card system/swivel loom/lappet motion/terry motion/lino mechanism/chennaile weaving (automatic cutting of chennaile while weaving), metal frame handloom/wider width wooden frame handloom/long length cloth weaving mechanism etc.

Note: In addition, handloom units may also be provided with piano card punching machine/electronic card punching machine.

6. Winding machine with multi spindle for preparation of pirns/bobbins/drums operated by hand/peddle/power.
7. High Speed Doubling machine having spindle fitted on bolster with ball bearing.
8. The mobile textile quality testing equipment only for handloom sector and capable of testing all of the following :

- Colour fastness to washing at about 40 degree celsius.
- Colour fastness to crocking/rubbing
- Shrinkage
- Ends-Picks per inch
- Count of yarn
- Percentage crimp of yarn
- Fabric width, and
- Grams per Square meter etc.

- e. Any other machinery considered appropriate by the Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC).

ANNEX -D-2**LIST OF MACHINERY / EQUIPMENT ELIGIBLE UNDER TUF SCHEME**
FOR NONWOVENS / TECHNICAL TEXTILES**a. Spinning**

- 1) Friction spinning
- 2) Accessories for spinning specialty yarns like aramide and high performance yarns
- 3) Doubling or twisting machine for industrial yarn

b. Weaving Preparatory

- 1) High speed computerized warping / sectional warping machine
- 2) Filament winding machine for textile position.
- 3) Spooling machine
- 4) Beaming machines
- 5) Canister beam warping machines
- 6) Assembling machines
- 7) Automatic coiling winder machine
- 8) Automatic fastening tape assembling fixtures
- 9) Automatic joining and winding machine

c. Weaving

- 1) Heavy duty shuttleless weaving machine for production of technical textiles
- 2) Heavy duty tape weaving
- 3) Bi- axial & Multi-axial weaving machinery.
- 4) Multi-phase weaving machine.
- 5) 3-D and Block weaving machine.
- 6) Needle looms for narrow woven fabrics.
- 7) Circular looms
- 8) Position driven compressor stand assembly

d. Knitting

- 1) Weft Inserted Warp Knitting machine (WIWK).
- 2) Knitting machine for spacer fabrics
- 3) Bi- axial & Multi axial knitting machine
- 4) Tricot machinery
- 5) Rachel double needle bar Machine
- 6) Rachel machine for netting
- 7) Machines with warp knotting system
- 8) Circular warp knitting machine for compression garments
- 9) Stitch bonding machine

e. Processing

- 1) Mechanical foamer with Crush calender.
- 2) Pultrusion machine and equipment.
- 3) Spattering machine and equipment.
- 4) FRP processing machine & equipment.
- 5) RTM (Reinforced Textile Material) machine and equipment.
- 6) Lab scale production /processing equipment for technical textile product development.
- 7) Coating and / or laminating machine
- 8) Calendering machine
- 9) Finishing machinery for impregnating yarn or fabrics
- 10) Dipping machine for tyre cord / industrial fabrics / belting ducks
- 11) Dipping machine for single end or cord for reinforcement of v-belt / hoses / hose tires
- 12) Printing machine for coated / laminated fabric
- 13) Coagulated PU or PVC dip coating machine / PU or PVC coating line or coating dipping / knife machine with infra red dryer

- 14) Flaxographic printing machine as a part of the entire plant for production of woven sacks / bags / other technical textile items.

(This machine is not eligible on stand-alone basis).

f. Madeup Technical Textile (TT) Store

1. Computerised cutting equipment.
2. Hot air welding equipment.
3. RF (Radio Frequency) welding equipment
4. Ultrasonic cutting and sealing equipment.
5. Laser cutting and sealing equipment.
6. Tools & rigs for fabrication of T.T. products.
7. Printing equipment for Signage.
8. Heat setting machine and stretching (for heat setting table).
9. Back Coating Lines
10. Braiding machinery
11. Machinery for manufacture of clay liner
12. Machinery for manufacture of prefabricated vertical drains / prefabricated wick drains
13. Complete plant for making felt

g. (i) Non-woven textile manufacturing machines:

1. Bale openers
2. Fibre openers
3. Porcupine beater/opener with double beater or other similar opener.
4. Fibre blending/mixing
5. Feeder hoppers/chute /card feeding unit
6. Cards
7. Cross-lappers,
8. Saturator

9. Air laying / web laying/web forming machines
10. Web drafters
11. Web expanders
12. Print bonder
13. Web conveyors
14. Web control systems - weight/uniformity/alignment
15. Batt feeders
16. Pre-needler/tackers
17. Web edge trimming and re-cycling system
18. Edge openers
19. Accumulator
20. Stackers
21. Unwinders/winders/slitters/slitter-cum-winder/stackers
22. Compression rolls
23. Heated calender
24. Chilled calender
25. Chiller
26. Stenter
27. Blow room equipment
28. Winding and cutting machine
29. All types of needle looms
30. Stich bonding machine with necessary attachments
31. Chemically bonded non-wovens.
32. Auto foam generator
33. Binder mixing tanks
34. Binder applicators of all types print dip knife etc

35. Drying and curing machines – steam/electric/oil/gas heated
36. 30" stainless steel drying cylinders range with first 5 to 6 cylinders Teflon Coated.
37. Spray booths with spray guns
38. Powder applicator
39. Curing oven-steam/electric/oil/gas heated
40. Thermal bond calender
41. Thermopack for heating of calender
42. Hot air oven
43. Thermopack for heating oil
44. Dyeing and / or bleaching machine for fibre

(ii) Spunlace non-woven plant includes:

1. Hydro entanglement unit
2. Suction unit
3. Engraving unit
4. Dryer, on line printing unit.
5. Heating system
6. Water filter system
7. Boiler for thermic fluid/oil
8. High pressure pumps
9. Jet stripe cleaning equipment
10. Jet beams
11. Finishing seive belt with vacuum – beam
12. Winder with slitter

(iii) Spunbond non-woven machines includes :

1. Chip feeder
2. Dryer
3. Extruder
4. Spinnerettes
5. Cooling chamber

6. Filament laying
7. Compressor rolls

(iv) **Complete melt blown line includes:**

1. Pellet handling system
2. Screenchanger
3. Meltblown die
4. Lamination stand

h. Finishing machines:

1. Hot melt cold glue applicators for coating
2. Ultrasonic slitting machines/edge sealer
3. Brazing machine with torch(for hot air)
4. PLC operated system with servo drives for measurement/ control of tension and temperature
5. Stitching machines of all types
6. Film calendering machine
7. Automatic packing and inspection machines
8. Heatset oven with stenter facility
9. Clicking press
10. Pilot/lab coating line
11. High pressure pump for water jet cutting system
12. Robotic waterjet cutting system
13. Robot for water jet cutting system
14. Water softening/purification system for water jet cutting
15. Machines for powder scattering/paste dot/powder dot
16. Coating for fusible interlinings
17. Padding mangle (fulard)]
18. Extruder lamination machine
19. Sheet extruders and lamination machine
20. Singeing machine
21. Clip/pin stenter for heat setting
22. Flame lamination machine
23. Dust collectors

24. Jacquard machines for joining two edges by inter weaving.
25. Turret winder and unwinder
26. High speed precision mixers for plastisols/ organosols.
27. Gunning and cutting machine.
28. Grommet fixing machine.
29. PU tumbling machine and drying machine.
30. DMF recovery plant and distillation plant.
31. Printing machine for coated textiles.
32. All types of coaters such as knife over roll, kiss roll coater, screen coater, etc.
33. Multi cylinder drying range
34. Rotary and flat bed screen printing machine
35. Dipping plant

i. Non-woven converting machinery:

1. Complete thermomoulding lines
2. Complete thermosetting lines
3. Machinery of carpet/NVH moulding lines oven/press
4. Conveyor/thermopack for heating/chiller for cooling
5. Machinery for moulded roofliners
6. Die cutting presses
7. Machinery for conversion of nonwovens into face masks / dust masks / duck bill masks / earloop mask sealing / tieon mask sealing / blank mask making machine
8. Machinery for conversion of nonwovens into bouffant caps / surgical caps / medicap making machine
9. Machinery for conversion of nonwovens into gowns / pillowslip / shoe covers / ice pack body / ice pack band sealing and cutting / hand bags / filter pocket / head rest cover / CD / DVD cover and other such items
10. Machinery for conversion of nonwovens into sanitary napkins / baby diapers /

adult diapers

11. Machinery for conversion of nonwovens into dry and wet wipes
12. Machinery for slitting and rewinding of nonwoven roll
13. Surgical gauze machine making
14. Combined dressing making machine
15. Bandage Roll making machine
16. Machine to compress
17. Abdominal sponge making machine
18. Automatic packing machines

Note : The machineries listed at Sr. Nos. g(i) to g(iv), h and i above are only eligible under Restructured TUFs for non-wovens and converters of non-wovens finished products.

j. Testing and Evaluation machinery:

1. Speciality testing equipments and rigs for T.T. (Technical Textiles) and T.T.P. (Technical Textile Products)
2. Universal textile testing machine 10 tonnes/20 tonnes
3. Index puncture resistance tester
4. Co-efficient of friction apparatus
5. Particle size determination apparatus
6. Gradient ratio test apparatus
7. Long time flow apparatus
8. Feltperm
9. Point paper design system with EWE
10. Weatherometer
11. Yarn shrinkage and shrinkage force testing machine
12. Viscometers
13. Data loggers for machine monitoring and flex resistance tester

14. Tear testing machine
15. Cold crack resistance testing
16. Thickness gauge
17. Water repellency testing machine
18. Waterproofing testing machine
19. Fire resistance testing equipments
20. Accelerated ageing testing oven
21. Rainwater tests equipment continuous water spray test and I.R. spectrometer etc.
22. All types of weighing balances / scales
23. Abrasion testers
24. Colour matching cabinets
25. Colour fastness testers
26. Accelerated creep tester
27. Air permeability tester
28. Hydro static puncture test for geo membrane
29. Hydraulic grip
30. Projection microscope

k. Other ancillary equipments:

1. Air compressor
2. Boiler
3. Stirrer
4. Humidifier
5. Air conditioning units for control panels etc

l. Any other machine considered appropriate by the Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC).

ANNEX - E**LIST OF MACHINERY ELIGIBLE UNDER TUF SCHEME**
FOR RMG/MADE-UPS UNITS**a. ELIGIBLE MACHINES FOR GARMENT / MADE UPS MANUFACTURING:**

1. Single/multi needle power operated industrial lockstitch sewing machine with or without trimmer overedging /seaming and banding operation.
2. Blind stitch machine/Chain stitching machine.
3. Power operated linking/loop making sewing machine.
4. Power operated flat lock/overlock machine.
5. Zigzag flat bed sewing machine.
6. Button stitch sewing machine.
7. Label/elastic inserting machine.
8. Decorative stitching machine
9. J Stitch sewing machine
10. Edge cutting sewing machine
11. Eyelet Button hole sewing machine.
12. Belt attaching machine.
13. Zip attaching machine.
14. Bar tacking machine.
15. Hemstitch machine.
16. Smocking machine / Automatic multi needle sirring machine.
17. Pattern maker/grader/marker machine/laser marker.
18. Power driven cloth cutting machine / laser fabric or label cutting machine / laser engraving machine.
19. Band knife-cutting machine.
20. Collar / cuff turning / blocking machine / pressing machine.
21. Button and snap fastners fixing machine.
22. Pocket creasing and welding machine/Auto pocket making machine.
23. Industrial steam iron with vacuum table and / or buck press.

24. Boiler for steam press/vacuum press, Steam cabinet/Vaccum table.
25. Fusing press.
26. Collar contour trimmer.
27. Automatic spreading & cutting table with vacuum and / or air blowing device.
28. Shoulder pad-attaching machine.
29. Pocket cutting machine.
30. Computerised CAD / CAM / cutting machine.
31. Automatic Pocket Attaching machine
32. Round knife cutting machine.
33. End cutter with clothpress track.
34. Cloth drilling machine.
35. Collar point trimmer/Gear knotcher machine.
36. High speed fully fashioned knitting machine.
37. Whole garment making machine for knitted garments or power operated garment panel forming knitting machine with linking machine.
38. Power driven socks and gloves knitting machine.
39. Automatic thread trimming / sucking machine.
40. Shirt folding machine.
41. Stain/spot removing machine.
42. Pearl/Beads/Stones/Glassete/Hook and Bar attaching machine.
43. Quilting machine.
44. Fabric inspection/checking machine.
45. Needle/metal detector machine.
46. Multi head computerised embroidery machine.
47. Computerised label making machine / computerised label printing machine.
48. Button wrapping / shanking machine.
49. Feed-off-the-arm industrial sewing machine.
50. Automatic dart/pleat making machine.
51. Automatic label / ply picking machine.

52. Pin tucking machine.
53. Mechanised fabric pinning table.
54. Single needle basting machine.
55. Single needle post bed sleeve setting machine.
56. Hanging production conveyor system.
57. Crochet machine for laces and bands with electronic bar operation.
58. String thrusting machine.
59. Plastic Staple attacher.
60. Sand Blasting/Brushing machine.
61. Computer Colour matching. (machine)
62. Automatic machine for making knit shirt center pleats.
63. Belt Loop attaching machine
64. Button packer
65. Collar Heat Notcher
66. Spot Welding machine
67. Laser Colour Fading / Marking / Drawing Machine.
68. Laser operated Colour Spraying Machine.
69. RMG Curing /heat setting oven.
70. Air Compressor 15 H.P. and above.
71. Computerized Strap (Collar/Cuff) Flat Bed Knitting Machine.
72. Cup Seamer.
73. Automatic strap cutter machine with electronic feed & cutting device.
74. Cup moulding machine.
75. Auto reeling stitch machine.
76. Automatic combines panel-joining / tape attaching machine for curtains.
77. Electronic, pre-programmed, straight line lockstitch curtainpleat tacker with fully automatic curtainhook feeding device.
78. Automatic Combined Panel-joining & Hemming Machine.
79. Automatic Lockstitch Curtain Hemming Machine.

80. Fully Automatic Combined Thread Chainstitch Ring attach/pinch pleat tacking M/c.
81. Hydraulic combined cutting/pressing machine for processing metal curtain rings.
82. Pneumatic single.
83. Fully automatic fabric inspect, measure and length cutting machine.
84. Fully Automatic, Programmable, Electronic vertical curtain cutting machine.
85. Electronic, pre-programmed, straight line lockstitch curtainpleat tacker with fully automatic curtain hook feeding device.
86. Fully Automatic drapery pinch pleater with integrated Microflex (r) adjustable curtain hook feeder.
87. Curtain feeding device for fully automatic pinch pleater.
88. High performance motor driven curtain ironing table.
89. Fabric Laying / Spreading machine
90. Garment washing / Dyeing machine
91. Garment Drying machine
92. Garment Colour Spray Cabinet
93. Trouser topper / Foam Finisher machine
94. Trouser turning machine
95. Fabric Grinding machine
96. Hem Breaking Machine
97. Fagoting / Picoting machine
98. Loop making machine
99. Placketing machine
100. Sequin punching machine
101. Sequin embroidery machine
102. Paddle Dyeing machines for Rugs / Garments / Made-ups.
103. Open Pocket Dyeing Machines for Rugs / Garments / Made-ups.
104. Automatic Length & Cross Cutting Machine for Sheets / Towels.
105. Automatic machine for length and cross hemming machinery for Flat / Fitted

Sheet / Towels / Pillow / Pillow Sham.

106. Automatic folding and stacking machine for Flat / Fitted Sheets / Towels & Pillow / Pillow Sham / Dust Ruffle.
 107. Automatic Comforter shell making machine.
 108. Compression Bagger for Packing (electronic pneumatic bagging machine).
 109. Automatic machine for flange Pillow case.
 110. Blending, Opening and Pillow Filling Lines.
 111. Vacuumising Packing Units for Filled Pillow & Quilts.
 112. Die Cutting Machine.
 113. Table Top Tufting Machine.
 114. Moustache Former.
 115. Bed filling machine.
 116. Ball fibre machine
- b. **Quality control equipments for quality control laboratory set up by a garment / made-up unit (this will cover all quality control equipments in a garment / made-up units).**
- c. **Any other machinery considered appropriate by the Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC).**

ANNEX – F**LIST OF PROCESSING MACHINERY ELIGIBLE UNDER TUF SCHEME**

1. Shearing / Cropping Machine
2. Yarn / Fabric Singeing Machine / Gassing Machine/Singeing cum desizing machine.
3. Fabric reversing Machine
4. Cone to hank winding machine
5. Weight reduction / Scouring machine
6. Pressure Kier with automatic liquor circulation with or without autopiler.
7. Open width/rope washing machine.
8. Open width rope opening and squeezing machine with detwister.
9. J. box.
10. Solvent scouring machine/Vaporlock machine
11. Rotary drum Washer (HT/HP or ordinary type)
12. Wet fabric spreading and squeezing Machine
13. Hydroextractor
14. Slit opening machine
15. Star winch machine.
16. Float dryer with / without Padding Mangle
17. Yarn/Fabric mercerising machine
18. Package dyeing machine for cone, cheese, tops, fibres, dyesprings, yarn beam etc.
19. Fibre cake opener for fibre dyeing machine
20. Hopper feeder for fibre dyeing machine.
21. Fibre cake press with or without hydraulic system for pressing for fibre dyeing machine.
22. Cabinet type Yarn dyeing machine
23. Yarn conditioning machine
24. Automatic dyeing jigger/Jumbo Jigger with or without liquor circulation and auto dosing.
25. Jet dyeing machine

26. Soft flow dyeing Machine
27. Semi automatic flat bed screen printing machine
28. Roller wax printing machine
29. Rotary Printing machine
30. Transfer printing machine (for synthetics)
31. Continuous washing range with minimum 3 chambers.
32. Pad steam range
33. Precision flock cutting / printing machine for textile processing unit only.
34. Loop ager
35. Roller steamer / Flash ager/Pressure ager/Star ager.
36. Rotary screen making equipments for a textile processing unit only.
37. Curing / Polymerising Machine
38. Coating/Embossing machine.
39. Sieving Machine
40. Decatising machine
41. Relaxing machine.
42. Compacting machine
43. Sueding / peach finishing / brushing / raising / contipress / pile cutting machine.
44. Friction / Shriener calender / Ordinary calender (minimum 3 bowls)
45. Microwave dryer / Hot air dryer / Infrared dryer.
46. Pleating/Creasing/Folding machine for fabrics.
47. Pinching and Flat embossed machine for fabrics.
48. Crush machine for uneven pleat for grey/dyed fabrics.
49. Dipping unit.
50. Milling machine
51. Crabbing machine
52. Paper or Rotary press
53. Shearing/Polishing machine for wool and it's blends.
54. Foam finishing machine

55. Multicylinder drying range.
56. Fabric inspection machine with fault analyser with or without report generator.
57. Multichamber stenter with minimum 3 chambers, with arrangement for thermic fluid / gas heating
58. Thin hydro carbon vapour recovery plant for textile printing.
59. Automatic packing machine
60. Water softening plant.
61. Demineralisation plant.
62. Biomass based gassifiers.
63. Oil/gas fired boiler or fluidised Coal fired boiler with pneumatically controlled filter mechanism, electrostatic precipitator and micro dust collector
64. Husk fired / Jute waste (caddies) boiler with pneumatically controlled filter mechanism, electrostatic precipitator and micro dust collector.
65. Machines and equipments for effluent treatment plant.
66. Thermic fluid heater / other high temperature heating system
67. Air compressor 15 H.P. and above.
68. Roll to Roll inspection and mending machine
69. Laboratory / Processing machines & Quality control equipments for a quality control lab set up in the processing unit (This will cover all type of laboratory/processing machines & quality control equipments in a textile processing units' laboratory).
70. Multi Cross Linking Resin Finishing Machine.
71. Pile Lifting Machine.
72. Foaming Device for Coating Line.
73. Latex mixing and dispensing system for Coating Line.
74. Multilayer stenter
75. **Any other machinery considered appropriate by the Technical Advisory - cum Monitoring Committee (TAMC).**

ANNEX - G**LIST OF MACHINERY ELIGIBLE UNDER TUF SCHEME**
FOR JUTE RAMIE AND HEMP UNITS**a. FOR SOFTENING AND CARDING**

1. Jute spreader machine
2. Modified, conventional, softeners
3. Breaker cards
4. Inter cards
5. Finisher cards
6. Drawhead
7. Split can delivery
8. Auto leveller
9. Hopper feeder
10. Teaser cards
11. Enzyme plant
12. Emulsion plant with electronically controlled stirrer
13. Dust shaker
14. Semi Automatic Root Cutting M/c.
15. Hard Waste Card
16. Breaker-Cum-Finisher Card with or without drawheads, auto-levellers & can changing devices

b. FOR DRAWING

1. All screw gills
2. All jute drawings
3. Comber

c. FOR SPINNING & TWISTING

1. 4 1/4 slip draft
2. 5 1/2 slip draft
3. Ring spinning frame
4. Friction spinning
5. Open end spinning
6. Wrap spinning
7. Braiding machine
8. Ring twisting frame
9. Apron draft spinning machine
10. Flyer twisting
11. Wet / Semi-wet Spinning Frame
12. 4 3/4" S.D / A.D Spinning Frame.
13. Two for one twister

d. FOR WEAVING PREPARATORY

1. Pre-beaming machine
2. Dressing machine
3. Warp and weft winding machine
4. Precision winders

5. Auto Coner
6. Assembly Winder
7. Beaming / pre-beaming machine
- e. **FOR WEAVING ETC.**
 1. High speed conventional jute looms with or without dobby/jacquards
 2. High Speed Automatic Shuttleless Looms
 3. Circular looms
 4. Carpet plant
 5. Non-woven/Felting Plant
 6. Jacquard card punching machine
 7. Needle/Webbing / Tape Looms
- f. **FOR FINISHING**
 1. Cutting machine
 2. Lapping & Measuring machine
 3. Sewing machine
 4. Branding/Printing machine
 5. Baling press
 6. High Pressure Roll Up Machine
 7. Calender M/c
 8. Crisping M/c.
 9. Automatic bag making M/c
- g. **FOR MATERIAL HANDLING & OTHER MACHINES (ESSENTIAL) :**
 1. Feed lattice
 2. Conveyor system
 3. Turn table.
 4. Fork lifter.
 5. Tractor.
 6. Jib Crane
 7. EOT (Electrically Operated Track) Crane
 8. Beam lifter
- h. **POLLUTION CONTROL MACHINES/INSTRUMENTS :**

ESSENTIAL EFFLUENT TREATMENT PLANT	OTHERS
Effluent treatment plant with primary, secondary and/or tertiary treatment facility (for unit linked to common effluent treatment plant, effluent treatment plant upto primary treatment system)	1. Dry type electrostatic, Precipitators. 2. Dry type bag filter . 3. Dry type cleaners and multi cloves. 4. Wet type scrubbers 5. Wet type ventury scrubbers 6. Ventilation system comprising of air centrifugal / axial flow fans. 7. Dust extractor & blower

i. PROCESSING MACHINES

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Singeing machine | 2. Shearing/cropping |
| 3. Pressure Kier/Jumbo jigger | 4. Cloth/yarn mercerising |
| 5. Pad batch / Mangle | 6. Winch |
| 7. Semi-automatic / automatic Jiggers | 8. Jet dyeing |
| 9. Soft flow dyeing | 10. Cabinet dyeing machine (for yarn) |
| 11. High temperature and high pressure | 12. Macro extractor dyeing |
| 13. Multicylinder drying range/Stenter | 14. Hot air dryer for yarn dyeing |
| 15. Semi-automatic /Automatic flat machine | 16. Open width soaper bed printing |
| 17. Curing/polymerizing | 18. Drum washer |
| 19. Calendering | 20. Oil/gas fired boiler |
| 21. Thermo Pac with all type of fuels / other high temperature heating system subject to pollution control measures by the concerned State Authorities. | 22. Air Compressor 15 H.P. and above. |
| 23. Husk/ Caddis fired boiler | 24. Bio-mass based gassifier |

j. FOR TESTING ESSENTIAL

1. Evenness tester
2. Jute bundle strength tester
3. Jute fineness tester
4. Yarn tensile strength tester.
5. Fabric strength tester
6. Scotch guard applicator tester

OTHERS

1. Electronic twist tester
2. Abrasion tester
3. Bending rigidity tester
4. Colour Fastness tester
5. Computerised colour matching
6. Rubbing fastness tester
7. Light fastness tester
8. Drape meter
9. Count balance
10. Laundero meter
11. Yarn twist tester
12. Yarn appearance tester (manual / automatic)
13. Ballistic raw jute strength tester
14. Fire retardancy tester
15. Latexing tester
16. Water proofing

k. Modern Industrial Humidification system for controlling relative humidity and temperature.**l. Any other machinery considered appropriate by the Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC).**

ANNEX – H**LIST OF MACHINERY ELIGIBLE UNDER TUF SCHEME FOR PROCESS
CONTROL EQUIPMENTS FOR VARIOUS SECTORS****a. process improvement instruments / attachments:**

1. Auto cono : - Multichannel Pre-set yarn length monitoring and controlling system for ring spinning, open end spinning, drawing frames, winders, twistors, texturising and crimping machines.
2. Loom Data Monitor
3. Fabric defect analyzer (Micro processors based system to record all types of defects in the fabrics).
4. Cotton contamination analyzer
5. Online / Offline Moisture indicator and automatic controller for textile units.
6. Knitting data and defect monitoring system.
7. Web guiding system
8. Stop Motion for carding, comber machine, roving frames / speed frames, drawing frames and knitting frames.
9. Weft Accumulator for shuttleless weaving machines
10. Warp Stop Motion, Yarn Inspector for yarn break / faults during warping and zweaving process.
11. Production Data Monitor having electronic multi shift counter with predetermining measured length, control and pre-signal warning, designed for spinning machines both for ring and open-end, draw frame, twistors doublers and cards, knitting machine, shuttleless loom, warping machine, sizing machine, shearing machine and fabric processing machines.

b. Promise Pro-Win range of online production monitoring and speed systems for spinning machines**c. Any other machinery considered appropriate by the Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC).**

ANNEX – I**LIST OF MACHINERY ELIGIBLE UNDER MMS@20%-TUES****a. Main machinery.**

S. No.	Type of Machinery
1.	Pirn Changing Automatic Loom
2.	Shuttle- less Looms
3.	Dobby
4.	Jacquard
5.	Pirn Winding
6.	Sectional Warping Machine
7.	Warping Machine
8.	Sizing Machine
9.	Two for one twister (TFO)
10.	Prewinder / rewinder

b. List of accessories of automatic pirn changing loom, 190 cms width

Sr. No.	Accessories	Price (Rs.)
1	Warp Beam (1)	6000.00
2	Cloth Roller (1)	1000.00
3	Motor (1)	10000.00
4	Heald Frame (6 Nos. for tappet and 16 for dobby)	12900.00 (for tappet) 34400.00 (for dobby)
5	Heald Wires (8000)	6666.00
6	Drop Pins (6000)	5000.00
7	Shuttle (1 No.)	1500.00

c. List of accessories of shuttleless rapier loom, 190 cms width

Sr. No.	Accessories	Price (Rs.)
1	Warp Beam (1)	6000.00
2	Cloth Roller (1)	1000.00
3	Heald Frame (6 Nos. For tappet and 16 for dobby)	12900.00 (for tappet) 34400.00 (for dobby)
4	Heald Wires (8000)	6666.00
5	Drop Pins (6000)	5000.00

d. Other equipments

New Humidification Plant/ Air Compressor/ De-mineral Plant or Reverse Osmosis Plant, beam gaiting and knotting machine are also eligible subject to a maximum of 10% of the total cost of the eligible machinery for a project. However, subsidy for a project under the scheme will be restricted to Rs.60 lakh / Rs.1 crore whichever is applicable.

ANNEX – J**LIST OF PROCESSING MACHINERY ELIGIBLE UNDER TUF SCHEME FOR
10% CAPITAL SUBSIDY AND 5% INTEREST REIMBURSEMENT**

- 1) Automatic Dye Weighing and Dispensing System.
- 2) Process house and dye Kitchen management system for whole process house.
- 3) PLC controlled Shearing / Cropping machine.
- 4) PLC based yarn / fabric Singeing machine with auto mixing of air & fuel for temperature and flame control with or without pre and post brushing and desizing unit.
- 5) Singeing machine for tubular fabrics
- 6) Knit tubular mercerizing machine or bleaching cum mercerising machine.
- 7) Ammonia mercerising machine for fabrics, including ammonia recovery plant
- 8) Fully automatic Yarn / fabric mercerizing machine with Caustic Recovery Unit (without caustic recovery unit if unit already has it)
- 9) Knit fabric continuous bleaching plant
- 10) Balloon Padder
- 11) Slit opener with open width squeeze mangle for knitted fabric.
- 12) Open-width continuous scouring and bleaching range with microprocessor attachments and automatic chemical dosing.
- 13) Soft package precision winding machine
- 14) Arm hank dyeing machine
- 15) Automatic cabinet type yarn dyeing machine
- 16) PLC based Package Dyeing machines (cheese, cone.Tops, fibres, dyesprings, yarn beam)
- 17) PLC controlled Fully Automatic Flat Bed Printing machine with pneumatic blanket control
- 18) PLC based Soft flow Dyeing Machine
- 19) PLC based Rapid Jet Dyeing Machines
- 20) PLC based Fully Automatic Jigger with Servo / Microprocessor control
- 21) Compact continuous dyeing and finishing machine for tapes / narrow width woven fabric
- 22) Open width Pad-dry and / or Pad-Steam continuous dyeing range with micro processor based energy control and water monitoring
- 23) Indigo dyeing range
- 24) Industrial washing / drying machine for garments / made ups/Industrial tumble dryers/Washers.
- 25) Digital / laser / len engraving / screen making system for rotary screens
- 26) PLC based fully Automatic Rotary Screen Printing Machine with magnetic / Air flow squeegee system, automatic design setting, and quick change over facility/ flying design change (FDC) system with or without on-line washing arrangement
- 27) Ink jet printing machines (For textile processing units only).
- 28) High Speed Micro inkjet engraver with UV exposing unit.
- 29) Continuous transfer printing machine (cylinder based) for synthetics.
- 30) Thermosoling range (For Synthetics only).

- 31) PLC based continuous crabbing machine.
- 32) PLC based scouring and milling machine.
- 33) Loop ager with arrangement for moist and superheated steaming.
- 34) Powder dot coating / laminating machine for fabrics.
- 35) Continuous weight reduction machine through micro wave technique (for Polyester goods only)
- 36) Multichamber Washing range with minimum 5 chambers
- 37) Multi cylinder drying range with individual cylinder drives with or without padding mangle
- 38) Multi chamber stenter (minimum 4 chambers) with arrangement of Thermic fluid / gas heating.
- 39) Compressive Shrinking range
- 40) PLC based continuous decatizing machine.
- 41) Airo Machine (for durable mechanical finishes)
- 42) Weft Straightner with electronic controls
- 43) PLC controlled Calendering Machine having Racolan sleeve
- 44) PLC based Compacting machine
- 45) Relax / Radio frequency / Radiant gas fired / Loop dryers
- 46) Sand blast machine for denims
- 47) Machine for Softening/Stone wash effect on fabric/garments.
- 48) Robotised automatic roll packing machine.
- 49) Plasma Treatment machines
- 50) Continuous Pressing and Setting Machine / Super finish machine
- 51) AC inverter driven PLC based Fabric inspection machine with fault analyzer and report generator
- 52) Hand held spectrophotometer for shop floor colour matching
- 53) PLC based oil / gas fired boiler (Steam /Thermic fluid) with automatic control on combustion efficiency
- 54) Effluent Treatment Plant (ETP) upto secondary and / or tertiary treatment facilities
- 55) Reverse Osmosis, Nano Filtration, Multiple effect / stage Evaporators / Mechanical Evaporator.
- 56) On line/Off line Chemical concentration indicator & controlling system for textile processing machines.
- 57) Fabric Profile System to monitor and control the speed of stenter machine while heat-setting/drying/finishing for process and quality improvement.
- 58) Fabric Centering & Spreading system.
- 59) Automatic Fabric Straighting system for high speed ranges.
- 60) Monitoring System for Weight/Denier reduction process.
- 61) On line monitoring system for treated liquid effluent quality and quantity.
- 62) Stack monitoring system for energy conservation and emission quality.
- 63) Testing equipments in Quality Control Lab accredited by National Accreditation Board for Lab (NABL) India and set up in the textile & jute unit.
- 64) Wool Carbonising Line / Plant.

ANNEX -K**LIST OF MACHINERY / EQUIPMENT ELIGIBLE FOR
10% CAPITAL SUBSIDY AND 5% INTEREST REIMBURSEMENT UNDER TUF
SCHEME FOR TECHNICAL TEXTILES INCLUDING NONWOVENS****a. Spinning**

- 1) Friction spinning
- 2) Doubling or twisting machine for industrial yarn

b. Weaving Preparatory

- 1) High speed computerized warping / sectional warping machine
- 2) Filament winding machine for textile position

c. Weaving

- 1) Heavy duty shuttleless weaving machine for production of technical textiles
- 2) Heavy duty tape weaving
- 3) Bi- axial & Multi-axial weaving machinery.
- 4) Multi-phase weaving machine.
- 5) 3-D and Block weaving machine.
- 6) Needle looms for narrow woven fabrics.
- 7) Circular looms
- 8) Position Driven Compressor stand assembly for weaving

d. Knitting

- 1) Weft Inserted Warp Knitting machine (WIWK).
- 2) Knitting machine for spacer fabrics
- 3) Bi- axial & Multi axial knitting machine
- 4) Tricot machinery
- 5) Rachel double needle bar Machine
- 6) Rachel machine for netting
- 7) Machines with warp knotting system

8) Circular warp knitting machine for compression garments

9) Stitch bonding machine

e. Processing

1) Mechanical foamer with Crush calender.

2) Pultrusion machine and equipment.

3) Spattering machine and equipment.

4) FRP processing machine & equipment.

5) RTM (Reinforced Textile Material) machine and equipment.

6) Lab scale production /processing equipment for technical textile product development.

7) Calendering machine

8) Finishing machinery for impregnating yarn or fabrics

9) Dipping machine for tyre cord / industrial fabrics / belting ducks

10) Dipping machine for single end or cord for reinforcement of v-belts / hoses / hose tires

11) Printing machine for coated / laminated fabric

12) Coagulated PU or PVC dip coating machine / PU or PVC coating line or coating dipping / knife machine with infrared dryer

f. Madeup Technical Textile (TT) Store

1. RF (Radio Frequency) welding equipment

2. Ultrasonic cutting and sealing equipment.

3. Laser cutting and sealing equipment.

4. Printing equipment for Signage.

5. Heat setting machine and stretching (for heat setting table).

6. Back Coating Lines

7. Braiding machinery

8. Machinery for manufacture of clay liner

9. Machinery for manufacture of prefabricated vertical drains /
prefabricated wick drains

g. (i) Non-woven textile manufacturing machines:

Complete production lines or the component / parts forming the production line for the manufacture of following non-wovens upto rolledgoods preparation and packing, viz.,

- (a) Chemically bonded non-woven
- (b) Stitch bonded non-woven
- (c) Spun bonded non-woven
- (d) Melt blown non-woven
- (e) Spun bond melt blown non-woven (SMS non-wovens)
- (f) Needle punch non-woven
- (g) Thermal bond non-woven
- (h) Spun lace non-woven

h. Finishing machines:

1. Hot melt cold glue applicators for coating
2. Ultrasonic slitting machines/edge sealer
3. Brazing machine with torch(for hot air)
4. PLC operated system with servo drives for measurement/control of tension and temperature
5. Film calendering machine
6. Automatic packing and inspection machines
7. Heatset oven with stenter facility
8. Pilot/lab coating line
9. High pressure pump for water jet cutting system
10. Robotic waterjet cutting system
11. Robot for water jet cutting system

12. Water softening/purification system for water jet cutting
13. Machines for powder scattering/paste dot/powder dot
14. Coating for fusible interlinings
15. Padding mangle (fulard)
16. Extruder lamination machine
17. Sheet extruders and lamination machine
18. Singeing machine
19. Clip/pin stenter for heat setting
20. Flame lamination machine
21. Dust collectors
22. Jacquard machines for joining two edges by inter weaving.
23. Turret winder and unwinder
24. High speed precision mixers for plastisols/ organosols.
25. Gunning and cutting machine.
26. Grommet fixing machine.
27. PU tumbling machine and drying machine.
28. DMF recovery plant and distillation plant.
29. Printing machine for coated textiles.
30. All types of coaters such as knife over roll, kiss roll coater, screen coater, etc.
31. Multi cylinder drying range

i. Non-woven converting machinery:

1. Complete thermomoulding lines
2. Complete thermosetting lines
3. Machinery of carpet/NVH moulding lines oven/ press
4. Conveyor/thermopack for heating/chiller for cooling
5. Machinery for moulded roofliners

6. Machinery for conversion of nonwovens into face masks / dust masks / duck bill masks / earloop mask sealing / tieon mask sealing / blank mask making machine
7. Machinery for conversion of nonwovens into bouffant caps / surgical caps / medicap making machine
8. Machinery for conversion of nonwovens into gowns / pillowslip / shoe covers / ice pack body / ice pack band sealing and cutting / hand bags / filter pocket / head rest cover / CD / DVD cover and other such items
9. Machinery for conversion of nonwovens into sanitary napkins / baby diapers / adult diapers
10. Machinery for conversion of nonwovens into dry and wet wipes
11. Machinery for slitting and rewinding of nonwoven roll
12. Surgical gauze machine making
13. Combined dressing making machine
14. Bandage Roll making machine
15. Machine to compress
16. Abdominal sponge making machine
17. Automatic packing machines

Note : The machineries listed at Sr. Nos. g(i), h and i above are only eligible under Restructured TUFs for non-wovens and converters of non-wovens finished products.

j. Testing and Evaluation machinery :

1. Speciality testing equipments and rigs for T.T. (Technical Textiles) and T.T.P. (Technical Textile Products)
2. Universal textile testing machine 10 tonnes/20 tonnes
3. Index puncture resistance tester
4. Co-efficient of friction apparatus
5. Particle size determination apparatus
6. Gradient ratio test apparatus
7. Long time flow apparatus
8. Feltperm

9. Point paper design system with EWE
10. Weatherometer
11. Yarn shrinkage and shrinkage force testing machine
12. Viscometers
13. Data loggers for machine monitoring and flex resistance tester
14. Tear testing machine
15. Cold crack resistance testing
16. Thickness gauge
17. Water repellency testing machine
18. Waterproofing testing machine
19. Fire resistance testing equipments
20. Accelerated ageing testing oven
21. Rainwater tests equipment continuous water spray test and I.R. spectrometer etc.
22. Abrasion testers
23. Colour matching cabinets
24. Colour fastness testers
25. Accelerated creep tester
26. Air permeability tester
27. Hydro static puncture test for geo membrane
28. Hydraulic grip
29. Projection microscope

k. Any other machine considered appropriate by the Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC).

Note : Since some of the machinery eligible for technical textiles can also be used by the other segments of the industry, the technical textile entrepreneurs intending to avail of 10% capital subsidy under Restructured TUFs will have to get themselves registered with Office of the Textile Commissioner and obtain a registration number. In other words, the registration with Office of the Textile Commissioner will be the pre-requisite for availing of 10% capital subsidy by technical textile units.

ANNEX – L**LIST OF MACHINERY FOR RMG ELIGIBLE FOR 10% CAPITAL SUBSIDY
AND 5% INTEREST REIMBURSEMENT UNDER TUFS****a. ELIGIBLE MACHINES FOR GARMENT MANUFACTURING :**

1. Programmable Single/multi needle power operated industrial lockstitch-sewing machine with or without trimmer overedging /seaming and banding operation.
2. Blind stitch machine/Chain stitching machine.
3. Power operated linking/loop making sewing machine.
4. Power operated flat lock/overlock machine.
 - Four / Five thread overlock machine with or without trimmer.
 - Five thread flat lock machine with or without trimmer.
 - Five thread flat lock machine with seam joining device.
5. Zigzag flat bed sewing machine.
6. Button stitch sewing machine.
7. Button hole machine with locking device.
8. Label/elastic inserting machine.
9. Decorative stitching machine
10. J Stitch sewing machine
11. Edge cutting sewing machine
12. Eyelet Button hole sewing machine.
13. Belt attaching machine.
14. Zip attaching machine.
15. Bar tacking machine.
16. Hemstitch machine.
17. Smocking machine / Automatic multi needle sirring machine.
18. Power driven cloth cutting machine / laser fabric or label cutting machine / laser engraving machine.

19. Collar / cuff turning / blocking machine / pressing machine.
20. Button and rivet snap fasteners fixing machine.
21. Pocket creasing and welding machine/Auto pocket making machine.
22. Continuous pressing / folding machine.
23. Continuous fusing press.
24. Collar contour trimmer.
25. Automatic spreading & cutting table with vacuum and / or air blowing device.
26. Shoulder pad-attaching machine.
27. Pocket cutting machine.
28. Computerised CAD / CAM / cutting machine.
29. Automatic Pocket Attaching machine
30. Cloth drilling machine.
31. Collar point trimmer/Gear knotcher machine.
32. High speed fully fashioned knitting machine.
33. Whole garment making machine for knitted garments or power operated garment panel forming knitting machine with linking machine.
34. Power driven socks and gloves knitting machine.
35. Automatic thread trimming / sucking machine.
36. Automatic shirt folding machine.
37. Pearl/Beads/Stones/Glassete/Hook and Bar attaching machine.
38. Quilting machine.
39. Fabric inspection/checking machine with fault analyser and report Generator.
40. Needle/metal detector machine.
41. Multi head computerised embroidery machine.
42. Computerised label making machine / computerised label printing machine.
43. Button wrapping / shanking machine.

44. Feed-off-the-arm industrial sewing machine.
45. Automatic dart/pleat making machine.
46. Automatic label / ply picking machine.
47. Pin tucking machine.
48. Single needle basting machine.
49. Single needle post bed sleeve setting machine.
50. Power operated conveyor based material handling system for sewing department.
51. Crochet machine for laces and bands with electronic bar operation.
52. String thrusting machine.
53. Sand Blasting/Brushing machine.
54. Colour matching machine.
55. Automatic machine for making knit shirt center pleats.
56. Belt Loop attaching machine
57. Button packer
58. Collar Heat Notcher
59. Spot Welding machine
60. Laser Colour Fading / Marking / Drawing Machine.
61. Laser operated Colour Spraying Machine.
62. RMG Curing /heat setting oven.
63. Computerized Strap (Collar/Cuff) Flat Bed Knitting Machine.
64. Cup Seamer.
65. Automatic strap cutter machine with electronic feed & cutting device.
66. Cup moulding machine.
67. Auto reeling stitch machine.
68. Fabric Laying / Spreading machine
69. Garment washing / dyeing machine

70. Garment drying machine
71. Dry to Dry cleaning machine for garments
72. Garment Colour Spray Cabinet
73. Automatic multi-head Flat bed Screen printing machine
74. Trouser topper / Form Finisher machine
75. Trouser turning machine
76. Fabric Grinding machine
77. Hem Breaking Machine
78. Fagoting / Picoting machine
79. Loop making machine
80. Placketing machine

b. Any other machinery considered appropriate by the Technical Advisory-cum Monitoring Committee (TAMC).

Note : The readymade garment units are only eligible to avail of the benefit of 10% capital subsidy on the above machinery.

ANNEX – M

LIST OF BRAND NEW SHUTTLELESS LOOMS ELIGIBLE FOR 10% CAPITAL SUBSIDY AND 5% INTEREST REIMBURSEMENT UNDER TUES

a. Eligible brand new shuttleless looms

Sr. No.	Description of the brand new shuttleless looms
1	Projectile looms
2	Airjet looms
3	Waterjet looms
4	Rapier looms

Note : Specifications for the above looms will be decided by the TAMC.

b. Any other machinery considered appropriate by the Technical Advisory-cum Monitoring Committee (TAMC).

ANNEX – N**LIST OF MACHINERY FOR CAD / CAM AND DESIGN STUDIO UNDER TUES****a. ELIGIBLE MACHINES / EQUIPMENTS AND SOFTWARE FOR TEXTILE DESIGN STUDIO****I. Eligible machines / equipments for Textile Design Studio.**

1. Latest Configuration Core Duo Desktop Computers with minimum 1 GB RAM & 17" Monitor and UPS.
2. Digitizer
3. Latest Model Plotter / High speed Ink Jet Plotter
4. Automatic Spreading & Cutting Machine(Single ply and high ply cutters)
5. Plotter for Computerised CAD / CAM Pattern marker / Pattern grading / marker.
6. CAD / CAM Design Studio.
7. High Resolution Scanner
8. Inkjet Engraver
9. Semi/fully automatic printing machine
10. Digital Printing machine
11. Absorbing machine
12. Screen Room preparatory equipments
 - Screen Stretching Equipments
 - Auto Screen Coating Equipments
 - Exposing Equipments
 - Digital Screen Equipments

II. Eligible software for Textile Design Studio.

1. CAD for Automatic Marker Planning, grading and marketing.
2. CAD/CAM software for embroidery machine.
3. CAD / CAM Pattern marker / Pattern grading / marker Software with Plotter.

4. Computer aided production planning software
5. AUTOCAD, Adobe Photoshop, Coral Draw, Adobe Illustrator Softwares, 3D Max, Visual Studio, Coral 6.0, Flash, Animator Pro, infini-D, form-Z, sketch, publishing, visual basic provin, macromedia director, front page editor, dream weaver
6. Textile Design Software / Vision textile design software
7. Apparel Design Software
8. Software for Product Development Management (Work & Event Tracking, Construction & Assembly Details, Report Generation, Measurement Specs)
9. Global Sourcing (Source Components from Multiple vendors, Manage Distribution, Forecasting, Automatic Bid Updates)
10. Pattern Making Software Licenses
11. Marker Planning Software Licenses
12. Cut Planner Software Licenses
13. Designing Software Licenses
14. E-fit Simulator (3D Virtual Sampling)
15. Other design softwares.

III. Testing equipment

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Loop length tester | 9. Light fastness tester |
| 2. Digital twist tester | 10. Computer colour matching system |
| 3. Abrasion tester | 11. Polarizing projection microscope |
| 4. Fabric checking machine | 12. X-ray fluorescence spectrometry |
| 5. Pilling tester | 13. Spectroscope and flex cam camera |
| 6. Tearing strength tester | 14. Spectro photometer |
| 7. Stiffness tester | 15. Washing fastness tester |
| 8. Colour matching cabinet | 16. Coveyarised scanning / grading |

- b. Any other machine considered appropriate by the Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC).

ANNEX – O
COMPOSITION AND FUNCTIONS OF
TECHNICAL ADVISORY-CUM-MONITORING COMMITTEE (TAMC)

1. Composition of the Committee

1. Textile Commissioner, Mumbai	Chairman
2. Director (Cotton), Ministry of Textiles	Member
3. Jute Commissioner, Kolkata	Member
4. Chairman, Confederation of Indian Textile Industry (CITI), New Delhi	Member
5. Chairman, Indian Woollen Mills Federation (IWMF), Mumbai	Member
6. Chairman, Federation of Indian Art Silk Weaving Industry (FIASWI), Surat	Member
7. President, Indian Spinners Association (ISA), Mumbai	Member
8. President, South India Small Spinners Association (SISSPA), Coimbatore	Member
9. President, Ludhiana Knitwear Club, Ludhiana	Member
10. Chairman, Textile Machinery Manufacturers Association of India (TMMAI), Mumbai	Member
11. President, Indian Jute Mills Association (IJMA), Kolkata	Member
12. Chairman, Clothing Manufacturers' Association of India (CMAI), Mumbai	Member
13. Chairman, Powerloom Development and Export Promotion Council (PDEXCIL), Mumbai	Member
14. Chairman, Cotton Textiles Export Promotion Council (TEXPROCIL), Mumbai	Member
15. Chairman, Apparel Export Promotion Council (AEPC), Gurgaon	Member
16. Chairman, Synthetic and Rayon Textiles Promotion Council, Mumbai	Member
17. In-charge, TUF Cell, Industrial Development Bank of India, Mumbai	Member
18. In-charge, TUF Cell, Small Industries Development Bank of India, Lucknow	Member
19. In-charge, TUF Cell, Industrial Finance Corporation of India, New Delhi	Member
20. In-charge, TUF Cell, State Bank of India, Mumbai	Member
21. In-charge, TUF Cell, Central Bank of India, Mumbai	Member
22. In-charge, TUF Cell, Bank of India, Mumbai	Member
23. In-charge, TUF Cell, Export Import Bank of India, Mumbai	Member

24.	In-charge, TUF Cell, NCDC, New Delhi	Member
25.	In-charge, TUF Cell, Canara Bank, Bangalore	Member
26.	In-charge, TUF Cell, Bank of Baroda, Mumbai	Member
27.	In-charge, TUF Cell, Indian Overseas Bank, Mumbai	Member
28.	In-charge, TUF Cell, Union Bank of India, Mumbai	Member
29.	In-charge, TUF Cell, Andhra Bank, Hyderabad	Member
30.	In-charge, TUF Cell, ICICI Bank, Mumbai	Member
31.	In-charge, TUF Cell, Punjab National Bank, New Delhi	Member
32.	In-charge, TUF Cell, Indian Bank, Chennai	Member
33.	Joint Textile Commissioner (E), O/o. TXC, Mumbai	Member Secretary

Any other technical expert, industry representative or the representatives of the co-opted banks / SFC/SIDCs twin function IDCs may be invited as special invitees as and when required.

2. Functions:

The functions of the Technical Advisory Committee will be as follows:

- i) Determine eligibility of the machinery under Restructured TUFs.
- ii) To interpret and clarify the various provisions of the GR on Restructured TUFs.
- iii) To review the progress of the scheme and critically analyse the operation thereof, at a macro-level and sort out administrative and operational bottlenecks.
- iv) To coordinate and sort out the inter bank and PLI-Nodal Agency issues.
- v) To keep the Inter-Ministerial Steering Committee (IMSC) apprised of the direction and extent of the implementation of the scheme.

3. The Committee shall ordinarily meet once in a quarter.

4. The Committee would keep the Government apprised of the decisions taken by them regarding technical and other issues relating to the scheme.

5. Miscellaneous :

- i) The T.A./D.A., if any, in respect of Government officials and the Textile Research Association officials shall be borne by their respective Departments and Organisations respectively. In respect of other members T.A./D.A. shall be borne by the organisations, which the members represent.
- ii) Secretariat assistance will be provided by the Office of Textile Commissioner, Mumbai.

ANNEX – POPERATIONAL GUIDELINES FOR
DEFERRED PAYMENT GUARANTEE (DPG) SCHEME

- (i) The assistance under DPG will cover major equipments and also cases involving both DPG and normal term loan in a single project. In all cases, however, the project per-se has to meet the technology and other eligibility norms of the Restructured TUFs.
- (ii) The margin money in case of equipment exclusively under DPG, shall be assumed as 20% for the purpose of interest subsidy under Restructured TUFs. However, in respect of cases involving both DPG and term loan, margin money may be taken based on project cost excluding DPG component.
- (iii) The period of the deferred payment will be from the date of execution of the bills/promissory notes and should not exceed 7 years including moratorium period not exceeding one year.
- (iv) Only rupee loan will be covered under the Restructured TUFs and buyers bank who is giving the guarantee has to be bank co-opted under Restructured TUFs.
- (v) The intending purchaser-user of indigenous / imported machinery who is not in a position to offer immediately full cash payment for the required machinery will approach the machinery manufacturer / local agent of foreign supplier seeking deferred payment facility. The manufacturer – seller will prepare separate usance bill / promissory note for each installment together with interest payable on the deferred installments.
- (vi) The bills drawn by the seller will be accepted by the purchaser/user and guaranteed by the purchaser/users bank. Alternatively, these bills are drawn by the purchaser/ users and guaranteed by his banker.
- (vii) These bills/promissory notes are then delivered to the seller, who gets them discounted with his banker, thus realising the cost of the machinery; the discount payable by him to his banker is included in the amounts of the bills by way of interest for the period of deferred payment.
- (viii) The buyers bank will retire the bills on the respective dates by debiting the account of the buyer and for the full face value of the bill including principal amount and interest on deferred payment. After receipt of the 5% interest reimbursement from nodal agency, the reimbursement amount will be refunded by the buyers bank to the buyer.
- (ix) After ensuring compliance with all the provisions of Restructured TUFs, the buyers bank will approach respective nodal agencies for interest reimbursement. The buyers bank will be required to furnish complete details i.e., invoice value of equipment, discounting rate (%), usance period (months) for each bill, periodicity and entire repayment schedule indicating break-up of principal components for the entire period of repayment.

ANNEX – Q**OPERATIONAL GUIDELINES FOR IMPLEMENTING 20% MARGIN MONEY
SUBSIDY UNDER TUFS (MMS@20%-TUFS) FOR POWERLOOM SECTOR**

1. An option has been provided to the powerloom units to avail of 20% Margin Money Subsidy under Restructured TUFS (MMS@20%-TUFS) in lieu of 5% interest reimbursement / 15% Margin Money Subsidy. The operational guidelines of the MMS@20%-TUFS are as follows:
 2. **Duration of the scheme**
 - 2.1 The operation of MMS@20%-TUFS will be co-terminus with restructured TUFS from the date of this resolution to 31st March, 2012.
 3. **Eligible units**
 - 3.1. The scheme is applicable to powerlooms and independent preparatory units in Micro & SSI sector only i.e., the units having investment in plant & machinery as per Micro, Small & Medium enterprises development Act 2006. However, filing of Entrepreneurs Memorandum with concerned District Industries Centre is a **pre-requisite** for availing of assistance under the scheme.
 - 3.2 The eligibility of the powerloom unit and independent preparatory unit is subject to a capital ceiling of Rs. 500 lakh and ceiling on margin money subsidy of Rs. 60 lakh. For brand new shuttleless looms specified in Annex - M, ceiling on margin money subsidy would be Rs.1 core. SSI units exceeding capital ceiling of Rs. 500 lakh would not be eligible for assistance under 20% MMS- TUFS. Such units are advised to avail of 5% interest reimbursement under Restructured TUFS.
 4. **Quantum of subsidy**
 - 4.1 20% margin money subsidy will be available on investment in TUF compatible specified machinery subject to a ceiling of Rs. 60 lakh or Rs.1 crore (whichever is applicable) on subsidy amount to each unit.

Proviso :- (i) However where two or more undertakings are set up by the same person as a proprietor each of such industrial undertakings shall be considered to be controlled by the other undertaking or undertakings

OR

(ii) Where two or more undertakings are set up as partnership firms under the Indian Partnership Act, 1932 (1 of 1932) and one or more partners are common partner or partners in such firms, who have already availed

subsidy in their individual capacity for a proprietary/partnership firm, each of such industrial undertakings shall be considered to be controlled by the other undertaking or undertakings.

OR

(iii) Where industrial undertaking are set up by companies under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and where one or more Directors are common/same person who have already availed subsidy in their individual capacity for a proprietary/partnership/Private Limited Firm, such undertakings shall be considered to be controlled by the other undertaking or undertakings.

4.2. Powerloom units availing of 20% subsidy would not be eligible under the NEF scheme.

5. Eligible machinery

5.1. The eligible machinery under the scheme include new automatic looms, new shuttle less looms with or without specified loom accessories and new weaving preparatory machinery including Two for one Twister (TFO) and Prewinder / Rewinder.

5.2 Second hand imported shuttle-less looms upto 10 years vintage with residual life of 10 years as per Restructured TUFS norms will also be eligible under the scheme.

5.3 New Humidification Plant/ Air Compressor/ De-mineral Plant or Reverse Osmosis Plant, beam gaiting and knotting machine are also eligible subject to a maximum of 10% of the total cost of the eligible machinery for a project. However, subsidy for a project under the scheme will be restricted to Rs. 60 lakh or Rs.1 crore (whichever is applicable).

6. Bench marking of price under the scheme:

6.1. The Textile Commissioner in terms of the guidelines issued by the Govt. has fixed the ceiling on benchmarked price for the eligible second hand imported machinery upto 10 years vintage only under the scheme for the purposes of subsidy. The same is enclosed at **Appendix-I**.

6.2. The indigenous machinery manufacturers shall be benchmarked. A list of eligible machinery manufacturers is at **Appendix-II**.

7. Lending Agency

7.1. NBFCs registered with RBIs as category A and B, all banks including cooperative banks / SFCs /SIDCs and SIDBI are eligible for funding under the scheme.

8. Financial norms

8.1. Promoters contribution of 15% is to be ensured by the lending agency.

8.2. Financial norms like security debt-equity ratio, previous years profit position, networth etc. will be as per existing norms of lending agency. However, they should not be stricter than TUF norms.

8.3. Powerloom unit availing of 20% subsidy should at least function for a minimum lock-in period of three years under the same ownership from the date of disbursement of subsidy to ensure that repayment period including moratorium period for the term loan should be minimum of three years.

9. Release of subsidy

Following mechanism will be adopted for the release of subsidy to Machinery Manufacturers/ Entrepreneurs/ Banks.

9.1. Machinery Manufacturers

9.1.1 The powerloom unit will approach the lending agency for a term loan with their project proposal. The lending agency would advise the office of the Textile Commissioner of the sanction of the loan in the prescribed format as at **Appendix-III**.

9.1.2 The SSI entrepreneur would submit application for claim to Office of the Textile Commissioner in the prescribed format as at Annex – T.

9.1.3. The powerloom entrepreneur would release his initial advance of minimum 15% contribution directly to the machinery manufacturer for the cost of the machine. The lending agency would release the loan to the machinery manufacturer when machinery is ready for dispatch. In case, with the loan amount, 80% of the cost of the machinery is not met, the powerloom weaver would make good the remaining amount to the machinery manufacturer from his own resources.

9.1.4. The machinery manufacturer/powerloom entrepreneur would install and commission the loom on receiving 80% of the cost of the machinery. After satisfactory commissioning of the loom, the machinery manufacturer would inform the office of the Textile Commissioner.

9.1.5. In case of imported machinery, the powerloom weaver would inform the office of the Textile Commissioner after commissioning of the looms.

9.1.6. Textile Commissioner would constitute inspection teams on regional basis to inspect and certify the commissioning of the machinery. It would be ensured that Certification Committee issues a certificate within 15 days from date of intimation by the machinery manufacturer.

9.1.7. The 20% subsidy would be released by the office of the Textile Commissioner to the machinery manufacturers/ units Bank Account after receipt and examination of

certification from the inspection team.

- 9.1.8. In respect of Restructured TUFS compatible imported looms and machinery, the powerloom weavers will need to open a LC in Bank to make the purchase. In such cases, the 20% subsidy would be released directly to the powerloom weaver's bank account after receiving installation and commissioning report of the imported looms and machinery.
- 9.1.9. Interest subsidy/capital subsidy/Margin Money subsidy on the basic value of the machineries and exclude the tax component/custom duty for the purpose of valuation.
- 9.1.10. In case powerloom entrepreneur avails of bridge finance from the lending agency for the 20% margin money subsidy to be given, the 20% subsidy would be released by the Textile Commissioner directly to the lending agency.
- 9.1.11. In case machinery is being installed / commissioned in phases, the subsidy shall also be released in phases.
- 9.1.12. The subsidy will be released subject to Stage I of monitoring process of Para IV relating to Implementation / Monitoring / Appraisal mechanism.

9.2. Banks

- 9.2.1. The Powerloom units may avail of 20% Margin Money Subsidy (MMS) on 'front ended' basis along with bank finance. The operational guidelines for releasing of 20% subsidy are as follows:
- 9.2.2. The powerloom unit will approach the lending agency for term loan and bridge finance for 20% MMS with their project proposal. After sanctioning of the loan the lending agency shall advise the O/o the Textile Commissioner the sanction of the loan in the prescribed format at **Appendix - IV**.
- 9.2.3. Under the scheme, the lock in period for term loan would at-least is of 3 years.
- 9.2.4. The powerloom entrepreneur would release his initial contribution of minimum of 15% directly to the machinery manufacturer.
- 9.2.5. The lending agency would release the term loan as well as bridge finance to the machinery manufacturers when machinery is ready for dispatch.
- 9.2.6. The machinery manufacturer would continue with casting / engraving of the nine-digit identification code for each machinery.
- 9.2.7. The machinery manufacturer/ powerloom entrepreneur would install and commission the machinery and inform the lending agency about commissioning of the machinery.
- 9.2.8. Lending agencies visits the unit either before or after disbursement of the loan.

During this visit, the lending agency would ensure the casting/engraving of the nine-digit identification code on the indigenous machinery as per the guidelines.

- 9.2.9. After this visit, the lending agency will inform the O/o the Textile Commissioner that the party has installed the machinery and they have released the payment including the bridge finance on account of the 20% margin money subsidy in the **prescribed format**. The lending agency, along with this declaration will also send the **copies of all related documents**, which should invariably have all the specification of the machinery and also the **9-digit identification code** to the office of the Textile Commissioner.
- 9.2.10. Based on the documents so received from the lending agency, the O/o the Textile Commissioner would **release the margin money subsidy to the lending agency**.
- 9.2.11. 20% margin money subsidy will be worked out on the basis of invoice price exclusive of all taxes, in respect of indigenous machinery. The lending agency should provide bridge finance to the extent of 20% of eligible investment.
- 9.2.12. In respect of brand new imported machinery, the 20% margin money subsidy will be worked out on the basis of CIF price, while in respect of second hand imported machinery, the 20% margin money subsidy will be worked out on the basis of benchmarked price as fixed by Textile Commissioner from time to time or CIF price whichever is lower.
- 9.2.13. In case the lending agencies give bridge finance more than the eligible 20% margin money subsidy, the excess amount will have to be recovered from the powerloom weaver or it can be converted into a normal term loan by the lending agency.
- 9.2.14. Advance / token payment upto the margin money for machine cost can be paid by the unit prior to the date of sanction of term loan. However, machines purchased on or after date of sanction of term loan will be eligible under Restructured TUFS subject to fulfillment of other terms and conditions.
- 9.2.15. Textile Commissioner would constitute a team comprising of senior officers of the Head office to periodically inspect on random basis the machinery installed/commissioned as well as the original record of the bank pertaining to the loan to the beneficiary.

10. Safeguard against mis-utilisation

- 10.1. To prevent mis-utilisation of the scheme, casting of a unique mill no, machine code no, and engraving of the running serial number would be done on each machine. There would be a nine-digit identification code for each machinery. The nine-digit

identification code will include the following:

- The first three digits (000) of the identification code will indicate unique three digit mill No. for each manufacturer which has been allotted by the Textile Commissioner. The unique three digit mill no. will be casted in the specified cast components by the machinery manufacturers.
- The next two digits (00) of the identification code will indicate the type of the machinery. The two digit number for different type of machinery has been specified by the Textile Commissioner. The details of the two digit numbers are given in the **Appendix - V**. The two digit number is to be casted / engraved besides three digit unique mill number on each machinery.
- The next four digits (0000) will indicate number of machinery of that manufacturer produced under the scheme. The four digit running serial No. for each type of machinery will be given by the respective machinery manufacturer and is to be engraved besides three digit unique mill number and two digit machine code specified by the Textile Commissioner for that machinery.

For example the nine digit identification code for Automatic Pirn Changing loom produced under the scheme by M/s ABC Works Ltd, would be '024-03-0001'. The first three digits '024' indicate the unique mill number of M/s ABC Works Ltd, the next two digit '03' indicate the type of machinery i.e., Automatic Pirn Changing loom, the next four digit '0001' indicate the first Automatic Pirn Changing loom produced by M/s ABC Works Ltd, under the Scheme. Likewise the nine-digit identification code for 1st rapier loom produced under the scheme by M/s XYZ Works Ltd would be Rapier loom '001-04-0001'. The first three digits '001' indicate the unique mill number of M/s XYZ Works Ltd ; the next two digit '04' indicate the type of machinery i.e., rapier loom; the next four digit '0001' indicate the first rapier loom produced by M/s XYZ Works Ltd under the Scheme. The machine serial no. will be in continuity from the earlier number as given under CLCS.

- 10.2. The identified machinery manufactures would cast the 3 digit unique mill No. on the select cast components as specified by the Textile Commissioner. The item-wise specified components for casting are at **Appendix - VI**. The two digit machinery No. specified by the Textile Commissioner will be casted / engraved while the four digit running S.No. would be engraved on the machine on such cast component so that mill code, machine code and running serial no of machine are in alignment to make a

row.

- 10.3. For specified machinery which have no cast components engraving of unique mill no. instead of casting of such no. is permitted by the Textile Commissioner.
- 10.4. For the existing stock of the machinery manufacturers, the stock declaration statement as on date of enlisting under scheme would be submitted by the machinery manufacturers to Office of the Textile Commissioner, Powerloom Development Cell. Based on the quantum of such stock, the Textile Commissioner would take a decision regarding coverage of such stock under scheme by permitting engraving of the unique mill nos. on such stock.
- 10.5. In respect of imported (new & 2nd Hand machinery), the serial nos of the machineries and Year of Make should be visible, by way of casted / engraved/ affixing the plate as the case may be, on the machines.

11. Monitoring of the progress of the scheme

- 11.1. The Textile Commissioner will monitor the progress of the scheme.

12. Grievance Committee

- 12.1. Grievance of the beneficiaries after purchase of machinery under the scheme would be considered by a grievance committee under the chairmanship of the Textile Commissioner and comprise of such members as Textile Commissioner deems fit.

Appendix - I

**BENCHMARKED PRICE FOR THE ELIGIBLE SECOND HAND IMPORTED
MACHINERIES (LOOMS) UPTO 10 YEARS VINTAGE**

S. No	Description of the second hand imported machinery	Specifications/ Model	Upper ceiling on. Benchmarked price for subsidy purposes (Rs. Lakh)	
			EU Countries	Non EU Countries
1.	Projectile looms irrespective of shedding mechanism	P-7100, P-7150 P-7200, P-7250	Rs.8.00 lakh	—
2.	Airjet looms irrespective of shedding mechanism	Irrespective of speed/width	Rs.8.00 lakh	Rs.5.50 lakh
3.	Waterjet loom irrespective of shedding mechanism	Width 190 cm. And above	Rs.4.00 lakh	Rs.2.50 lakh
		Width less than 190 cm.	Rs.3.00 lakh	Rs.1.50 lakh
4.	Rapier loom	Width 190 cm. and WIR more than 750 mpm	Rs.8.00 lakh	Rs.4.50 lakh
		Width 190 cm and WIR more than 450 mpm but less than 750 mpm	Rs.6.00 lakh	Rs.3.50 lakh
		Width more than 190 cm.	Rs.8.00 lakh	Rs.4.50 lakh

Note: Subsidy will be admissible on actual CIF price (subject to above ceiling)
exclusive of duty and taxes.

Appendix - II

**LIST OF IDENTIFIED / BENCH MARKED MANUFACTURERS ALONG WITH
BENCHMARKED MACHINERY UNDER CLCS @ 20% - TUFs**

Sr. No.	Unique Code.	Name & Address of the manufacturer	Items of machine manufactured
1	001	M/s. Laxmi Textile Stores , 22/23, Punmaji Indl. Estate, Dhobi Ghat, Shahapur, Ahmedabad – 380 004 Ph – 562 2510 Fax – 079 562 2845 E mail- shanghvi@vsnl.com	• Automatic Pirn Change Loom • Shuttleless Rapier Loom • Dobby
2	002	M/s. Dynamic Auto Looms India Pvt. Ltd. , 26 Chetana Estate, Nagarwel Hanuman Road, Amrewadi, Ahmedabad – 380 026 Ph- 274 2468	• Shuttleless Rapier Loom • Dobby
3	004	M/s. P.P. Products , Kashi Estate, C/o Panchal Nagar, Dudheshwar Road, Ahmedabad – 380 004 Ph- 5626305 / 5626156 Fax – 079 5626305	• Pirn Winding Machine
4	005	M/s. Surya Machinery Mfg. Co. Ltd. , 92/94, 2-1, GIDC, Phase-I, Near Bank of India, Vatva Ahmedabad - 382 445 Ph – 079- 583 0164 Tele Fax – 079 5830418	• Pirn Changing Automatic Loom • Dobby
5	006	M/s. Prashant Gamatex, P. Ltd 4/1-C, Phase – I, GIDC, Indl. Area Vatva, Ahmedabad – 382 445 Ph – 5830603 / 5833384 Fax – 079 589 04020 / 5830578 E mail – gamatex@prashantgroup.com	• Sectional Warping Machine
6	007	M/s. Rabatex Industries C-1/356, GIDC Estate, Opp. Housing Colony, Odhav, Ahmedabad – 382415 Ph – 079 2871356 / 2976844 079 2872851 / E mail – rabatexad1@sancharnet.in	• Sectional Warping Machine

Sr. No.	Unique Code.	Name & Address of the manufacturer	Items of machine manufactured
7	009	M/s. Jupiter Engg. Company , Plot No. 510, Phase-IV, GIDC, Vatva, Ahmedabad-382445, Ph.-079-5835313	• Warping Machine • Sizing Machine
8	011	M/s. Himson Textile Egg. Ind. Ltd. , 2/94, GIDC, Pandesara, Surat - 394221 Ph – 0261 8691741 / 42/ 43 / 44 E mail – nimesh@himsonceramics.com	• Shuttleless Rapier Loom • Jacquard
9	012	M/s. Lifebond Machines Pvt Ltd. , Joy Silk Mills Compound, Station Road, Lal Darwaja, Surat 395 003 Ph – 0261 7418837 / 7404150 / Fax – 0261 7423410	• Shuttleless Rapier Loom
10	015	M/s. Priyalaxmi Machinery Manufacturers , 161/A, Shanghvi Estate, Tavdipura, Ahmedabad – 380 004. Tel. : 5623166 / 5624664 Fax : 91-79-5622845	• Pirn Changing Automatic loom
11	016	M/s. Aalidhra Texpro Engineers Pvt. Ltd. , B-52, 2 nd Floor, Rd. No. 3, Udyognagar, Udhna – 394 210, Surat, Gujarat Phone No : (0261) – 2274140 Mobile : 9879205126 Tele Fax : – (0261) – 2278059 E-mail : texpro@aalidhra.com www.aalidhra.com Works : 122/3, Vaghdhara Road, Dadra – 395191, UT of Dadra & Nagar Haveli, Silvassa, India Telefax : (0260) 2668707	• Two For One Twister for filament Yarn • Pre-winder / Rewinder
12	017	M/s. Honest Trading Co. Pvt. Ltd. , Post Box No. 43, Madhav Nagar, Bilimora – 396 321 Ph – 02634 83902 83302 Fax – 83681 E mail – honestbilimora@yahoo.com	• Pirn Changing Automatic loom • Automatic Shuttle Stop Change Loom • Shuttleless Rapier Loom
13	018	M/s. Shreenathji Engg. Works Pvt. Ltd. , Behind GIDC, Antalla, Bilimora – Ph- 02634 83098	• Jacquard

Sr. No.	Unique Code.	Name & Address of the manufacturer	Items of machine manufactured
14	020	M/s. Amrutlaxmi Machine Works Plot No. 237, GIDC., Indl Estate, Umargaon - 396171 Ph- 0260 - 563865 Fax - 22 648 4366 E mail - amrutlaxmi@vsnl.com	• Warping Machine • Sizing Machine
15	021	M/s. Industrial Engineering Works, No.27, 8th Cross, Magadi Road, BANGALORE 560 023, KARNATAKA, INDIA Phone No: 080- 23380325/23380759 Telefax : 080-23380325, Email-indlengg@vsnl.net	• Shuttleless Rapier Loom
16	024	M/s. Lakshmi Automatic Loom Works Ltd., P. B. No. 6320, 686, Avanashi Road, Coimbatore - 641037 Tamil Nadu Ph- (Off) 0422 2215 484 / 2213489 Fax No - (Off) 0422 2213785 Email - lalwcbe@md2.vsnl.net.in	• Pirn Changing Automatic Loom • Rapier Loom
17	030	M/s. Steel Fabricators, Billimora (Unit of M/s. Honest Trading Co. Pvt. Ltd., Billimora)	• Jacquard
18	035	M/s. Weavetech Engineers, Block No. 122/1, Vaghdhara Road, Village - Dadra-398191,(Silvassa), U.T. of Dadra & Nagar Haveli, Phone : (0260)2668304	• Shuttleless Rapier Loom • Shuttleless Waterjet Loom
19	050	M/s Alidhra Weave Tech Pvt. Ltd., Plot No. A (5) 4, Sachin Udyognagar Sahkari Sangh, Dandi Road, Sachin, Dist Surat - 340 380	• Shuttleless Rapier Loom
20	054	M/s Harsh enterprises 225, Aashirvad Industrial Estate, Opp. New Fruit Market, Naroda Road, Ahmedabad-380025 Ph. No. 2822881-2822882 Mob-9426012341	• Sectional Warping Machine

Sr. No.	Unique Code.	Name & Address of the manufacturer	Items of machine manufactured
21	065	M/s Chetna Industrial Corporation, C-1, B/7, GIDC, Antalia, Bilimora-396321, Gujarat. Ph. 02634-284618, Mob. No. 9825156509	Sectional Warping Machine
22	084	M/s. Friends Engineering Works, Chandni Bagh, Sonali Road, Panipat – 132103, Ph.0180-2661560 S.S. Malik – 98120-19139 R.K. Sharma – 98120-07534 (340 - 400 meters per minute)	Shuttleless Rapier Looms
23	085	M/s. A. M. Industries, 9, Tejandra Ind. Estate, Nr. Ajit Mills Tolnaka, Opp. Bharat Bobbins, Rakhial, Ahmedabad – 380 023 Tel – (F) 274 5786, (R) 274 0786 Fax – 273 2786, Mob. 98250 38786 Ishak Khan M. Pathan Email- export@superdobby.com	Dobby
24	095	M/s Weavetech Industries, Block No. 1, Survey No. 122, Village Dadra, UT of D & NH	- Rapier Loom - Waterjet Loom
25	109	M/s. Bilimora Engineers Pvt. Ltd., Post Box No. # 39, Mahadev Nagar, Bilimora – 396 321, Dist. Navsari, Gujarat (INDIA) Phone No : 02634 – 283684 Fax : 02634 – 283681	Shuttleless Rapier Loom
26	111	M/s Lakshmi Precision Tools Limited, Arasur 641 407, Coimbatore Dist, Tamilnadu, Ph – 0422-2360470, Fax – 0422- 230469 E mail – lptmktg@satyam.net.in lptmktg@vsnl.in	Automatic Pirm Winding Machine
27	113	M/s Keshar Corporation, Plot No. 431, P-C, GIDC, Near Apna Bazar Gas Godown, Odhav, Ahmedabad - 382415 Ph. 31144954, Fax-91-079-22891407, Mob – 9426447887	- Sectional Warping Machine - Direct Warping Machine

Sr. No.	Unique Code.	Name & Address of the manufacturer	Items of machine manufactured
28	114	M/s. Anup Industries Textile Engg. & Manufacturers, 23/130, Near Navrang Process, Khanjire Industrial Estate, Shahapur, Ichlakranji – 416115 Mob – 9823161380	• Sizing Machine
29	118	M/s. Anil Metal Industries, Plot No. 250-252, Odhav GIDC, Behind Water Tank, Near Telephone Exchange, Odhav, Ahmedabad-382415, Gujarat. Phone: (079) 22891943 Mobile : 9904071099, 9824478875 Email : iconlooms@rediffmail.com	• Shuttleless Rapier Loom
30	119	M/s. RB Electronic & Engg. Pvt. Ltd. 301, Kilfire House, P.B.No. 12016, C-17, Dalia Indl. Estate, Off. Andheri-Borivali Link Road, Opp. Laxmi Ind. Estate, Andheri (W), Mumbai 400053 Ph - 022-55021361/55021362 Fax -56921432 E mail – texsales@eecindia.com	• Sizing Machine • Direct Warping Machine
31	121	M/s. Korindo Weaving Machines, (A Div. of Himson International Pvt. Ltd), 701, Center Point Bldg., Near Nirmal Children Hospital, Ring Road, Surat – 395 002, Tel – 0261 3966033-44, Fax – 0261 2460358 Plot No.334, Road No. 3, GIDC, Sachin	• High Speed Water Jet Looms
32	122	M/s. Himson Engineering, 701, Center Point Bldg., Near Nirmal Children Hospital, Ring Road, Surat – 395 002, Tel – 0261 3966033-44, Fax – 0261 2460358 17-1/17-1A/17-2A, Ringanwada, Kanchigam Road, Nani Daman-396210.	• High Speed Water Jet Looms

Sr. No.	Unique Code.	Name & Address of the manufacturer	Items of machine manufactured
33	123	M/s. Sahas Engineering Corporation, 1 / 2, Thala, Chikhli, Dist-Navsari – 396 521	• Sectional Warping
34	124	M/s. Laxmi Shuttleless Looms Pvt. Ltd., Shanghvi Estate, Opp. G.S.T. Kaligam, Ranip, Ahmedabad – 382470 Tel – 079-25622510, 25624393 Fax – 079- 25622845 E mail – shanghvi@vsnl.com	• Shuttleless Flexible • Rapiar Loom
35	128	M/s. Tech Mech Engineers, Plot No.304, GIDC, Odhav, Ahmedabad – 382415 Tel. – 22870302, 22872807 Fax – 79-22891407 Email – techmechad1@sanchernet.in	• Sectional Warping Machine • Direct Warping Machine
36	129	M/s. Indotex Manufacturers, 332, GIDC, Near New Water Tank, Odhav, Ahmedabad – 382415 Tel. – 079-22872003, 22873003, Fax – 079-22873003	• Sizing Machine • Warping Machine
37	130	M/s Minarva Machinery Mfrs. Pvt. Ltd. 4, Hitendranagar Sahakari Audyogic Vasahat Ltd., Near Naroda Railway Crossing, Opp. Diamond Park, Ahmedabad- 382340 Ph No. 079-22821782 Fax No.079-22822438 Mob.9824027719 Email– info@minarvamachinery.com	• Direct Warping machine • Sizing Machine
38	131	M/s Newmec Warping Mfg. Co. Plot No. 71/1, Phase-I, Near Telephone Exchange, GIDC, Vatva, Ahmedabad – 382445 Ph – 079-25831096 Fax – 079-25890888 Mob – 9898163100/9426552137	• Direct Warping Machine
39	132	M/s Sumatex Ltd., H-81, RIICO Extension, Pur Road, Bhilwara – 311 001 (Rajasthan) Ph – 01482-260693 Fax- 01482-260575 Email- sumatex@xancharnet.in	• Jacquard (Computerised pattern maker machine)

Sr. No.	Unique Code.	Name & Address of the manufacturer	Items of machine manufactured
40	133	M/s Dashmesh Jacquard & Powerloom 58-A, Sector-25, HUDA-Phase-I, Industrial Estate, Panipat-132104 Ph.0180-2660975 Email : info@dashmeshpowerloom.com	• Jacquard • Sectional Warping Machine
41	135	M/s. Prashant West Point Machinery Pvt. Ltd., Plot No.4/1. Phase-1, G.I.D.C. Estate, Vatwa, Ahmedabad-382 445 Phone No.2583 0603/2583 3384/ 2589 1779 Fax: + 91-79-2589 4020 Email : westpoint@prashantgroup.com Website: www.prashantgroup.com	• Direct Warping Machine • Sizing Machine
42	136	M/s. Kanti Textile Engineering Corporation, P.232, Old G.I.D.C. Katargam, Surat-8, Gujarat (India). Phone No.95251-21387 98254 58227 Tel. Fax : (0261) 2480820 (0261) 2480973 Email : jitu_kalyan@yahoo.co.in	• Sectional Warping Machine

Appendix - III

FORMAT FOR SUBMITTING THE DATA UNDER MMS@20%-TUES FOR POWERLOOM SECTOR

Dated : _____

Name & Address of the Lending Agency with Pin code:

IFSC Code:

MICR Code:

Borrower's Term Loan Account No.:

Sr. No	PAN	DIC IEM Number	Name & Address of borrower	Existing / New Unit	Project cost sanctioned	Machinery covered under the scheme			Total Term Loan amount sanctioned for machinery under MMS-20% TUES		Total Term Loan amount Disbursed for machinery under MMS-20% TUES	
						Name of the TUES compatible machinery along with specification	Name & address of the machinery manufacturer in case of indigenous machinery	Country of import in case of imported machinery	Price of the machinery (Rs.)	Date	Amount (Rs)	Amount (Rs)
(1)			(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.			Factory address:									

Promoters Contribution : Rs. _____ (%)

Term Loan Disbursed : Rs. _____ (%)

Total Cost of Machines : Rs. _____

Details of any claim of unit under Restructured TUES through Bank route

(Signature of Bank Branch Manager/ Authorised signatory with Seal)

Name of the Manager/authorized person

Designation:

Code:

Appendix – IV

**FORMAT FOR SUBMITTING DATA UNDER MMS@20%-TUES FOR
POWERLOOM SECTOR**

**Format to be submitted by the lending agencies for claiming subsidy from the Office of
the Textile Commissioner.**

Dated: _____

Name & Address of the Lending Agency:

1	Name & Address of borrower	<u>Factory address:</u> <u>Registered office address:</u> Email ID of Unit:
2	Whether SSI unit or not	(i) New Unit (ii) Existing
3	Name of the promoter(s)	
4	Type of firm (Proprietorship / Partnership / Limited Company / Cooperatives / Others)	
5	Project Cost (Rs.) (cost of machinery)	
(a)	Promoters Contribution (should be minimum of 15% for machinery)	
(b)	Term loan sanctioned and disbursed for machinery (L.C. No. in case of imported machinery)	

(c)	Bridge Finance disbursed	
(d)	Date of sanction of term loan	
6	Date of Commissioning of Machines	
7	Details of machinery covered under MMS@20%-TUFS	
(a)	Indigenous machinery	
Sr. No.	Description of machinery	Name and address of machinery manufacturer and code number
		No. of machines
		Nine digit code number(s)
		Invoice Price (Rs.)

(b)	Imported machinery								
Sr. No.	Description of machinery	No. of machines	Brand New or second hand	Machine Sr.No.	Date of Bill of Entry	Invoice Price	Speed of loom	Width of loom	CIF price

Documents to be enclosed:

Sr. No.	Description of document	Please tick if enclosed and write N.A. if not applicable
1	SSI certificate or any document (i.e., C.A. Certificate, banker certificate) to prove that unit is a SSI unit.	

2	In case of same location, a copy of separate electricity bill.	
3	Invoice with full details including accessories and also indicating 9 digit code number.	
4	Bill of entry in case of imported machinery.	
5	Chartered Engineer's certificate indicating the vintage and residual life of looms (As per the guidelines the vintage period of looms is 10 years with a residual life of 10 years)	
6	Copy of Letter of Credit in case of imported machinery.	
7	Declaration from the borrower that he has not exceeded the subsidy limit of Rs.20 lakh since inception of the scheme.	
8.	Copy of Loan sanction letter	

It is certified that the unit has commissioned machinery and the payment has been released for the same including the bridge finance on account of 20% margin money subsidy as per GR on Restructured TUFS and the unit has not availed of 5% interest subsidy / 15% MMS under Restructured TUFS.

Authorised signatory

Place:

Name:

Date:

Designation:

Seal

Appendix -V

Two Digit code for different type of machinery specified by the Textile Commissioner.

S.No.	Type of Machinery	2 digit code
1.	Automatic Shuttle Stop Loom	02
2.	Pirn Changing Automatic Loom	03
3.	Shuttle- less Rapier Looms	04
4.	Dobby	05
5.	Jacquard	06
6.	Pirn Winding	07
7.	Sectional Warping Machine	08
8.	Warping Machine	09
9.	Sizing Machine	10
10.	Two for one Twister	11
11.	Prewinder / Rewinder	12
12.	Waterjet looms	13

Appendix – VI**ITEM-WISE SPECIFIED CAST COMPONENTS**

LOOMS	SECTIONAL WARPING
▪ Machine Frame –R	▪ Brake Flange for Warping Drum (RH)
▪ Machine Frame –L	▪ Brake Flange for Warping Drum (LH)
▪ Breast Beam	▪ Reed Table Body
	▪ Beam Donning Doffing Set
	▪ Gear Box for Traversing the Machine
	▪ Gear Box for Warping Table & Beam
	▪ Arm Traverse

Jacquard	Dobby
The side frames (Left & Right)	The side frames (Left & Right)

Warping Machine	Sizing Machine
Creel Part	Creel
▪ Frame Holders	▪ Creel Bracket
▪ Yarn Tensioners	▪ Creel Frame
▪ Cone Frame	Size Box
Head Stock	▪ Rubber Roller Housing
▪ Drive Shaft Housing	▪ Main frame
▪ Girt Bars	Dryer
	▪ Cylinder Bearing Housing
	▪ Cylinder Dish End
	Head Stock
	▪ Nip Roller Housing
	▪ Main Frame

Pirn winding machine	TFOT / Prewinder / Rewinder
▪ Gear Box	▪ Gear Box / Motor Housing Plate
▪ Fabricated important part (At least in four places)	▪ Each Section's Binders

Note: In case of the castings, the unique manufacturers code No. should be inserted during the casting of the components. The running serial No. should be engraved on the components besides the code No.

ANNEX- R**OPERATIONAL GUIDELINES OF MARGIN MONEY SUBSIDY @ 15% UNDER
TUFS FOR SMALL SCALE TEXTILE AND JUTE UNITS**

1. An option has been provided to the small scale textile and jute units to avail of 15% Margin Money Subsidy under Restructured TUFS (MMS@15%-TUFS) in lieu of 5% / 4% interest reimbursement / 20% Margin Money Subsidy for powerloom sector. The operational guidelines of the MMS@15%-TUFS are as follows:

Duration of the scheme

2. The operation of MMS@15%-TUFS will be co-terminus with Restructured TUFS from the date of this resolution to 31st March, 2012.

Eligible units

3. The scheme is applicable to SSI units of eligible segments mentioned in I. SCOPE OF THE SCHEME in GR of Restructured TUFS. The definition of small scale industry would be as per Micro, Small & Medium Enterprises Development Act 2006. However, filing of Entrepreneurs Memorandum with concerned DIC Centre is a pre requisite for availing of assistance under 15% MMS.
4. The eligibility of the SSI unit is subject to a capital ceiling of Rs. 500 lakh and ceiling on margin money subsidy of Rs.45 lakh. SSI units exceeding capital ceiling of Rs. 500 lakh would not be eligible for assistance under 15% MMS – TUFS. Such units are advised to avail of 5% / 4% interest reimbursement under Restructured TUFS.

Quantum of subsidy

5. 15% margin money subsidy will be available on investment in TUF compatible machinery subject to a ceiling of Rs. 45 lakh on subsidy amount.

Proviso:- (a) However where two or more undertakings are set up by the same person as a proprietor each of such industrial undertakings shall be considered to be controlled by the other undertaking or undertakings

OR

- (b) Where two or more undertakings are set up as partnership firms under the Indian Partnership Act, 1932 (1 of 1932) and one or more partners are common partner or partners in such firms, each of such industrial

undertakings shall be considered to be controlled by the other undertaking or undertakings.

OR

(c) Where industrial undertaking are set up by companies under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and where one or more Directors are common/same person who have already availed subsidy in their individual capacity for a proprietary/partnership firm, such undertakings shall be considered to be controlled by the other undertaking or undertakings

6. SSI units availing of 15% subsidy will not be eligible for 10% capital subsidy in specified processing, garmenting, brand new shuttleless looms and technical textile machinery.
7. Unit after availing assistance under 5% Interest Reimbursement cannot avail assistance under MMS@15%-TUFS. They may however continue to get assistance under 5% Interest Reimbursement.

Norms and eligible machinery

8. Technology and other norms of Restructured TUFS are equally applicable to MMS@15%-TUFS cases for determining the eligibility under the scheme.
9. The eligible machinery under MMS@15%-TUFS are at Annex – A to H of GR of Restructured TUFS.
10. Make and year of manufacture should be clearly indicated on machine / name plate attached to the machine.

Eligible value for subsidy

11. The margin money subsidy will be worked out on the basic value of the machinery excluding the tax component for the purpose of valuation. In other words, for indigenous machinery the basic price and for imported machinery CIF price would be considered for working out subsidy.
12. In respect of imported second hand shuttleless loom the price fixed as per the MMS@20%-TUFS should be considered for working out the subsidy.

Lending Agency

13. All Nodal Banks, IDBI Bank, SIDBI and its all co-opted PLIs are eligible for funding

under the scheme.

Financial norms

14. The promoter's contribution of 15% is to be ensured by the lending agency.
15. Financial norms like security debt-equity ratio, previous years profit position, networth etc. will be as per existing norms of lending agency. However, they should not be stricter than TUF norms.

Mechanism for release of subsidy

16. The scheme would be operated by Office of the Textile Commissioner as well as the lending agencies. The entrepreneur will have the option to choose either the route of Office of the Textile Commissioner or the lending agency.
17. 15% MMS cases sanctioned by co-opted PLIs of SIDBI (i.e. other than nodal banks/nodal agency/co-opted private commercial banks) may be routed through the O/o. Textile Commissioner to reduce the burden on SIDBI and expedite the process of release of subsidy to the SSI units. SIDBI will only determine the eligibility for 5% interest reimbursement in case of its co-opted PLIs.
18. Lending agencies will follow the procedure as mentioned in Stage I of monitoring process of Para IV relating to Implementation / Monitoring / Appraisal mechanism in case of entrepreneur which choose the route of lending agency. However, the entrepreneurs who choose the route of Office of the Textile Commissioner the following procedure will be applicable.

Through Office of the Textile Commissioner

19. The eligible SSI unit will approach the lending agency for a term loan with their project proposal. The lending agency would advise the Office of the Textile Commissioner after sanction of the loan in the prescribed format as at Appendix-I.
20. The SSI entrepreneur would submit application for claim to Office of the Textile Commissioner in the prescribed format as at Annex – T.
21. The SSI entrepreneur would release his promoter's contribution of 15% directly to the machinery manufacturer. The lending agency would release the loan to the machinery manufacturer when machinery are ready for dispatch. In case, with the loan amount, 85% of the cost of the machinery is not met, the SSI entrepreneur would make good the

remaining amount to the machinery manufacturer from his own resources.

22. The machinery manufacturer would install and commission the machinery on receiving 85% of the cost of the machinery. After satisfactory commissioning of the machinery, the machinery manufacturer / SSI entrepreneur would inform the Office of the Textile Commissioner.
23. In case of imported machinery, the SSI entrepreneur would inform the Office of the Textile Commissioner after commissioning of the machinery.
24. Textile Commissioner would constitute inspection teams on regional basis to inspect and certify the commissioning of the machinery. It would be ensured that Certification Committee issues a certificate within 15 days from date of intimation by the machinery manufacturer.
25. The 15% subsidy would be released by the Office of the Textile Commissioner to the unit's bank account after receiving the report from the inspection team. The Office of the Textile Commissioner would ensure that 15% subsidy is released within one month of issue of the certificate by the Certification Committee.
26. In respect of Restructured TUFS compatible imported machinery, the SSI entrepreneur will need to open a LC in Bank to make the purchase. In such cases, the 15% subsidy would be released directly to the SSI entrepreneur's bank account after receiving installation and commissioning report of the imported machinery.
27. In case SSI entrepreneur avails of bridge finance from the lending agency for the 15% margin money subsidy to be given, the 15% subsidy would be released by the Textile Commissioner directly to the lending agency.
28. In case machinery is being installed/commissioned in phases, the subsidy shall also be released in phases. Advance / token payment upto the margin money for machine cost can be paid by the unit prior to the date of sanction of term loan. However, machines purchased on or after date of sanction of term loan will be eligible under Restructured TUFS subject to fulfillment of other terms and conditions.

Safeguard against mis-utilisation

29. To prevent mis-utilisation of margin money subsidy, it is expected that unit should atleast function for a minimum period of three years from the date of disbursement of subsidy. To monitor the functioning of the unit for three years the lending agency should

keep the minimum repayment period including moratorium period as three years.

30. After sanction of the assistance lending agencies will get an agreement executed by the small scale unit on behalf of Government of India. A copy of the draft agreement to be executed by the eligible PLI with SSI unit is at Appendix- II.
31. Textile Commissioner would also constitute a team comprising of senior officers of the Head office to periodically inspect on random basis, the machinery installed / commissioned.

Monitoring of the progress of the scheme

32. The TAMC will monitor the progress of the scheme.

Grievance Committee

33. Grievance of the SSI entrepreneurs after purchase of machinery under the scheme, would be considered by a grievance committee under the chairmanship of the Textile Commissioner comprising of representatives of industry associations and TMMAI.

Appendix - I

FORMAT FOR SUBMITTING THE DATA UNDER MMS@15%-TUFFS FOR SSI TEXTILE UNITS

Dated : _____

Name & Address of the Lending Agency with Pin code:

IFSC Code:

MICR Code:

Borrower's Term Loan Account No.:

Sr. No.	PAN	DIC IEM Number	Name & Address of borrower	Existing / New	Segment	Project cost sanctioned	Machinery covered under the scheme				Total Term Loan amount sanctioned for machinery under MMS-15% TUFFS		Total Term Loan amount Disbursed for machinery under MMS-15% TUFFS	
							Name of the TUFFS compatible machinery along with specification	Name & address of the machinery manufacturer in case of indigenous machinery	Country of import in case of imported machinery	Price of the machinery (Rs.)	Date	Amount (Rs)	Date	Amount (Rs)
(1)			(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.			Factory address: Registered office address:											

Promoters Contribution : Rs. _____ (_____ %)

Term Loan Disbursed : Rs. _____ (_____ %)

Total Cost of Machines : Rs. _____

Details of any claim of unit under Restructured TUFFS through Bank route

(Signature of Bank Branch Manager/ Authorised signatory with Seal)

Name of the Manager/authorized person

Designation:

Code:

Appendix – II

(To be stamped as an Agreement)

**Agreement for availing of Credit Linked Margin Money Subsidy under
Restructured Technology Upgradation Fund Scheme (CLMMS-TUFS) for
Small Scale Textile and Jute Industries**

This Agreement made at _____ on this day of _____ in the year _____ between
M/s _____ a public / private Limited Company/ proprietary concern,
incorporated under the Companies Act of 1956 and having its Registered Office at
_____ and being an industrial concern hereinafter called the Beneficiary (which
expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof include its successors
and assigns) of the One part;;

OR FOR PARTNERSHIP FIRM

- (i) Shri -----son of -----age ----- years residing at_____
- (ii) Shri -----son of -----age ----- years residing at_____
- (iii) Shri -----son of -----age ----- years residing at carrying on
business in partnership in the firm name and style of ----- and having their office at
----- (hereinafter referred to as 'Beneficiary' which expression shall,
unless it be repugnant to the subject or context thereof, include its/his/her/their legal
representatives, heirs, administrators, successors and assigns) of the One part.

AND

(hereinafter referred to as the financing institution/Bank) [which expression shall unless
repugnant to the context or meaning thereof include its successors and assigns] of the Other
part.

WHEREAS

1. Government of India has appointed Small Industries Development Bank of India
(SIDBI) as Nodal Agency or _____ as nodal bank (hereinafter referred
to as the Agent) for channelising Credit Linked Margin Money Subsidy for Technology
Upgradation of the Small Scale Textile and Jute Industries under Restructured Technology
Upgradation Fund Scheme (TUFS) of Ministry of Textiles, Govt. of India (hereinafter referred
to as the Scheme) and permitting the financial institution / Bank under the Scheme for

claiming margin money subsidy on the term loan sanctioned and disbursed by the financing institution/bank to the beneficiary.

2. The beneficiary has requested the financing Institution/ Bank for providing assistance under the Scheme to the extent of Rs. (Rupees _____ only) for setting up a project under small scale industries, which the financing Institution / Bank has agreed to lend in proportion to the eligible investment made or to be made in purchase of machineries under Restructured TUFs by the Beneficiary as per the terms and conditions provided in the Agreement executed between the financing institution / Bank and the Beneficiary.

3. The Agent has agreed to act as nodal agency for Government of India for channelising disbursement of capital subsidy sanctioned to the Beneficiary by the financing institution/ Bank, and the parties hereto desire to enter into an agreement for the said purpose, being these presents providing for the terms hereinafter appearing.

NOW THESE PRESENTS WITNESS AND IT IS HEREBY AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERETO AS FOLLOWS:-

1. The beneficiary, hereby, covenants :

- a) That the Beneficiary will comply with and faithfully observe all the terms and conditions of the said Scheme and also all the subsequent amendments and modifications and additions thereto together with the conditions of the sanction of the said financial assistance.
- b) That the Beneficiary will allow the officers of the Agent and / or the Government of India or any other person or persons authorised, by the Agent or by Government of India or by the Technology Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC) / Inter-Ministerial Steering Committee (IMSC) to inspect the work for which the margin money subsidy has been granted and also the machines, plant appliances, tools, equipments, etc., for the procuring of which the subsidy has been granted and will furnish such information concerning the machines, plant, implements, etc., for procuring of which the margin money subsidy has been granted or concerning the matters connected with the margin money subsidy or incidental thereto as the Agent or the TAMC/IMSC or their nominees may, from time to time require.
- c) That the Beneficiary will not change the place or location of the industrial unit entirely or partly, nor enter into partnership with any one, or change its constitution by merger, amalgamation or in any manner nor the Beneficiary will effect disposal of fixed capital investment without the express prior permission of the Agent in writing.

2. It is further hereby agreed and declared by and between the parties thereto, that in any of the following cases namely,

- a) where the Beneficiary has obtained the margin money subsidy by misrepresentation as to an essential fact, or by furnishing of false information; or, where the industrial unit goes out of production within three years from the date of disbursement of margin money subsidy except in cases where the unit remains out of production for short periods not exceeding three months (six months in case of ginning and pressing factories and not to any other manufacturing activity of the textile industry) due to reasons beyond its control such as shortage of raw material / power etc.; or
- b) where the Beneficiary fails to furnish the prescribed statement or information which it is called upon to furnish.

If the Beneficiary commits breach of any one of the covenants herein contained or of the terms and conditions of the Scheme as amended from time to time, the Beneficiary shall refund the same forthwith to the financing institution / bank together with interest at the then prevailing prime lending rate of financing institution/bank. The bank/FI shall take all steps for recovery of the margin money subsidy to the Beneficiary as it is provided by the Agent and all the expenses incurred by the bank/FIs/Agents for recovery shall also be recoverable from the beneficiary. The margin money subsidy along with interest so recovered shall be transferred to the Govt.

3. The interpretation/clarification/decision of agent or *TAMC/IMSC* regarding the eligibility, subsidy and any other benefits of an unit/borrower under the scheme, either before or after release of the loan facility by the financing institution/bank shall be binding on the beneficiary and the beneficiary will not raise any objection either against agent or bank/financing institution.

4. It is hereby further agreed and declared that the stamp duty chargeable on these presents shall be paid and borne by the Beneficiary and that the Beneficiary will also be liable to bear the expenses, if any, incurred by enforcing the terms and conditions of these presents.

IN WITNESS WHEREOF the Beneficiary has caused its common seal to be affixed hereto and to a duplicate hereof on the day, month and year first hereinabove written and Bank has caused these presents and the said duplicate to be executed by the hand of Shri_____ (Name & Designation) of Bank, as hereinafter appearing.

THE COMMON SEAL OF LIMITED has pursuant to the Resolution of its Board of Directors passed in that behalf on the _____ day of _____ hereunto been affixed in the presence of Shri _____ and Shri _____
Shri _____, Director who have signed these presents in token thereof and Shri _____ Secretary* / Authorised* person who has signed / countersigned the same in token thereof

SIGNED AND DELIVERED BY the within named Bank by the hand of Shri _____
(Name & Designation), an authorised official of Bank.

OR

IN WITNESS WHEREOF the partners of the Beneficiary have set their respective hands hereto and to a duplicate hereof on the day, month and year first hereinabove written and Bank has caused these presents and the said duplicate to be executed by the hand of Shri _____ (Name & Designation) of Bank, as hereinafter appearing.

1) SIGNED AND DELIVERED BY the within named Shri _____ Partner of _____, the within named Partnership Firm.

2) SIGNED AND DELIVERED BY the within named Shri _____ Partner of, _____ the within named Partnership Firm.

Signed and delivered by

the within named _____

By the hand of Shri _____

In pursuance to the Board Resolution dated _____ and common seal has been affixed in presence of Shri _____ who has signed in token thereof.

Signed and delivered by the within named FI / NSIC / Bank / SFC* by the hand of Shri _____ authorised official.

(*whichever is applicable)

NOTE : Relevant Board Resolution authorising the person(s) to execute the document on behalf of the Beneficiary has to be submitted with the Agreement

ANNEX- S**OPERATIONAL GUIDELINES OF CAPITAL SUBSIDY @ 10% UNDER TUFS FOR
PROCESSING, BRAND NEW SHUTTLELESS LOOMS, GARMENTING AND
TECHNICAL TEXTILES**

1. An additional incentive of 10 percent capital subsidy in addition to 5 percent interest subsidy has been provided for specified machineries of garmenting, technical textiles, brand new shuttleless looms and specified processing machinery.

Duration of the scheme

2. The operation of capital subsidy @10% under Restructured TUFS will be co-terminus with restructured TUFS from the date of this resolution to 31st March, 2012.

Eligibility

3. The 10% capital subsidy will be available only for such projects where term loans have been sanctioned by the nodal agencies / nodal banks / co-opted PLIs.

4. The capital subsidy on processing machinery would be available to all the textile, garment and jute units eligible for loaning under Restructured TUFS.

5. The capital subsidy on garmenting machinery would be available to garment units eligible for loaning under Restructured TUFS.

6. The capital subsidy on brand new shuttleless looms would be available to all the textile, garment and jute units eligible for loaning under Restructured TUFS.

7. The capital subsidy in respect of technical textile machinery will be available to the technical textile units only. Since some of the machinery of technical textiles are common the technical textile units desirous of availing of 10% capital subsidy will have to obtain a registration number from Office of the Textile Commissioner prior to becoming eligible for 10 percent capital subsidy.

Quantum of subsidy

8. The 10% capital subsidy will be available on the specified machinery and will be worked out on the basic value of the machinery and exclude the tax component for the purpose of valuation. In other words, for indigenous machinery the basic price and for imported machinery CIF price would be considered for working out subsidy.

9. The 10% capital subsidy will not be available for a project as a whole but only on the specified machinery. The project as a whole including the specified machinery will continue to be eligible for 5 percent interest incentive on the TUF compatible investment.

Release of capital subsidy

10. The capital subsidy would be released by the lending agencies at the time of disbursement of term loan for the specified machinery.

11. The capital subsidy can also be adjusted against promoter's contribution.

Format TR-I

Format for obtaining the registration number for 10% capital subsidy
under Restructured TUFS for technical textile units

1.	Name and full address of unit	
	Name of the Managing Director	
	Tel. No. :	
	Fax :	
	E-mail :	
	Website address:	
2	Whether SSI / Non-SSI	
3	Details of products produced	
4	End use applications of Products	
5	Details of existing main Machinery	
6	Name and address of the lending agency alongwith Tel., Fax and e-mail	

Format TR-I contd.

7 Details of machinery proposed to be installed under 10% capital subsidy for technical textiles:					
Sr. No.	Description of machinery	Imported / indigenous	No. of machines	Sr. No. of Annex-K of GR	Basic price excluding all taxes

Place:

Date:

Authorised Signatory

Annex – T**Application Form of the claim of Subsidy under Restructured TUFS by unit to Office of
the Textile Commissioner**MMS@15% - TUFS: ☐MMS@20% - TUFS: ☐

(Please tick whichever applicable)

1.	Name & Address of the factory to be inspected with pin code Taluka/Tahasil/Mandal: District: State: Pin code:	
	Phone No./Mobile No.	
	Fax No.	
	E-Mail ID	
	Unit PAN No.	
	Name of Contact Person Contact No.:	
2.	a) SSI Registration / EM No. & Date b) Registering Authority	
3.	Whether it is Existing or New Unit	
4.	Project Cost Details a) Land b) Building c) Plant and Machinery d) Others e) Total (If building is leased, enclose registered lease/rent agreement)	

5.	a) Constitution of Firm	Proprietorship / Partnership / Pvt. Ltd / Cooperative
	b) Name of Proprietor / Partners / Managing Director(s) (Enclose partnership deed / MOU-MOA as case may be)	
6.	Name & Address (with pin code) of the Lending Agency, Branch, Phone No.	
	Term Loan Account No.	
	Current Account No.	
	Loan Sanction Date & amount (Please enclosed loan Sanction letter)	
	Loan Disbursement Date and amount	
7.	Machines applied for with details	

Date:

Signature of owners/ MD etc.

Place:

& Seal of the unit

FORMAT FOR ONLINE APPLICATION BY LENDING AGENCIES APPLYING FOR UNIQUE ID NUMBER UNDER TUFS

[illegible]

* - Please mention the TUFSS benefit being opted for, i.e., 4% IR or 5% IR or 5% IR plus 10% capital subsidy or 4% / 5% foreign exchange fluctuation / forward cover premium or 5% foreign exchange fluctuation / forward cover premium plus 10% capital subsidy or 15%-MMS or 20% - MMS or 25% capital subsidy

Note : 1. In case of sharing cases (consortium financing) the project cost may be indicated by the lending agency, which has sanctioned maximum amount of loan to the unit to avoid double counting. However, the amount sanctioned and amount disbursed may be indicated by each of the lending agency for the amount sanctioned and disbursed by them respectively.

2. The right to prefer the subsidy claim would remain valid only upto the end of the following quarter from the date of obtaining ID number.

Segments

1. Cotton ginning & pressing;
2. Silk sector (i.e., reeling, twisting, spinning, and weaving);
3. Wool sector (i.e., scouring, combing, spinning (worsted, shoddy and woolen) and weaving);
4. Synthetic filament yarn texturising, crimping & twisting;
5. Stand alone Spinning;
6. Spinning with matching downstream capacity
7. Manufacturing Viscose filament yarn / viscose staple fibre;
8. Independent weaving preparatory;
9. Weaving;
10. Knitting;
11. Non-Wovens and converters of non-wovens;
12. Embroidery on stand alone basis;
13. Technical Textiles;
14. Garment manufacturing;
15. Made-up manufacturing;
16. Processing of fibres, yarn fabrics, garments and made-ups;
17. Jute Industry;
18. Carpet manufacturing
19. Handloom weaving
20. Composite Upgradation, (i.e., units going for upgradation in spinning, weaving / knitting and processing)
21. Multi-activities (Units with two or more activities simultaneously except composite upgradation mentioned above). In case of multi-activities the name of the activities may be mentioned.

ANNEX – V**LIST OF CO-OPTED STATE FINANCIAL CORPORATIONS/
STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATIONS/
TWIN FUNCTION INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATIONS,
SCHEDULED COMMERCIAL BANKS, CO-OP. BANKS/
ALL INDIA FINANCIAL INSTITUTIONS****I. Scheduled Commercial Banks****a. Co-opted by IDBI and SIDBI**

1. Bank of America
2. Bank of Nova Scotia
3. Banque National De Paris (French Bank)
4. Citi Bank
5. Deutsche Bank
6. Royal Bank of Scotland (ABN Amro Bank N. V.)
7. Standard Chartered Bank
8. HDFC Bank
9. HongKong and Shanghai Banking Corporation.

b. Co-opted by SIDBI only.

10. Ailegemene Bank Nederland N.V.
11. American Express International Banking Corporation
12. Bank of Baharain and Kuwait B.S.C.
13. Bank of Tokyo Ltd.
14. Banqaue Indosuez.
15. Bareilly Corporation Bank Ltd.
16. Benaras State Bank Ltd.
17. British Bank of the Middle East
18. Credit Lyonnais.
19. Development Credit Bank Ltd., Bombay
20. Dhanalakshmi Bank Ltd.
21. Dresdner Bank AG.
22. Emirates Commercial Bank Ltd. (Abu Dhabi Commercial Bank)
23. Grindlays Bank

24. Mitsui Bank Ltd.
25. Nainital Bank Ltd.
26. Nedungadi Bank Ltd.
27. Oman International Bank S.A.O.
28. Ratnakar Bank Ltd.
29. Sangli Bank Ltd.
30. Sanwa Bank Ltd, New Delhi.
31. Societe Generate Paris (France)
32. Times Bank

c. Co-opted by IDBI only

33. Yes Bank Ltd.
34. Kotak Mahindra Bank

II. Co-operative Banks

a. Co-opted by IDBI

35. The Greater Bombay Co-operative Bank Ltd.
36. The Solapur Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
37. The Jalgaon Peoples Co-op. Bank Ltd.
38. Priyadarshani Nagrik Sahakari Patpedhi

b. Co-opted by IDBI and SIDBI

39. Bombay Mercantile Co-op. Bank Ltd., Mumbai
40. Dombivili Nagari Sahakari Bank Ltd.
41. The Cosmos Co-operative Bank Ltd
42. Jalgaon Janata Sahakari Bank Ltd
43. Surat Peoples Co-op Bank Lt., Surat.
44. The New India Co-operative Bank Ltd
45. The Saraswat Co-operative Bank Ltd.
46. The Shamrao Vithal Co-operative Bank Ltd.
47. The Surat District Co-operative Bank Ltd
48. The SUTEX Co-op Bank Ltd., Surat
49. Maharashtra State Co-op. Bank Ltd., Mumbai
50. Sarvodaya Sahakari Bank Ltd.
51. Solapur Nagari Audyogik Sahakari Bank Ltd.
52. Abhyudaya Co-op. Bank Ltd.
53. Prime Co-operative Bank Ltd.

54. Shree Warana Sahakari Bank Ltd.
55. Surat National Co-operative Bank Ltd.
56. The Kurla Nagarik Sahakari Bank Ltd.
57. The Zoroastrian Co-op. Bank Ltd.
58. The Shirpur People's Co-op. Bank Ltd
59. The Dhule Vikas Sahakari Bank Ltd.
60. The Janakalyan Sahakari Bank Ltd.
61. Vyapari Sahakari Bank Ltd.

c. Co-opted by SIDBI

62. Apna Sahakari Bank Ltd.
63. Gujarat Industrial Co-operaive Bank Ltd., Surat
64. Ichalkaranji Janata Sahakari Bank
65. Janata Co-op. Bank, Malegaon, Maharashtra
66. Kalupur Commercial Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad
67. Rajkot Nagarik Sahakari Bank Ltd
68. Shri Veershaiv Co-operative Bank Ltd
69. Textile Co-op. Bank, Bangalore, Karnataka
70. The Kapol Co-operative Bank Ltd
71. The Nasik Merchants' Co-op. Bank (NAMCO Bank)
72. The Panchsheel Mercantile Co-operative Bank Ltd.
73. Vita Merchant's Co-operative Bank Ltd.
74. The Surat Nagarik Sahakari Bank Ltd.
75. The Nav-jeevan Co-operative Bank Ltd.
76. The Surat Mercantile Co-operative Bank Ltd.
77. Shri Parshwanath Co-operative Bank Ltd.
78. The Kalyan Janata Sahakari Bank Ltd.
79. Jain Sahakari Bank Ltd.
80. Bharat Co-operative Bank (Mumbai) Ltd.
81. Ichalkaranji Urban Co-op. Bank Ltd.
82. Parsik Janata Sahakari Bank Ltd.
83. The Varachha Co-op. Bank Ltd.
84. Mehsana Co-op. Bank Ltd.
85. Choundeshwari Sahakari Bank Ltd.
86. Nutan Nagarik Sahakari Bank Ltd.

87. The Udhna Citizen Co-op. Bank Ltd

III. State Financial Corporations (SFCs)

a. Co-opted by IDBI and SIDBI

- 88. Assam Financial Corporation
- 89. Bihar State Financial Corporation .
- 90. Delhi Financial Corporation
- 91. Gujarat State Financial Corporation
- 92. Himachal Pradesh Financial Corporation
- 93. Jammu & Kashmir State Financial Corporation
- 94. Karnataka State Financial Corporation
- 95. Kerala Financial Corporation
- 96. Madhya Pradesh Financial Corporation
- 97. Orissa State Financial Corporation
- 98. Punjab Financial Corporation
- 99. Rajasthan Financial Corporation
- 100. Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd.
- 101. Uttar Pradesh Financial Corporation
- 102. West Bengal Financial Corporation

b. Co-opted by IDBI, SIDBI and IFCI

- 103. Andhra Pradesh State Financial Corporation.
- 104. Haryana State Financial Corporation
- 105. Maharashtra State Financial Corporation

IV. State Industrial Development Corporation (SIDCs) a. Co-opted by IDBI and SIDBI

- 106. Andhra Pradesh Industrial Development Corporation Ltd.
- 107. Bihar State Credit and Investment Corporation Ltd.
- 108. Gujarat Industrial Investment Corporation Ltd.
- 109. Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation Ltd.
- 110. Industrial Promotion and Investment Corporation of Orissa Ltd.
- 111. Jammu & Kashmir State Industrial Development Corporation Ltd
- 112. Karnataka State Industrial Investment Corporation Ltd.
- 113. Kerala State Industrial Development Corporation Ltd.
- 114. Madhya Pradesh Audyogik Vikas Nigam Ltd.
- 115. Pradeshya Industrial and Investment Corporation of Uttar Pradesh Ltd.
- 116. Punjab State Industrial Development Corporation Ltd.

- 117. Rajasthan State Investment Corporation Ltd.
- 118. State Industrial and Investment Corporation of Maharashtra Ltd.
- 119. State Industries Promotion Corporation of Tamilnadu Ltd.
- 120. West Bengal Industrial Development Corporation Ltd.

b. Co-opted by IDBI, SIDBI and IFCI

- 121. Assam Industrial Development Corporation Ltd.
- 122. Haryana State Industrial Development Corporation Ltd.

V. Twin Function Industrial Development Corporations

a. Co-opted by IDBI and SIDBI

- 123. Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Ltd.
- 124. Arunachal Pradesh Industrial Development and Financial Corporation Ltd.
- 125. Economic Development Corporation of Goa, Daman & Diu Ltd.
- 126. Manipur Industrial Development Corporation Ltd.
- 127. Meghalaya Industrial Development Corporation Ltd.
- 128. Mizoram Industrial Development Corporation Ltd.
- 129. Nagaland Industrial Development Corporation Ltd.
- 130. Omnibus Industrial Development Corporation of Daman & Diu & Dadra & Nagar Haveli Ltd. (OIDC)
- 131. Pondicherry Industrial Promotion and Investment Corporation Ltd.
- 132. Sikkim Industrial Development & Investment Corporation Ltd.
- 133. Tripura Industrial Development Corporation Ltd.

b. Co-opted by IFCI only (for Jute industry)

- 134. North Eastern Development Corporation Ltd.

VI. All India Financial Institutions

b. Co-opted by IDBI only.

- 135. Life Insurance Corporation of India

c. Co-opted by IDBI and IFCI

- 136. Industrial Investment Bank of India.

VII. Others

a. Co-opted by SIDBI

- 137. National Small Industries Corporation Ltd.

b. Co-opted by IDBI

- 138. Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. (IREDA)

New Delhi, the 16th June 2011

RESOLUTION

No. 1/1/2010-CT-II—The Competent Authority in the Government of India hereby decides to include following two names of farmers as a member of the Cotton Advisory Board, constituted vide Resolution of even No. dated 05.05.2010, with immediate effect :—

1. Thiru Brijesh Merja,
353, Sector-8,
Gandhinagar, Gujarat
 2. Thiru Bharat Vala,
"Sopan"
Nirmala Convent Road,
Opp. Managal Park, Rajkot.
2. The Resolution No. 1/1/2010-CT-II dated 05.05.2010 stands modified to the extent stated above.
 3. The Members of the reconstituted Board will serve on the Board upto 04.05.2012.
 4. Ordered that the copy of this Resolution be communicated to the concerned.
 5. Ordered also that it be published in the Gazette of India.

ANITA PURI
Under Secy.